बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

'बैंकिंग प्रणाली, बदलते आयाम और भावी दिशा'

● वर्ष 30 ● अंक 1

● अक्तूबर-दिसंबर 2017

सदस्य

Member

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय सूची

- संपादक - मंडल 1
- संपादकीय 2
- अनुचिंतन 4
- भाषण
  - बैंकिंग विनियामकीय शक्तियां स्वामित्व निरपेक्ष होनी चाहिए — ऊर्जित आर.पटेल 5
- लेख
  - एम.एस.एम.ई. की प्राप्तियों के वित्तपोषण के लिए व्यापार प्राप्य डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) - एक विहंगावलोकन — मुहम्मद शाहिद 15
  - जोखिम प्रबंधन/ जोखिम प्रबंधन उपायों की सुदृढ़ता — नौशाबा हसन 28
  - बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) का प्रभाव — डॉ. सावित्री सिंह 43
  - विलयन, अधिग्रहण और समेकन के प्रभाव/समेकन और इसकी प्रमुख चुनौतियां — ध्रुव मुखर्जी 49
  - एनपीए के समाधान में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की भूमिका — आशीष पटेल 57
  - वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा: विविध आयाम और चुनौतियाँ — मनोज कुमार साव 64
  - बैंकिंग में साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन — डॉ. साकेत सहाय 78
  - वित्तीय समावेशन और भुगतान बैंक — डॉ. रमाकांत शर्मा 86
  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण — सूरज बी. शुक्ल 91
  - भारत में स्टार्ट-अप संस्कृति को बैंक कैसे बढ़ावा दे सकते हैं — जनमेजय पटनायक 95
  - आधुनिक बैंकिंग और प्रशिक्षण की आवश्यकता — सुबह सिंह यादव 100
- रेग्युलेटर की नज़र से — ब्रिज राज 107
- इतिहास के पन्नों से — विकास वशिष्ठ 110
- घूमता आईना — के. सी. मालपानी 119
- लेखकों से / पाठकों से 123

श्री काज़ी मुहम्मद ईसा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, दूसरी मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा अल्को कॉर्पोरेशन, मुंबई से मुद्रित।
इंटरनेट: https://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।
E-mail: rajbhashaco@rbi.org.in फोनः 022-26572801 फैक्सः 022-26572812

संपादक - मंडल

संरक्षक

श्रीमती लिलि वडेरा
मुख्य महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

प्रबंध संपादक

श्री काज़ी मुहम्मद ईसा
प्रभारी उप महाप्रबंधक
(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कार्यकारी संपादक

श्री गोपाल सिंह
उप महाप्रबंधक
(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य सचिव

सुश्री सोमा दास
सहायक प्रबंधक
(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

तकनीकी सहयोगी

श्री सुबोध महरोत्रा
प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक,
डीईपीआर, मुंबई

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई-400051

सदस्य

श्री ब्रिज राज
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक,
पटना कार्यालय

श्री चरणजीत सिंह
महाप्रबंधक
ओरियन्टल बैंक आफ
कॉमर्स, गुड़गांव

श्री राकेश चन्द्र नारायण
महाप्रबंधक
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
कोलकाता

श्री के.पी. तिवारी
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक,
डीईपीआर, मुंबई

डॉ. अजित कुमार
संकाय सदस्य एवं
उप महाप्रबंधक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय,
भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

श्री जनमेजय पटनायक
उप महाप्रबंधक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
सीबीओटीसी, भोपाल

डॉ. जवाहर कर्णावट
उप महाप्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

संपादकीय सहयोग

श्रीमती सुषमा फडणीस
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कला सहयोगी

श्री अभय मोहिते
सहायक प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक,मुंबई

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो। इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है , बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

संपादकीय....

प्रिय पाठको,

चिंतन

प्रत्येक यात्रा का एक गंतव्य होता है। बैंकिंग उद्योग सदैव से अर्थव्यवस्था की धुरी रहा है, जो प्रारंभ में 3-6-3 के सीमित दायरे से गुज़रते हुए परिवर्तनों के अनेक सोपानों को पार कर चुका है। जिस प्रकार से सामाजिक वैचारिक-पद्धति एक ऋजु रेखा का निर्माण नहीं करती है उसी प्रकार बैंकिंग का दर्शन भी अनेक स्कूल ऑफ थाट्स से प्रभावित रहा है। लेकिन, आर्थिक प्रणाली समग्रता को अंगीकार करती है और देश,काल की परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को आकार प्रदान करती है। बैंकिंग जगत के बुद्धिजीवी लोहावत् अनिवार्यताओं का पालन करते हैं जहां विषय वैविध्य पर बहस की गुंजाइश तो होती है किंतु देश की आर्थिक सुदृढ़ता में शिथिलता के प्रति कोई समझौता नहीं किया जाता है। बैंकिंग समूचे समाज को, प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का स्वप्न देखती है, राष्ट्रीय हितों को साधती है और सर्वसाधारण के भरोसे को क़ायम रखती है। बावजूद इसके, बैंकिंग चुनौतियों और चेतावनी के निरंतर दौर से साक्षात्कार करती है। वह, न तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने से पीछे रह सकती है और ना ही वैश्विक स्तर पर बैंकिंग क्षेत्र में होने वाली प्रगति से अप्रभावित। बैंकिंग अपने मार्ग से कभी हट नहीं सकती है और न ही उससे पलायन कर सकती है। उसे स्वयं को परिवर्तनों के अनुरूप ढालना होता है। संघर्ष इसकी घुट्टी में है और यथास्थितिवादिता को सदैव नियति मानकर नहीं चलती है। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास की एक विस्तृत प्रक्रिया का अंग है। बैंक, आर्थिक प्रणाली के पोषक हैं और आर्थिक गतिशीलता कमोबेश बैंकिंग तंत्र की सुदृढ़ता पर अवलंबित होती है, क्योंकि देश आर्थिक पिछड़ेपन के दुष्चक्र को कई दशकों पूर्व तोड़ चुका है और विश्व के मानचित्र पर एक मज़बूत आर्थिक प्रणाली के रूप में उभरा है, इसलिए समय की रफ्तार में यह आवश्यक होता है कि बैंकिंग-व्यवस्था के स्वास्थ्य को संतुलित रखा जाए ताकि सशक्त और गतिमान अर्थव्यवस्था के विकास की गति धीमी ना पड़ने पाए। इसीलिए समय-समय पर न केवल आर्थिक पैमाने बदलते रहे बल्कि बैंकिंग एवं उससे जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में संरचनात्मक एवं प्रणालीगत परिवर्तन किए गए। बैंकिंग कार्यकलाप में जहां नवीनताओं का समावेश होता है वहीं वह आंतरिक बदलाव की लंबी प्रक्रिया से भी गुजरता रहा है। ऋण की सुगमता में वृद्धि, वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंकिंग, क्रय-क्षमता में वृद्धि तथा क्षमता-संवर्धन कुछ ऐसे पैमाने हैं जिनका निरंतर विश्लेषण अनिवार्य होता है ताकि बैंकिंग प्रणाली की उन कमजोरियों को जो एनपीए, वित्तीय जोखिम, दिवालियापन, साइबर अपराध आदि के रूप में देश के समक्ष उभरी हैं उनकी पहचान की जा सके और उनपर अंकुश लगाते हुए उनका निदान प्रस्तुत किया जा सके।

अनुचिंतन

बैंकिंग प्रणाली के केंद्र में अंतत: यह निहित होता है कि वह स्वयं को अनेक चुनौतियों के बावजूद अग्रसर किए रहे और निष्पादन की कसौटी पर खरा उतरती रहे। यही कारण है कि सरकार और मौद्रिक प्राधिकारी अग्र-सक्रिय होकर उन बिंदुओं पर पहले से ही मंथन प्रारंभ कर देते हैं जो बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली के लिए अनुकूल प्रतीत नहीं होते हैं। वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य में ऐसे अनेक संरचनागत परिवर्तनों को अंगीकार किया गया है जो देश की बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करते हुए भविष्य में मज़बूती से टिके रहने का आधार प्रदान करते हैं। इस प्रयोजन से बैंकों का विलयन, अधिग्रहण और समेकन की अपनाई गई प्रक्रिया जहां सरकार एवं केंद्रीय बैंक की दूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है, वहीं जोखिम प्रबंधन, बैंकों का पुनः पूंजीकरण कुछ एसे नए कदम हैं जिससे आगे की सोच ध्वनित होती है। इन विषयों के अलावा, पत्रिका में कई अन्य महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत विषयों जैसे वित्तीय समावेशन, भुगतान बैंक, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप संस्कृति आदि विषयों पर प्रभावी आलेख प्रस्तुत किए गए हैं जो पाठकों को बैंकिंग क्षेत्र की सुधारात्मक एवं चुनौतीपूर्ण नवीनतम गतिविधियों से अवगत कराते हैं। हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि पत्रिका के माध्यम से पाठकों के समक्ष बैंकिंग जगत की उन जानकारियों को प्रस्तुत किया जाए जो बैंकिंग के वर्तमान स्वरूप को उद्घाटित करते हुए भविष्य की दिशा इंगित करती हैं।

आचार्य चाणक्य का कथन है कि –

क: काल: कानि मित्राणि को देश: को व्ययागमौ।
कस्याहं का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुर्मुहु:।।

अर्थात् मेरे आसपास की परिस्थितियां कैसी हैं (अनुकूल या प्रतिकूल), कौन मेरा मित्र है? देश की हालत कैसी है? कौन सी बातें मेरे अनुकूल या प्रतिकूल हैं (या मेरे पास क्या है और क्या नहीं है)? मैं कौन हूं? मेरी शक्ति कितनी है? हरेक को इन प्रश्नों के प्रति चिंतन करते रहना चाहिए। इसलिए हमें सदैव सावधान रहना चाहिए एवं अपने कृत्यों में उपर्युक्त को प्राथमिकता देनी चाहिए।

हमें सुधी पाठकों की प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी।

आपका सदैव आभारी,

(काज़ी मु. ईसा)
प्रभारी उप महाप्रबंधक
एवं
प्रबंध संपादक

अनुचिंतन

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का जुलाई-सितंबर 2017 अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका का अध्ययन किया और बहुत कुछ नूतन तथा उत्कृष्ट ज्ञानवर्धक जानकारियां मिली। अंक बहुपयोगी सूचनाओं भरे आलेखों से ओतप्रोत व समसामयिक विधाओं का उल्लेख लिए हुए हैं, जिसके लिए संपादक मंडल एवं समस्त लेखकों की तहेदिल से सराहना करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। तथापि अंक में समाहित सभी लेख उत्कृष्ट जानकारी से भरे हैं किंतु 'अंगुल चिन्ह का इतिहास और बैंक' तथा वर्तमान घड़ी में व्याप्त विकराल/ कठोर समस्या- 'एनपीए समस्या समाधान में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 की भूमिका' विशेष लगे। डॉक्टर रमाकांत शर्मा का 'भविष्य की मुद्रा कूट मुद्रा' और 'बैंकों के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)' आदि अत्यंत सराहनीय रहे। अतएव पत्रिका के संपादक मंडल के सभी सदस्यों और लेखकों तथा इससे जुड़े सभी बैंकरों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भविष्य में इसी प्रकार के प्रकाशित होने वाले अंक की प्रतीक्षा में –

हरीश चंद अग्रवाल
अकोला

बैंकिंग चिंतन- अनुचिंतन का जुलाई-सितंबर 2017 का अंक मिला। अगर इस प्रकाशन को 'गागर में सागर' कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के सामयिक और सारगर्भित लेख हिंदी में पाकर गौरवान्वित महसूस किया। आज के दौर में लॉर्ड मैकाले प्रदत्त अंग्रेजी के हर क्षेत्र में प्रभुत्व को देखते हुए अच्छा लगता है कि हमारी राष्ट्रभाषा में भी ज्ञानवर्धक पठनीय सामग्री पढ़ने को मिल रही है। भविष्य के लिए शुभकामनाओं सहित

गोविंद राम देवनानी
सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का जुलाई-सितंबर 2017 अंक प्राप्त हुआ। बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन को आई एस एस एन प्राप्त हो गया है, यह हमारे लिए गौरव का विषय है। संपादक मंडल एवं प्रबंधन को साधुवाद। यह पत्रिका भारतीय बैंकिंग जगत में एक प्रमाणिक हिंदी पत्रिका सदैव से ही रही है। संपादकीय में संपादक महोदय ने चिंतन अनुचिंतन हेतु कई मुद्दे उठाए हैं। शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत तो उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है परंतु उस अनुपात में बेरोजगारी नहीं घटी है। इसका कारण यह है कि आधुनिक शिक्षित जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं वह उपलब्ध नहीं है और परंपरागत/पारिवारिक रोजगार वे करना नहीं चाहते। आर्थिक विकास के कारण जीडीपी बढ़ रही है किन्तु समाज दो वर्गों में बंटा है। एक वर्ग अपना श्रम बेचकर अपनी आजीविका चला रहा है दूसरा वर्ग अन्य लोगों का श्रम बेचकर लाभ कमा रहा है। गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक श्री ऊर्जित पटेल ने दिवाला और शोधन अक्षमता : बदलते प्रतिमान पर राष्ट्रीय सम्मेलन के भाषण में महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला है। दिवाला और शोधन अक्षमता कानून समय की मांग है। सार्वजनिक धन के आधार पर किसी को विलासिता करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। घूमता आईना में श्री के सी मालपानी ने सामयिक विषयों पर अद्यतन जानकारी दी है। अन्य आलेख भी सामयिक एवं जानकारीपूर्ण हैं।

विश्वनाथ सिंघानिया
जयपुर

जुलाई-सितंबर का अंक प्राप्त हुआ। बैंकिंग पर्यवेक्षण का नया आयाम- जोखिम आधारित पर्यवेक्षण, अंगुल चिन्ह का इतिहास और बैंक, बैंकों में सुदृढ़ धोखाधड़ी प्रबंधन लेख बहुत अच्छे हैं। पत्रिका का मुखपृष्ठ तो बहुत ही सुंदर बन पड़ा है।

आप को लाख-लाख बधाइयां

एस.सी. सिंहल
सेवानिवृत्त अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन (बैंकिंग पर व्यवसायिक जर्नल) का जुलाई-सितंबर 2017 अंक 04 प्राप्त हुआ जिसे मैंने बड़ी ही लगन से पढ़ा है और ज्ञान वृद्धि हुई। वास्तव में पुस्तक बहुत ही लाभदायक है जिसकी मैं सदैव प्रतीक्षा में रहता हूं। पुस्तक का मुख-पृष्ठ, भाषा-शैली तथा छपाई आदि सभी कार्य बहुत ही अच्छे थे।

अतः मैं सभी लेखकों, संपादकों तथा पत्रिका से संबंधित सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूं और सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां। धन्यवाद

योगेंद्र दत्त शर्मा
जहांगीराबाद, उत्तर प्रदेश

आपके द्वारा प्रेषित बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन की प्रति प्राप्त हुई। इस अंक में वैसे तो सभी आलेख प्रभावशाली हैं तथापि बैंकिंग पर्यवेक्षण का नया आयाम जोखिम आधारित पर्यवेक्षण और भविष्य की मुद्रा-कूटमुद्रा, अत्यंत सार्थक और उपयोगी लगे। पत्रिका का आवरण पृष्ठ, फॉन्ट और आलेखों का स्तर सभी कुछ उत्तम है।

दयाराम वर्मा
मुख्य प्रबंधक मानव संसाधन विकास संस्थान
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, भोपाल

बैंकिंग विनियामकीय शक्तियां स्वामित्व निरपेक्ष होनी चाहिए *

ऊर्जित आर.पटेल, भारतीय रिज़र्व बैंक

मैं आज बैंकों, विशेषत: सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के विनियमन में मौजूद कुछ मूलभूत अंतरालों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। बैंकिंग क्षेत्र में नई धोखाधड़ी की खबर आए अब एक महीने से ऊपर हो चला है।

सफलता का श्रेय अनेक लोग लेते हैं, असफलता का कोई नहीं लेता। इसलिए, इस मामले में भी हमेशा की तरह आरोप लगाए गए, दोष मढ़े गए और बहुत शोर-शराबा हुआ, जिसमें अधिकतर बिना सोचे समझे तुरंत दी गई अल्पकालिक प्रतिक्रियाएं थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कोलाहल ने सहभागियों को ऐसे मूलभूत मुद्दों पर गहराई से विचार करने और आत्म-परीक्षण करने से रोका, जो बैंकिंग क्षेत्र में ऐसी धोखाधड़ियों और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मूल कारण हैं, जो कि वास्तव में अत्यंत नियमित हैं, जैसा कि मैं आगे स्पष्ट करूंगा।

आइए, मैं उस मुद्दे से शुरूआत करता हूं, जो कुछ तात्कालिक प्रतिक्रियाओं का केंद्र बिंदु रहा है – रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों का पर्यवेक्षण।

आईएमएफ/वर्ल्ड बैंक एफएसएपी मूल्यांकन

इस घटना से पहले संचालित, पूर्ण और प्रकाशित किए गए अपने 2017 भारत के वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) तथा विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

1. सार्वजनिक रूप से प्रकाशित एफएसएसए (वित्तीय प्रणाली स्थिरता मूल्यांकन) रिपोर्ट, पैरा 35, पृष्ठ 17: *आरबीआई ने बैंकिंग पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने में काफी प्रगति की है: एक प्रमुख उपलब्धि है वर्ष 2013 में जोखिम और पूंजी के मूल्यांकन हेतु पर्यवेक्षी कार्यक्रम (स्पार्क) के रूप में एक व्यापक और प्रगतिशील जोखिम- आधारित पर्यवेक्षण की शुरुआत करना। बासेल III ढांचा तथा वृहत् एक्सपोजरों पर अधिक कठोर विनियमों सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन किया गया, या चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। घरेलू तथा सीमा पार सहयोग की व्यवस्थाओं को अब सुदृढ़ बनाया गया है। 2015 में एक्यूआर (आस्ति गुणवत्ता समीक्षा) तथा विनियमों को मज़बूत बनाए जाने से दबावग्रस्त आस्तियों की पहचान में सुधार आया है। अप्रैल 2017 में आरबीआई ने एक नया प्रवर्तन विभाग स्थापित किया है तथा अधिक विवेकपूर्ण जोखिम सहनीय सीमाओं को शामिल करने के लिए अपने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे को संशोधित किया है।*
2. इसके अतिरिक्त, अन्य विनियमों, लेखांकन और प्रकटीकरण (मुख्य सिद्धान्त या सीपी 20, 26-29: पैरा 60, पृष्ठ 21) पर विनिर्दिष्ट टिप्पणियों में : *आरबीआई*

* ऊर्जित आर पटेल, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 14 मार्च 2018 को उद्घाटन भाषण: सेंटर फॉर लॉ एंड इकॉनोमिक्स, सेंटर फॉर बैंकिंग एंड फाइनैन्शियल लॉज़ गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी, गांधीनगर।

द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण विनियम पर्याप्त हैं और स्पार्क जोखिम आधारित पर्यवेक्षण प्रणाली द्वारा समर्थित हैं। इस प्रणाली में आंतरिक नियंत्रण और लेखा-परीक्षा कार्य के निरीक्षण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं तथा यह निर्धारण किया गया है कि किसी बैंक के आंतरिक नियंत्रणों में जोखिमों की पहचान और नियंत्रण अनुमत होंगे। बैंकों में आंतरिक लेखापरीक्षा विभागों के पास उचित संसाधन तथा आवश्यक कुशलता वाले कर्मचारी होना अपेक्षित है। अतिरिक्त विशेषज्ञता लाने के लिए कार्यों को आउटसोर्स किया जा सकता है। लेखा-परीक्षकों ने रिपोर्ट किया है कि बैंकों की आंतरिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता का समग्र अनुभव संतोषजनक रहा है।

तथापि, भारत के लिए एफएसएपी में अनेक स्थानों पर इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बैंकों पर रिज़र्व बैंक की विनियामकीय शक्तियां बैंक के स्वामित्व के प्रति तटस्थ नहीं हैं:

1. प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल के मुख्य सिद्धान्त (बीसीपी) पर विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट (डीएआर), पैरा 6, पृष्ठ 7 में : *आरबीआई की स्वतंत्रता के संबंध में पहले पाई गई कुछ कमियां तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पर्यवेक्षण करते समय अंतर्निहित हितों का टकराव बना हुआ है। आरबीआई के पास काफी हद तक परिचालनगत स्वायत्तता है, किंतु कतिपय विधिक प्रावधानों में संशोधन, तथा आरबीआई अधिनियम में आरबीआई की स्वतंत्रता को औपचारिक आधार देने से अधिक विधिक निश्चितता आएगी। पीएसबी का पर्यवेक्षण और विनियमन करने की आरबीआई की शक्तियां भी बाधित/निरुद्ध हैं- यह पीएसबी के निदेशकों या प्रबंधन, जिन्हें भारत सरकार (जीओआई) ने नियुक्त किया है, को हटा नहीं सकता है, न ही वह किसी पीएसबी के बलात् विलयन अथवा परिसमापन की शुरुआत कर सकता है; इसके (आरबीआई) पास पीएसबी बोर्ड को कार्यनीतिक निदेश, जोखिम प्रोफाइल, प्रबंधन का मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति के संबंध में जवाबदेह बनाने के लिए भी सीमित विधिक प्राधिकार हैं। इस प्रकार, पीएसबी के लिए उन्हीं जिम्मेदारियों का प्रयोग करने के लिए, जो अभी निजी बैंकों पर लागू हैं, तथा पर्यवेक्षी प्रवर्तन के लिए समान अवसर क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई को सशक्त करने के लिए विधिक सुधार किया जाना अत्यंत वांछनीय है।*

2. विनिर्दिष्ट रूप से, कॉरपोरेट गवर्नेंस पर (सीपी 14, पैरा 50, पृष्ठ 18) : निजी और विदेशी बैंकों के संबंध में स्वस्थता और उपयुक्तता पर उचित नियम तथा आंतरिक शासन संरचनाएं बनाई गई हैं। इसके बावजूद, बीआर अधिनियम की धारा 21 के तहत बैंकों के बोर्ड में आरबीआई के प्रतिनिधियों की नियुक्ति, तथा बैंकिंग अधिनियमों के तहत आरबीआई के अत्यंत सीमित प्राधिकार के द्वारा बैंकों के अभिशासन में आरबीआई जिस प्रभाव का प्रयोग कर सकता है, और साथ ही, पीएसबी बोर्ड को जवाबदेह ठहराने की नीति एक समस्या बन गई है। *विधि के अधीन तथा रीति के अनुसार आरबीआई पीएसबी बोर्डों को मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता है तथा – जब आवश्यक हो – कमजोर तथा गैर-निष्पादक वरिष्ठ प्रबंध तंत्र और सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड के सदस्यों को बदल नहीं सकता है।*[1]

1 यहां यह नोट किया जाए कि एफएसएपी में अन्य विनियम, लेखांकन और प्रकटीकरण (सीपी 20, 26- 29, पैरा 62, पृष्ठ 21) में यह उल्लेख किया गया है: वर्तमान में बाह्य लेखापरीक्षक का यह दायित्व नहीं है कि वह लेखा-परीक्षित बैंक में पाए गए ऐसे मुद्दों को आरबीआई विनियामक को तत्काल रिपोर्ट करें जो पर्यवेक्षक के लिए महत्वपूर्ण चिंता के विषय हों। वार्षिक विवरणों के प्रकाशन के बाद ही इसकी अनुमति दी जाती है। साथ ही, विनियामक के लिए आवश्यक है कि उसे जब भी आवश्यकता हो, लेखापरीक्षक के काम के कागजात तक पहुंच की शक्तियां उसके पास हों। विधि तथा/ अथवा विनियमों में बाह्य लेखापरीक्षकों को किसी भी समय; वार्षिक विवरणों को अंतिम रूप दिए जाने और प्रकाशित करने से पहले भी किसी भी चिंता के बारे में आरबीआई को सूचित करने के लिए सुस्पष्ट रूप से प्राधिकृत किया जाना चाहिए। आरबीआई को बाह्य लेखापरीक्षक से किसी भी समय कोई भी सूचना प्राप्त करने का सुस्पष्ट प्राधिकार दिया जाना चाहिए। तथापि, यह मुद्दा सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के बैंकों के लिए लागू होता है।

मैं विस्तार से बताता हूं।

भारत में बैंकिंग विनियामकीय शक्तियां स्वामित्व से तटस्थ नहीं हैं

भारत में सभी वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 के अधीन किया जाता है। इसके अलावा, सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विनियमन बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970; बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1980 तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। संशोधित बीआर अधिनियम की धारा 51 में यह सुस्पष्ट रूप से कहा गया है कि बीआर अधिनियम के कौनसे खंड पीएसबी पर लागू होते हैं, उन सभी छूटों/ अकरणों में सबसे समान धारा है पीएसबी के कॉरपोरेट गवर्नेंस में आरबीआई की शक्तियों को पूरी तरह हटा देना या क्षीण कर देना:

1. आरबीआई पीएसबी के निदेशकों और प्रबंधन को हटा नहीं सकता, क्योंकि बीआर अधिनियम की धारा 36 एए (1) पीएसबी पर लागू नहीं है।
2. बीआर अधिनियम की धारा 36 एसीए (1), जिसमें किसी बैंक के बोर्ड के अधिक्रमण का प्रावधान है, भी पीएसबी (तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या आरआरबी) के मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि वे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां नहीं हैं।
3. बीआर अधिनियम की धारा 10बी (6), जिसमें किसी बैंकिंग कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) को हटाने का प्रावधान है, भी पीएसबी के मामले में लागू नहीं है।[2]
4. बीआर अधिनियम की धारा 45 के अनुसार आरबीआई पीएसबी के मामले में विलयन के लिए विवश नहीं कर सकता है।
5. पीएसबी को बैंकिंग कार्यकलापों के लिए बीआर अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत आरबीआई से लाइसेंस लेना अपेक्षित नहीं है; इसलिए आरबीआई बीआर अधिनियम की धारा 22 (4) के अधीन लाइसेंस रद्द नहीं कर सकता है, जैसा कि वह निजी बैंकों के मामले में कर सकता है।
6. बीआर अधिनियम की धारा 39 के अनुसार आरबीआई पीएसबी के परिसमापन की शुरुआत नहीं कर सकता है।
7. इसके अतिरिक्त, यह एक विलक्षण अपवाद जैसा है कि कुछ मामलों में प्रबंध निदेशकों और अध्यक्षों की द्विविधता है – वे एक ही हैं - यह मानते हुए कि एमडी प्राथमिक रूप से केवल स्वयं के प्रति ही जवाबदेह है।

इस विधिक वास्तविकता के कारण बैंकिंग विनियमन क्षेत्र के परिदृश्य में एक गहरी दरार उत्पन्न हो गई है: और वह है- आरबीआई के अतिरिक्त वित्त मंत्रालय द्वारा दोहरे विनियमन की प्रणाली।[3] अब मैं यह स्पष्ट करने के लिए कुछ मिनट का समय लूंगा कि क्यों इस दरार या दोष लाइन की परिणति अभी हाल की धोखाधड़ी जैसे भूचालों में होनी ही है।

बैंकों में (या निगमों में), चाहे सरकारी क्षेत्र के हों या निजी क्षेत्र के, कर्मचारी या कर्मचारियों के स्तर पर धोखाधड़ी में लिप्त होने का प्रलोभन हमेशा मौजूद रहता है। अब प्रश्न यह है कि क्या धोखाधड़ी करने के लिए कर्मचारियों को समुचित निवारण का सामना करना पड़ता है, और क्या धोखाधड़ी प्रतिरोधक उपाय

2 आईडीबीआई बैंक लि. इसका अपवाद है, जिसके लिए संस्था के अंतर्नियमों (खण्ड 120) में आरबीआई को अपेक्षित प्राधिकार दिया गया है।

3 निस्संदेह, सरकारी बैंक होने के कुछ अन्य (सुप्रलेखित) जटिलताएं हैं: बोर्ड का गठन, जिसमें किसी निदेशक को स्वतंत्र के रूप में वर्गीकृत करना कठिन है; निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में पारिश्रमिक में बहुत बड़े अंतर, जिससे विशेषज्ञ निपुणता का ह्रास हो रहा है; केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)के माध्यम से बाह्य सतर्कता का प्रवर्तन; तथा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की सीमित प्रयोज्यता।

करने हेतु प्रबंधन के लिए पर्याप्त नकद प्रोत्साहन उपलब्ध हैं? बैंकों के मामले में तीन संभाव्य सशक्त तंत्र धोखाधड़ियों के विरुद्ध अनुशासन ला सकते हैं:-

1. **जाँचपरक/सतर्कतामूलक/विधिक भय :** यदि धोखाधड़ी की घटनाओं की रिपोर्टिंग और जांच शीघ्र की जाए और इन मामलों में लगाये जाने वाले जुर्माने की रकम इस प्रकार की फर्जी गतिविधियों से हुए लाभ की तुलना में पर्याप्त कठोर हो, तो धोखाधड़ी की आपराधिक जांच और दंड का प्रावधान प्रभावी भयोत्पादक उपाय हो सकते हैं।

2. **बाज़ार अनुशासन:** धोखाधड़ी की गतिविधि से बेस-लाइन पर निवल हानि हो सकती है; ऐसे मामले में बैंक के निवेशकर्ता निवारक बन सकते हैं; उदाहरणार्थ अबीमाकृत ऋणदाताओं में बैंक से अपना पैसा वापस लेने की होड़ मच जाए और बैंक में चलनिधि संबंधी समस्याएं खड़ी हो जाएं; अथवा शेयरधारक बाहर का रुख कर लें जिससे पूंजी की लागत बढ़ जाए और शोधन क्षमता पर प्रश्नचिह्न लग जाए। ऐसे विघटनकारी परिणामों, जिनसे स्थितियाँ नियंत्रण से बाहर हो जाएं, का पूर्वानुमान करते हुए प्रबंध तंत्र और बोर्ड के सदस्यों को चाहिए कि वे ऐसा अभिशासन तंत्र बनाएं जिससे धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोका या कम किया जा सके या पूंजीगत संरचना में इतना बफर रखें ताकि जब धोखाधड़ी हो तो हानि वहन की जा सके।

3. **विनियामकीय अनुशासन :** दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बैंकों के पास जमानिधियों का एक बड़ा हिस्सा बीमाकृत होता है, और चूंकि बैंक भुगतान और निपटान का अति महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, अत: वे प्राय: इतने बड़े होते हैं अथवा उनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि उनका फेल हो जाना लगभग असंभव होता है। ऐसे में वित्तीय स्थिरता के साथ समझौता किए जाने के संदर्भ में बाज़ार अनुशासन कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाता है जिसकी भरपायी एक बैंकिंग विनियामक संस्था का गठन करते हुए उसे पर्यवेक्षी और विनियामकीय शक्तियां देकर की जाती है। ऐसे में, विनियामक द्वारा पहचान और दण्ड प्रभावी होना चाहिए ताकि धोखाधड़ी पर अंकुश लगाया जा सके।

भारत के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में ये तंत्र किस प्रकार काम करते हैं?

हमारे देश में जांच और औपचारिक प्रवर्तन प्रक्रिया में काफी अधिक समय लगता है, और संभवतः इसके उचित कारण भी मौजूद हैं। वास्तव में बैंकिंग धोखाधड़ी के संबंध में आरबीआई के पास मौजूद आंकड़ों से यह पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान केवल कुछ ही मामलों को निपटाया जा सका है और आर्थिक रूप से बड़े मामले अभी भी चल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप समग्र प्रवर्तन तंत्र अभी तक तो धोखाधड़ी से प्राप्त लाभों की तुलना में धोखाधड़ी निवारक नहीं समझा जाता है।

यह कहना सही है कि निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में वास्तविक भय बाज़ार, विनियामकीय अनुशासन और उनके सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न होता है। किसी भी निजी क्षेत्र के बैंक के सीईओ की मूल चिंता इस बात को लेकर होती है कि क्या वह आवश्यकता पड़ने पर पूंजी जुटा सकेगा; अथवा यह कि क्या वह अगले दिन बैंक चला सकेगा। कहने का मतलब यह है कि उन्हें उनके बोर्ड के माध्यम से चेतावनी दी जा सकती है अथवा बड़ी या बार-बार अनियमितताएं होने पर आरबीआई द्वारा उन्हें बदला भी जा सकता है। इसके अलावा, यदि कोई निजी बैंक शोधन क्षमता मानकों को पूरा करने में असफल हो और आरबीआई के "त्वरित सुधारात्मक मानकों" (पीसीए) के तहत उसके लिए पूंजी जुटाना कठिन हो जिसके चलते उसे

तत्काल नोटिस पर हालात पर काबू पाना आवश्यक हो जाए ताकि वह बाज़ार से वित्त प्राप्त करते हुए संवृद्धि के पथ पर आगे बढ़ सके। उलटे, उनके यहां अभिशासन में निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि धोखाधड़ी और विनियामकीय उल्लंघनों की घटनाओं को सीमित किया जा सके और जब इस प्रकार की घटनाएं हों, तो उनसे तत्परता से निपटा जा सके।

इसके विपरीत, निजी बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए बाज़ार अनुशासन तंत्र बेहद कमजोर है। पीएसबी के सभी लेनदारों को सरकार द्वारा अपेक्षाकृत अधिक मज़बूत गारंटी मिलती है और सरकार - जो इन बैंकों की प्रमुख शेयरधारक है – ने अब तक इनकी स्वामित्व संरचना कोई मूलभूत बदलाव लाने में रुचि नहीं दिखाई है। आर्थिक दृष्टिकोण से, इस कमजोर बाज़ार अनुशासन का निहितार्थ यह भी है कि सरकार इन बैंकों पर कठोर विनियामकीय अनुशासन बनाए रखना चाहेगी न कि कमजोर। तथापि, जैसा कि मैंने ऊपर विस्तार से बताया है और चूंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे मूल विचार अर्थव्यवस्था के लिए ऋण आबंटन पर पूरा सरकारी नियंत्रण रखना था, भारत में स्थिति बिल्कुल उल्टी है : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक शक्तियां निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में काफी कमजोर हैं।

बैंककारी विनियमन अधिनियम में पीएसबी को दी गयी छूटों का मतलब है कि बैंकिंग धोखाधड़ी या अनियमितताओं के विरुद्ध अपेक्षाकृत अधिक तत्परता से कार्रवाई करने वाली एकमात्र एजेंसी – विनियामक – प्रभावी तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकती। इसलिए, उदाहरण के तौर पर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशक बड़ी आसानी से मीडिया में जाकर यह कहते हैं कि आरबीआई के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढ़ाँचे के अंतर्गत उनका कारोबार सामान्य रूप से चलता रहेगा, भले ही वे ढ़ांचे में निर्धारित प्रतिबंधों का पालन न कर रहे हों, तो भी अगले दिन उनका कारोबार सामान्य तरीके से चलता रहेगा क्योंकि उनका कार्यकाल तय करने का अंतिम अधिकार सरकार के पास है, आरबीआई के पास नहीं।

इसमें बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि देश में वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर तैयार की गयी एक के बाद एक रिपोर्टों में शीर्ष प्रबंध-तंत्र और बोर्ड के सदस्यों की नियुक्तियों में सुधार करते हुए; अथवा बैंकिंग विनियामकीय शक्तियों को स्वामित्व-निरपेक्ष बनाते हुए; अथवा विभिन्न प्रकार की स्वामित्व संरचनाओं पर विचार-विमर्श करके बाज़ार अनुशासन में सुधार करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के सुझाव दिए गए हैं।

क्या हम पीएसबी में मूलभूत सुधारों की प्रक्रिया को तेज करने का एक और अवसर खो देना चाहते हैं ?

इस दिशा में क्या किया जाना चाहिए- यह बिलकुल स्पष्ट है। आरबीआई के नज़रिये से, कम से कम इतना किया जाना आवश्यक है कि बीआर अधिनियम में ऐसे विधायी परिवर्तन किए जाएं जिनसे हमारी बैंकिंग विनियामक शक्तियां स्वामित्व-निरपेक्ष हो सकें - आंशिक रूप से नहीं, पूरी तरह। उपलब्ध विकल्पों में से फिलहाल यही संभवत: सबसे व्यवहार्य भी है[4]।

4. बैंकिंग विनियामक शक्तियों की द्विविधिता सहकारी बैंकों के मामले में भी देखने को मिलती है जहाँ पर भारतीय रिज़र्व बैंक को संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि बहुत सी शक्तियां इसकी हाथों से लेकर राज्य सरकारों को दे दी गयी हैं। सहकारी बैंकों की यह विशेषता होती है कि वे आकार में छोटे होते हैं और उनके फेल होने पर उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा उनके परिसमापन की कार्रवाई की जाती है जिसमें उनके कुछ जमाकर्ताओं का हित सुनिश्चित किया जाता है। ऋण संस्कृति में सुधार करने और धोखाधड़ीपूर्ण कर्ज की घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से बैंकिंग क्षेत्र में किए जाने वाले व्यापक सुधारों के एक भाग के रूप में मानते हुए इस द्विविधता की स्थिति को दूर किया जाना आवश्यक है।

कोई भी बैंकिंग रेगुलेटर समस्त धोखाधड़ी को न तो पकड़ सकता है, न ही रोक सकता है

इससे पहले कि मैं बैंक की दबावग्रस्त आस्तियों एवं उनके समाधान जैसे व्यापक मुद्दों पर बात करूं यह भी एक मुनासिब मुद्दा है। धोखाधड़ी की घटना घटने के बाद आमतौर पर यह कहने की प्रवृत्ति रही है कि भारतीय रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षी दल इस घटना को पकड़ सकता था। जहां यह बात किसी भी धोखाधड़ी के घटने के पूर्व सदैव कही जा सकती है, वहीं किसी भी बैंकिंग रेगुलेटर के लिए सामान्यतया नामुमकिन होगा कि वह बैंकिंग गतिविधियों के प्रत्येक कोने तक पहुंच सके और "अपनी मौजूदगी" से धोखाधड़ी की संभावनाओं को समाप्त कर सके। यदि कोई रेगुलेटर इस प्रकार का सटीक परिणाम हासिल कर पाता है, तो इसका यह मतलब होगा कि रेगुलेटर हर वह कार्य कर सकता है जो बैंक कर सकते हैं, और इसका प्रभाव यह होगा कि वह समस्त बैंकिंग गतिविधियों में स्वयं मध्यस्थता कर सकेगा। यहां आवश्यकता इस बात की है कि कार्यरत विभिन्न प्रणालियां धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का निर्धारण करें और उन्हें पकड़ें ताकि धोखाधड़ी की घटनाओं को कम किया जा सके तथा ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके। वस्तुत:, बैंकों में होने वाली धोखाधड़ी की घटनाएं विभिन्न काल में भिन्न बैंकिंग रेगुलेटरी गुणवत्ता सहित सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों में घटित हुई हैं।

इस समय जो खास घटना घटित हुई है, रिज़र्व बैंक ने साइबर जोखिम दृष्टिकोण के आधार पर परिचालनगत खतरे के सही स्रोत का पता लगाया है- जिससे अब यह समझ में आ रहा है कि इस प्रकार की धोखाधड़ी होती रही है। खासतौर से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2016 में तीन परिपत्रों के माध्यम से स्पष्ट अनुदेश जारी किए थे ताकि बैंक इस तरह के संकट से बच सकें। यह ज्ञात हुआ कि बैंकों ने पहले से इन अनुदेशों का पालन नहीं किया था। स्पष्ट है कि बैंक की आंतरिक प्रक्रियाएं नाकाम रहीं क्योंकि उन्होंने ऐसे परिचालनों को बंद करने के स्पष्ट अनुदेश होने के बावजूद परिचालनगत खतरों को बने रहने दिया। जैसाकि हमने आज की तारीख तक भारिबैं. द्वारा दिए गए मात्र वक्तव्य में यह कहा गया था कि यह हमारे दूसरे सबसे बड़े सरकारी क्षेत्र के बैंक में परिचालनगत असफलता की घटना रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक उसे दी गई शक्तियों के आधार पर बैंक के विरुद्ध कार्रवाई करेगा लेकिन यह शक्तियां सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में बैंककारी विनियमन अधिनियम के अंतर्गत बहुत ही सीमित हैं।

वस्तुत:, हाल ही में 11 मार्च 2018 को प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को दिए गए अपने साक्षात्कार में आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक तावो ज़ैंग ने अन्य बातों के साथ-साथ ऊपर मैंने जो बात कही है, के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर ज़ोर दिया है:

"हमारा यह मानना है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुन: पूंजीकरण, वित्तीय सुधार के एक बृहत पैकेज का हिस्सा होना चाहिए ताकि एनपीए का समाधान निकाला जा सके, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में गवर्नेंस को बेहतर बनाया जा सके, वित्तीय प्रणाली में सरकारी क्षेत्र की भूमिका को कम किया जा सके, और बैंकों की उधार देने की क्षमता को, ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके... "। विशेषज्ञों ने विधिक बदलावों की सिफारिश की है ताकि इस समय भारतीय रिज़र्व बैंक जिन शक्तियों का इस्तेमाल निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए करता है, उन्हीं शक्तियों का उपयोग सरकारी क्षेत्र के बैंकों केलिए कर सके; खासतौर से बोर्ड के सदस्यों को बर्खास्त करना, विलय एवं लाइसेंस को निरस्त करना....। इसके साथ ही, बैंक का परिचालनगत जोखिम प्रबंधन, जोखिम संस्कृति, आंतरिक नियंत्रण संरचना तथा बाह्य लेखापरीक्षा कार्य धोखधाड़ी को रोकने में विशेष रूप से केंद्रीय भूमिका अदा करते हैं।

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान जैसे बड़े मुद्दों पर पुन: ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता

अब मैं ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जो हाल की बैंकिंग धोखाधड़ी के मुद्दे से कहीं ज्यादा गंभीर एवं महत्वपूर्ण है। इसकी गंभीरता इतनी है कि बैंकों के तुलनपत्रों में 8½ लाख करोड़ रुपए से कहीं अधिक की आस्तियां दबावग्रस्त हैं और इसका महत्व प्रवर्तक बैंक के क्रेडिट संबंधों में अपनाई गई अनेक प्रथाओं से उपजा है जिसपर तत्काल ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। भारतीय रिज़र्व बैंक की जून 2017 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट(भाग VII, धोखाधड़ी, पैरा 3.36) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बैंक धोखाधड़ी और दबावग्रस्त आस्तियों की समस्याओं के बीच कोई न कोई संबंध अवश्य है:

"वित्तीय क्षेत्र में जोखिम का जो परिदृश्य उभरता नज़र आ रहा है वह कमर्शियल बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में धोखाधड़ी की बढ़ती प्रवृत्ति है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों में धोखाधड़ी अत्यधिक बढ़ी है, उसकी संख्या तथा राशियों दोनों में वृद्धि हुई है। इस अवधि में जहां धोखाधड़ी की संख्या में 19.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 4235 से बढ़कर 5064 हो गई है, वहीं इसके मूल्य(हुई हानियां) में 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जो 97.5 बिलियन रुपए (9750 करोड़ रुपए) से बढ़कर 167.7 बिलियन रुपए(16,770 करोड़ रुपए) हो गई। वर्ष 2016-17 के दौरान सूचित की गई धोखाधड़ी में (राशि के हिसाब से) (ऋण) अर्थात् दिए गए अग्रिम के पोर्टफोलियो में धोखाधड़ी का हिस्सा सबसे अधिक 86 प्रतिशत था। .....बड़े मूल्य की धोखाधड़ी में क्रेडिट हामीदारी मानकों में गंभीर अंतर पाए गए हैं। प्राय: पाए गए कुछ अंतर इस प्रकार रहे हैं – प्रस्ताव के चरण पर उदारतापूर्वक नकदी प्रवाह का बाताया जाना, नदी प्रवाह तथा नकदी लाभ(ईबीआईटीडीए) पर निरंतर निगरानी न रख पाना, सही-सही ज़मानती व्यवस्था का अभाव एवं ज़रूरत से ज़्यादा मूल्यांकन दिखाना, परियोजनाओं को सुनहरा बनाकर पेश करना, धन को इधर से उधर लगाना, बैंकों में दुबारा वित्तपोषण एवं सामान्य क्रेडिट गवर्नेंस संबंधी मामले।" इतना ही नहीं, कारपोरेट ऋण संबंधी जितने भी धोखाधड़ी के मामले पेश आए हैं उन सभी में धोखाधड़ी की सूचना मिलने के 2 से 3 वर्ष पहले ही वे एनपीए बन चुके थे।

कुल मिलकार इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि भारत में उद्यमों को ऋण दिए जाने के चक्र के दौरान बार-बार बेशी ऋण प्रदान किए गए है, जो उसकी चुकौती की समस्या खड़ी हो जाने के बाद दिए गए हैं। दबावग्रस्त क्रेडिट समस्या को तेजी से सुलझाने के बजाय बैंकों ने ऋण स्तर पर झूठे तथ्यों के माध्यम से अथवा क्रेडिट की सही-सही आस्ति गुणवत्ता को न मानकर – प्रवर्तकों को जो उद्यमों के प्रभारी रहे हैं उन्हें रियायत देते रहे हैं। ये जो रियायत देने की बात है उसमें यहां तक कि और अधिक बैंक उधार दिए गए ताकि आगे चलकर ऋण की देय तारीख को खाते को कृत्रिम रूप से संपूर्ण चुकौती की स्थिति में दिखाया जा सके, जो यह दर्शाता है कि प्रवर्तकों का उनकी असफल आस्तियों पर कितना नियंत्रण है, तथा उन्हें इस बात की प्रभावी रूप से योग्यता प्रदान करना कि वे नकदी एवं आस्तियों को इधर से उधर लगा सकते हैं, प्राय: हमारे अधिकारक्षेत्र की पकड़ से बाहर हो गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने मानदंडों के अनुसार आस्तियों को अनर्जक के रूप में पहचान कर पाने में नाकामी पर लगाम लगाने के लिए बैंक से यह अपेक्षा करता रहा है कि वे जिनके "डायवर्जेन्स" मानदंडों के अनुसार सही-सही अनर्जक आस्तियों के 15 प्रतिशत से अधिक हो गए हैं, वे ऐसे डाइवर्जन का खुलासा करें। इससे इस प्रकार की प्रथा के विरुद्ध बाज़ार में थोड़ा सा अनुशासन बहाल किया जा सकेगा, खासतौर से निजी क्षेत्र के बैंकों में। लेकिन अंतत: इस बात की आवश्यकता है कि आस्तियों में निहित दबाव के समयबद्ध समाधान के लिए एक ढांचा लागू होना चाहिए जो बैंकों के इस स्वविवेक पर पाबंदी

लगाएगा कि वे दबावग्रस्त आस्तियों, सदाबहार "ज़ाम्बी" दिखाने, अथवा मृत उधारकर्ता को जीवित दिखाने, और खराब तरीके से दिए गए ऋण की पहचान करने में विलंब न करें।

इस प्रयोजन से, मैं उन औचित्यों को यहां प्रस्तुत एवं स्पष्ट करना चाहता हूं जो भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित ढांचे में दबावग्रस्त आस्तियों की तत्काल पहचान करने एवं उनका समाधान देने में निहित हैं। पिछले महीने जो ढांचा जारी किया गया है उसके महत्व को कुछ हद तक ज्यादा पसंद नही किया गया है। इसलिए में उसके बारे में बताना चाहता हूं।

दबावग्रस्त आस्तियों की तत्काल पहचान एवं उनका समाधान: संशोधित ढांचा

1. बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017, और भारत सरकार द्वारा बाद में उसमें दिए गए प्राधिकार ने रिज़र्व बैंक को इस बात के लिए प्राधिकृत कर दिया है कि वह दबावग्रस्त आस्तियों के समाधन के लिए बैंकों को निर्देश जारी कर सके, साथ ही ऐसी आस्तियों को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016(आईबीसी) को संदर्भित कर सके। रिज़र्व बैंक ने इस दिशा में पिछले वर्ष ही कदम उठा लिया था, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया था कि कतिपय बड़े मूल्य की दबावग्रस्त आस्तियों के खातों को आईबीसी को संदर्भित किया जाए, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र की दबावग्रस्त आस्तियों में बैंकिंग क्षेत्र का कुल एक्सपोजर लगभग 40% था।

2. दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा 12 फरवरी, 2018 को जारी किया गया संशोधित ढांचा एक प्रकार से इन दबावग्रस्त आस्तियों को स्वाभाविक रूप से समाप्त करने का प्रारंभिक कदम एवं सतत दृष्टिकोण था। इस सतत-दृष्टिकोण का उद्देश्य यह था कि दबावग्रस्त आस्तियों का पारदर्शी तथा समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि उधारदाताओं को उनका अधिकतम मूल्य वापस मिल सके और साथ ही इस बात का निर्धारण करना कि दबावग्रस्त आस्तियों के भारी मूल्य के प्रति सरोकार निरंतर बना रहे। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, उठाए गए इस कदम का सकारात्मक दृष्टिकोण यह था कि अर्थव्यवस्था में ऋण देने की प्रथा को उधारकर्ता एवं बैंकों दोनों के स्तर पर सुदृढ़ बनाया जाए।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए आईबीसी-पूर्व जो विभिन्न विशेष योजनाएं शुरू की गई थीं, उनमें समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत उधारदाता का आस्ति-वर्गीकरण किया जाता था। विशेष रूप से, योजना में निहित रियायत देने के प्रावधान ने बैंकों के लिए यह आसान बना दिया था कि वे आस्तियों का समाधान करें, किंतु वह स्वत: समाप्त साबित हुई और इन योजनाओं को लागू करने से अल्पमात्र समाधान ही किया जा सका।

4. इस संशोधित ढांचे ने आईबीसी-पूर्व की योजनाओं की जगह ले लिया है और रियायत देने की छूट को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इससे समाधान में विलंब होता था। बल्कि देश में कई दशकों में क्रेडिट-प्रणाली की दिशा में किए गए बड़े संरचनात्मक सुधार इस ढांचे का आधार है अर्थात् आईबीसी जैसा कदम, जो समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आईबीसी को विधिवत न्याय देने के लिए लागू करने का प्रयोजन था कि इस प्रकार के ढांचे से अच्छी तरह यह सुनिश्चित किया जाए कि दबावग्रस्त आस्तियों के संबंध में समाधान योजना भी प्रदान की जाए तथा इसमें प्राथमिक रूप से वस्तुत: आस्तियों की संभाव्यता पर ध्यान दिया जाए।

5. इस बात पर ज़ोर देना होगा कि संशोधित ढांचे से उधारदाता को पूरी तरह से यह आज़ादी प्राप्त होगी कि वह एक फायदेमंद समाधान योजना प्रस्तुत कर सके, जैसाकि आईबीसी-पूर्व योजनाओं में प्राप्त थी, किंतु उन्हें लागू करने की कुछ शर्तों को पूरा करना होगा (ये शर्तें इसलिए ज़रूरी होंगी ताकि गैर-फायदेमंद आस्तियों को हमेशा फायदेमंद दिखाते रहने के सरोकार से छुटकारा पाया जा सके)।

6. खासतौर से, उन खातों के बारे में जिनका सकल एक्सपोजर 2000 करोड़ रुपए से अधिक है, उनके समाधान की योजना को उनमें चूक की तारीख से 180 दिन के भीतर लागू कर दिया जाए, अन्यथा उसे आईबीसी को संदर्भित कर दिया जाएगा। समय की इस सीमा को धीरे-धीरे दो वर्षों में कम किया जाएगा ताकि आईबीसी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को समानांतर रूप से स्थापित कर सके जिससे उसमें अधिक मामलों पर विचार करने की क्षमता पैदा हो सके। यहां यह बाताना आवश्यक है कि आईबीसी स्वयं में एक समाधान ढांचा है, जहां इस प्रकार के खातों का कारगर समाधान करने केलिए पर्याप्त समय (चूक की तारीख से 180 दिन तथा आईबीसी के अधीन और 270 दिन) होगा।

7. यहां इस बात को भी रेखांकित किया जाता है कि संशोधित ढांचे के अंतर्गत:

क. स्वामित्व में बदलाव का समर्थन आईबीसी को संदर्भित करने से पूर्व भी किया जाता रहा है क्योंकि इससे आस्ति को मानक के रूप में (जैसाकि पूर्व की योजनाओं में किया जाता था) वर्गीकृत किया जा सकता है। चूककर्ता प्रवर्तकों को भी आईबीसी बिडिंग के अंतर्गत फर्म पर कम जोखिम का नियंत्रण प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार इस संशोधित ढांचे से उधारकर्ता को यह प्रोत्साहन प्राप्त होगा कि वह जरूरत से ज्यादा उधार न ले, बल्कि विभिन्न प्रकार के ऐसे कारोबारी जोखिमों को नियंत्रित करने का उपाय करे जिनसे चूक करने की संभावना पैदा होती है।

ख. इसके अंतर्गत उधारदाता को भी अधिक प्रोत्साहन मिलेगा कि वह एक कुशल योजना को लागू कर पाएगा जिससे पुनर्रचना की स्थिति में उसे तेजी से अपग्रेड कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, एनपीए के रूप में वर्गीकृत आस्तियों के लिए कोई रियायत नहीं होगी, इसलिए इस ढांचे से बैंकों को यह प्रोत्साहन मिलेगा कि वे दबावग्रस्त आस्तियों की समय पर पहचान करके, संभवत: इससे काफी समय पहले कि उधारकर्ता वित्तीय कठिनाई में फंस जाए, आस्तियों को एनपीए बन जाने की स्थिति को कम कर सकेंगे।

दूसरे शब्दों में, भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित ढांचे एवं आईबीसी मिलकर प्रवर्तक-बैंक की मिलीभगत को तोड़ सकेंगे जिससे अंतरंग पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है तथा एनपीए/क्रेडिट के गलत आबंटन पर निगाह रखी जा सकेगी जो पूर्व ढांचे के अंतर्गत कुछ उधारकर्ताओं एवं कुछ उधारदाताओं के लिए हमेशा फायदेमंद रहती थी। इसके बदले में, प्रेत के समान उभरती फर्मों एवं क्षेत्रों से संवृद्धि को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा।

8. अंतिम बात यह है कि इस संशोधित ढांचे में विशेष रूप से ऐसी एमएसएमई के पुनरुत्थान, एवं पुनर्वास को अलग रखा गया है जिनका एक्सपोजर 25 करोड़ रुपए तक है, जिन्हें पूर्व मानदंडों के अंतर्गत कवर किया जाना जारी रहेगा।

हमारा विश्वास है कि स्पष्ट रूप से यह एक मूलभूत सुधार है जिसकी आवश्यकता क्रेडिट-संस्कृति को उसके मूल स्थान,

चूक के स्थान, आस्ति गुणवत्ता के स्थान तथा समाधान के चरणों पर सुदृढ़ बनाया जा सके। ऐसा करने से, सबसे पहले ऋण देने से संबंधित धोखाधड़ी करने वाले अवसरों को कमज़ोर किया जा सकेगा।

अब मैं अंतिम बात रखना चाहता हूं:

आज मैं अपनी बातों से यह संदेश देना चाहता हूं कि बैंकिंग क्षेत्र में जो धोखाधड़ी हुई है और जो अनियमितताएं पाई गई हैं उनको लेकर रिज़र्व बैंक में भी गुस्सा है, हम आहत हुए हैं और हमें भी दर्द का एहसास है। सामान्य भाषा में कहें तो इस तरह की परंपराएं कुछेक कारोबारी समुदाय द्वारा हमारे देश के भविष्य को लूटने जैसी हैं, जिसमें कुछ उधारदाताओं की भी मिलीभगत है। बैंकों में आपकी जमाराशियों की सुरक्षक के रूप में और रिज़र्व बैंक द्वारा 2015 में घोषित बैंकों की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा की शुरुआत की गई, जिसे हमारे पर्यवेक्षी दल ने योग्यतापूर्ण तरीके से संचालित किया है, और जिसे बहुपक्षीय प्रतिष्ठित एजेंसियों के विशेषज्ञों द्वारा अच्छी तरह स्वीकार किया गया है, हम सभी इस प्रकार की नापाक साठ-गांठ को तोड़ने के लिए समस्त प्रयास कर रहे हैं।

मैं उन उपायों की ओर देख रहा हूं जिन्हें हमने देश के क्रेडिट-कल्चर को साफ-सुथरा बनाने के लिए किए हैं- खासतौर से रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों में एनपीए के तत्काल निर्धारण एवं उनके समाधान के लिए 12 फरवरी को घोषित व्यापक विनियामकीय ओवरहाल की ओर– ये उपाय मौजूदा दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था में अमृत-मंथन अथवा समुद्र-मंथन में मंदराचल अथवा मथानी के समान हैं। जब तक कि यह मंथन कार्य पूरा नहीं हो जाता तथा देश के भविष्य के लिए स्थिरता क़ायम रखने के लिए अमृत हासिल नहीं कर लिया जाता तब तक इस मंथन से उत्पन्न विष को किसी न किसी को तो पीना ही पड़ेगा। यदि हमें इन अड़चनों का सामना करना पड़े तथा इस विष को पीकर नीलकंठ बनना पड़े, तो भी हम हमारा कर्तव्य निभाएंगे; हम अपने प्रयासों में कामयाब होंगे और इस परीक्षण एवं विपत्ति की इस घड़ी में हर क़दम पर बेहतर सिद्ध होंगे।

मेरा विश्वास है कि अधिक से अधिक प्रवर्तक एवं बैंक-व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से अपने उद्योग की निकायों के साथ इस *अमृत-मंथन* में *असुरों* का साथ देने के बजाय *देवताओं* का साथ देने पर विचार करेंगे।

हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंकों का स्वामी-सरकार है – जिसने आईबीसी प्रदान किया है, संबंधित अध्यादेश दिए हैं तथा बैंक के पुन:पूंजीकरण का पैकेज दिया है ताकि यह मंथन निरंतर जारी रहे, शायद सरकार आगे भी इसी प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान देना निम्नानुसार जारी रखेगी-

1. बैंकिंग विनियामक शक्तियों को बैंक के स्वामित्व से पृथक रखकर तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच कार्यक्षेत्र को समान स्तर पर बनाकर।
2. स्वयं को इस बात से अवगत रखकर कि आगे चलकर दुर्लभ राष्ट्रीय राजकोषीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके उसका इष्टतम इस्तेमाल करते हुए सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली के साथ क्या किया जाना चाहिए।

यह एक खुला मुद्दा है कि बैंकिंग मताधिकार जिसका बैंकिंग जमाराशियों तथा आस्तियों में 2/3 हिस्सा है उसकी डिजाइनिंग एवं कार्यान्वयन पर क्या केंद्रीकृत सरकारी नियंत्रण ही केवल पर्याप्त रूप से प्रभावी हो सकता है। बल्कि यह बेहतर होगा कि विनियामकीय एवं बाज़ार का अनुशासन बहाल रखा जाए।

बैंकिंग क्षेत्र में किए जाने वाले इन सुधारों के साथ-साथ अन्य संरचनागत सुधार के माध्यम से भारत सतत रूप से एवं सम्मानित तरीके से उन्नति कर सकेगा। धन्यवाद।

एम.एस.एम.ई. की प्राप्तियों के वित्तपोषण के लिए व्यापार प्राप्य डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) - एक विहंगावलोकन

भारत का मोक्ष उसके कुटीर उद्योग धंधों में निहित है। वास्तव में भारत जैसे विशाल विकासशील राष्ट्र में जहां पूंजी का अभाव व बेरोजगारी का साम्राज्य है वहां कुटीर एवं लघु उद्योग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी पहलुओं से देश के औद्योगिक विकास की आधारशिला है।

-महात्मा गांधी

किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की अहम भूमिका होती है, विशेषकर विकासशील राष्ट्रों के विकास में इनकी भूमिका "विकास रूपी रेलगाड़ी के इंजन" के समान होती है। अगर कहा जाए कि एम.एस.एम.ई. इकाइयाँ उद्यमिता की नर्सरी हैं- जो लघु-उद्यमियों की रचनात्मकता एवं नवोन्मेषता से पुष्पित-पल्लवित होती हैं, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी.) अधिनियम 2006 में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में एम.एस.एम.ई. को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया गया है:

मुहम्मद शाहिद

मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक,
रायपुर प्रशासनिक कार्यालय

विनिर्माण क्षेत्र- उद्यम	प्लांट एवं मशीनरी में निवेश
सूक्ष्म उद्यम	रूपए 25 लाख से अनधिक
लघु उद्यम	रूपए 25 लाख से अधिक परन्तु रूपए 5 करोड़ से कम
मध्यम उद्यम	रूपए 5 करोड़ से अधिक परन्तु रूपए 10 करोड़ से कम
सेवा क्षेत्र- उद्यम	**उपकरणों में निवेश**
सूक्ष्म उद्यम	रूपए 10 लाख से अनधिक
लघु उद्यम	रूपए 10 लाख से अधिक परन्तु रूपए 2 करोड़ से कम
मध्यम उद्यम	रूपए 2 करोड़ से अधिक परन्तु रूपए 5 करोड़ से कम

भारत के औद्योगिक उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ाने, रोज़गार और उद्यम संबंधी नए अवसर पैदा करने एवं आर्थिक रूप से स्वावलंबन बढ़ाने में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.) की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के मुख्य योगदान निम्नानुसार हैं :

1. एम.एस.एम.ई. क्षेत्र सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक एवं औद्योगिक विकास के मूल-आधार हैं। अर्थव्यवस्था की पारम्परिक अवस्था से प्रौद्योगिकीय अवस्था में पारगमन एम.एस.एम.ई. के माध्यम से ही होता है।
2. एम.एस.एम.ई. क्षेत्र दूर-दराज़ के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता

है जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन तो दूर होता ही है साथ ही भूमि पर दबाव कम करने एवं आर्थिक गतिविधियों के विविधिकरण में भी सहायता मिलती है।

3. एम.एस.एम.ई. क्षेत्र बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजीगत लागत पर रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराकर, बेरोज़गारी तथा अर्ध-बेरोज़गारी की चुनौती का प्रभावी मुकाबला करने में सक्षम होता है।

4. एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के विकास से राष्ट्रीय-संपत्ति आय के वितरण की विसंगतियां कम होती हैं एवं समावेशन के साथ समृद्धि के राष्ट्रीय उद्देश्य को बढ़ावा मिलता है।

5. विभिन्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से पश्चगामी तथा अग्रगामी संयोजनों द्वारा यह क्षेत्र अर्थोपार्जन तथा निर्यात के नए अवसरों का सृजन करने की क्षमता वाला क्षेत्र है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट[#] के अनुसार, देश के भौगोलिक क्षेत्र की लगभग 51.1 मिलियन इकाइयों के चलते एस.एम.ई. सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6%, कुल निर्यात में 45% और विनिर्माण उत्पादन में लगभग 33% का योगदान करते हैं। यह क्षेत्र देश में लगभग 120 मिलियन लोगों को रोजगार भी मुहैया कराता है। सी.एस.ओ. द्वारा जारी छठवे इकॉनोमिक सेन्सस के निम्नलिखित आंकड़े, एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान दिखाते हैं:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों का वित्तपोषण:

हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एम.एस.एम.ई. की महती भूमिका है, परंतु इस क्षेत्र में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के होने के बावजूद पर्याप्त संस्थागत वित्तपोषण के स्त्रोत अभी भी इन इकाइयों की पहुँच से दूर ही हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर श्री एस. एस. मूंदड़ा के अनुसार सम्प्रति एस.एम.ई क्षेत्र के लिए क्रेडिट की भारी मांग के साथ-साथ चिंतनीय कमी भी है। इस क्षेत्र में 32.5 ट्रिलियन (रू.650 बिलियन) की कुल वित्तीय आवश्यकता है, जिसमें 26 ट्रिलियन (रू.520 बिलियन) का मांग-ऋण और 6.5 ट्रिलियन (रू.130

एस.एम.ई. क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं विनिर्माण उत्पाद में कुल योगदान

वर्तमान मूल्य पर विनिर्माण उत्पाद			आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर एस.एम.ई. का जी.वी.ए. टू जी.वी.ए./जी.डी.पी. में योगदान का %					
वर्ष	एस.एम.ई. विनिर्माण उत्पाद (रू. करोड़ में)	एस.एम.ई.विनिर्माण उत्पाद का कुल विनिर्माण उत्पाद में योगदान %	एस.एम.ई. विनिर्माण क्षेत्र (%)		एस.एम.ई. सेवा क्षेत्र (%)		कुल योगदान %	
			जी.वी.ए. में	जी.डी.पी. में	जी.वी.ए. में	जी.डी.पी. में	जी.वी.ए. में	जी.डी.पी. में
2011-12	2167110	33.12	6.64	6.16	25.66	23.81	32.29	29.97
2012-13	2385248	33.22	6.77	6.27	26.05	24.13	32.89	30.40
2013-14	2653329	33.27	6.79	6.27	26.40	24.37	33.19	30.64
2014-15	2783433	33.40	6.63	6.11	26.72	24.63	33.34	30.74

जी.डी.पी.: सकल घरेलू उत्पाद जी.वी.ए.: सकल मूल्य वर्धित

[#] आंकड़े आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य के अनुसार परिवर्तित पद्धति की गणना अनुसार।

बिलियन) की इक्विटी मांग शामिल है। मार्च 2016 को समाप्त हुई अवधि के आंकड़ों के अनुसार एस.एम.ई क्षेत्र से बैंकिंग प्रणाली का कुल बकाया ऋण 20.6 मिलियन ऋण खातों में लगभग रुपए 11.1 ट्रिलियन था। जबकि एक अनुमान के अनुसार 51 मिलियन एस.एम.ई के लिए ऋण आवश्यकता रूपए 26 ट्रिलियन की है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक रपट में उल्लेखित छठवें आर्थिक सेन्सस के अनुसार इस क्षेत्र में अधिकांश वित्तपोषण अभी भी संस्थागत स्रोतों के बजाय उद्यमी के स्वयं अथवा मित्रों की बचत एवं ऋणों से होता है, जो कि नीति निर्माताओं के लिए एक चिंता का विषय है।

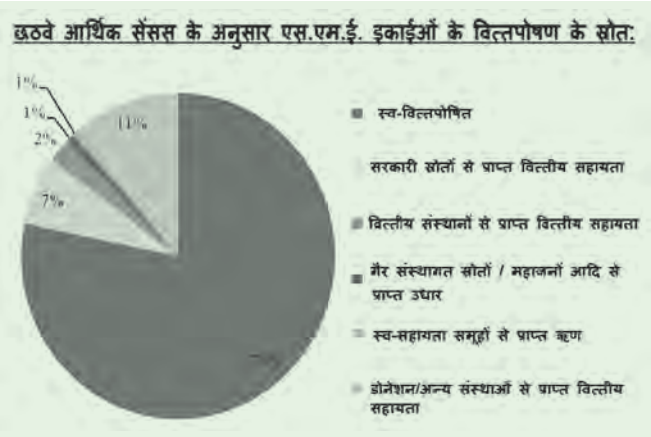

संस्थागत स्रोतों द्वारा समय पर और पर्याप्त वित्तपोषण उपलब्ध ना होना इन उद्यमों की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। ऋण प्राप्त करने में एक बड़ा गतिरोध औपचारिक वित्तीय संस्थाओं की जटिल दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया एवं निर्णय लेने में देरी भी है जिससे अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करने पर निर्भरता इन लघु उद्यमियों की मजबूरी है। भारतीय रिज़र्व बैंक के इन स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मानते हुए बैंकों द्वारा इन्हें पर्याप्त और समय पर वित्त उपलब्ध कराया जाए- उन्हें अपेक्षित वित्तपोषण प्राप्त नहीं होता है। समय से वित्त उपलब्ध ना होने के कारण इन इकाइयों का सुनियोजित विकास नहीं हो पाता एवं ये जल्द ही रुग्णता की ओर अग्रसर हो जाती हैं। सामान्य रूप से इन उद्योगों में बाज़ार जोखिम के साथ-साथ क्रेडिट डिफ़ॉल्ट रिस्क भी होता है जिसके चलते बैंक इन्हें ऋण देने में हिचकिचाते हैं और इन इकाइयों की स्थिति बद से बदतर होती जाती है।

किसी भी व्यवसाय के लिए वित्त की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। सूक्ष्म, लघु या मध्यम व्यापार मालिक आमतौर पर पहली बार उद्यमी होते हैं तथा अक्सर बहुत ही कम/ अपर्याप्त पूंजी से ही अपना व्यापार शुरू करते हैं। ऐसे में इन इकाइयों को केवल तकनीकी, विपणन और प्रबंधकीय सहायता की आवश्यकता ही नहीं वरन पर्याप्त बीज पूंजी की भी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त बहुधा कई स्थापित एम.एस.एम.ई. इकाइयों को भी प्रौद्योगिकी उन्नयन, क्षमता विस्तार की वृद्धि और विपणन हेतु अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होती है। राष्ट्र के विकास के लिए इस क्षेत्र की क्षमता को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने अपनी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को पर्याप्त वित्तपोषित करने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ विशिष्ट कार्यबलों एवं समितियों का गठन भी किया गया है, जो निम्ननानुसार है:

1. लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की सुपुर्दगी प्रणाली सुधारने हेतु कपूर समिति।
2. एस.एम.ई. को संस्थागत ऋण की पर्याप्तता हेतु नायक समिति।
3. एस.एम.ई. क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए समूह आधारित ऋण हेतु गांगुली समिति।
4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पर प्रधानमंत्री का टास्क-फोर्स (अध्यक्षः श्री टी.के.ए. नायर)।
5. सूक्ष्म और लघु उद्यम हेतु ऋण गारंटी योजना की समीक्षा हेतु कार्यकारी-दल (अध्यक्षः श्री वी.के.शर्मा)।

वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहे ऐसे उद्यमों को उनके 'जीवन चक्र' के दौरान समय-समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारें, विभिन्न सरकारी निकाय, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों ने अन्य कदम भी उठाये हैं, जैसे :

1. **केन्द्र सरकार :** प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट, इंडियन एंटरप्राइज डेवलपमेंट सर्विस, एस्पायर जैसी योजनाएं माइक्रो यूनिट्स को पुनर्वित्त करने के प्रयास के साथ लघु उद्यम उधारकर्ता को वित्तपोषित करने की दिशा में सराहनीय कार्य भी करती हैं।

2. **राज्य सरकार :** राज्य सरकारें एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और अन्य लाभ उपलब्ध कराती हैं।

3. **विभिन्न सरकारी निकाय :** इस क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए एपेक्स स्तर पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड, अखिल भारतीय हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, सेरिकल्चर बोर्ड, के.वी. आई.बी., कॉयर बोर्ड जैसे सरकारी निकायों की स्थापना की गई है।

4. **वाणिज्यिक बैंक :** देश में सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता है, जब तक यह सुनिश्चित न हो कि सूक्ष्म और लघु व्यवसाय वित्तीय रूप से बैंकिंग की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एम.एस. एम.ई क्षेत्र की इकाइयों को रुपए 10 लाख तक के ऋण के मामलों में संपार्श्विक जमानत की मांग न करने, रुपए 1 करोड़ तक की संमिश्र ऋण सीमा स्वीकृत करने, संशोधित सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण सहलग्न पूंजीगत सब्सिडी (सी.एल.एस.एस.) प्रदान करने जैसे निर्देश जारी किये हैं। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के लिए भी समुचित लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं, जिसे उन्हें पूरा करना होगा।

5. **विभिन्न वित्तीय संस्थान :** वित्तीय संस्थान भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं क्योंकि वे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मध्यम से दीर्घकालिक वित्त-सुविधा प्रदान करते हैं। वर्ष 1948 में स्थापित प्रथम विकास वित्त संस्थान (डी.एफ.आई.) की स्थापना के साथ ही भारत में विकास बैंकिंग के युग की शुरुआत हुई थी। बाद में देश में अन्य विकास वित्तीय संस्थानों जैसे औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (1955), यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (1963), औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया (1964), विभिन्न राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी), निर्यात-आयात बैंक ऑफ इंडिया (1982), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (1982) और लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (1990) को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है।

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में वित्तपोषण के इस वृहद अंतर को पाटने एवं इन इकाइयों के कौशल विकास, बुनियादी ढांचा, बाज़ार, प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि के लिए भारत सरकार समय समय पर नवीनतम तकनीकों से लैस कई नवोन्मेषी उत्पाद भी ले कर आती रही है। ऐसा ही एक उत्पाद है **TReDS** अर्थात ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम या व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली, जिसकी चर्चा हम इस आलेख में करने वाले हैं।

23 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में एम.एस.एम.ई. निधियन पर दूसरे सी.आई.आई. राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस.एस. मूंदड़ा ने अपने प्रारंभिक संबोधन "एम.एस.एम.ई. उधार की ABCD" में उल्लेख किया कि "*एम.एस.एम.ई. इकाइयों के भुगतान में देरी की समस्या का समाधान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने **व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली** के परिचालन के लिए तीन प्रतिष्ठानों को लाइसेंस दिया है। यह प्रणाली कई वित्तप्रदाताओं के जरिए कॉरपोरेट एवं अन्य क्रेताओं, जिसमें सरकारी विभाग एवं सरकारी उद्यम*

शामिल हैं से एम.एस.एम.ई. उद्यमों की व्यापार प्राप्तियों के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी। इलेक्ट्रॉनिक वित्त फैक्टरिंग एक्सचेंज बनाने का उद्देश्य यह है कि इस प्रणाली के तहत बिल इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार किए जाएंगे और उनका त्वरित निपटान भी किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार के विलंब के बिना एम.एस.एम.ई. इकाइयां अपनी व्यापार प्राप्तियों को भुना सकें। निश्चित रूप से व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली की यह नयी पहल एम.एस.एम.ई. के वित्तपोषण में परिवर्तनकारी सिद्ध होगी।"

सर्वप्रथम वर्ष 2008 में, भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर डॉ. रघुराम राजन की अध्यक्षता वाली वित्तीय क्षेत्र सुधार (एफ.एस.आर.) की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट "Hundred Small Steps" में इलेक्ट्रॉनिक बिल फैक्टरिंग एक्सचेंजों की स्थापना की सिफारिश की थी। इस रिपोर्ट में ऐसे एक्सचेंजों की परिकल्पना की गयी थी जहाँ एम.एस.एम.ई. उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर व्यापार प्राप्तियों की त्वरित पूर्ति सुनिश्चित की जा सके तथा उनके विभिन्न व्यापार प्राप्य यथा-बिल/ इनवॉइस/ विनिमय पत्र आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नीलाम किए जा सकें और इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ही उनका भुगतान/ निपटान भी किया सके। हम चर्चा कर चुके हैं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) पर्याप्त वित्त प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करते हैं, उस पर दैनन्दिन व्यापार प्राप्तियों को तरल निधि (लिक्विड फण्ड) में बदलने की अक्षमता इन इकाइयों पर दोहरी मार की तरह पड़ती है। एक सर्वे के अनुसार लगभग हर तीसरे एम.एस.एम.ई. उद्यमी को अपने ग्राहकों से देरी से भुगतान प्राप्त होने की शिकायत रहती है। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के उन्नयन में सहायता करने एवं व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना के जरिए इस मुद्दे को हल करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2014 में "माइक्रो, स्मॉल एंड मिडियम एंटरप्राइजेज (एम.एस.एम.ई.) फैक्टरिंग-ट्रेड रिसीवबल्स एक्सचेंज" पर एक अवधारणा पत्र प्रकाशित किया था। अवधारणा पत्र पर प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों और सिस्टम की स्थापना और संचालन के लिए जारी किए गए बाद के मसौदा दिशानिर्देशों और प्रासंगिक हितधारकों के साथ हुई बातचीत के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य प्रणाली की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। ये दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 की अधिनियम 51) की धारा 18 के खंड 10 (2) के तहत जारी किए गए हैं। TReDS अर्थात ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम या व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली से संबंधित यह दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

योजना: TReDS बहुविध वित्तप्रदाताओं के माध्यम से एम.एस.एम.ई. के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक संस्थागत तंत्र है। सरल शब्दों में कहें तो विभिन्न वित्तप्रदाताओं द्वारा दिए गए वित्तीय समर्थन (डिस्काउंटिंग सुविधा के रूप में) से एम.एस.एम.ई. इकाइयों के कॉरपोरेट्स, सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) आदि से प्राप्त होने वाले व्यापार प्राप्तियों को वित्तपोषण देने हेतु तकनीकी संस्थागत तंत्र को स्थापित करने और संचालित करने की योजना को ही व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (TReDS) के रूप में जाना जाता है।

परिभाषाएँ: TReDS में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न शब्दों की परिभाषाएँ निम्नानुसार हैं:

क) **फैक्टरिंग इकाई** – प्रणाली में प्रयुक्त किसी भी विनिमय पत्र एवं इनवॉइस/ चालान/ बीजक (Bills of exchange & Invoice) के लिए TReDS में फैक्टरिंग इकाई को एक मानक नामकरण के रूप में जाना जाता है। फैक्टरिंग इकाइयों का निर्माण या तो एम.एस.एम.ई. विक्रेता (फैक्टरिंग के मामले में) द्वारा या कॉरपोरेट विभाग, पी.एस.यू. अथवा अन्य क्रेताओं द्वारा (रिवर्स फैक्टरिंग के मामले में) किया जा सकता है।

ख) **फाइनेंसर (वित्तप्रदाता)** - TReDS में फाइनेंसर से अभिप्राय ऐसे बैंक अथवा एन.बी.एफ.सी. से होता है जो फैक्टरिंग इकाई को वित्तपोषण प्रदान करता है।

TReDS में प्रत्यक्ष सहभागी: TReDS में मुख्यतः तीन प्रत्यक्ष सहभागी होते हैं:

1. विक्रेता : विभिन्न एम.एस.एम.ई. इकाइयां,
2. क्रेता : विभिन्न सरकारी विभाग, कॉरपोरेट्स एवं पी.एस.यू. आदि तथा
3. वित्तप्रदाता : विभिन्न बैंक और एनबीएफसी।

इन प्रतिभागियों के विविध चालान/ बिल के अपलोडिंग, बिल-स्वीकृति, बिल-भुनाई, भुगतान और निपटान की सुविधा के लिए TReDS एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। वित्तप्रदाताओं/ वित्तपोषकों के रूप में मंच में शामिल होने वाले बैंक/ एन.बी.एफ.सी. प्रत्येक फैक्टरिंग इकाई (चालान/ विनिमय पत्र) हेतु अपनी बोलियां/ बिड/ डिस्काउंट दरों की पेशकश करते हैं। एम.एस.एम.ई. विक्रेता किसी भी बोली को स्वीकार करने हेतु स्वतंत्र होते हैं। बोली की स्वीकृति होने पर, फैक्टरिंग इकाई को संबंधित बैंकर/ फाइनेंसर द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

TReDS में उलब्ध सुविधाएं: TReDS के तहत विनिमय पत्र एवं इनवॉइस/ चालान/ बीजक (Bills of exchange & Invoice) दोनों को भुनाने की सुविधा प्रदान की जाती है। TReDS में प्राप्य फैक्टरिंग के साथ-साथ प्रतिवर्ती फैक्टरिंग की सुविधा भी प्रदान की जाती है ताकि बेहतर मूल्य निर्धारण के साथ-साथ उच्च परिमाण के संव्यवहार भी भारतीय अर्थव्यवस्था में आ सकें। TReDS के तहत सभी संसाधित लेनदेन एम.एस.एम.ई. के लिए "बिना अवलंब (Without recourse)" के होंगे।

TReDS को स्थापित और संचालित करने के लिए पात्रता मानदंड: TReDS को स्थापित और संचालित करने की इच्छुक संस्थाओं को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होता है:

(क) वित्तीय मानदंड:

- चूंकि TReDS के अंतर्गत किसी भी क्रेडिट जोखिम को स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती है, अतः इसमें न्यूनतम पेड-अप इक्विटी पूंजी के राशि रुपए 25 करोड़ रखी गयी है।
- TReDS में विदेशी हिस्सेदारी विद्यमान विदेशी निवेश नीति के अनुसार होगी।
- प्रवर्तकों के अलावा अन्य संस्थाओं को TReDS की इक्विटी पूंजी के 10% से अधिक हिस्सेदारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- TReDS स्थापित करने की मांग करने वाले प्रमोटरों/ संस्थाओं की समग्र वित्तीय अवस्थिति/ साख, चयन का एक महत्वपूर्ण मानदंड होगी।

(2) प्रवर्तकों (प्रमोटरों) से संबंधित सम्यक उद्यम (Due Diligence) :

✓ TReDS के अंतर्गत कार्य करने वाली इच्छुक संस्थाओं एवं उनके प्रमोटरों /प्रमोटर समूहों को सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण के मुद्दे) विनियम, 2009 में परिभाषित दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपयुक्त एवं उचित (Fit & Proper) होना चाहिए। ऐसी संस्थाओं के पास व्यवसाय करने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव हो। साथ ही, वित्तीय सुदृढ़ता एवं सकारात्मक साख भी 'उपयुक्त एवं उचित" मानदंड स्थापित करने के अपरिहार्य तत्व हैं।

✓ ऐसे मानदंडो के निर्धारण एवं अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर प्रतिक्रिया मांगने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर अन्य नियामकों जैसे आयकर विभाग, सी.बी.आई., प्रवर्तन निदेशालय, सेबी आदि से भी प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकता है।

(ग) **तकनीकी क्षमता :** अपने कार्यों का समर्थन करने हेतु TReDS के पास एक सुयोग्य तकनीकी ढांचा होना चाहिए। इस हेतु आवश्यक है कि:

- TReDS सभी प्रतिभागियों के लिए एक साझा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करने में सक्षम हो।
- एक मज़बूत M.I.S. परितंत्र की सहायता से TReDS वास्तविक समय के आधार पर सभी प्रतिभागियों को बिल /चालान, डिस्काउंटिंग और उद्धरणों आदि के बारे में जानकारी प्रदान कर सके।
- TReDS हेतु उपयुक्त व्यवसाय निरंतरता योजना (B.C.P.) रिकॉर्ड में होनी चाहिए। साथ ही, एक आपदा बहाली प्रबंधन (D.R.P.) एवं तत्संबंधित साइट की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
- सिस्टम में किसी भी हेरफेर की जांच करने TReDS के पास एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली होनी चाहिए जो स्थितियों, कीमतों और मात्रा पर कड़ी नज़र रख सके।
- TReDS द्वारा ऐसी फैक्टरिंग इकाइयों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिन्हें किसी भी कारण के चलते आवश्यकतानुसार वित्तपोषण प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके अलावा TReDS प्रणाली के तहत संबंधित पार्टियों को विभिन्न अनुस्मारक यथा देय दिनांक की जानकारी, फैक्टरिंग इकाई के वित्तपोषण संबंधी उनके बैंकर्स को अधिसूचना, द्वितीयक सेगमेंट में किसी फैक्टरिंग इकाई के कारोबार होने पर तत्संबंधी क्रेता को सूचना आदि भी जारी की जानी चाहिए ताकि इस योजना की उपयोगिता और भी बढ़ायी जा सके।

TReDS प्रणाली के तहत डिस्काउंटिंग दरें: वित्तप्रदाता, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेसड लेंडिंग रेट्स अर्थात M.C.L.R. से नीचे बोली नहीं लगा सकते हैं। आमतौर पर, अच्छे क्रेडिट रेटिंग वाले क्रेताओं के लिए ऐसी दरें M.C.L.R दर के आस-पास ही होती हैं। क्रेता की क्रेडिट रेटिंग के आधार के अनुसार इन दरों में भी परिवर्तन होता है तथा जैसे-जैसे रेटिंग गिरती जाएगी, दरों में बढ़ोतरी भी तदनुसार होती जाएगी।

TReDS के तहत दस्तावेज़ीकरण (Documentation):

(1) के.वाई.सी. अनुपालन : TReDS में क्रेताओं और विक्रेताओं के ऑन-बोर्डिंग के लिए एक मानकीकृत तंत्र/ प्रक्रिया की स्थापना की गयी है। इस तंत्र के तहत सभी संबंधित संस्थाओं से यह अपेक्षित होता है कि वे स्वयं के तथा अपनी संस्था के अधिकृत कर्मियों के के.वाई.सी. संबंधित दस्तावेज TReDS को प्रस्तुत करें। चूंकि TReDS में पंजीयन से पूर्व एम.एस.एम.ई. विक्रेता/ क्रेता के वर्तमान बैंकर की पुष्टि की भी आवश्यकता होती है, अतएव TReDS के अंतर्गत स्थिति के अनुसार के.वाई.सी. का अनुपालन बैंकों द्वारा किए गए के.वाई.सी. दस्तावेज़ीकरण से तुल्यकालिक हो सकता है। प्रणाली में यदि अधिकृत कर्मियों को कुछ विशिष्ट अधिकार आदि दिए गए हैं, तो तत्संबंधी प्रस्तावों/ दस्तावेजों को भी TReDS के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ऐसे प्राधिकृत कर्मियों को TReDS पर बहु-स्तरीय काम-काज/ प्राधिकरण हेतु आई.डी. एवं पासवर्ड प्रदान किए जाते हैं। यदि आवश्यक हो तो मानकीकृत ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया में TReDS के पक्ष में क्षतिपूर्ति बॉन्ड भी प्राप्त किया जाता है।

(2) अनुबंध प्रक्रियाएं: TReDS में विभिन्न प्रतिभागियों के मध्य विविध अनुबंध किये जाते हैं। TReDS के विभिन्न प्रक्रियात्मक पहलुओं जैसे परिचालान और संचालन संबंधी जानकारियों का उल्लेख इन अनुबंधों में होता है। यह सुनिश्चित

किया जाता है कि TReDS के अंतर्गत सभी प्रक्रियाएं समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न नियामक मानदंडों का अनुपालन करें। मास्टर अनुबंध में यह भी स्पष्टतः उल्लेखित होता है कि यदि एक इकाई द्वारा किसी अन्य इकाई के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही की जाती है तो ऐसी कार्यवाही TReDS के दायरे से बाहर होगी। सभी प्रकार के अनुबंधों के अभिरक्षा का अधिकार TReDS के पास होता है। विभिन्न प्रकार के यह अनुबंध निम्नानुसार होते हैं:

1. वित्तप्रदाताओं एवं TReDS के मध्य सौदे की शर्तों और नियमों के संबंध में एक मास्टर अनुबंध,
2. क्रेताओं एवं TReDS के मध्य एक मास्टर अनुबंध जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं का समावेशन होता है :
   (i) फैक्टरिंग यूनिट की ऑनलाइन स्वीकृति होने के पश्चात नियत तिथि पर भुगतान करने का दायित्व क्रेता का होगा।
   (ii) माल की गुणवत्ता के संबंध में विवादों का कोई अवलंब (recourse) नही होगा, तथा
   (iii) प्रतितुलन (set-off) की अनुमति प्रदान नही की जायेगी।
3. एम.एस.एम.ई. विक्रेताओं और TReDS के बीच भी एक मास्टर अनुबंध होता है जिसमें दोनों संस्थाओं के बीच सौदे की शर्तों और नियमों का उल्लेख होता है। इस अनुबंध में एम.एस.एम.ई. विक्रेता को यह सत्यापित करना होता है कि TReDS के माध्यम से प्राप्त वित्तपोषण, कार्यशील पूंजीगत अग्रिम प्रदान करने वाले वर्तमान वित्तप्रदाताओं/ बैंकरों के प्रभार /दृष्टिबंधक संपत्ति का हिस्सा नहीं है।
4. चालान(Invoice) पर आधारित वित्तपोषण के मामले में एम.एस.एम.ई. विक्रेता और वित्तप्रदाता के मध्य एक समनुदेशन अनुबंध (Assignment Agreement) करवाने की भी आवश्यकता होती है।

(3) CERSAI पंजीकरण: TReDS द्वारा CERSAI पंजीकरण की आवश्यकता संबंधी समीक्षा की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वित्तपोषण के लिए स्वीकार की गयी फैक्टरिंग इकाई का CERSAI पंजीकरण कर लिया गया है। CERSAI पंजीकरण अधिमानतः TReDS के माध्यम से स्वचालित रूप से ही संचालित किया जाता है।

TReDS में प्रक्रिया प्रवाह: TReDS का उद्देश्य एम.एस.एम.ई. इकाइयों के व्यापार प्राप्यों लिखतों यथा विभिन्न विनिमय पत्र एवं इनवॉइस/ चालान/ बीजक आदि को डिस्काउंटिंग के माध्यम से भुना कर वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना है। यह कार्य दो चरणों में पूरा होता है:

(1) TReDS वित्तप्रदाताओं द्वारा इन फैक्टरिंग इकाइयों को डिस्काउंट सुविधा प्रदान करते हुए एक एकीकृत मंच उपलब्ध कराता है, जिसके परिणामस्वरूप इन इकाइयों को धन प्रवाहित होता है। इस तरलता/ फंड-फ्लो के चलते क्रेता नियत तिथि को वित्तप्रदाता को भुगतान करने में भी सक्षम हो पाता है।

(2) इस चरण में TReDS वित्तप्रदाताओं द्वारा पूर्वम् एव: डिस्काउंट की गयी फैक्टरिंग इकाइयों को पुन: डिस्काउंट उपलब्ध करता है जिसे अन्य वित्तप्रदाताओं के पक्ष में भी समनुदेशित किया जा सकता है। पुनः डिस्काउंटिंग सुविधा के फलस्वरूप एम.एस.एम.ई. वित्तपोषण में व्याप्त अंतर को पाटने के लिए नए प्रतिभागी भी मार्केट में प्रवेश कर सकते हैं।

TReDS के तहत प्रक्रिया प्रवाह की व्याख्यात्मक रूपरेखा:

1. TReDS के दायरे के बाहर कॉरपोरेट्स, सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य क्रेता एम.एस.एम.ई. विक्रेता को खरीद के लिए ऑर्डर भेजते हैं।
2. एम.एस.एम.ई. विक्रेता चालान/ इनवॉइस/ बीजक के साथ माल की सुपुर्दगी करता है। क्रेता और विक्रेता के

बीच व्यापारिक व्यवहार या तो स्वीकृत विनिमय पत्र के आधार पर या तो इसके बिना ही हो सकता है।

3. तत्पश्चात चालान/ इनवॉइस या विनिमय पत्र के आधार पर एम.एस.एम.ई. विक्रेता TReDS पर एक 'फैक्टरिंग यूनिट' बनाता है।

4. क्रेता TReDS सिस्टम पर लॉग ऑन करता है और इस फैक्टरिंग यूनिट को 'स्वीकार्य' के रूप में मान्य करता है। रिवर्स फैक्टरिंग के मामले में, विक्रेता के अलावा क्रेता द्वारा भी फैक्टरिंग यूनिट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। फैक्टरिंग इकाइयों को क्रेताओं द्वारा 'स्वीकार' करने के लिए TReDS उपलब्ध समय सीमा का मानकीकरण करेगा, जो अंतर्निहित दस्तावेजों यथा इनवॉइस या विनिमय पत्र की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

5. TReDS लेनदेन हेतु मॉड्यूल निर्धारित करता है, विनिमय पत्र एवं चालान/ इनवॉइस के माध्यम से किये गए संव्यवहार हेतु या तो एक या दो अलग-अलग मॉड्यूल उपयोग किये जा सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में लेनदेन TReDS के माध्यम से ही निपटाए जाते हैं।

6. प्रत्येक मॉड्यूल में आवश्यकतानुसार फैक्टरिंग इकाइयां बनाई जा सकती हैं। प्रत्येक इकाई की मान्यता एवं प्रवर्तनीयता" फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011" या "परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881" के तहत अनुदेशित किये गए भौतिक लिखतों के समान ही होती है।

7. 'फैक्टरिंग यूनिट' के मानक प्रारूप/ विशेषताओं का निर्धारण TReDS द्वारा ही किया जाता है। TReDS मानकों के अनुसार ऐसा निर्धारण या तो बिल / चालान की संपूर्ण राशि या इस राशि का निर्धारण बिल की राशि में से कर/ ब्याज इत्यादि के समायोजन के बाद किया जा सकता है।

8. प्रत्येक फैक्टरिंग इकाई संबंधित क्रेताओं के निश्चित दायित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमे निम्नलिखित प्रासंगिक विवरण होते हैं -
   - विक्रेता और क्रेता का विवरण,
   - जारी किया गया दिनांक (यह स्वीकृति की दिनांक भी हो सकती है),
   - देय दिनांक,
   - अवधि (देय दिनांक- जारी किया गया दिनांक),
   - शेष अवधि (देय दिनांक-वर्तमान दिनांक),
   - शेष राशि,
   - TReDS द्वारा प्रदत विशिष्ट पहचान संख्या,
   - वित्तप्रदाता के संदर्भ हेतु विक्रेता का खाता विवरण (वित्तपोषण के समय जमा हेतु),
   - वित्तप्रदाता के संदर्भ हेतु क्रेता के खाते का विवरण (नियत तारीख पर नामे हेतु),
   - अंतर्निहित वस्तु (Underlying Commodity) आदि।

9. चूंकि TReDS पर एक फैक्टरिंग यूनिट के सृजन के पश्चात क्रेता के बैंक को ऐसी इकाइयों के बारे में स्वचालित सूचना जारी की जाती है, अतएव क्रेता के बैंक और खाते संबंधी विवरण फैक्टरिंग इकाई का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं।

10. वित्तप्रदाताओं के लिए फैक्टरिंग इकाइयों हेतु अपनी बोलियां/ बिड उद्धृत करने के लिए एक निश्चित समय वैधता (Window period) होती है, जिसके अंदर ही वित्तप्रदाताओं को अपनी बोली/ बिड निर्धारित करनी होती है। एम.एस.एम.ई. विक्रेता द्वारा ऐसी बोली/ बिड के एक बार स्वीकार कर लेने के पश्चात वित्तप्रदाताओं के पास ऑनलाइन उद्धृत की गयी बोलियों/ बिड को संशोधित करने का कोई विकल्प नहीं होता है। एक बार विक्रेता

द्वारा स्वीकार कर लेने के पश्चात वित्तप्रदाता को इस हेतु आवश्यक सूचना प्राप्त होती है, जिसके बाद वित्तप्रदाता फैक्टरिंग यूनिट पर शेष राशि का वित्तपोषण करते हैं। इस चरण में बोली स्वीकार करने वाली फैक्टरिंग इकाई को "वित्तपोषित" के रूप में चिह्नित किया जाता है। वित्तदाता द्वारा राशि T+2 (T- बोली स्वीकृति की तिथि- Date of Bid Acceptance) आधार पर विक्रेता के खाते में जमा की जाती है।

11. स्वीकृत फैक्टरिंग इकाई के वित्तपोषण के पश्चात तत्संबंधी सूचना क्रेता के बैंक के साथ ही विक्रेता के बैंक को भी प्रेषित की जाती है। क्रेता का बैंक इस जानकारी का उपयोग निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए करेगा साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि देय दिनांक को क्रेता के खाते से वित्तप्रदाता के पक्ष में डायरेक्ट डेबिट हो जाए। विक्रेता का बैंक इस इनपुट का उपयोग एम.एस.एम.ई. विक्रेता की कार्यशील पूंजी के आवश्यकतानुसार समायोजन के लिए कर सकता है।

12. देय तिथि पर वित्तप्रदाता को क्रेता से धन प्राप्त करना होता है। क्रेताओं और उनके बैंकों को TReDS द्वारा भुगतान अधिसूचना जारी की जाती है ताकि निर्धारित समय पर देयताओं का निपटारा किया जा सके।

13. क्रेता द्वारा अपने बैंकर को देय तिथि पर भुगतान न करना चूक/ डिफ़ॉल्ट माना जाता है। इस चूक की समय-समय पर निर्धारित विनियामक प्रक्रियाओं के अनुसार रिपोर्टिंग की जायेगी साथ ही, इस संबंध में बैंक आगे की कोई भी कार्यवाही करने भी स्वतंत्र होंगे। इस संबंध में की गई कोई भी कार्यवाही एम.एस.एम.ई. विक्रेताओं के संबंध में बिना किसी अवलंब के एवं TReDS के दायरे से बाहर की मानी जायेगी।

14. विभिन्न लिखतों का TReDS द्वारा रेटिंग/ मूल्यांकन किया जायेगा। यह मूल्यांकन क्रेता की एक्सटर्नल रेटिंग, उसके क्रेडिट इतिहास, अंतर्निहित लिखत की प्रकृति (चालान या विनिमय पत्र), चूक की पिछली घटनाओं, TReDS पर पिछले लेनदेन में गड़बड़ी जैसे बिंदुओं को समावेशित कर किया जाता है। TReDS द्वारा ऐसे मूल्यांकित लिखतों का द्वितीयक बाज़ार में विभिन्न वित्तप्रदाताओं के मध्य आगे भी लेनदेन किया जा सकता है।

15. प्राथमिक सेगमेंट के समान ही द्वितीयक सेगमेंट में भी किसी भी सफल व्यापार के संदर्भ में क्रेता के खाते से स्वचालित रूप से वित्तप्रदाता के पक्ष में डायरेक्ट डेबिट कर लिया जायेगा। इसके साथ साथ ही TReDS क्रेता को एक समनुदेशन अधिसूचना भी जारी करेगा जिसमे क्रेता को नए वित्तप्रदाता को भुगतान करने हेतु सूचित किया जायेगा।

16. किन्हीं कारणों से यदि कोई फैक्टरिंग इकाई वित्तपोषण प्राप्त नहीं कर पाती है, तब ऐसी स्थिति में क्रेता को एम.एस.एम.ई. विक्रेता को TReDS के दायरे के बाहर भुगतान करना होगा।

संक्षेप में TReDS का प्रक्रिया प्रवाह इस चित्र के अनुसार होता है :

1. फैक्टरिंग की प्रक्रिया:

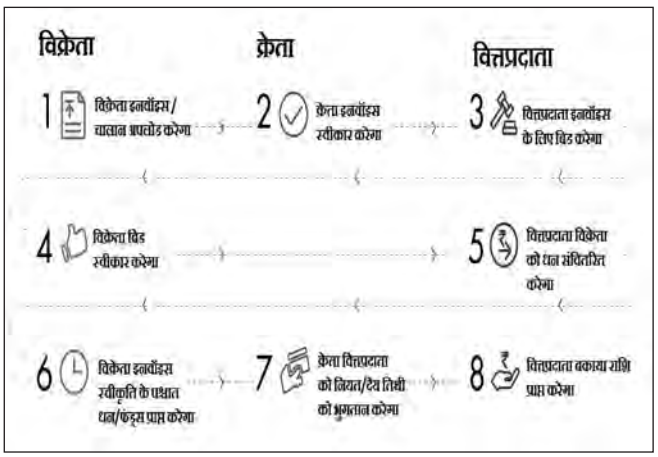

2. रिवर्स फैक्टरिंग की प्रक्रिया:

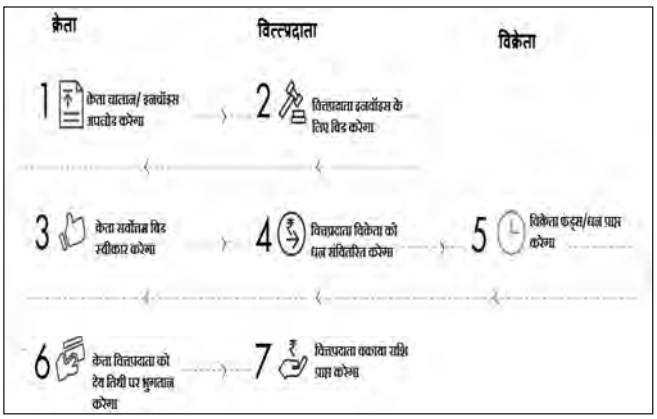

यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक्सचेंज पर अपलोड की गई फैक्टरिंग इकाइयां प्रामाणिक हैं और माल या सेवाओं की बिक्री से संबंधित वास्तविक अंतर्निहित लेनदेन पर ही आधारित हैं TReDS में यादृच्छिक पर्यवेक्षण (Random Audits) के भी प्रावधान हैं।

TReDS के सफल संचालन के लिए एक ऐसे तंत्र का निर्माण सुनिश्चित करना आवश्यक होता है जो सदस्य वित्तप्रदाताओं और एम.एस.एम.ई. विक्रेताओं (जब फैक्टरिंग इकाई को वित्तपोषण प्रदान किया जाता है) के बीच और तत्पश्चात सदस्य क्रेताओं और उनके वित्तप्रदाताओं के बीच निधियों का समय पर निपटान सुनिश्चित करे, ऐसा करने हेतु TReDS में निम्नलिखित कार्यप्रणाली को अपनाया गया है :

1) TReDS, वित्तप्रदाताओं एवं एम.एस.एम.ई. के मध्य स्वीकृत बोली (Accepted bid) हेतु उत्प्रेरक निपटान –T+2 के आधार पर सभी वित्तपोषित फैक्टरिंग इकाइयों हेतु उनके वित्तप्रदाताओं के भुगतान दायित्वों को प्रस्तुत करता है।

2) क्रेता एवं वित्तप्रदाताओं के मध्य नियत तिथी पर उत्प्रेरक निपटान: TReDS ऐसे मामलों के भुगतान दायित्वों की रिपोर्ट बनाता है और नियत तारीख पर उनके निपटान हेतु संबंधित भुगतान प्रणाली को प्रेषित करता है। धनराशि के वास्तविक भुगतान हेतु TReDS निस्तारण रिपोर्ट/ फाइल बना कर मौजूदा भुगतान प्रणाली को प्रेषित करता है। इस प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि चूंकि प्रणाली में अंतर-बैंक निपटान होता है, अतएव किसी भी क्रेता द्वारा की गयी चूक की स्थिति में इसकी जवाबदेही क्रेता के बैंक की होगी ना कि TReDS की।

3) यह आवश्यक है कि TReDS एक ऐसे तंत्र का निर्माण करे जिसके जरिये वित्तप्रदाता ऐसे सभी प्रकरणों को रिपोर्ट कर सकें जिसमे क्रेताओं द्वारा भुगतान में चूक की गयी हो। इसके अतिरिक्त TReDS को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी विवाद के समाधान हेतु विवाचन एवं शिकायत निवारण तंत्र का एक मज़बूत ढांचा भी तैयार कर लिया गया है।

रिपोर्टिंग: विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए TReDS के अंतर्गत निम्नलिखित एम.आई.एस. रिपोर्ट्स उपलब्ध कराई जाती हैं:

1. कुल प्राप्य राशियों की स्थिति,
2. विक्रेताओं एवं क्रेताओं हेतु वित्तपोषण की स्थिति,
3. खातों की बकाया स्थिति,
4. विभिन्न लाभार्थी एवं लाभार्थियों के खातों में जमा आदि की जानकारी,
5. वित्तप्रदाताओं के लिए कुल वास्तविक वित्तपोषित स्थिति आदि।

TReDS के लिए विनियामक ढांचे:

समाशोधन और निपटान गतिविधियों को संचालित करने वाले TReDS का नियंत्रण भुगतान और निपटान सिस्टम्स एक्ट 2007 (पी.एस.एस. अधिनियम) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक ढांचे से किया जाता है, इस तरह TReDS पी.एस.एस. अधिनियम 2007 के तहत एक प्राधिकृत भुगतान प्रणाली के रूप में कार्य करता है। TReDS की गतिविधियां और साथ ही TReDS के सभी प्रतिभागियों को सरकार द्वारा लागू किये गए विभिन्न कानूनी और नियामक

प्रावधानों द्वारा शासित किया जाता है। यह प्रावधान समय-समय पर सरकार द्वारा परिवर्तित एवं संशोधित किये जाते हैं और जिसकी सूचना रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की जाती है।

TReDS के लाभ: TReDS एक अत्यंत उपयोगी प्रणाली है, जिसके इस मंच को उपयोग करने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए ढेरों लाभ हैं। TReDS की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो सभी प्रतिभागियों को सामान रूप से लाभान्वित करती हैं जैसे:

- पारदर्शी प्रणाली,
- घटी हुई परिचालन लागत,
- पेपरलेस और झंझट रहित कार्यप्रणाली,
- ऑनलाइन डिजिटल लेनदेन,
- वित्तपोषण में घटा हुआ "टर्न अराउंड टाइम" आदि।

वहीं इस प्रणाली की कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जो अलग-अलग प्रतिभागियों को अलग-अलग तरह से लाभ पहुंचाती हैं, इनमें मुख्य हैं:

एम.एस.एम.ई. विक्रेताओं को होने वाले लाभ:

- नीलामी प्रक्रिया में विभिन्न वित्तप्रदाताओं की भागीदारी के चलते सर्वश्रेष्ठ डिस्काउंट रेट,
- कुशल पूंजी परिनियोजन,
- धन की समय पर प्राप्ति,
- धन प्रवाह के कारण व्यवसाय में सुगमता आदि।

क्रेताओं को होने वाले लाभ:

- एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम, 2006 का अनुपालन,
- कुशल नकदी प्रवाह प्रबंधन,
- कुशल भुगतान चक्र आदि।

वित्तप्रदाताओं को होने वाले लाभ:

- ✓ व्यापक बाज़ार तक पहुंच,
- ✓ सापेक्ष लिखतों का उपयोग,
- ✓ क्रॉस सेलिंग के अवसर,
- ✓ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को वित्तपोषित करने के अवसर,
- ✓ नए ग्राहक अधिग्रहण के लिए कम लागत,
- ✓ जोखिम प्रबंधन आदि।

भारत में डिस्काउंटिंग मंच प्रदाता कौन- कौन से हैं?

आरबीआई ने TReDS हेतु तीन संस्थाओं को लाइसेंस दिया है जो कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के द्वारा शासित रहेंगी। ये तीन संस्थाएं है: रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (RXIL), M1 एक्सचेंज एवं A TReDS।

1. **RXIL:** भुगतान और निपटान प्रणाली (पी.एस.एस.) अधिनियम, 2007 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 दिसंबर 2014 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के संयुक्त तत्वाधान में बनने वाले TReDS की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। तदनुसार सिडबी और एन.एस.ई. के बीच एक संयुक्त उद्यम रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (RXIL) के रूप में भारत में स्थापित होने वाली पहली TReDS एक्सचेंज इकाई का गठन किया गया है। RXIL को 25 फरवरी 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल किया गया है। RXIL के ई-डिस्काउंटिंग पोर्टल को NTRESS के नाम से जाना जाता है, NTRESS में उपसर्ग 'एन' एन.एस.ई. को, प्रत्यय 'एस' सिडबी को तथा "TRES" ट्रेड रिसीवेबल इंजिन फॉर ई-डिस्काउंटिंग को प्रदर्शित करता है।

2. **M1 एक्सचेंज :** M1 एक्सचेंज माइंड सॉल्यूशंस द्वारा अप्रैल 2017 को स्थापित किया गया है। M1 एक्सचेंज के

ऑनलाइन मंच का नाम पर्ल (PEARL- पार्टनर इंगेजमेंट एंड रिलेशनशिप टूल) है।

3. **A TReDS:** यह एक्सिस बैंक और एम-जंक्शन सर्विसेज के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। A TReDS के ऑनलाइन एक्सचेंज का नाम इनवॉइस मार्ट है। इनवॉइस मार्ट की शुरुआत जुलाई 2017 में हुई थी।

निष्कर्ष: वर्तमान प्रतिकूलताओं और धीमे आर्थिक विकास की स्थिति में विभिन्न वित्तीय संस्थानों के लिए एम.एस.एम.ई. क्षेत्र अपने वित्तपोषण, योग्य संसाधनों के नियोजन तथा लाभप्रदता बढ़ाने के एक महत्त्वपूर्ण अवसर के रूप में उभर रहा है। एस.एम.ई ग्राहकों की विविध अनपेक्षित और अल्पकालिन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नये ऋण उत्पाद विकसित किये जाने की आवश्यकता है जिससे बैंकों एवं अन्य संस्थानों के व्यापार में भी वृद्धि होना तय है। बैंक एवं अन्य संस्थाएं परंपरागत नगदी ऋण और सावधि ऋण सुविधाओं के अतिरिक्त गैर-परंपरागत वित्तपोषण के नवीन उत्पाद जैसे डीलर वित्त, वेंडर वित्त, उपस्कर वित्त, वाणिज्यिक पेपर, प्रतिभूतिकरण, गैर-परियोजना विशिष्ट लघुवधि ऋण, लीज़िंग और किराया खरीद सेवाएं, आस्थगित भुगतान, गारंटी आदि इन एम.एस.एम.ई.उद्यमों को उपलबध करा रहे हैं। इसी कड़ी में **TReDS** अर्थात ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम या व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों को एम.एस.एम.ई. इकाइयों तक पहुँचाने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है, जिसकी सहायता से इस क्षेत्र में व्याप्त वित्तपोषण के मौजूदा अंतर को प्रभावी ढंग से पाटा जा सकता है। TReDS से होने वाले विभिन्न लाभों के चलते दिनांक 24 अक्तूबर 2017 को भारत सरकार ने सभी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के लिए 90 दिनों के भीतर TReDS पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है।

हम सब जानते हैं कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भारत के भावी विकास की कुंजी है जिसके द्वारा यहाँ के अविदोहित साधनों के विदोहन तथा लाखों व्यक्तियों की उत्पादन की क्षमता का प्रयोग किया जा सकता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम देश की अर्थव्यवस्था में मेरुदंड के समान है जिनमें आज की अनेक ज्वलंत समस्याओं का समाधान निहित है। भारतीय आर्थिक परिवेश में चाहे हम किसी भी आर्थिक मॉडल को क्यों न चुनें उसके केंद्र में लघु एवं मध्यम उद्यम को रखना ही होगा। वस्तुतः आज से दो-तीन दशक पहले जो कृषितर ग्रामीण और कुटीर उद्योग विकसित हुए थे उनमें से कुछ उद्योग आज विशाखीकृत होकर लघु एवं मध्यम श्रेणी में आ चुके हैं। इन्हीं उद्योगों को और बढ़ावा देकर इन्हें ही बड़े उद्योगों में परिणत करके हम प्रगति की सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा औद्योगीकरण की अंधी दौड़ में न तो हम अपने संसाधन बचा पाएंगे, न ही अपनी निरंतर चढ़ती आबादी को रोज़गार दे पाएंगे और न ही धन लाभ का वितरण अधिकतम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आर्थिक आधुनिकीकरण/ औद्योगिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में विकसित भारत का उज्ज्वल भविष्य एम.एस.एम.ई के उत्थान में ही निहित है। उचित मार्गदर्शन एवं पर्याप्त वित्तपोषण की मदद से भारतीय एम.एस.एम.ई क्षेत्र स्वस्थ एवं उच्च दर से बढ़ने में सक्षम हैं। पर्याप्त वित्तपोषण का रास्ता वित्तपोषण के परांपरागत स्रोतों के आलावा नवोन्मेषी उत्पाद एवं सेवाओं से हो कर ही गुज़रता है जिसके चलते समाज के अंतिम छोर पर मौजूद छोटे से छोटे सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योगों का भी वित्तपोषण संभव हो पाता है। यह आशा की जा रही है कि TReDS जैसे नवोन्मेषी उत्पाद एम.एस.एम.ई. वित्तपोषण की दिशा में आर्थिक क्रांति का नया अध्याय लिखेंगे जिससे भविष्य के दर्पण में हमारे देश भारत का एक सुंदर और विकसित प्रतिबिंब बन सकेगा।

स्रोत: https://rbi.org.in/, http://www.rxil.in/, http://www.m1xchange.com/, https://www.invoicemart.com/, http://msme.gov.in/, https://www.google.co.in/ आदि

जोखिम प्रबंधन/ जोखिम प्रबंधन उपायों की सुदृढ़ता

जोखिम का प्रभाव पूरे अस्तित्व, संसाधनों (मानव और पूंजी), उत्पाद और सेवाओं अथवा उद्यम के उपभोक्ताओं के साथ ही साथ बाह्य रूप से भी समाज, बाज़ार अथवा परिवेश पर पड़ता है। किसी भी परिस्थिति में, जहाँ परिणामों के बारे में अनिश्चितता हो वहाँ जोखिम होता ही है। जोखिम प्रबंधन के उद्यम में जोखिम को ऐसी संभाव्य घटना अथवा परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी भी उद्यम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जोखिम की अवधारणा आवश्यक रूप से उन विभिन्न विशेषताओं अथवा विलक्षणताओं का समूहन है जो कदापि किसी घटना विशेष के बराबर नहीं हो सकती। प्रत्येक जोखिम के लिए दो गणनाएं आवश्यक हैं: एक उस की संभाव्यता और दूसरी, परिणामों की व्यापकता। जहां अनिश्चितता गुणात्मक है और किसी संख्या में व्यक्त नहीं की जा सकती है, वहीं जोखिम को सांख्यिकीय रुप में संभाव्यता एवं परिणाम के गुणनफल से निरुपित किया जा सकता है (जोखिम = संभाव्यता X परिणाम)।

नौशाबा हसन
मुख्य प्रबंधक एवं संकाय,
भारतीय स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केंद्र, रायपुर

जोखिम के प्रभाव बहुस्तरीय होते हैं और इसके परिणाम भी दूरगामी होते हैं। बिना जोखिम उठाए अच्छे प्रतिफल की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह कहना अतिशयोक्ति नही होगी कि जोखिम लेना बैंकों के अस्तित्व का केंद्र बिंदु है क्योंकि परिपक्वता के रूपांतरण की प्रक्रिया में जोखिम अंतर्निहित होता ही है। आधुनिक बैंकिंग अपने नवाचार एवं जटिल उत्पादों के कारण परंपरागत बैंकिंग से व्यापक रुप से भिन्न हो गई है। आर्थिक सुधारों के चलते बैंकिंग क्षितिज पर उभरी रेखाएं तथा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के प्रारुप में हुए आमूलचूल परिवर्तनों ने बैंकिंग को चुनौतीपूर्ण बनाकर अत्यंत प्रतिस्पर्धी बना दिया है। यह प्रतिस्पर्धा सेवाओं की गुणवत्ता आधारित भी है और कुशलता आधारित भी, उत्पाद आधारित भी है और मूल्य आधारित भी, प्रौद्योगिकी आधारित भी है और स्थितिजन्य सुविधा आधारित भी। संपूर्ण क्रियाविधियों और संचालन व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन आ रहे हैं एवं इन प्रतिस्पर्धाओं एवं व्यापक परिवर्तनों के संदर्भ में बैंकिंग में जोखिम के क्षेत्र भी अत्यंत विस्तृत होते जा रहे हैं। मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट 2006-2008, खंड 1 के अनुसार बैंक निम्नलिखित प्रकार के जोखिमों का सामना अपने दैनन्दिन व्यवसाय में करते हैं :

जोखिमों के प्रकार	परिभाषा
ऋण जोखिम	ऋण जोखिम देनदारों की ऋण गुणवत्ता में ह्रास हो जाने के कारण ऋण देने संबंधी निर्णीत संविदाओं में चूक अथवा उन्हें पूरा न करने के नकारात्मक परिणाम को संदर्भित करता है।
• काउंटरपार्टी /प्रतिपक्ष चूक जोखिम	इस संभावना को संदर्भित करता है कि करार करने वाली अन्य पार्टी द्वारा चूक होगी।
• प्रतिभूतिकरण जोखिम	प्रतिभूतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऋण लिखतों को एक पूल में एकत्रित करके और तदनंतर पूल द्वारा समर्थित नई प्रतभिूतियों को जारी जोखिमों को बांटा जाता है। परंपरागत प्रतिभूतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रवर्तक बैंक आस्तियों के समूह को विशेष प्रयोजन संस्था को अंतरित कर देता है। इसके विपरीत "संश्लिष्ट" प्रतिभूतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रवर्तक बैंक आस्तियों के समूहों का कानूनी स्वामित्व अपने पास रखता है और ऋण-संबद्ध नोटों अथवा क्रेडिट व्युत्पत्तियों के उपयोग के माध्यम से अंतर्निहित आस्तियों के पूल से संबंद्ध केवल ऋण जोखिम को अंतरित करता है।
• संकेंद्रण जोखिम	संकेंद्रण जोखिम एक ऐसा एकल एक्सपोजर अथवा एक्सपोजरों का समूह है जो बैंक के स्वास्थ्य को अथवा उसके मुख्य परिचालनों को बनाए रखने की उसकी क्षमता को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त हानि (बैंक की पूंजी, कुल आस्तियों अथवा समग्र जोखिम स्तर के संबंध में) उत्पन्न करने में सक्षम है।
बाज़ार जोखिम	बाज़ार जोखिम सामान्यत: मुद्रा तथा पूंजी बाज़ारों के मूल्य में हुए परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम को संदर्भित करता है। खुली विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों तथा खुली मियादी स्थितियों के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ़ की संवेदनशीलता के परिणामस्वरुप भी बाज़ार जोखिम उत्पन्न होता है।
• ब्याज दर जोखिम	ब्याज दर जोखिम की व्याख्या है ब्याज दर घट-बढ़ के कारण बैंक के पोर्टफोलियो मूल्य में परिवर्तन।
• इक्विटी जोखिम	यह जोखिम सामान्य बाज़ार संबंधी कारकों के कारण इक्विटी के बाज़ार मूल्यों की घट-बढ़ के कारण उत्पन्न होता है।
• विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम	यह जोखिम विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में घट-बढ़ के कारण उत्पन्न होता है।
परिचालनात्मक जोखिम	अपर्याप्त/ विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों व प्रणालियों अथवा बाह्य घटना के परिणामस्वरूप हुई हानि का जोखिम परिचालनात्मक जोखिम कहलाता है। इसमें कानूनी जोखिम तो शामिल है, किंतु रणनीतिक व प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं है।
• अनुपालन/कानूनी जोखिम	अनुपालन/ कानूनी जोखिम में पर्यवेक्षणात्मक कार्रवाई तथा निजी समझौते के परिणामस्वरुप जुर्माना, दंड अथवा दंडात्मक हानियों से हुए नुकसान शामिल हैं। कानूनी/ अनुपालन जोखिम यथोचित नीति, प्रक्रिया अथवा विधि, विनियम, संविदात्मक व्यवस्थाओं तथा अन्य कानूनी तौर पर बाध्यकारी करारों और अपेक्षाओं के अनुरुप नियंत्रण बनाने में संस्था की विफलता से उत्पन्न होता है।
• प्रलेखीकरण जोखिम	अनुचित अथवा अपर्याप्त प्रलेखीकरण से भविष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता तथा अनिश्चितता बनी रहती है। यह अनिश्चितता वित्तीय संविदा की विशिष्टताओं के संबंध में संदिग्धता उत्पन्न करती है तथा इसे ही प्रलेखीकरण जोखिम कहते हैं।

जोखिमों के प्रकार	परिभाषा
चलनिधि जोखिम	चलनिधि जोखिम बैंक के दायित्व निभाने की असमर्थता से उत्पन्न होता है और यह ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें पार्टी के इच्छुक होने के बावजूद आस्ति की ट्रेडिंग करने के लिए कोई प्रतिपक्ष नहीं मिलता है।
• सावधि चलनिधि जोखिम	यह जोखिम ऋण लेन-देन में पूंजी प्रतिबद्धता अवधि में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी (चुकौती में अप्रत्याशित देरी) हो जाने के कारण उत्पन्न होता है।
• आहरण/ मांग जोखिम	अपेक्षा से अधिक ऋण का आहरण/ अधिक जमाराशि के आहरण से उत्पन्न जोखिम आहरण अथवा मांग जोखिम कहलाता है।
• संरचनात्मक चलनिधि जोखिम	यह जोखिम आवश्यक निधि लेन-देन न कर पाने अथवा केवल कम अनुकूल शर्तों पर कर पाने की स्थिति में उत्पन्न होता है। यह जोखिम कभी-कभी निधियन चलनिधि जोखिम भी कहलाता है।
• आकस्मिक चलनिधि जोखिम	आकस्मिक चलनिधि जोखिम एक ऐसा जोखिम है जो अतिरिक्त निधियों को जुटाने अथवा संभाव्य भविष्यकालीन दबावग्रस्त बाज़ार स्थितियों के अधीन परिपक्व हो रही देयताओं को पुन: स्थापित करने से संबंधित है।
• बाज़ार चलनिधि जोखिम	यह जोखिम तब उत्पन्न होता है जब विदेशी मुद्राओं को अपेक्षित समयावधि के दौरान नहीं बेचा जा सकता है अथवा केवल बट्टा दर पर बेचा जा सकता है (बाज़ार प्रभाव)।
अन्य जोखिम	
• रणनीतिगत जोखिम	रणनीतिगत जोखिम कारोबार नीति निर्णयों, आर्थिक वातावरण में परिवर्तन, निर्णयों के अपूर्ण/ अपर्याप्त कार्यान्वयन अथवा आर्थिक वातावरण में हुए परिवर्तन को स्वीकार करने में विफलता के कारण पूंजी तथा आय पर हुए ऋणात्मक प्रभाव से संबंधित है।
• प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम	प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित है, जो बैंक को प्रतिष्ठा में प्रत्याशित स्तर की तुलना में ऋणात्मक भिन्नता के कारण उत्पन्न हेाता है। बैंक की प्रतिष्ठा उसकी क्षमता तथा विश्वसनीयता के प्रति जनता (निवेशक /उधारकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक आदि) की नजरों में बनी छवि पर निर्भर होती है।
• पूंजीगत जोखिम	पूंजीगत जोखिम बैंक के स्वरुप एवं आकार के संबंध में असंतुलित आंतरिक पूंजीगत संरचना से या अतिरिक्त जोखिम व्याप्ति वाली पूंजी तुरंत जुटाने से संबंधित कठिनाइयों से उत्पन्न होता है।
• अर्जन जोखिम	अर्जन जोखिम बैंक की अर्जन संरचना में अपर्याप्त विविधता अथवा लाभप्रदता के एक पर्याप्त एवं अंतिम स्तर तक पहुंचने में बैंक की असमर्थता के कारण उत्पन्न होता है।
• आउटसोर्सिंग जोखिम	आउटसोर्सिंग जोखिम को वर्गीकृत करने के कई उपाय हैं, जिनमें चार अत्यधिक सुविधाजनक उपाय हैं - परिचालनात्मक विघटन जोखिम, डेटा जोखिम, गुणवत्ता जोखिम और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम।

बैंक जमाकर्ताओं को मांग पर खातों से भुगतान प्रदान करने को तैयार रहते हैं तथा अग्रिम व्यवस्था के जरिए अपने उधारकर्ताओं को ऋण एवं चलनिधि प्रदान करते हैं (कश्यप, राजन और स्टेन 1999)। इस प्रक्रिया में बैंकों के सामने कई प्रकार के जोखिम आते हैं, अस्तु बैकिंग में जोखिम एक अंतर्निहित और अपरिहार्य तत्व बन गया है। जोखिम उठाना बैकों के कारोबार का एक अभिन्न हिस्सा होने के कारण, जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन आज के समय की मांग है और

इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि बैंक इन जोखिमों के प्रति स्वीकार्य स्तर का लचीलापन विकसित करें। एक प्रतिस्पर्धी बाज़ार परिवेश में किसी बैंक की प्रतिलाभ दर, उसके जोखिम प्रबंधन के कौशल से व्यापक रूप से प्रभावित होती है। विभिन्न जोखिमों के नियोजन हेतु बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे विविध संरक्षणात्मक उपाय करते रहें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक दीर्घकालिक समय क्षितिज पर शोधनीय और तरल बने रहें।

जोखिम प्रबंधन : जीवन दर्शन को प्रभावित करने वाली ग्रंथ गीता में उल्लेखित है कि:

"प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः
प्रारभ्य विघ्नविहिता विरमन्ति मध्या: ||
विघ्नै: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना:
प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ती ||"

अर्थात नीच मनुष्य विघ्नों के भय से कार्य आरम्भ ही नहीं करते हैं, मध्यम मनुष्य कार्य आरम्भ करते तो हैं परन्तु विघ्न पड़ने पर कार्य छोड़ देते हैं, परन्तु उत्तम-जन कार्य आरम्भ कर के उसे अपूर्ण नहीं छोड़ते, चाहे कितने ही विघ्न क्यों न पड़ते रहें। किसी भी कार्य में विघ्न या जोखिम होने की संभावना बनी ही रहती है पर उसके भय से कार्य शुरू नहीं करने में कोई बुद्धिमता नहीं है, आवश्यकता है उस जोखिम के प्रबंधन की अनिश्चितता की स्थिति में जोखिम मुद्दों की पहचान, मूल्यांकन, समझ और संप्रेषण के द्वारा प्रणालीबद्ध तरीके से सुनियोजित कार्यवाही करना ही जोखिम प्रबंधन है। सरल शब्दों में कहें तो जोखिम की सन्निहित संभावना को कम करने के लिए एहतियाती कदम उठाना ही जोखिम प्रबंधन है। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम उठाने से पूरी तरह बचना नहीं है बल्कि जोखिम की स्थितियों को समझने, जोखिम के प्रभावों को न्यूनतम रखने एवं जोखिम सामने आने पर परिचालनों की निरंतरता बनाए रखना ही जोखिम प्रबंधन का मुख्य ध्येय है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उठाए गये जोखिम की तुलना में प्राप्त प्रतिफल समुचित है और उठाए गये जोखिम, उसकी प्रवृत्ति और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप है। जोखिम प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले व्यापक सिद्धांत वास्तविक और वित्तीय क्षेत्र दोनों के लिए लगभग एक ही प्रकार के हैं तथापि बैंकों में जोखिम प्रबंधन का महत्व तीन विशिष्ट कारणों से बढ़ जाता है:

1. बैंक अत्यधिक लिवरेज प्राप्त होते हैं,
2. उनके पास सार्वजनिक राशि होती है तथा
3. भुगतान प्रणालियां बैंकों के माध्यम से परिचालित होती हैं (मोहन 2007)।

बैंकों में जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत : अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थान किसी भी व्यवसाय में जोखिम प्रबंधन के निम्नलिखित सिद्धांतों की पहचान करते हैं, यह सिद्धांत बैंकिंग में भी व्यावहारिक रूप में सर्वमान्य हैं :

- ✓ जोखिम प्रबंधन को निर्णय-निर्धारण करने वाली संगठनात्मक प्रक्रियाओं का एक अभिन्न अंग होना चाहिए,
- ✓ जोखिम प्रबंधन को स्पष्ट रूप से अनिश्चितता की चर्चा करनी चाहिए एवं इसे सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर आधारित होना चाहिए,
- ✓ जोखिम प्रबंधन को पारदर्शी, सुव्यवस्थित, संरचित और समग्र होना चाहिए,
- ✓ जोखिम प्रबंधन को गतिशील, पुनरावृत्तीय, परिवर्तन के प्रति-संवेदी, भविष्योन्मुखी एवं संवृद्धि में सक्षम होना चाहिए एवं
- ✓ जोखिम प्रबंधन को मानव कारकों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

बैंकों में सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन के विविध लाभ: बैंकों को सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं से कई लाभ होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

- ❖ जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं से नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और परिचालनों से जुड़े विशिष्ट जोखिम क्षेत्रों की पहचान और मूल्यांकन और अवांछित प्रभावों को दूर करने के लिए समुचित उपायों की मौजूदगी के साथ ही अवसरों से लाभ उठाने को सुनिश्चित करते हुए बैंकों के कॉरपोरेट प्रबंधन उत्तरदायित्वों का समर्थन किया जाता है।
- ❖ जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं द्वारा मूल्य, दक्षता, साधन और सहायक परिवेश है जो अन्वेषण और जिम्मेदारी पूर्वक जोखिम वहन करने की नींव, तैयार की जाती है। इन विविध प्रक्रियाओं से नियामक नियंत्रणों का पालन एवं अनुभवों से सीखने को प्रोत्साहित करते हुए अधिक जानकारी युक्त निर्णयन प्रक्रिया के द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त किए जाते हैं।
- ❖ यह प्रदर्शित करते हुए कि नीतियों, आयोजनों, कार्यक्रमों और परिचालन से जुड़े जोखिमों के स्तर को स्पष्टत: समझ लिया गया है, जोखिम प्रबंधन से कई व्यावसायिक लाभ उठाये जा सकते हैं। जोखिम प्रबंधन उपायों में निवेश तथा धारकों के हितों में अधिकतम संतुलन स्थापित करते हुए, जवाबदेही को सुदृढ़ बनाते हुए तथा बैंकों की विश्वसनीयता बरकरार रखते हुए ग्राहक सेवा को मज़बूती प्रदान कर उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने का भी प्रयास किया जाता है।

बैंकिंग में जोखिम प्रबंधन के विभिन्न चरण: ISO 31000 मानक "जोखिम प्रबंधन - कार्यान्वयन के सिद्धांतों और दिशानिर्देश", के अनुसार जोखिम प्रबंधन में मुख्यत: निम्नलिखित विभिन्न चरण होते हैं :-

1. **सन्दर्भ की स्थापना:** सन्दर्भ की स्थापना में शामिल हैं:

- हितधारकों के अस्तित्व एवं उद्देश्यों की स्थापना ,
- क्रियाशीलता के लिए एक रूपरेखा बनाते हुए एक कार्यसूची परिभाषित करना,
- इस प्रक्रिया में शामिल जोखिम के विश्लेषण का विकास करना,
- उपलब्ध तकनीकों, मानव एवं संगठनात्मक संसाधनों का उपयोग कर जोखिम को तदनुरूप वर्गीकृत करना।

2. **पहचान :** सन्दर्भ की स्थापना के बाद जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में अगला कदम संभावित जोखिमों की पहचान करना है। जोखिम उन खतरों के बारे में हैं जो उत्प्रेरित होकर समस्याएं पैदा करते हैं। जोखिम की पहचान निम्न दो रूपों से की जा सकती है:

- ✓ स्रोत विश्लेषण- जोखिम स्रोत व्यवस्था के प्रति आंतरिक या बाहरी दोनों ही हो सकते है जो जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है।
- ✓ समस्या विश्लेषण- जोखिम खतरों की ज्ञात चेतावनियों से संबंधित है। जब भी स्रोत या समस्या में से कोई एक ज्ञात हो, तो घटनाओं को उत्प्रेरित करने वाले स्रोत या समस्याएं पैदा करने वाली घटनाओं की जांच-पड़ताल की जा सकती है।

3. **मूल्यांकन:** जोखिमों की एक बार पहचान हो जाने पर, उससे होने वाली संभावित हानि की गंभीरता एवं घटित होने की संभावना के सन्दर्भ में उनका मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए। जोखिम मूल्यांकन में मूलभूत कठिनाई घटना होने की दर का निर्धारण करना है क्योंकि बैंकों के पास अतीत की सभी प्रकार की घटनाओं के लिए सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। जोखिम मूल्यांकन को संस्थाओं के प्रबंधन के लिए ऐसी सूचनाओं की प्रस्तुति करनी चाहिए ताकि प्राथमिक जोखिमों को आसानी से समझा जाए और जोखिम प्रबंधन संबंधित निर्णयों को प्राथमिकता प्रदान की जा सके।

4. **संभावित जोखिम उपचार:** जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन कर लेने के पश्चात जोखिम के उपचार की संभावित तकनीकें निम्नलिखित चार वर्गों में से किसी एक अथवा एकाधिक वर्गों में आती है:

- **बचाव (उन्मूलन):** इसमें जोखिम वाली गतिविधि का निष्पादन नहीं करना शामिल है।
- **कमी (कम करना):** इसमें ऐसी पद्धतियों का समावेश होता है जो हानि की उग्रता या हानि के घटित होने की सम्भावना की गंभीरता को कम करता है।
- **स्थानांतरण (बाहरी स्रोत से सेवाएं प्राप्त करना या बीमा करना):** जोखिम प्रबंधन क्रियाओं में बीमा अनुबंध का क्रय अक्सर "जोखिम का हस्तांतरण" कहा जाता है।
- **धारण (स्वीकार करना और बजट बनाना):** इसमें नुकसान होने पर जोखिम को स्वीकार करना शामिल होता है। जोखिम प्रतिधारण छोटे जोखिमों के लिए एक व्यवहार्य कार्यनीति है जहाँ जोखिम के विरुद्ध बीमा की लागत कुल नुकसान की तुलना में अधिक हो सकती है। सभी जोखिमों को जिन्हें टाला अथवा स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता उन्हें भी बने रहने दिया जाता है।

5. **कार्यान्वयन:** जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए सभी सुनियोजित पद्धतियों का अनुपालन करना जोखिम प्रबंधन कार्यान्वयन कहलाता है। ISO/IEC 27001 के अनुसार जोखिम विश्लेषण एवं उपचार के उपरान्त अगला चरण जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन का होता है। बैंकों में जोखिम प्रबंधन कार्यान्वयन से तात्पर्य उन सुरक्षा नियंत्रणों का चुनाव करना होता है जिसे व्यावहारिकता के विवरण (स्टेटमेंट ऑफ़ एप्लिकेबिलीटी) में प्रलेखबद्ध किया जाता है और जो यह निर्धारित करता है कि किसी ख़ास नियंत्रण का चुनाव उद्देश्यों के आधार पर और किस मानक के आधार पर किया गया है। जोखिम प्रबंधन कार्यान्वयन हेतु यह आवश्यक होता है कि बैंक के हर स्तर पर इसका कड़ाई से पालन किया जाय ताकि किसी भी प्रकार के जोखिम का सामना बखूबी किया जा सके।

6. **प्रबंधन, निरीक्षण और रिपोर्टिंग :** जोखिम वैधीकरण के गणितीय तथा तकनीकी पहलू महत्वपूर्ण है तथापि वह आंतरिक वातावरण भी समान रूप से महत्वपूर्ण है जिसके तहत जोखिम प्रबंधन ढांचा कार्य करता है। वरिष्ठ प्रबंधक के निरीक्षण की मात्रा, ऋण अधिकारियों की प्रवीणता, आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता तथा कारपोरेट संस्कृति की अन्य परंपरागत विशेषताएं जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

7. **योजना की समीक्षा और मूल्यांकन:** यद्यपि जोखिम प्रबंधन पूर्वतः अभिमुखी होता है तथापि प्रारंभिक जोखिम प्रबंधन योजना कभी परिपूर्ण नहीं होती है और समय-समय पर इसके मूल्यांकन एवं समीक्षा की आवश्यकता महसूस होती रहती है। अभ्यास, अनुभव और वास्तविक हानि के परिणाम योजना में परिवर्तनों को अनिवार्य बना ही देते हैं। जोखिम विश्लेषण के परिणाम और प्रबंधन की योजनाओं को समय-समय पर निम्नलिखित कारणों के चलते अद्यतन किया जाना चाहिए:-

- यह मूल्यांकन करना कि पहले से चयनित सुरक्षा नियंत्रण क्या अब भी प्रयोज्य और प्रभावी हैं या नहीं ? और
- व्यवसाय के परिवेश में जोखिम के स्तरों में संभावित परिवर्तनों का मूल्यांकन करना। उदाहरण के लिए सूचना संबंधी जोखिम तेजी से बदलते हुए बैंकिंग परिवेश में जोखिम/धोखाधड़ी के नए-नए प्रकरण सामने ला रही हैं और इस हेतु नवीन प्रबंधन नीतियाँ बनाई जानी भी आवश्यक हो जाती हैं।

बैंकों में जोखिमों के निर्धारण के कुछ तरीके : यद्यपि जोखिम हर व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है तथापि कोई भी व्यवसाय जोखिम लिए बिना लाभ भी नहीं उठा सकता- यह तथ्य बैंकिंग के लिए भी अक्षरशः सत्य है। बैंकों के पास सूचीबद्ध वैधीकरण प्रयासों के विस्तार और दायरा दोनों की प्रक्रियाएं होती हैं तथा

वे नमूना अनिश्चितता के सभी तत्वों का समाधान कर सकते हैं। अतः बैंक अपने दैनिक व्यवसाय में परिकलित जोखिम अर्थात "Calculated Risk" ले सकते हैं, आवश्यकता केवल इतनी है कि जोखिम उतना ही उठाया जाये जितना पूँजी समर्थन दे सके। इससे अधिक जोखिम जहां आधारभूत आर्थिक सूचकों के प्रतिकूल जाने पर बैंक के अस्तित्व पर प्रश्न लगा सकता है, वहीं कम जोखिम उठाने का अर्थ होगा कि प्रबंधन नीतियों के कारण पूँजी सम्भाव्य लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं है। समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकों को जोखिम निर्धारण करने संबंधी विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिसमें कुछ उल्लेखनीय हैं:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक ने विवेकपूर्ण मानदंड वर्ष 1992 में लागू किये थे जिनके अंतर्गत विभिन्न जोखिम प्रावधानों सहित अन्य नियमों को भी शामिल किया गया था। बैंकों में आस्ति-देयता जोखिम प्रबंधन प्रणाली संबंधी दिशानिर्देश सर्वप्रथम वर्ष 1999 में, ऋण जोखिम व बाज़ार जोखिम संबंधी दिशानिर्देश अक्तूबर 2002 में और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के संबंध में दिशानिर्देश वर्ष 2005 में जारी किये गये हैं।

2. परिचालनगत जोखिम प्रबंधन पर विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी करने के साथ-साथ कॉरपोरेट अभिशासन, अपने ग्राहक को जानिए/ धन शोधन निवारण, ऋण सूचना का आदान-प्रदान, ग्राहक सेवा जैसे अन्य क्षेत्रों के संबंध में भी समय-समय पर विनियामक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

3. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बासेल I, II एवं III मानकों के रूप में एकीकृत सुधार प्रणाली को वैश्विक विनियामक पैकेज के रूप में प्रवर्तित किया गया ताकि बैंकिंग व्यवसाय को सुदृढ़ एवं आघात सहन करने योग्य बनाया जा सके। ये सुधार बैंक के जोखिम प्रबंधन के संबंध में पूंजी चलनिधि, लिवरेज और समष्टि विवेकपूर्ण पहलुओं को परिभाषित करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल I एवं II लागू करने के पश्चात जनवरी 2012 में बासेल III पर दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसमें बैंकिंग व्यवस्था को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बैंकों के लिए पूंजी की न्यूनतम सीमा तय की गई थी। 27 मार्च, 2014 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल III मानकों को पूरी तरह लागू करने की समय-सीमा 31 मार्च, 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 कर दी है। बासेल III मानकों के तहत जोखिम आधारित पूंजी ढांचे की मदद के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करने के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय सुसंगत लिवरेज अनुपात लागू किया गया है ताकि प्रणाली में अत्यधिक लिवरेज निर्माण को रोका जा सके। बासेल III अपेक्षाओं में जो नए घटक शामिल किए गए हैं उनमें पूंजी संरक्षण बफर एवं प्रतिचक्रीय पूंजी बफर के रूप में पूंजी की अतिरिक्त परत, अल्पावधि-चलनिधि कवरेज अनुपात एवं दीर्घावधि ढांचागत निवल स्थाई वित्तीय अनुपात के रूप में न्यूनतम चलनिधि अपेक्षाएं, जोखिम आधारित पूंजी ढांचे के सुरक्षा कवच के रुप में लिवरेज अनुपात और महत्वपूर्ण वैश्विक बैंकों के लिए अतिरिक्त प्रस्ताव आदि शामिल हैं। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के लिए ऐसा ढांचा तैयार किया गया है ताकि अंतर अंतर-सहसंबद्धता से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का प्रबंधन किया जा सके। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एवं एच.डी.एफ.सी. बैंक को महत्वपूर्ण घरेलू बैंक माना है।

4. रिज़र्व बैंक ने गहन प्रतिस्पर्धा, तीव्र प्रौद्योगिकी विकास तथा वित्तीय बाज़ारों के साथ समन्वय को देखते हुए एक सुदृढ़ और दक्ष पर्यवेक्षण प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया है जिसका परिमार्जन आवश्यक माना गया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार पर्यवेक्षण की प्रणाली को इस तरह से विकसित किया गया है कि एक इकाई की कमज़ोरी दूसरी इकाई तक नहीं पहुँचती है एवं प्रणाली में स्थिरता बनी रहती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण संबंधी दिशा-निर्देश के दो मुख्य पहलू हैं - पहला स्थल से हटकर निगरानी और दूसरा कार्यस्थल पर निरीक्षण। भारतीय बैंकों में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण मॉडल को चरणबद्ध रूप से अपनाया गया है, जिसका

उद्देश्य बैंकिंग परिचालनों में बड़े जोखिमों की पहचान करके उनका निदान करना है।

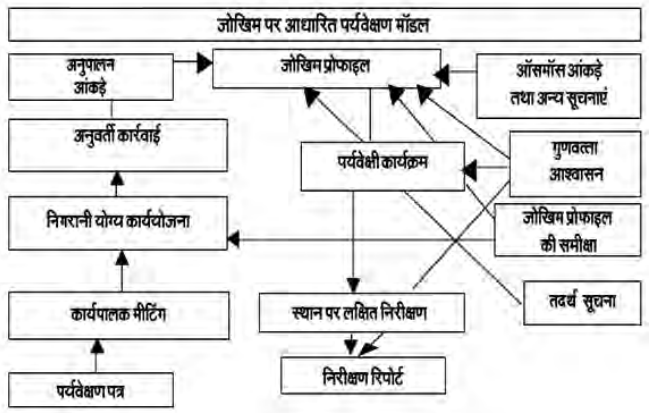

5. जून 2007 में बैंकों हेतु बैक-टेस्टिंग संबंधी निर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। नमूना बाह्य परीक्षण हेतु आंकड़ों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए बैंक प्रतिरूपी तौर पर अनुमानित ऋण जोखिम हानियों की तुलना कुछ वर्ष के संबंध में प्राप्त वास्तविक ऋण हानियों की ऐतिहासिक शृंखलाओं के साथ करते हैं। बैंक ऋण जोखिम मॉडलों के वैधीकरण के विभिन्न वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें बाज़ार आधारित वास्तविकता परीक्षण मॉडल यथा पियर ग्रुप विश्लेषण, प्रतिलाभ विश्लेषण तथा बैंकों के अपने मूल्य मॉडलों द्वारा अभिप्रेत स्प्रेडों के साथ बाज़ार ऋण स्प्रेडों की तुलना करना शामिल होता है। उपयुक्त पूंजी स्तरों (पियर ग्रुप विश्लेषण) अथवा ऋण स्प्रेडों (प्रतिलाभ दर विश्लेषण के लिए) की मौजूदा बाज़ार अवधारणाएं काफी सही व आर्थिक दृष्टि से स्थापित होने के साथ-साथ पर्यवेक्षण हेतु तुलनात्मक महत्व की भी होती हैं।

6. भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2007 में ही बैंकों को दबाव परीक्षण संबंधी दिशानिर्देश भी जारी किये हैं। दबाव परीक्षण द्वारा आधारभूत साधारण परिदृष्य की तुलना में, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में आघातों के प्रति बैंकों के लचीलेपन का आकलन किया जाता है। यह परीक्षण "थ्री सिग्मा" द्विगुणीकृत अंतराल के अंतर्गत होने वाली घटनाओं से संबंधित होते हैं। तनाव परीक्षणों का उद्देश्य विशिष्ट आर्थिक परिदृश्य विनिर्दिष्ट कर तथा इन परिदृश्यों के प्रति बैंक पूंजी की पर्याप्तता का निर्णय लेकर जोखिम मॉडलों में मौजूद कुछ प्रमुख अनिश्चितताओं यथा चूक दरों का अनुमान, जोखिम कारकों का संयुक्त संभाव्यता वितरण आदि को दूर करना होता है। तनाव परीक्षणों में कई परिदृश्य शामिल हो सकते हैं जिनमें संकट के समय कतिपय क्षेत्रों का कार्य निष्पादन अथवा जोखिम चक्र की आत्यंतिक बिंदुओं पर हानियों की मात्रा शामिल होती है। सैद्धांतिक रूप में तनाव परीक्षण की सुदृढ़ प्रक्रिया वर्तमान बैक टेस्टिंग पद्धतियों में निहित सीमाओं को देखते हुए बैक टेस्टिंग के पूरक के रूप में कार्य करती है।

7. संवेदनशीलता विश्लेषण अर्थात सेंसिटिविटी एनेलिसिस संबंधी मॉडल भी जोखिम निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मॉडल आउटपुट की संवेदनशीलता का परीक्षण प्राचल (पैरामीटर) मूल्यों अथवा महत्वपूर्ण पूर्वधारणाओं से किया जाता है। अंतर्निहित मानकों और कल्पनाओं के प्रति ऋण जोखिम अनुमानों की संवेदनशीलता का निर्धारण करना इसमें शामिल होता है। बी.सी.बी.एस. द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय बैंकों ने यह सूचित किया है कि वह कई कारकों पर संवेदनशीलता विश्लेषण करते हैं, जिनमे शामिल हैं :

- प्रत्याशित अचूक बारंबारता(ई.डी.एफ.) तथा ई.डी.एफ. की अस्थिरता,
- लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एल.जी.डी.),
- आंतरिक रेटिंग श्रेणियों का समनुदेशन (बी.आई.एस. 2000) आदि।

8. परिदृश्य विश्लेषण (सीनेरियो एनेलिसिस) की सहायता से भी जोखिम निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए हैं। परिदृश्य विश्लेषण से सांख्यिकीय अभिप्राय एक निश्चित स्थिति में होने वाली उच्चतम संभाव्य घटना से है। ऐसा विश्लेषण प्रस्तावित व्यावसायिक गतिविधि

की अनुमानित लागत का मूल्यांकन करता है एवं जोखिम अनुमान का विश्लेषण करने में सहायक होता है। विभिन्न परिदृश्यों का निर्माण करके और उन संभावनाओं के संयोजन के साथ बैंक व्यावसायिक जोखिम को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। परिदृश्य विश्लेषण कई प्रकार के जोखिम यथा बाज़ार जोखिम, चलनिधि जोखिम आदि के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बैंकों में विभिन्न प्रकार के जोखिमों के सुदृढ़ प्रबंधन हेतु कतिपय सुझाव: बैंकिंग उद्योग में विभिन्न प्रकार के जोखिमों को संख्यावाची बनाने और उनका प्रबंधन करने के कई उपाय किये गए हैं। यहां पर इस बात को समझना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि जोखिम प्रबंधन के द्वारा जोखिम को कम किया तो जा सकता है, लेकिन शून्य नहीं किया जा सकता। प्रभावी जोखिम प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और आरक्षी निधि रहे ताकि इनकी शोधन क्षमता और स्थिरता के लिए अल्पावधि अथवा दीर्घावधि दोनों में ही कोई खतरा उत्पन्न हो। यदि बैंकों की रणनीतियां, कारोबारी मॉडल, योजना एवं परिचालन और जोखिम प्रबंधन कमजोर, अप्रयुक्त अथवा अप्रचलित या समष्टि आर्थिक परिवेश के अनुरुप नहीं है तो उनकी आय या तो कम होगी अथवा उन्हें नुकसान होगा। जोखिमों का प्रबंधन बैंकों के लिए प्रमुख है लेकिन अलग-अलग बैंकों में जोखिम प्रबंधन के तरीके जोखिम प्रतिलाभ के बीच के सहसंबंध के मूलभूत सिद्धांतों की दृष्टि से अलग-अलग भी हो सकते हैं। प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए स्वतंत्र और समर्पित जोखिम प्रबंधन कार्यनीति के साथ-साथ विशेषज्ञता और तकनीकी निपुणता भी आवश्यक है। बैंक जिन जोखिमों का सामना अपने दैनिक कामकाज में करते हैं उसका उल्लेख इस लेख में पहले ही किया जा चुका है, आइए अब चर्चा करें कुछ ऐसे उपायों की, जिन्हें अपना कर बैंक प्रभावी ढंग से इन जोखिमों का एक सुदृढ़ प्रबंधन कर सकते हैं:

1. **ऋण जोखिम प्रबंधन उपाय:** ऋण जोखिम बैंकिंग की सर्वाधिक सामान्य जोखिम होता है और संभाव्य हानियों के रूप में संभवतः सबसे महत्वपूर्ण भी। प्रमुख ग्राहकों में कुछ के द्वारा चूक किए जाने पर बहुत बड़ी हानि की संभावना होती है तथा आत्यंतिक मामले में इससे बैंक दिवालिया तक हो सकते हैं। इन कारणों के चलते ऋण जोखिम प्रबंधन की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बैंकों के ऋण प्रदान करने संबंधी परिचालन पूर्व-परिभाषित एवं सुदृढ़ प्रक्रिया के अंतर्गत होने चाहिए। वर्तमान ऋणियों की ऋणसीमा में वृद्धि बहुत सोच-विचार कर ही की जानी चाहिए। ऋण जोखिम प्रबंधन में ऋण जोखिम के सभी घटकों यथा चूक की संभावना (पी. डी.), ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि- लॉस गिवन डिफाल्ट (एल.जी.डी.) एवं एक्सपोज़र एट डिफ़ॉल्ट (ई.डी.) का अनुमान लगाने के मॉडल आंतरिक रुप से तैयार किए जाने चाहिए। गैरनिष्पादक आस्तियों को कम करने के लिए बैंकों को चाहिए कि वे अपने वसूली-तंत्र को सुदृढ़ बनाएं। आवधिक अंतराल पर वसूली शिविर लगाए जाएं और जहां आवश्यक हो, वसूली के लिए कार्यरत सरकारी एजेंसियों की मदद ली जाए। सिबिल के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान कर अपनी गैर-निष्पादक आस्तियों को कम करने के प्रयास करें। एकल ऋणियों अथवा ऋणियों के समूह के लिए विवेकपूर्ण जोखिम मानदंड, पर्याप्त जोखिम मानदंड और अप्रतिभूत जोखिमों की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। जोखिम का सही मूल्य निर्धारित करने के लिए बैंकों द्वारा ऋण खातों की डायनामिक क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए। रिटेल उधारकर्ता के निष्पादन की निगरानी व स्कोरिंग के लिए बैंक द्वारा बिहेवियर मॉडल विकसित किया जाना चाहिए। पूंजी संरक्षण और पूंजी पर अधिकतम आय प्राप्त करने पर अधिक ध्यान देने के लिए जोखिम आधारित बजट अर्थात आर.बी.बी का निर्धारण करना भी प्रारंभ करना चाहिए।

ऋण जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने वाले विविध जोखिमों के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं:

(i) **काउंटरपार्टी / प्रतिपक्ष चूक जोखिम प्रबंधन:** बैंकों के पास प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने ऋण जोखिम

निर्धारण मॉडल अथवा स्कोरिंग मॉडल का एक सुदृढ़ ढांचा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिपक्ष चूक जोखिम से बचाव करने के पंचसूत्र का पालन करना भी आवश्यक होता है। इस पंचसूत्र के घटक हैं: बुद्धिमतापूर्ण ऋण निर्णय, ऋण की उचित ब्याज दर, ऋण की राशनिंग, ऋण राशि का बिखराव ताकि धन का संकेन्द्रण न हो तथा औद्योगिक अनुसंधान जिससे मात्रात्मक जोखिम मापदंड निर्धारित किए जा सकें।

(ii) **प्रतिभूतिकरण जोखिम प्रबंधन :** प्रतिभूतिकरण तब घटित होता है जब एक कंपनी परिसंपत्तियों एवं प्राप्ति-योग्यों को एक समूह में रखती है तथा एक ट्रस्ट के माध्यम से बाज़ार में इकाइयों में बेचती है। नकदी प्रवाह सहित किसी भी परिसंपत्ति में प्रतिभूतिकरण हो सकता है। इन प्राप्तियों से प्रवाहित होने वाली नकदी का प्रयोग इन यूनिटों के धारकों को भुगतान हेतु किया जाता है। बैंक अक्सर यह कार्य इन परिसंपत्तियों को अपने तुलन पत्रों से हटाने एवं परिसंपत्ति के नकदीकरण में करते हैं। बैंक प्रतिभूतिकरण के क्षेत्र में "इंटरैस्ट ओनली स्ट्रिप" या "फर्स्ट लॉस पीस" का पालन करते हैं। ट्रस्ट द्वारा किया जाने वाला कोई भी भुगतान नियमित निवेशकों के लिए इस ब्याज से पूर्व किया जाना चाहिए। यह बैंकों को कुछ हद तक जोखिम से बचाता है तथा प्रतिभूतिकरण को और आकर्षक बनाता है।

(iii) **संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन :** भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम सीमाएं पूरे समूह द्वारा अपनाई जानी चाहिए। समेकित विवेकपूर्ण जोखिमों और समूह जोखिम घटकों की निगरानी भी नियमित रूप से की जानी चाहिए।

2. **बाज़ार दर जोखिम प्रबंधन:** बैंक के बाज़ार जोखिम प्रबंधन में जोखिम और उसकी मात्रा की पहचान, प्रतिरोधक उपायों निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली आदि शामिल है। बाज़ारगत जोखिम को नियंत्रित करने का कार्य विभिन्न सीमाएं बांधकर किया जाना चाहिए। नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन, मॉडिफाइड डयूरेशन, स्टॉप लॉस, मैनेजमेंट एक्शन ट्रिगर, कट लॉस ट्रिगर, कंसंट्रेशन एंड एक्सपोज़र लिमिट इन सीमाओं के उदाहरण हैं। वैल्यू एट रिस्क बैंक के व्यापार संविभाग की जोखिम पर निगरानी रखने का एक प्रभावी साधन है। इस प्रणाली को अनुपूरक के रूप में व्यापार संविभाग का हर तिमाही पर स्ट्रेस टेस्टिंग भी किया जाना चाहिए।

बाज़ार जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने वाले विविध जोखिमों के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं:

(i) **ब्याज दर जोखिम (आई.आर.आर.) प्रबंधन:** ब्याज दर जोखिम प्रबंधन प्रणाली ट्रेडिंग बही (जिन आस्तियों की नियमित रुप से ट्रेडिंग की जाती है और जो तरल स्वरुप की होती हैं) तथा बैंकिंग बही (जो आस्तियां सामान्यतया परिपक्वता तक रखी जाती हैं और जिनमें शायद ही कभी ट्रेडिंग की जाती हो) दोनों में मौजूद जोखिम एक्सपोजरों की माप तथा नियंत्रण से संबंधित है। आई.आर.आर. को चार वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है : पुनर्मूल्य निर्धारण जोखिम, आय वक्र जोखिम, आधार जोखिम तथा विकल्पता। इस जोखिम के प्रबंधन हेतु आवश्यक है कि एक्सपोजर पर समुचित नियंत्रण हो एवं लगातार इसकी निगरानी भी हो। बैंक के उच्च प्रबंधन तंत्र इस ओर विशेष ध्यान देकर तत्संबंधी नीतियाँ बनाएँ एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करें।

(ii) **इक्विटी जोखिम प्रबंधन :** इस प्रकार के जोखिमों के उचित प्रबंधन हेतु इक्विटी में निवेश के निर्णय हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें इक्विटी निवेश विशेषज्ञ ही सदस्य हों। इक्विटी में निवेश हेतु स्ट्रक्चर्ड नोट एवं बफर्ड नोट लिखतों जैसे जीरो कूपन बांड एवं पुट/ कॉल आप्शन/ फ्यूचर कांट्रेक्ट तथा स्वैप एग्रीमेंट के सम्मिश्रण से विवेकपूर्ण निवेश करने की नीतियों का पालन किया जाना बैंकों के लिए आवश्यक होना चाहिए।

(iii) **विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम प्रबंधन :** वस्तुत: जब तक हेजिंग अथवा विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन न हो, मुद्रा विनिमय संबंधी जोखिम की तलवार लटकते ही रहती है। अतएव समय रहते इनका जोखिम प्रबंधन हेजिंग लिखतों जैसे फॉरेन करेंसी फ्यूचर, फॉरेन करेंसी स्वैप, फॉरेन करेंसी

ऑप्शन्स, फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड कांट्रेक्ट आदि अपना कर किया जा सकता है।

3. **परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन :** भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह निर्देश जारी किया है कि वे परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार का आकलन करने हेतु मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण को अपनाएँ तथा अधिक परिष्कृत परिचालन जोखिम मापन प्रणालियों को विकसित करें। मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण के तहत बैंकों को पिछले तीन वर्ष में हुई सकल सकारात्मक वार्षिक आय के औसत का 15% परिचालन जोखिम के पूंजी प्रभार के रूप में रखना होता है। प्रणालियों और नियंत्रण व्यवस्थाओं की निरंतर समीक्षा, समस्त बैंकों में परिचालन जोखिम के प्रति जागरुकता लाना, जोखिम का उत्तरदायित्व तय करना, जोखिम प्रबंधन गतिविधियों का व्यवसायिक नीतियों के साथ तालमेल बिठाना और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना- यह सब बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति के प्रमुख तत्व होने चाहिए। परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति का उद्देश्य परिचालन जोखिम की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी, न्यूनीकरण एवं रिपोर्टिंग हेतु स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करनी होनी चाहिए। ऐसी जोखिम प्रबंधन प्रणाली जिसमे बैंकिंग व्यवसाय को परिभाषित करती हुई निम्नलिखित नीतियाँ शामिल हों:

- आंकड़ा नुकसान प्रबंधन नीति,
- बाहरी नुकसान आंकड़ा प्रबंधन नीति,
- सूचना सुरक्षा नीति (आई.एस.),
- सूचना प्रौद्योगिकी नीति (आई.टी.),
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी नीति (बी.सी.पी.),
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली नीति (बी.सी.एम.एस.),
- अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.) मानदंडों संबंधी नीति और धन शोधन निवारण (ए.एम.एल.) एवं आतंकवाद वित्तीय निवारक उपाय(सी.एफ.टी.) नीति,
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति,
- बीमा नीति,
- परिचालन जोखिम निर्वहन क्षमता संरचना नीति,
- परिवर्तन संबंधी संरचना नीति,
- पूंजी परिकलन संरचना नीति आदि

परिचालन जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने वाले विविध जोखिमों के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं

(i) **अनुपालन/ कानूनी जोखिम प्रबंधन:** व्यावसायिक बीमा, अनुपालन जोखिम/ कानूनी जोखिम को कम करने का एक साधन हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य उपाय जैसे समय-समय पर दस्तावेज़ीकरण तथा स्वीकृति संबंधित अन्य कागज़ात का सावधानीपूर्वक विश्लेषण आदि कर अनुपालन जोखिम को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। बैंकों द्वारा इम्पैनल्ड वकीलों/ लॉ फर्मों से समय-समय पर विचार-विमर्श करना भी वांछनीय होता है।

(ii) **प्रलेखीकरण जोखिम प्रबंधन:** नीति निर्धारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रलेखीकरण संपूर्ण रूप से सभी संबंधित बिंदुओं को समाहित करते हुए किया जाए। इस हेतु न केवल विशेषज्ञों की राय ही ली जाए अपितु सूचना प्रौद्योगिकी का भी अधिकतम अनुप्रयोग किया जाए। इस प्रकार के जोखिम प्रबंधन में जोखिम निर्वहन, जोखिम समूहन और जोखिम आधारित निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का समावेश होना चाहिए ताकि जोखिम की भूमिका को बदला जा सके और इसे व्यवसायिक ध्येय से जुड़ा रणनीतिक कार्य बनाया जा सके।

4. **चलनिधि जोखिम प्रबंधन :** चलनिधि जोखिम के अंतर्गत तरलता जोखिम पर नियंत्रण हेतु बैंकों के पास तीन विकल्प विद्यमान है आस्तियों एवं देयताओं पर नियंत्रण, स्थाई स्वरूप की निधियों के रूप में कोर-जमाओं में वृद्धि तथा तरलता आस्तियां जिन्हें तरलता संकट के दौरान भुगतान हेतु उपयोग किया जा सके। इस तरह के जोखिम- प्रबंधन हेतु तकनीकी उन्नयन के माध्यम से परियोजना डिजाइनिंग को व्यवसाय-

उन्मुखी एवं प्रभावशाली बनाया जाना आवश्यक है। इस जोखिम प्रबंधन में काफी समय लगता है क्योंकि इसमें कई प्रकार की प्रणालियों एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, फिर भी आंतरिक कार्यकुशलता में निरंतर वृद्धि तथा तीव्र परिवर्तनों के साथ गति मिलाकर चलने से सफलता प्राप्त की जा सकती है।

चलनिधि जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने वाले विविध जोखिमों के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं

1. **सावधि चलनिधि जोखिम प्रबंधन:** इस प्रकार के जोखिम प्रबंधन हेतु बैंकों के पास तरलता स्थिति की पहचान, मापन, निगरानी एवं नियंत्रण हेतु न केवल एक सांख्यकीय डाटाबेस हो वरन कंप्यूटरीकृत गणनाओं हेतु एक मज़बूत ढांचा भी हो। इन प्रणालियों की सहायता से भविष्य में, परिसंपत्तियों, देनदारियों और ऑफ-बैलेंस शीट आइटम से उत्पन्न होने वाले तरलता प्रवाह पर व्यापक रूप से निगरानी रखी जा सकती है।

2. **आहरण/ मांग जोखिम प्रबंधन:** बैंकों को एक मज़बूत तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचे को स्थापित करना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि बैंकों के पास पर्याप्त तरलता-कुशन हो। बैंकों के पास हर समय उच्च गुणवत्ता वाले एवं भार-रहित परिसंपत्तियों का एक ऐसा कोष रहे जो किसी भी स्थिति में उत्पन होने वाले आहरण/ मांग को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके।

3. **संरचनात्मक चलनिधि जोखिम प्रबंधन:** बैंकों के पास तरलता जोखिम की एक सुस्पष्ट नीति होनी चाहिए जिसकी समय-समय पर उच्च प्रबंधन द्वारा समीक्षा भी हो। फंडिंग के स्रोतों एवं समयावधि में पर्याप्त विविधीकरण हो ताकि किसी भी प्रकार के संरचनात्मक जोखिम का बखूबी सामना किया जा सके।

4. **आकस्मिक चलनिधि जोखिम प्रबंधन:** बैंकों के पास एक औपचारिक आकस्मिक निधियन योजना होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि आपातकालीन एवं आकस्मिक परिस्थितियों में बैंक अपनी देयताएं बिना किसी अवरोध के पूर्ण कर सकें। इस हेतु नीतियां इस प्रकार बनाये जाने कि आवश्यकता है कि ऐसी जोखिम प्रबंधन नीति किसी भी दबावपूर्ण स्थिति की कसौटी पर सफलतापूर्वक खरी उतरे।

5. **बाज़ार चलनिधि जोखिम प्रबंधन:** बैंकों हेतु आवश्यक है कि सक्रिय रूप से इंट्रा-डे तरलता स्थितियों के बारे में सजग रहें। भुगतान एवं निपटान प्रक्रियाओं के सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि बैंक सामान्य एवं दबावपूर्ण दोनों ही परिस्थितियों में अपनी देयताएँ पूर्ण कर सकें। बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे समय-समय पर अपनी संपार्श्विक प्रतिभूतियों की समीक्षा करते चलें ताकि दैनिक भुगतान में किसी प्रकार की समस्या न हो।

अन्य प्रकार के जोखिमों के प्रबंधन हेतु कतिपय सुझाव :

1. **रणनीतिगत जोखिम प्रबंधन:** रणनीतिगत जोखिम को निम्नांकित योजना बना कर प्रभावशाली ढंग से कम किया जा सकता है:

- ❖ व्यापारिक नीतियों एवं उद्देश्यों की स्पष्ट रूपरेखा एवं समय-समय पर समग्र समीक्षा करना।
- ❖ ऐच्छिक परिणामों को मापने हेतु मुख्य निष्पादन संकेतक (के.पी.आई.) का पालन करना।
- ❖ महत्वपूर्ण जोखिम संकेतकों (के.आर.आई.) और महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए सहिष्णुता स्तर (टॉलेरेंस लेवेल)की स्थापना करना।
- ❖ एकीकृत रिपोर्टिंग और निगरानी के उपाय करना।

2. **प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम प्रबंधन:** प्रतिष्ठा जोखिम प्रबंधन का एक मज़बूत ढांचा उद्यम-स्तर नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रतिष्ठा संबंधी आकस्मिक स्थितियों का विश्लेषण करने में मदद करता है। ऐसे उपायों में एक आदर्श स्थिति की अवधारणा और प्रतिष्ठा जोखिम को कम करने संबंधी रोडमैप शामिल होते हैं। जोखिम प्रबंधन के ऐसे ढांचे के निर्माण हेतु उच्च स्तरीय समिती/ प्रबंधन तत्संबंधी योजनाएं बनाते हैं एवं उसके नियंत्रण तथा कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं। इस

हेतु ऐतिहासिक आंकड़ों की समीक्षा और संबंधित उपकरण द्वारा प्रतिष्ठात्मक अस्थिरता और हितधारक अपेक्षाओं से जुड़े जोखिमों का अध्ययन भी किया जा सकता है।

3. पूंजीगत जोखिम प्रबंधन: पूंजीगत जोखिम प्रबंधन हेतु बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बासेल मानदंडों का कड़ाई से पालन करें। बासेल पूंजी विनियमावली सुधार उपायों का एक व्यापक सेट है जिसे बासेल समिति ने, बैंकिंग क्षेत्र में विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मज़बूत बनाने के लिए तैयार किया है। यह मानक वित्तीय एवं आर्थिक तनाव से निपटने में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता और जोखिम प्रबंधन में सुधार एवं बैंक की पारदर्शिता को मज़बूत बनाने की ओर केंद्रित हैं। बासेल I एवं II पूंजी विनियमावली मानदंड भारतीय बैंकों द्वारा पहले ही लागू किये जा चुके हैं अब इस कड़ी में अगला चरण है बासेल III मानदंड लागू करना। बासेल III पूंजी विनियमावली के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए बैंकों को अपनी पूंजी आयोजना प्रक्रियाओं में सुधार और मज़बूती लाने की आवश्यकता महसूस हुई है। पूंजी आयोजना का अभ्यास करते समय बैंकों को बदलती हुई समष्टि-आर्थिक परिस्थितियों के संभावित प्रभाव तथा विनियामक पूंजी की संरचना और पर्याप्तता संबंधी आवधिक दबाव परीक्षणों के परिणामों पर ध्यान देना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई बासल III पूंजी विनियमावली के अनुसार पूंजी संरक्षण बफर (सी.सी.बी.) को 31 मार्च 2015 से चरणबद्ध रूप से तथा 31 मार्च 2018 तक पूर्णतः लागू करना था, तदुपरांत यह निर्णय लिया गया कि बासल III पूंजी विनियमावली का पूर्ण कार्यान्वयन 31 मार्च 2019 तक किया जाएगा। बासेल III पूंजी विनियमावली के तहत संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं निम्नानुसार हैं :

संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(स्थानीय क्षेत्र के बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

(जोखिम भारित आस्तियों का प्रतिशत)

न्यूनतम पूंजी अनुपात	1 अप्रैल 2013	31 मार्च 2014	31 मार्च 2015	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019
न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1)	4.5	5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)	-	-	-	0.625	1.25	1.875	2.5
न्यूनतम सीईटी 1 + सीसीबी	4.5	5	5.5	6.125	6.75	7.375	8
न्यूनतम टियर 1 पूंजी	6	6.5	7	7	7	7	7
न्यूनतम कुल पूंजी*	9	9	9	9	9	9	9
न्यूनतम कुल पूंजी + सीसीबी	9	9	9	9.625	10.25	10.875	11.5
सीईटी 1 में सभी कटौतियों को क्रमशः लागू करना (% में) #	20	40	60	80	100	100	100

* 9% की न्यूनतम कुल पूंजी अपेक्षा तथा टियर 1 अपेक्षा के बीच के अंतर को पूंजी के टियर 2 और उच्चतर रूपों से पूरा किया जा सकता है।
# अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 पूंजी में से कटौतियों के लिए इसी प्रकार की संक्रमण प्रणाली लागू होगी।

इसके अलावा बासेल III मानदंडों के तहत पर्याप्त पूंजी के संबंध में बफर की व्यवस्था भी की गई है, जो आकस्मिक स्थितियों में आघात वहन कर सके। इसके लिए न्यूनतम 8% कुल पूंजी के ऊपर 2.5% पूंजी प्रतिरक्षण बफर की व्यवस्था की गई है। प्रतिरक्षण बफर के अलावा बैंकों को पूंजी के 2.5% तक प्रतिचक्रीय बफर भी रखना होगा जिसका उद्देश्य अत्यधिक साख सृजन की अवधि में बैंकों की रक्षा करना है। बासेल III में लीवरेज अनुपात की भी व्यवस्था है जो बैंकों के ऋण-संपत्ति अनुपात को प्रदर्शित करता है।

4. अर्जन जोखिम प्रबंधन: बैंकों को चाहिए कि वे अर्जन संरचना में पर्याप्त विविधता रखें। इस हेतु आवश्यक है कि समय की मांग को समझते-बूझते हुए नवोन्मेष किए जायें साथ ही साथ इन नवोन्मेषों के बारे में पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि ग्राहकों को इस विषय में जानकारी प्राप्त हो। लाभप्रदता को पर्याप्त एवं अंतिम स्तर तक पहुँचाने हेतु यह भी आवश्यक है कि बैंक समय-समय पर अपने प्रचलित उत्पाद एवं सेवाओं में भी यथोचित परिवर्तन करते चलें।

5. आउटसोर्सिंग जोखिम: एक प्रभावी आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधम में निम्नांकित बिंदु अपनाए जा सकते हैं:

- ✓ जोखिम स्रोत का पूर्ण मूल्यांकन,
- ✓ नियंत्रण परिभाषा,
- ✓ आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधन जवाबदेही के साथ संरेखित होना चाहिए,
- ✓ ऐसा जोखिम प्रबंधन आउटसोर्सिंग गवर्नेंस फ़ंक्शन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। साथ ही तत्संबंधी बैठकों में भी एक मुख्य एजेंडे के रूप में शामिल होना चाहिए।

जोखिम नियंत्रण हेतु बैंक कर्मचारियों का ज्ञान-प्रबंधन: सभी प्रकारों के जोखिमों को रोकने और निवारण के उपाय के रूप में जागरूकता का अपना एक विशेष महत्व है। बैंकों में प्रशिक्षण के माध्यम से सकारात्मक सोच, प्रबंधन एवं कौशल आदि के ज्ञान का विकास करते रहना, मस्तिष्क रूपी औजार को ज्ञान रूपी पत्थर के माध्यम से धारदार बनाए रखने हेतु प्रयत्नशील रहना ही ज्ञान प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान प्रबंधन का सीधा संबंध जोखिम जागरूकता से स्थापित होता है एवं ज्ञान में अग्रणी बने रहना काफी हद तक जोखिम को कम करने का एक स्थाई समाधान होता है। बैंक के उच्च प्रबंधन के लिए भी यह आवश्यक है कि वह जोखिम के मूल्यांकन एवं प्रबंधन के साथ इसके न्यूनीकरण पर अत्यधिक बल दें और समय-समय पर अपने कर्मचारियों को इस हेतु प्रशिक्षित भी करते रहें। बैंकों में विद्यमान विविध प्रकार के जोखिम कम करने के अन्य उपायों में जोखिम जागरूकता की दृष्टि से निम्नलिखित बिन्दुओं को भी नकारा नहीं जा सकता है :

1. के.वाई.सी. (अपने ग्राहक को जानिए),
2. सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा संबंधी नीति,
3. व्हिसल ब्लोवर पॉलिसी,
4. ई-गवर्नेंस,
5. भ्रष्टाचार निवारक गतिविधियां,
6. धन-शोधन पर रोक संबंधी गतिविधियां,
7. ऑनलाइन लेनदेन को बढावा,
8. कई प्रकार की जांच के स्तरों का निर्माण करना,
9. सूचना का अधिकार,
10. सतर्कता जागरूकता,
11. बासेल दिशा-निर्देशों का उचित अनुपालन,
12. स्टाफ-ग्राहक संबंध में बढ़ोतरी एवं उत्तम ग्राहक सेवा,
13. जोखिम कम करने समय समन्वित प्रयास,
14. अभिलेखों का उचित रख-रखाव,
15. उचित समय प्रबंधन,
16. तनाव रहित मानव संसाधन का दोहन सुनिश्चित करना,
17. नियमित अंतराल में शाखा परिदर्शन के साथ आकस्मिक निरीक्षण,
18. पुलिस, जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन से उचित संपर्क,
19. नियमित अंतराल पर जोखिम निवारक संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन,
20. जोखिम होने के पश्चात डिजास्टर मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना तथा बिजनेस कंटीन्यूटी प्लान बनाना,
21. बायोमैट्रिक तकनीक का सही उपयोग,
22. डिजिटल प्रमाण पत्र, डिजिटल हस्ताक्षर आदि के माध्यम से जोखिम निवारण,
23. फायरवाल तथा एंटी वायरस संबंधी साफ्टवेयरों का संस्थापन,
24. हैकिंग, फार्मिंग, फिशिंग, मालवेयर, विशिंग, स्कीमिंग, क्लोनिंग एवं सोशल इंजीनियरिंग आदि से बचने के लिए क्या करें क्या न करें (Do's and Don'ts) की ग्राहकों एवं स्टाफ को जानकारी,
25. पिन एवं पासवर्ड सुरक्षा, डेस्कटाप सुरक्षा, मोबाइल सुरक्षा, ऑनलाइन बैंकिंग सुरक्षा, ई-मेल सुरक्षा के उपाय आदि।

निष्कर्ष:

वस्तुतः भारतीय बैंकिंग प्रणाली अनेक उतार-चढ़ावों, बाधाओं, अपवादों एवं हादसों के उपरांत भी एक सक्षम तंत्र की कसौटी पर खरी उतरी है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के पास सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन की ऐसी मज़बूत प्रणाली है, जो स्वयं को बदलते परिवेश के अनुसार ढाल सकती है। जोखिम प्रबंधन वस्तुतः बैंकों की लाभप्रदता का केन्द्र बिंदु है, उसकी धुरी है। वित्तीय पर्यावरण के अंतर्गत त्वरित रुप से बदलते

बैंकिंग परिदृश्य में अविनियमीकरण के व्यापक प्रारूप में जोखिम प्रबंधन तथा लाभ-योजना के मध्य एक स्वाभाविक एवं रुचिप्रद सहसंबंध दिखाई देता है। नई आर्थिक व्यवस्था से जनित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारतीय बैंकिंग व्यवसाय में भी नवोन्मेष किए जा रहे हैं तथा दिन प्रतिदिन बदलती तकनीकों का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा है। जहाँ व्यवसाय के यह नए क्षितिज लाभप्रदता की असीम संभावनाओं को साथ ले कर आये, वहीं इन परिवर्तनों के साथ कई नए प्रकार के जोखिमों के लिए भी द्वार खुल गए हैं। किसी जोखिम की पहचान हो जाने पर बैंक के समक्ष यही विकल्प रह जाता है कि वह कुछ प्रभावी कार्यवाही करें ताकि उस विशिष्ट जोखिमपूर्ण घटना के कारण होने वाली हानि को कम किया या रोका जा सके। यदि समय रहते जोखिम प्रबंधन के समुचित कदम नहीं उठाए गए तो इन परिवर्तनों से जुड़े जोखिम भावी आघात-सहनीयता को समाप्त कर सकते हैं।

"वास्तव में सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ही बैंकिंग में सफलता का एकमात्र आवश्यक तत्व है।"

- एलन ग्रीनस्पान (अर्थशास्त्री एवं फेडेरल रिज़र्व सिस्टम अमेरिका के भूतपूर्व अध्यक्ष)

जोखिम को समझना और उसका प्रबंधन करने की सीख लेना किसी भी युग में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में अस्तित्व का मूलमंत्र रहा है। बैंक जन विश्वास की नींव पर कार्य करते हैं और इस विश्वास में थोड़ी सी भी कमी बैंकों पर से जनता का विश्वास उठा सकती है। वैश्विक आर्थिक संकट ने हमें सिखाया है कि कोई भी वित्तीय संस्था सभी संभावित संकटों या जोखिमों से प्रतिरोधी नहीं हो सकती है साथ ही कोई भी संख्यावाची मॉडल सभी जोखिमों को पूरी तरह से समाहित नहीं कर सकता है। सावधानी, रोकथाम, संरक्षण, परीक्षण एवं दृढ़ता- यह पंचतत्व सशक्त एवं सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन के मूलाधार हैं। बैंकों को चाहिए कि वह अपने दैनिक कार्य-कलापों में जोखिम प्रबंधन के इन पंचसूत्रों को इस प्रकार से अंगीकार करें कि जोखिम सजगता सांगठनिक संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन जाये। यह भी स्मरणीय रहे कि जोखिम प्रबंधन गंतव्य नहीं अपितु एक यात्रा है अर्थात यह एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं वरन आजीवन अपनाई जाने वाली ऐसी पद्धति है जिसे बार-बार लागू किया जाना आवश्यक होता है।

बैंकों द्वारा लाभप्रदता में अपेक्षित वृद्धि, परिचालनीय कार्यकुशलता, अंशधारकों के मूल्यों में संवर्धन तथा पणधारियों के विश्वास को सुदृढ़ करने हेतु बैंकों के लिए जोखिम की भली भांति पहचान करना, तत्पश्चात उन्हें परिभाषित करना तथा मानव शक्ति में पूर्णरूपेण जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से जोखिम प्रबंधन का अपना विशिष्ट महत्व है। वित्तीय शक्ति के रूप में बैंकों द्वारा खोये हुए धरातल को पुन: प्राप्त करने हेतु व प्रभावशाली परिमाणात्मक विस्तार के समानांतर लाभ की दिशा में नित्य-प्रति बदलती बैंकिंग में जोखिम प्रबंधन का निश्चित रूप से कोई स्थानापन्न नहीं है।

संदर्भ:

1. विकिपीडिया एवं गूगल,
2. विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम "बैंक अभिशासन: वित्तीय संकट से सीख",
3. दि जर्नल ऑफ लेंडिंग एंड क्रेडिट रिस्क मेनेजमेंट ,
4. भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट,
5. जोखिम प्रबंधन पर विभिन्न शोध पत्र (अंग्रेजी),
6. भारतीय स्टेट बैंक की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2016-17,
7. रिस्क मैट्रिक्स ग्रुप 1999, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिकल गाइड,
8. अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक 2000, रेंज ऑफ़ प्रैक्टिसेज इन बैंक्स इंटरनल रेटिंग सिस्टम,
9. अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक 2005 स्ट्रेस टेस्ट इन मेजर फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन सर्वे रिसर्च एंड प्रैक्टिसेज आदि।

बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) का प्रभाव

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से तात्पर्य

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सिस्टम के जरिए 1997 में शतरंज के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शुमार गैरी कास्पोरोव को भी हराया जा चुका है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना है- 1) आर्टिफिशियल जिसका मतलब होता है ऐसी वस्तु जो प्राकृतिक नहीं हो मतलब कि उसे मानव के द्वारा बनाया गया हो या कहें कि कृत्रिम हो। 2) इंटेलिजेंस - इससे तात्पर्य है सोचने, समझने एवं सीखने की योग्यता।

डॉ. सावित्री सिंह
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलूरु

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे करता है काम

1. इंसान की तरह सोचना
2. इंसान की तरह व्यवहार करना
3. तथ्यों को समझना एवं तर्क एवं विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया देना।

जब से कंप्यूटरों का आविष्कार हुआ है तब से मनुष्यों ने बढ़-चढ़कर इसका इस्तेमाल अपने सभी कार्यों में करना आरंभ कर दिया। आज इन मशीनों पर हमारी निर्भरता अधिकाधिक बढ़ती ही जा रही है। नित नये आविष्कारों से इन मशीनों की कार्यक्षमता में सतत सुधार जारी है। इनकी गति, आकार एवं कार्य करने की क्षमता में सतत सुधार के पीछे उद्देश्य यही है कि मनुष्य के अधिकाधिक कामों को तेज गति, सटीकता एवं सरलतापूर्वक संपन्न किया जा सके।

'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' अथवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कहे जानेवाले अमेरिकन कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी के अनुसार, 'यह बुद्धिमान (इंटैलिजेंट) मशीनों, विशेषकर इंटेलिजेंट कंप्यूटर कार्यक्रमों, के निर्माण की इंजीनियरिंग एवं विज्ञान है'। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम दिमाग एक ऐसा सिमुलेशन है जिसमें मशीनों को इंसानी बुद्धिमत्ता दी जाती है अर्थात उनकी इस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है कि वे इंसानों की तरह सोच सकें और काम कर सकें।

विशेष तौर पर ऐसा कंप्यूटर प्रणाली में किया जाता है जिसमें तीन प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहली प्रक्रिया है, सीखना या Learning – इसमें मशीनों के दिमाग में जानकारी डाली जाती है या फीड की जाती है। साथ ही साथ ही कुछ नियमों को भी इसके साथ जोड़ दिया जाता है ताकि उन शर्तों के पूरा होने

के बाद ही वे जानकारी दूसरों को देने में सक्षम हो सकें। दूसरी प्रक्रिया है विवेकशीलता या Reasoning – इसमें मशीनों को इस आशय के निर्देश दिए जाते हैं कि वे निर्धारित नियमों एवं शर्तों का पालन करने के बाद ही निर्णय पर पहुंचे और एक निश्चित परिणाम को सामने लाएं। तीसरी और आखिरी प्रक्रिया है स्व-सुधार या self–correction अर्थात निर्धारित परिणाम तक पहुंचने में आवश्यकतानुसार वे स्व-सुधार भी कर सकें।

इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य है मशीनों को इस तरह से विकसित करना कि वे मनुष्यों की तरह किसी भी समस्या का पहले अध्ययन करें फिर उसे सुलझाने के उपायों को तय करें और अंतत: उस समस्या का हल सामने लाएं या वांछित परिणाम प्रस्तुत करें। दूसे शब्दों में कहा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुछ नहीं बल्कि ऐसी बुद्धिमान मशीनों की संरचना करना है जो इंसानी दिमाग की तरह सोच-समझकर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सके।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का सबसे फायदेमंद इस्तेमाल वित्तीय या बैंकिंग जगत में किया गया है। आज की तारीख में लगभग सभी वित्तीय संस्थाएं बाज़ार की प्रतिस्पर्धा से निपटने एवं ग्राहक की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इस तकनीक का सहारा ले रही हैं।

बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गुंजाइश

ग्राहक जुड़ाव

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की स्वाभाविक भाषा को समझने की क्षमता से ग्राहकों की प्राथमिक जिज्ञासाओं का तत्परतापूर्वक समाधान कर उन्हें बैंकिंग एवं वित्त जगत से जोड़ने में तेजी लाई जा सकती है। स्वाभाविक भाषा के खोजी इंजन एवं चैटबॉट्स ग्राहकों की भाषा को समझकर तत्काल संभाषणात्मक सरल भाषा में उनकी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। इस तरह से ग्राहक अपनी भाषा में मशीन से संवाद स्थापित कर उसे जो जानकारी चाहिए उसे हासिल कर सकते हैं। इससे ग्राहकों को अत्यंत उपयोगी जानकारी भी प्रदान की जा सकती है, जैसे कि अपनी बचत के मुकाबले वे खर्च पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन सी वित्तीय सेवाओं को अपनाएं। इसके पीछे मंशा यह है कि ग्राहक वित्तीय शंकाओं के समाधान के लिए कॉल सेंटर से संपर्क करें उससे पहले ही उन्हें संबंधित जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। इसका आदर्श उदाहरण है कोटक महिंद्रा बैंक का 811 एप जिसमें बैंक में खाता खोलने से लेकर ब्याज दर एवं अन्य विकल्पों की पूरी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है।

उत्पादकता में बढ़ोतरी

आवाज की पहचान स्थापित कर संवाद कायम करने की मशीनी क्षमता नए ग्राहकों के सत्यापन की उबाऊ एवं दोहराव वाली प्रक्रिया से वित्तीय संगठनों को निजात दिलाने में अहम भूमिका निभा रही है। अब इसका ध्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपकरण रख रहे हैं जिसके फलस्वरूप उपलब्ध मानव बल को अन्य उत्पादक कार्यों में लगाया जा रहा है और इस तरह मानव संसाधन का बेहतर एवं सक्षम उपयोग सुनिश्चित हो सका है। परिणामत: संस्था की उत्पादकता में इज़ाफा होने के साथ ही लागत में कमी आ रही है और अंतत: समग्र लाभप्रदता में सुधार हो रहा है।

एएमएल प्रतिमान की खोज

धन शोधन निवारक एप्लिकेशन को कुछ ऐसे नियमों, प्रक्रिया, कानूनों एवं अधिनियमों को समाहित कर तैयार किया गया है जिससे वित्तीय संस्थान गैर-कानूनी तरीके से आनेवाली आय का पता लगा सकते हैं।

चैटबॉट्स

चैटबॉट एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सुनकर अथवा पढ़कर वार्तालाप करता है। वार्तालाप में दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ जिस तरह से बर्ताव करते हैं उसी के समान ऐसे प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। संभाषणात्मक प्रणाली में चैटबॉट्स का प्रयोग किया जाता है।

चैटबॉट्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे मनुष्यों की तरह सोच सकते हैं। यह पूछी गई जानकारी के अनुसार चैट सपोर्ट सिस्टम को स्वयं शुरू कर देता है और सर्वाधिक उपयुक्त जवाब के द्वारा ग्राहक की शंका का निवारण करता है।

एलगोरिथम ट्रेडिंग

हमारे दैनिक जीवन का हर कार्य एक समस्या का ही रूप होता है जिसे हमें एक निश्चित क्रम में विभिन्न चरणों के एक समूह में बांटकर पूरा करते हैं। एलगोरिथम ट्रेडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अधिकतर वित्तीय कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली अर्थात कंप्यूटरों के माध्यम से स्वचालित तरीके से कारोबारी ट्रेडिंग करती हैं अर्थात कंप्यूटर स्वयं बाज़ार की जानकारी प्राप्त कर उसके आधार पर लेन-देन की प्रतिक्रिया को अंजाम देता है।

बैंकों के परिचालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की संभावनाएं

कई बैंकों ने अपने परिचालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़े पैमाने पर अपना लिया है तो अधिकांश ने इसे अपनाने की संभावनाओं पर काम करना शुरु कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाकर बैंकों ने अपनी परिचालन प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया है जिससे लागत में कमी एवं जवाबी कार्रवाई में तेजी आई है। कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, भुगतान बैंक, बीमा कंपनियां, बीमा परामर्शदात्री कंपनियां एवं ऑनलाइन वित्तीय सेवा प्रदाता भी अपनी परिचालनगत प्रक्रियाओं को अपग्रेड करने की दिशा में जुट गए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सिबिल, एनपीसीएल, मुरुगप्पा ग्रुप, डॉ रेड्डीस लैब, नोवारटीस एंड एटी एंड टी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की सुविधा उपलब्ध करानेवाली कंपनी क्वाड्राटिक इनसाइट्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीराम के. वी. मूर्ति के अनुसार *'यह अनुमान लगाना अनुचित नहीं होगा कि अगले पांच वर्षों के दौरान भारत के ज्यादातर मझोले एवं बड़े सरकारी एवं निजी बैंकों में पर्याप्त डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग की पहल प्रतिष्ठापित हो चुकी होगी'।*

बैंकों का परिचालन कई सारी प्रक्रियाओं एवं डाटा आकलन पर निर्भर करता है। जैसे कि खाता खोलते समय एक ग्राहक को कई फार्म भरने पड़ते हैं एवं उनके समर्थन में दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होते हैं। बैंक इस डाटा की संवीक्षा करने के बाद ही ग्राहक का खाता खोलता है। उसी तरह से ऋण मंजूर करने में भी कई सारी कागजी कार्रवाई एवं अनुमोदन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। इन सारी प्रक्रियाओं में समय एवं मानव श्रम दोनों ही ज्यादा लग जाते हैं। अब बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाकर इन प्रक्रियाओं को सरल एवं सहज बनाकर कार्य में तेजी लाने में जुट गए हैं। ग्राहकों के साथ सहज संवाद स्थापित कर बैंक उनसे अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने में सफल हुए हैं और उनकी पैठ में भी इज़ाफा हुआ है। इसके अलावा बैंकों की लोकप्रियता को बढ़ाने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

भारतीय बैंकिंग चैटबॉट्स की बढ़ती लोकप्रियता

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अपनाई गई कुछ प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल इस प्रकार हैं-

1. *भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आईबीएम वॉटसन (IBM Watson) का प्रयोग*

भारतीय स्टेट बैंक के नए डिजिटल प्लेटफार्म 'एसबीआई इन टच' में व्यापक तौर पर 'चैट बॉट्स' एवं 'आईबीएम वॉटसन' जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कई सारे कामों में किया जा रहा है, विशेषकर ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने में।

2. *यस बैंक की पेजो (Payjo) के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल पहल*

यस बैंक ने पेजो के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है। पेजो सिलिकॉन वैली,

कैलिफोर्निया से बाहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक प्रमुख बैंकिंग प्लेटफार्म है। कंपनी का कहना है कि 'यस पे बॉट' वॉलेट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पहला बॉट होगा और यह पहले से ही लोकप्रिय एवं पांच लाख से ज्यादा लोगों की विश्वासपात्र बन चुकी 'यस पे वॉलेट सेवा' को और मज़बूती प्रदान करेगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 'यस पे बॉट' सेवा न केवल 'मित्रवत चैट' के साथ वित्तीय लेन-देन करती है अपितु ग्राहकों की बैंकिंग जिज्ञासाओं एवं अनुरोध का आपसी वार्तालाप परक तरीके से समाधान भी प्रस्तुत करती है। इसकी तकनीक इसे तत्पर एवं व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देने एवं लेन-देन के तत्काल समाधान में सक्षम बनाती है।

3. *यस बैंक का 'यस टैग' (YES TAG) चैटबॉट*

ग्राहक इसकी मदद से पांच अलग-अलग मैसेजिंग एप के जरिए अपना खाता शेष, मिनी स्टेटमेंट, मीयादी जमा ब्योरा, चेक की स्थिति जान सकते हैं और धन के अंतरण के साथ ही कई अन्य कार्य भी कर सकते हैं। वर्तमान में यह एंड्रायड पर उपलब्ध है और जल्द ही एपल एप स्टोर में भी उपलब्ध हो जाएगा।

4. *आईसीआईसीआई बैंक का साफ्टवेयर रोबोटिक्स पर भरोसा*

भारत के इस प्रमुख निजी बैंक ने अपने बैंकिंग परिचालनों को मज़बूती प्रदान करने के उद्देश्य से सितंबर 2016 में ही 'साफ्टवेयर रोबोटिक्स प्लेटफार्म' की शुरुआत कर दी थी। इसे 200 से अधिक कारोबारी प्रक्रियाओं में अलग-अलग कार्यों के लिए लगाया गया है जिससे दोहराव वाले एवं बड़ी संख्या वाले लेन-देनों को स्वचालित करने में मदद मिली है। इसमें आंतरिक रूप से सुधार करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई खोजों जैसे कि चेहरा एवं आवाज से पहचान स्थापित करना, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण, मशीन लर्निंग एवं बॉट्स के लाभों को भी शामिल किया गया है।

5. *डीबीएस का 'डिजिबैंक' (DIgibank)*

एशिया के सबसे बड़े बैंक, डीबीएस बैंक की पेशकश 'डिजिबैंक' भारत का पहला चैटबॉट आधारित मोबाइल बैंक है जो बैंकिंग से जुड़ी सभी शंकाओं का तत्काल समाधान प्रस्तुत करता है। यह चैटबॉट न्यूयार्क की स्टार्ट-अप कंपनी 'कासिस्टो' द्वारा संचालित है जिसमें 'केएआई' नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म है जो ग्राहक द्वारा बैंकिंग से संबंधित पूछी जा सकनेवाली समस्त शंकाओं एवं उनके समाधान से लैस है।

6. *एक्सिस बैंक का 'एक्टिव.एआई' (Active.ai) की भागीदारी में इंटैलिजेंट बैंकिंग चैटबॉट*

एक्सिस बैंक ने इंटैलिजेंट बैंकिंग को उपलब्ध कराने के ध्येय से सिंगापुर स्थित 'एक्टिव.एआई' की भागीदारी में ग्राहकों के लिए वार्तालाप परक इंटरफेस के रूप में मोबाइल बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने की पहल की है। प्रयोक्ता, बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप एवं मैसेजिंग सेवा के जरिए चैट कर सकते हैं और इस तरह से ग्राहकों को सरल वार्तालाप परक इंटरफेस उपलब्ध हो गया है।

7. *एचडीएफसी बैंक द्वारा 'निकी.एआई' के संग 'ऑनचैट' (OnChat) का आरंभ*

एचडीएफसी ने 'निकी.एआई' के साथ मिलकर 'ऑनचैट' नामक वार्तालाप परक बैंकिंग चैटबॉट की शुरुआत की है जिससे ई-कॉमर्स एवं बैंकिंग लेन-देन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इस समय एचडीएफसी चैटबॉट फेसबुक मैसेंजर पर हर किसी को उपलब्ध है न कि केवल एचडीएफसी खाताधारकों को। प्रयोक्ता इसकी मदद से अपने फोन को रिचार्ज कर सकते हैं, टैक्सी बुक कर सकते हैं, उपभोक्ता बिलों का भुगतान इ. भी कर सकते हैं।

8. *एचडीएफसी का दूसरा वार्तालाप परक चैटबॉट- ईवीए (EVA)*

एचडीएफसी बैंक का विशेष रूप से ग्राहक सेवा के लिए ईवीए नामक चैटबॉट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित इलेक्ट्रानिक वर्चुअल असिस्टेंट है। यह चैटबॉट विविध माध्यमों

के जरिए मिलनेवाली ग्राहकों की लाखों शंकाओं का समाधान कर सकता है। यह चैटबॉट बेंगलूरु के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट-अप 'सेंसफोर्थ' द्वारा संचालित है।

9. *ऋण उत्पादों के लिए यस बैंक का 'एमपावर' (mPower) चैटबॉट*

यस बैंक ने एक प्रमुख बॉट प्लेटफार्म 'गपशप' की भागीदारी में ऋण उत्पादों के लिए एक बैंकिंग चैटबॉट 'यस एमपावर' लांच किया है। इसकी सहायता से ग्राहक यस बैंक के ऋण उत्पादों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। यस एमपावर ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण, ऑटो ऋण, शेयरों पर ऋण और पुरानी कार पर ऋण के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

10. *सिटी यूनियन बैंक का 'लक्ष्मी बॉट'*

सिटी यूनियन बैंक का मानव सदृश्य लक्ष्मी बॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक मित्रवत रोबोट है जो ग्राहकों के साथ 125 से ज्यादा विषयों पर वार्तालाप कर सकता है जिसमें ऋणों की मौजूदा ब्याज दर, खाता शेष एवं अन्य लेन-देन परक जानकारी शामिल है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे

पिछले दिनों फेसबुक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अपना चैटबाक्स बंद कर देना पड़ा। वजह थी चैटबाक्स का ऐसी भाषा में बात करने लग पड़ना जो वैज्ञानिकों की समझ से भी परे थी और तभी से इंसान बनाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहस छिड़ गयी है। दरअसल फेसबुक अपने एआई रिसर्च लैब (FAIR) में मशीन लर्निंग ऐलगॉरिथम्स का इस्तेमाल करते हुए यह कोशिश कर रहा था कि ये चैटबॉट्स ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकें। इस दौरान रिसर्चरों ने पाया कि ये चैटबॉट्स एक ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जो उन्होंने (चैटबॉट्स ने) खुद बनाई थी और वो भाषा इंसानी समझ से बाहर थी। इन बॉट्स का अपनी भाषा में बात करना इस बात का साफ संकेत दे रहा था कि अब ये इस हैसियत में आ गए हैं कि इंसानी सत्ता को मात दे सकें। लिहाजा नतीजा यह हुआ कि इसे एक खतरा मानते हुए फेसबुक ने आनन-फानन में इस एआई सिस्टम को बंद कर दिया।

बिल गेट्स का मानना है कि यदि हम अपने से बेहतर सोचवाली मशीन बना लेंगे तो वह मानव जाति के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा अत: हमें एआई के इस्तेमाल में बेहद सावधान रहना चाहिए। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। बतौर मस्क, इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता वाले कंप्यूटर नकली खबर या जानकारी से छेड़छाड़ कर युद्ध शुरू कर सकते हैं। मस्क ने 'न्यूरालिंक' स्टार्टअप शुरू किया है, जिसमें मशीनों से बराबरी के लिए इंसानी दिमाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले डिवाइस इम्प्लांट किए जा सकेंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वर्ल्ड बैंक, मैकेंजी, गार्टनर जैसी संस्थाओं की बात को पूरी दुनिया में काफी गंभीरता से लिया जाता है। इस वक्त ये सब मिलकर कुछ ऐसा कह रही है जिससे माथे पर बल पड़ सकते हैं। इनका और इनके जैसी कुछ और संस्थाओं का कहना है कि एआई यानि आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस के चलते दुनिया भर में नौकरियों पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है, जाहिर सी बात है कि हम भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। टेक्नोलॉजी से जुड़ी नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा है और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो सकते हैं।

दरअसल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल बढ़ा है। मौजूदा समय में ऑटोमेशन का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है जिसके कारण रोबोट कर्मचारियों की जगह ले रहा है। साल 2021 तक करीब 6.4 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं जिसमें आईटी, बीपीओ सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। साथ ही लो स्किल, हाई ट्रांजैक्शन नौकरियों पर असर पड़ेगा जबकि कम स्किल वाले कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। साल 2021 तक टेक्नोलॉजी 10 में से 4 नौकरी लेगी यानि 70 फीसदी काम मशीनें करेंगी। वर्ल्ड बैंक, मैकेंजी, गार्टनर जैसी संस्थाओं के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आईटी, बीपीओ, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्रों में रोजगार पर असर पड़ सकता है।

इन मशीनों से इंसानों के पिछड़ जाने का खतरा उस वक़्त पैदा होता है जब इस तरह की आर्टिफिशल इंटेलिजेंस उन मशीनों

में खुद ही अपने हालात के मुताबिक काम करने की क्षमता को विकसित कर देती है। कंप्यूटर विशेषज्ञ और वैज्ञानिक के मुताबिक फिलहाल AI का सामर्थ्य इसकी प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है। ऐसे में यदि फैक्ट्रियों और घरों में काम करने वाले एआई से लैस मशीन या रोबॉट को अचानक किसी घटना से जूझना पड़े तो वैसी स्थिति में वह नाकाम हो जाता है क्योंकि हर आपातकाल घटना की पहले से प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती लेकिन भविष्य में इस बात की संभावनाएं हैं। कुछ ऐसी अक्लमंद मशीनें बनेंगी जो इंसानों की तरह ही सोचना-समझना शुरू कर देंगी लेकिन ऐसा होने में कम से कम अभी सौ साल लगेंगे। इतना समय इसलिए लगेगा क्योंकि इंसान बहुत थोड़ी जानकारी के सहारे बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन कंप्यूटर को उतना ही सीखने के लिए बहुत ज्यादा डेटा और बेहद कुशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है।

भारतीय बैंकिंग जगत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य

भारत की एक प्रमुख यात्रा सर्च साइट ixigo के संस्थापक श्री आलोक बाजपेयी के अनुसार, 'करोड़ों तक पहुंच बनानेवाले फेसबुक मैसेंजर और वट्सएप जैसे प्लेटफार्मों की मौजूदगी ने चैट आधारित जानकारी एवं वाणिज्य के प्रसार को पंख लगा दिए हैं।' जुनिपर शोध का अनुमान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाकर कंपनियों ने वर्ष 2017 में 20 मिलियन तक बचत करने में सफलता पाई है जो वर्ष 2022 तक प्रतिवर्ष 8 बिलियन अमेरिकी डालर के आंकड़े को छू सकता है। संस्थानों को चैटबॉट में निवेश के साथ ही उसमें समेकित जानकारी उपलब्ध कराने एवं 'पर्सनल टच' प्रदान करने पर ध्यान देना होगा।

बैंकिंग एवं वित्त जगत में तेजी से बदलाव घटित हो रहे हैं और इन बदलावों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रमुख परिवर्तनकारी घटक के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। इससे बैंकिंग में आमूल-चूल परिवर्तन की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कोर बैंकिंग, परिचालनगत दक्षता, ग्राहक उन्मुख सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कई समाधान पहले ही लागू किए जा चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन से बैंकिंग केवल एप, वेबसाइट अथवा शाखा आधारित नहीं रह गई है अपितु यह ग्राहकों के लिए एक संपूर्ण नया आनंददायक अनुभव बन चुकी है।

यह कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग क्षेत्र में अभी अपने शैशवावस्था से गुजर रहा है। आगे चलकर बैंकिंग जगत में इसकी वजह से संप्रेषण, ग्राहक सेवा, भर्तियों एवं धन-संपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कई बदलाव सामने आएंगे। जहां बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद है वहां मोबाइल बैंकिंग जैसे एप ग्राहक सेवा को उत्कृष्ट बना रहे हैं। इसकी अनुपस्थिति में मिस कॉल सर्विस, एसएमएस/टोल फ्री बैंकिंग सेवाएं ग्राहकों के द्वार पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही संभव हो पा रहा है। बैंक इसकी मदद से व्यापक पैमाने पर कम परिचालन लागत पर आंतरिक ग्राहकों के साथ-साथ बाहरी व्यक्तियों को भी एकसमान रूप से ग्राहक सेवाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं।

सार रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय बैंकिंग जगत आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंदोलन के द्वार पर खड़ा है। लागत में कमी और बेहतर ग्राहक सेवा इस आंदोलन के दो प्रमुख परिणाम हैं जो एक सुदृढ़ एवं लाभप्रद बैंकिंग प्रणाली की आधारशिला हैं। बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं वार्तालाप परक तकनीक के बढ़ते प्रयोग ने जहां एक ओर कार्यप्रणाली में दोहराव को हटाकर सुगमता एवं तेजी लाई है वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से मानव बल में कमी करने की आशंकाएं भी उभरने लगी हैं। स्वचालित उपकरणों की मदद से ग्राहक सेवा तो बेहतर हो जाएगी लेकिन इससे कई लोगों का रोजगार छिन जाने का भी भय है। लेकिन यदि कंप्यूटरों के आगमन के समय उठी इसी तरह की आशंकाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह आशंका निरर्थक साबित होगी, अपितु मानव बल एवं मशीनी सहयोग एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतर परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। आनेवाले कल की कसौटी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना खरा उतरता है यह तो आनेवाला कल ही बताएगा।

विलयन, अधिग्रहण और समेकन के प्रभाव/समेकन और इसकी प्रमुख चुनौतियां

❖ प्राक्कथन:

विगत वर्षों में वित्तीय व बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्गठन में अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर विलयन (मर्जर), अधिग्रहण (अमल्गमेशन) और समेकन (कॉन्सोलिडेशन) के मामलों में काफी हलचल दिखाई दे रही है तथा मर्जर व अमल्गमेशन (एम एंड ए) के माध्यम से समेकन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है। वर्तमान में भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में भी विलयन व अधिग्रहण की काफी चर्चाएँ सुर्खियों में हैं। भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहायक बैंकों के मर्जर तथा सार्वजनिक बैंकों का आपस में विलयन व अधिग्रहण आज के प्रमुख समाचार बन रहे हैं।

भारतीय बैंकिंग उद्योग ने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा वर्तमान में यह रोमांचक और चुनौतीपूर्ण चरण से गुजर रही है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बैंकिंग संबंधित सेवाओं की आपूर्ति हेतु भारतीय बैंकिंग व्यवस्था विभिन्न प्रकार के बैंकों के मिश्रण से विकसित हो रही है। हाल ही में बैंकिंग प्रणाली में नए प्रकार के बैंकों का उद्भव हुआ है जो समाज के विशेष वर्गों की सेवा हेतु लक्षित हैं। परन्तु अब भी भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की संख्या बहुत अधिक है तथा उनका वर्चस्व बरकरार है। पीएसबी का बैंकिंग सिस्टम परिसंपत्तियों में 70% से अधिक की हिस्सेदारी है।

ध्रुव मुखर्जी
वरिष्ठ प्रबंधक
इलाहाबाद बैंक, कोलकाता

वित्तीय क्षेत्र के पुनर्गठन में विलयन और अधिग्रहण महत्वपूर्ण घटक हैं। आर्थिक सुधारों की शुरुआत के साथ ही भारतीय बैंक विशेषकर पीएसबी भी आर्थिक व गैर-आर्थिक दोनों तरह के लाभों का अधिकतम-स्तर प्राप्त करने हेतु इच्छुक हैं। अधिकांश पीएसबी लगभग एक समान व्यवसाय- मॉडल का पालन करते हैं तथा अधिकतर क्षेत्रों में एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकतर पीएसबी में व्यापक रूप से संगठनात्मक/प्रबंधन संरचना तथा मानव संसाधन नीतियां भी एक समान हैं। उनके आपस में एकीकरण व समेकन के माध्यम से 'इकोनॉमीस ऑफ स्केल' के लाभ को भौगोलिक विविधता, शाखा/कर्मचारियों के युक्तिकरण, 'क्रॉस-बॉर्डर विस्तार' तथा 'बाज़ार-हिस्सेदारी' के स्पष्ट लाभ द्वारा लागत में कमी करके प्राप्त किया जा सकता है।

❖ विलयन, अधिग्रहण व समेकन क्या है?

विलयन: दो इकाइयों का मिश्रण, जिसमें एक इकाई का अस्तित्व समाप्त हो जाता है विलयन कहलाता है। व्यापक अर्थों में, अधिग्रहण और समेकन विलयन में समाहित होते हैं, परंतु संकीर्ण अर्थों में विलयन, अधिग्रहण और समेकन से पृथक है।

अधिग्रहण: किसी इकाई के नियंत्रण हेतु उसकी पूँजी में हिस्सेदारी की खरीद को अधिग्रहण कहते हैं।

समेकन: दो इकाइयों का इस प्रकार से मिश्रण जिससे एक नई इकाई का गठन हो समेकन कहलाता है।

❖ समेकन के अपेक्षित लाभ

- अधिक व्यवसाय
- विस्तार और विविधीकरण
- प्रौद्योगिकी उन्नयन
- जोखिम में कमी
- लागत में कमी
- संसाधनों का बेहतर उपयोग
- प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम
- बाज़ार हिस्सेदारी में वृद्धि
- प्रबंधकीय क्षमता में सुधार
- कर-बोझ में कमी
- लाभप्रदता में वृद्धि
- वित्तीय शक्ति में वृद्धि

❖ समेकन से जुड़ी चुनौतियाँ

- विलयन का तुरंत परिणाम संम्भव नहीं। परिणाम का प्रभाव मिलने में देरी
- दो अलग-अलग संस्थाओं के सांस्कृतिक एकीकरण में कठिनाइयाँ
- प्रबंधन संरचना में मुश्किलें
- कर्मचारियों के बीच असंतोष और निरुत्साह
- शेयरों के मूल्यांकन में कठिनाइयाँ
- नए संस्था के नामकरण और ब्रांडिंग में समस्या
- कमजोर संस्था के साथ विलयन से मज़बूत संस्था के कमजोर होने का अनुमान
- मानव संकुचन की समस्या
- विनियामक मुद्दे

❖ विलयन की आवश्यकता क्यों?

इस समय भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में समेकन की आवश्यकता विशेष रूप से निम्न तथ्यों के कारण अधिक महसूस की जा रही है:

- यद्यपि जीडीपी के मामले में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन परिसंपत्ति-आकार के मामले में विश्व के 70 बड़े बैंकों की सूची में कोई भी भारतीय बैंक नहीं है।
- बड़े बैंक ही केवल दक्षता, जोखिम विविधीकरण और बड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण का लाभ ले सकते हैं।
- कम लागत और सेवाओं की उच्च गुणवत्ता के कारण उत्पन्न दक्षता का लाभ बड़े बैंकों को ही प्राप्त हो पाता है।
- बड़े बैंकों में छोटे बैंकों की तुलना में जोखिम की सम्भावनाएं कम होती है क्योंकि बड़े बैंकों के पास विविध व विस्तृत पोर्टफोलियो होता है जिसके परिणामस्वरूप उनकी आय में अस्थिरता कम मिलती है। नतीजतन, बड़े बैंक छोटे बैंकों की तुलना में अधिक क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।
- 'फिच रेटिंग एजेंसी' की रिपोर्ट के अनुसार स्थाई बैंकिंग सिस्टम की संरचना कई बड़े बैंकिंग समूहों पर आधारित होती है। ये बड़े बैंक एक समेकित बैंकिंग प्रणाली में `इकोनॉमीस ऑफ स्केल' की वजह से जोखिमों के बेहतर विविधीकरण, मज़बूत समग्र लाभप्रदता तथा उच्च क्रेडिट रेटिंग का लाभ लेने में समर्थ हो पाते हैं।
- भारतीय बैंकिंग में विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नैतिक समस्याओं व बड़े बैंकों के लगभग विफल न होने की सम्भावनाओं के मद्देनज़र उनके समेकन की पर्याप्त गुंजाइश है। भारत में बैंकिंग प्रणाली अभी भी विखंडित प्रतीत हो रही है। भारतीय बैंकिंग में हेरफ़िंडहल-हिर्स्मान इंडेक्स (एचएचआई) द्वारा ऑन-बैलेंस शीट पध्दति के

उपयोग में यह पाया गया है कि सभी बैंकों की बाज़ार हिस्सेदारी 518.53 हो गयी है जो यह दर्शाता है कि बैंकिंग सिस्टम जरूरत से अधिक विखंडित और विस्तारित हो गया है। इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि भारत में यह सूचकांक क्रमिक वर्षों में निरंतर गिर रहा है।

- छोटे तथा बड़े पीएसबी के बीच तुलनात्मक विश्लेषण यह प्रदर्शित करता है कि बड़े सार्वजनिक बैंकों का प्रदर्शन छोटे पीएसबी से अधिक बेहतर है। यह तथ्य इस ओर इंगित करता है कि इन परिस्थितियों में बैंकों के आकार के बढ़ने की गुंजाइश है जो उनको कुशल बनाने तथा उनके जोखिमों को कम करने में सहायक होगा।
- उभरती अर्थव्यवस्था में भारतीय कम्पनियों के अधिक क्रेडिट की मांग बढ़ने के कारण बैंकों को भी उसी प्रकार अपने आकार को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। क्रेडिट पहुंच में वृद्धि के साथ व 50% क्रेडिट व जीडीपी अनुपात में बढ़ोतरी तथा 70% से अधिक की बाज़ार हिस्सेदारी वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इस प्रक्रिया में काफी योगदान देने की ज़रूरत है। मज़बूत, कुशल, प्रतिस्पर्धी तथा अच्छी तरह से पूंजीकृत पीएसबी के बिना भविष्य में बैंक क्रेडिट की बढ़ती मांगों की आपूर्ति काफी चुनौतीपूर्ण होगी।अत: बड़े व मज़बूत पीएसबी के गठन की आवश्यकता है।
- हाल ही में प्रस्तावित बड़े एक्सपोज़र मानदंडों के समूहों के लिए बैंकों के सामान्य इक्विटी के 25% तक जोखिम को सीमित किया गया है जिसके कारण पीएसबी के बड़े क्रेडिट मांगों की क्षमता और भी सीमित हो गयी है। अत: यह अनिवार्य हो गया है कि अर्थव्यवस्था के विकास हेतु पब्लिक सेक्टर बैंकों के बीच समेकन हो जिससे वे क्रेडिट मांगों को पूरा कर सकें।
- जी-एसआईबी को बासेल III ढांचे में निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं के साथ कुल हानि-अवशोषित क्षमता (टीएलएसी) की जरूरत को वर्ष 2019 से 2022 तक पूरा करना होगा। इन विनियामक आवश्यकताओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सक्रिय बैंकों को अपनी रणनीतियों में बदलाव करके व्यापार को कम करने अथवा कुछ व्यवसायों/ कार्य-क्षेत्रों को छोड़ने पर बाध्य किया है। अत: उन ईएमई बैंकों के लिए यह एक सुनहरा अवसर उत्पन्न हुआ है जो वैश्विक स्तर पर कार्य करने के अभिलाषी हैं। अत: यदि सुदृढ़ व बड़े भारतीय बैंक होंगे तो वे इस अवसर का लाभ उठाकर वैश्विक स्तर के बैंक बन सकते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहना संगत होगा कि बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में 'एम एंड ए' गतिविधियां बढ़ रही हैं तथा भारतीय बैंक विकास और विस्तार के लिए 'एम एंड ए' रणनीति को अपना रहे हैं। अत: यह स्पष्ट है कि विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में समेकन का यह सही व परिपक्व समय है।

❖ भारतीय बैंकिंग में विलयन/अधिग्रहण का प्रभाव:

भारतीय बैंकिंग का इतिहास तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

प्रारम्भिक (1786-1969)	:	भारत में कई छोटे-छोटे बैंकों की स्थापना
राष्ट्रीयकरण (1969-1991)	:	बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नियमितीकरण और विकास
उदारीकरण (1991 से अबतक)	:	उदारीकरण और उसके पश्चात

भारतीय बैंकिंग विलयन व अधिग्रहण जैसी प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ नहीं है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44 ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को स्वैच्छिक विलयन हेतु प्राधिकृत किया गया है। बैंकों के स्वैच्छिक विलयन का समर्थन रिज़र्व बैंक करता है जिससे उन बैंकों की मूल्य वृद्धि हो सके। वर्ष 1960 में बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा

45 का समावेशन किया गया जिसके तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को समग्र बैंकिंग उद्योग को मज़बूत करने व जमाकर्ताओं के हित- संरक्षण के उद्देश्य से बैंकों के विलयन तथा अधिग्रहण का अधिकार दिया गया।

भारत में दो प्रकार के बैंक समेकन/एकीकरण हुए हैं:

- **स्वैच्छिक विलयन** जो परिचालनों में तालमेल, विकास और परिचालन दक्षता, सिनर्जी और स्पष्ट आर्थिक तथ्यों से प्रेरित होते हैं। निजी बैंकों में इस तरह के विलयन अधिक पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आईएनजी वैश्य बैंक का विलयन।
- बैंकों के दूसरे प्रकार का विलयन कमजोर बैंकों के परिप्रेक्ष्य में है जहाँ मज़बूत बैंक के साथ कमजोर बैंक का विलयन होता है। इस विलयन के सुचारु कार्यान्वयन हेतु कमजोर बैंक के संचालन को कुछ समय के लिए अधिस्थगन में रखा जा सकता है। 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विलयन इस तरह का समेकन है।
- 1999 से पहले बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के तहत अधिकतर विलयन कमजोर बैंकों के समेकन से प्रेरित थे। परंतु 1999 के पश्चात बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44 ए के तहत स्वैच्छिक विलयन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हालांकि पीएसबी ने इस प्रवृत्ति को अभी तक नजरअंदाज़ किया है।
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत 1961 से अबतक कुल 92 बैंकों का विलयन व अधिग्रहण हुआ है।
- 1961 से बैंकों के प्रथम राष्ट्रीयकरण (1969) तक 47 बैंकों का विलयन/अधिग्रहण हुआ जबकि उसके पश्चात 45 बैंकों का समेकन व अधिग्रहण हुआ।
- प्रथम राष्ट्रीयकरण के पश्चात 45 विलयनों में से 27 निजी क्षेत्र के बैंकों का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलयन हुआ। 11 मामलों में दोनों बैंक निजी क्षेत्र के बैंक थे जबकि 9 मामलों में दोनों बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे।
- पूर्व उदारीकरण अवधि के दौरान सबसे अधिक 55 विलयन हुए जबकि उदारीकरण (1990) के पश्चात केवल 37 विलयन के मामले सामने आए।
- वर्ष 2000 से पहले कमजोर बैंकों के विलयन का मुख्य व प्राथमिक आधार बैंकों का वित्तीय रूप से कमजोर होना था जबकि वर्ष 2000 के पश्चात स्वस्थ बैंकों के विलयन का मुख्य आधार व्यापार और व्यावसायिक विचारों से प्रेरित था।
- पोस्ट-रिफॉर्म अवधि में 21 फोर्स्ड विलयन, 20 स्वैच्छिक विलयन तथा 4 अनिवार्य विलयन हुए।
- भारतीय संदर्भ में विलयन का उपयोग अधिकतर मामलों में एक बेल-आउट उपकरण के रूप में किया गया जिनके सुखद परिणाम देखने को नहीं मिले। 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का फोर्स्ड विलयन कुछ मामलों में असफल ही रहा क्योंकि अगले चार वर्षों तक उसका ऋणात्मक प्रभाव ओरियंटल बैंक की बैलेंस शीट पर देखने को मिला।

❖ एम एंड ए के कार्यांवयन पर विभिन्न रिपोर्ट/मत

भारतीय बैंकिंग को शक्ति प्रदान करने के लिए विलयन/अधिग्रहण पर सैद्धांतिक सहमति होने के बावजूद विभिन्न 'स्कूल ऑफ मर्जर' के बीच अलग-अलग मत व विचार हैं।

- मत 1 : मज़बूत बैंक के साथ कमजोर बैंक का विलयन

  मत 2 : कुछ बैंकों का आपस में सामूहिक विलयन
- **वर्मा समिति के विचार** में विलयन को अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बैंकिंग उद्योग में मानव शक्ति के संकुचन के रूप में इसका प्रयोग होना चाहिए।

- भारिबैंक के भूतपूर्व गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव के विचार से समेकन अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हित को ध्यान में रखते हुए तथा बैंकों में और अधिक स्वायत्तता लाने के लिए किया जाना चाहिए।
- विलयन के मामले में वित्त मंत्रालय बड़े पैमाने पर विलयन के पक्ष में है।

❖ नरसिंहम समिति की रिपोर्ट

- रिपोर्ट में बैंकों के विलयन पर जोर दिया गया जिससे प्रत्येक बैंक के आकार और उसकी परिचालन क्षमता में वृद्धि हो सके।
- समिति ने भारत में बड़े बैंकों के विलयन के लिए सिफारिश की जिससे उनको मज़बूती मिले तथा वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित हो सकें।
- समिति ने सुझाव दिया कि भारत के पास 2-3 अंतरराष्ट्रीय स्तर के बैंक, 8-10 राष्ट्रीय स्तर के बैंक तथा स्थानीय बैंकों का एक विशाल नेटवर्क होना चाहिए जो बैंकिंग को भारत के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद करे।
- समिति ने समान आकार के बैंकों के बीच विलयन का प्रस्ताव दिया। इसका तात्पर्य था कि कमजोर बैंकों का विलय कमजोर बैंकों के साथ हो जबकि बड़े बैंकों का विलय बड़े तथा प्रतिस्पर्धी बैंकों के साथ हो।
- समिति ने यह भी सुझाव दिया कि स्थानीय बैंकिंग नेटवर्क की सीमाएं कुछ राज्यों अथवा कुछ जिलों तक ही सीमित होनी चाहिए।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्टाफिंग पैटर्न, प्रशिक्षण प्रक्रिया तथा पारिश्रमिक नीति का मूल्यांकन होना चाहिए।
- बैंकिंग जोखिम को पूंजी पर्याप्तता में वृद्धि के समरूप करने की जरूरत होनी चाहिए।
- भारिबैंक अधिनियम, राष्ट्रीयकरण अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, एसबीआई अधिनियमों की समीक्षा होनी चाहिए।
- समिति ने बैंकिंग बोर्ड के व्यवसायीकरण पर ध्यान देने पर जोर दिया।

❖ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलयन पर मंथन

- 2016-17 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने पीएसबी के समेकन हेतु एक रोडमैप तैयार करने का उल्लेख किया।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए विलयन/अधिग्रहण हेतु कोई विशेष नियम नहीं हैं परंतु बैंक इस दिशा में व्यापक मापदंड अपना सकते हैं।
- पीएसबी के उत्पादों के बीच काफी हद तक समानता, भौगोलिक अंतराल को दूर करने की ज़रूरत, पूंजी जुटाने की असमर्थता तथा खराब ऋणों को कम करने की आवश्यकताएं विलयन/अधिग्रहण की योजनाओं हेतु मुख्य कारक/पैरामीटर हो सकते हैं।
- बैंकों के शेयरों की लिस्टिंग के एक दशक पश्चात यह तथ्य सामने आ रहा है कि अधिकांश बैंक स्वयं अपनी पूँजी व संसाधनों को जुटाने में असमर्थ रहे हैं। सरकार के लिए यह मुश्किल होता जा रहा है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी-पर्याप्तता को पूरा कर सके। परन्तु सरकार का उद्देश्य यह है कि इस बार बैंक स्वयं अपने आप को इस परिस्थिति से बाहर निकालें।
- यह भावना भी प्रबल होती दिख रही है कि बैंक अपने राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए वित्तीय समावेशन और ऋण वितरण के वृहद उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कुछ बड़े व मज़बूत बैंकों का गठन आवश्यक हो पड़ा है।
- इसके अतिरिक्त, कमजोर सरकारी बैंक जो खराब ऋण के बोझ तले दबे हैं वे प्रौद्योगिकी में निवेश करने में असमर्थ

हैं। जिसके फलस्वरूप उनकी बाज़ार-भागीदारी में तेजी से गिरावट दर्ज हो रही है और उनके लिए इस स्थिति से उबरना नामुमकिन होता जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल के अनुसार कमजोर बैंकों का बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी खोना तथा निजी क्षेत्र के मज़बूत बैंकों की बाज़ार-हिस्सेदारी में इज़ाफा होना बैंकिंग उद्योग के लिए एक अच्छा संकेत है। यदि देखा जाए तो यह प्रक्रिया सही दिशा में प्रगति कर रही है अर्थात जो बैंक संकुचित हो रहे हैं उनका संकुचित होना ही उचित है।

- पीएसबी भारत की बैंकिंग प्रणाली का प्रमुख सेगमेंट है जिसमें कुल जमाराशि की हिस्सेदारी लगभग 74% है। इसके बावजूद एसबीआई को छोड़कर अन्य कोई भी सार्वजनिक बैंक लाभप्रद अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खड़ा नहीं दिखता है। अत: सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का समेकन 'इकोनॉमीस ऑफ स्केल' के नजरिए से भी मददगार सिद्ध होगा।
- सार्वजनिक बैंकों में विलयन व अधिग्रहण की प्रक्रिया किस प्रकार से आरम्भ हो इस दिशा में अब निवेशक, विश्लेषक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां सभी अपने-अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रमुख विचारों में से यह मत उभर कर सामने आ रहा है कि वे पीएसबी जो बिना किसी सरकारी सहायता के एक वर्ष तक भी सरवाइव नहीं कर सकते उनका विलय सर्वप्रथम हो जाना चाहिए। कुछ पीएसबी जिनकी स्थिति भी खराब बनी हुई है परंतु वे पूंजी मिलने के पश्चात सरवाइव करने में सक्षम हो सकते हैं और रिकवर कर पाएंगे ऐसे बैंकों के विलयन की समीक्षा अलग से की जानी चाहिए।

❖ समेकन और इसकी प्रमुख चुनौतियां तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- विगत वर्षों में सरकार द्वारा विलयन प्रस्तावों का समर्थन करने के बावजूद अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कभी कर्मचारी संघों के दबाव के चलते अथवा शीर्ष प्रबंधन द्वारा अपनी स्थिति को खोने के डर से विलयन का विरोध किया है। बैंकों के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता ने विलयन की तात्कालिकता को बढ़ा दिया है। सरकार बैंकों की पूंजी-पर्याप्तता को सम्पूर्ण रूप से पूरा करने की स्थिति में नहीं है। मार्च 2019 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 1.9 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी की आवश्यकता होगी। जबकि वित्त वर्ष 2018 तथा 2019 में पीएसबी के लिए सरकार की प्रतिबद्धता केवल 10,000 करोड़ रुपये मात्र प्रति वर्ष की ही है। बहुत अधिक एनपीए के कारण अधिकतर बैंक सरकार द्वारा प्रदत्त पूंजी पर निर्भर हो रहे हैं। अब यह समय आ गया है कि सरकार इन बैंकों से नेगोसिएशन कर एक निश्चित समय-सीमा के भीतर उन्हें विलयन के लिए निर्णय लेने पर सहमत करे।
- समेकन बैंकों में सरकारी सहायता की आवश्यकता को कम करने में सहायक होगा। अत: सरकार इस वित्तीय वर्ष में कम से कम 2-3 बैंकों का समेकन चाहती है। इस दिशा में सरकार ने बैंकों को विलयन व अधिग्रहण के लिए वैकल्पिक सम्भावनाओं/प्रस्तावों को प्रस्तुत करने को कहा है। इसके लिए संभावित संयोजनों पर पहुंचने हेतु बैंकों को व्यापारिक संचालन और भौगोलिक प्रसार सहित विभिन्न प्लेटफार्मों में सहक्रियाओं की पहचान करने हेतु आमंत्रित किया गया है। पीएसबी में विलयन के विभिन्न वैकल्पिक संयोजन विचाराधीन हैं जिनका मूल आधार एक फास्ट ट्रैक प्रक्रिया को लागू करना है। इस दिशा में संभावित समेकन-प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने एक नए मेकैनिज्म/तंत्र की स्थापना की है। विलयन प्रक्रिया के मौनिटर हेतु तथा इसा दिशा में निर्णय लेने के उद्देश्य से सिद्धांत रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रिमंडल के एक चयनित समूह का गठन कर उसे इस कार्य का दायित्व सौंपने का निर्णय लिया है। बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री में तेजी लाने के उद्देश्य हेतु यह मंत्रिमंडल-समूह

निर्णय लेगा जिससे प्रत्येक स्तर पर कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी और प्रक्रिया में तेजी आएगी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बिक्री के नियमों और शर्तों से संबंधित मामलों पर अभिव्यक्तियों को आमंत्रित करने से लेकर वित्तीय बोलियों तक निर्णय लिया जा सकेगा।

- इस वैकल्पिक तंत्र को बनाने का उद्देश्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच समेकन प्रकिया को सुविधाजनक बनाना तथा उनके बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का निर्माण करना है जिससे मज़बूत बैंकों का निर्माण हो सके। यह प्रक्रिया बैंकों द्वारा संचालित और वाणिज्यिक विचारों से प्रेरित होगी तथा सरकार समेकन हेतु विभिन्न विकल्पों का पता लगाने हेतु बैंकों को प्रेरित करेगी।
- यह वैकल्पिक तंत्र समेकन की उन योजनाओं/प्रस्तावों को जिन्हें बैंकों के बोर्ड के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान करेगा। तत्पश्चात भारिबैंक से परामर्श के उपरांत बैंक कानून व आवश्यकताओं के अनुसार इस दिशा में कदम उठाएंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक से विचार विमर्श करने के पश्चात केंद्र सरकार अंतिम विलयन योजना को अधिसूचित करेगी।
- यह आवश्यक नहीं है कि समग्र अर्थव्यवस्था व बैंकिंग प्रणाली हेतु बड़े बैंक ही सदैव फायदेमंद साबित हों। एक निश्चित थ्रेसहोल्ड स्तर तक ही बड़े बैंकों का लाभ मिलता है तथा इसके ऊपर अर्थव्यवस्था के लिए यह नकारात्मक परिणाम हो सकता है।अत्यधिक बड़े बैंकों की मौजूदगी भी पूरे सिस्टम के लिए बड़ी नैतिक चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती हैं। बड़े बैंकों की विफलता का समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रणालीगत प्रभाव पड़ सकता है। अत: यह अवधारणा विकसित हो रही है कि बड़े बैंकों की स्ट्रेस-अवधि के दौरान उन्हें संकट से उबारा जाए। सरकार की मदद से यह विश्वास स्थापित किया जाए कि बड़े बैंक विफल नहीं होंगे जिससे उनकी साख में सुधार होगा व परिणामस्वरूप बड़े फंडिंग का लाभ प्राप्त हो सकेगा। सरकारी सब्सिडी बड़े बैंकों को और अधिक बड़ा होने व जोखिम भरे बाज़ार-आधारित गतिविधियों में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि बड़े बैंकों के लिए अलग से विशिष्ट विनियामक नियमों को बनाया जाए।
- विगत वर्षों में पीएसबी में निरंतर एनपीए में वृध्दि हो रही है। एनपीए की चुनौतियों के प्रबंधन हेतु बैंकों के मध्य समेकन एक विकल्प हो सकता है जो उन्हें अधिक सक्षम बना सकता है क्योंकि वे बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत होंगे तथा बड़े क्रेडिट व एनपीए को विशेष रूप से संभालने में दक्ष होंगे।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दो बैंकों के बीच विलयन अल्पावधि समस्याओं के समाधान के रूप में न हो। समेकन तब ही सार्थक हो सकता है जब विलयन रणनीतिक दृष्टि से दोनों बैंकों के लिए उपयोगी हो। यदि विलयन की प्रक्रिया को सही प्रकार से संचालित नहीं किया गया तो कमजोर बैंक का मज़बूत बैंक के साथ विलयन संयुक्त इकाई को भी कमजोर बना देगा। अत: समेकन को केवल एक वृहद बैंक के निर्माण बनाने के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। यद्यपि यह सहमति है कि भारत में मौजूदा बैंकिंग ढांचे के तहत कुछ बड़े बैंकों का होना वांछनीय है तथापि समेकन पद्धति को सतर्कता से निभाने की आवश्यकता है।

❖ चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव/उपाय :

- पीएसबी बैंकों के आपस में स्वैच्छिक विलयन के लिए यह आवश्यक है कि एक विशेषज्ञ समिति का गठन करके प्रत्येक पीएसबी की व्यवसायिक योजनाओं की समीक्षा हो तथा समेकन की सम्भावनाओं का व्यावसायिक रणनीति व संचालन सिनर्जी के आधार पर पता लगाने का प्रयास हो। सहक्रियाओं के क्षेत्रों यथा व्यवसाय की संगतता,

संस्कृति, राजकोष और आईटी व स्थानीय लाभ आदि को सही प्रकार से चिह्नित किया जाए। इसके अतिरिक्त सभी हितधारकों -जमाकर्ताओं, उधारकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, कर्मचारियों आदि के हितों को भी संतुलित किया जाए तथा उनको आरम्भ से ही विलयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

- समेकन के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े पहलुओं का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- दो संस्थाओं के विलयन-कार्यान्वयन में विशेषकर उनकी संगठनात्मक संस्कृतियों व तकनीकी प्लेटफार्मों की विषम चुनौतियां हैं। लिगेसी मामलों का निपटान, निरर्थक शाखाओं को बंद करना, मानव संसाधनों की तैनाती तथा पूंजी का कुशल आवंटन कठिन प्रक्रियाएं हैं। इन संवेदनशील मामलों को कुशलता से सुलझाने की आवश्यकता है।
- **व्यावसायिक समेकन** संस्थाओं के समेकन से भिन्न है। इस प्रकार के समेकन में बैंक विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय करता है कि किन व्यवसायों को चुनना अथवा किन व्यवसायों को छोड़ना है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी इस प्रकार के समेकन पर विचार करना चाहिए।
- अब बैंकों के समक्ष यह दायित्व आ चुका है कि वे बिना समय गंवाए विलयन व अधिग्रहण के विषय में तत्पर हो जाएं। वे विभिन्न प्रस्तावों के SWOT (स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑपर्चुनिटीस तथा थ्रेट्स) विश्लेषण के आधार पर स्वयं समेकन के वैकल्पिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार करें और उसे प्रस्तुत करें।
- सर्वप्रथम बैंकों को 'सिनर्जी आधारित' विलयन की योजना पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है तथा एक लक्ष्य के रूप में 'प्रौद्योगिकी संबंधित व्यय' को न्यूनतम स्तर पर लाने की जरूरत है। बैंकों को यह विदित होना चाहिए कि विलयन केवल एक सुविधा मात्र है परंतु यह निरंतर आधार पर लाभप्रदता में सुधार की गारंटी नहीं है।अत: जोखिम प्रबंधन क्षमताओं, कॉरपोरेट गवर्नेंस और रणनीतिक व्यापार योजनाओं के सुधार पर भी जोर देने की आवश्यकता है। साथ ही बैंकों को अल्पावधि में आउटसोर्सिंग, रणनीतिक गठबंधन जैसे विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए।
- विलयन व अधिग्रहण के परिणामस्वरूप बड़ी व नई इकाई की चपलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। एम एंड ए का उद्देश्य एक नए व फुर्तीले संगठन के गठन के लिए होना चाहिए न कि एक सुस्त डायनासोर के निर्माण के लिए।

❖ विनियामक मुद्दे

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों के अमल्गमेशन हेतु 2016 में विस्तृत दिशा निर्देशों को जारी किया है। ये प्रावधान सभी प्राइवेट बैंकों तथा रजिस्टर्ड एनबीएफसी पर लागू होंगे। इसके अतिरिक्त ये दिशा निर्देश सिद्धांतत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर भी यथोचित लागू होंगे। दो बैंकिंग कम्पनियों के अमल्गमेशन अथवा एनबीएफसी व बैंकिंग कम्पनी के अमल्गमेशन को ये दिशा निर्देश कवर करेंगे।

निष्कर्ष:

भारतीय कॉरपोरेट सेक्टर और अन्य क्षेत्रों में निरंतर विकास विलयन व अधिग्रहण (एम एंड ए) को और भी गति प्रदान कर रहा है। देश की उन्नत होती अर्थव्यवस्था, औद्योगिक/कृषि क्षेत्रों के विकास एवं जनमानस की बढ़ती आकांक्षाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए बैंकों पर भी प्रभावी ढंग से सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता आन पड़ी है। अंतरराष्ट्रीय बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा, निवेश और वित्तीय सेवाओं के प्रतिपादन में वैश्विक अवसर प्रदान करने के साथ ही देश के अंडर-सर्व्ड क्षेत्रों तक पहुँच बनाने की जरूरत उजागर हो रही है। अत: विलयन व अधिग्रहण अपरिहार्य हो गया है।

एनपीए के समाधान में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की भूमिका

स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक नियोजन काल से ही पंचवर्षीय योजनाओं के निधीयन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गतिशील रखने और नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने में बैंकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बैंकों की इस भूमिका के मद्देनज़र, सरकार ने बैंकों की संरचना और उनकी कार्यप्रणालियों में बहुत बदलाव भी किया है। मूलत:, बैंकों की भूमिका सरकारी योजनाओं, उद्यमियों तथा निवेशकों के लिए निधीयन-स्रोत की रही है। बैंकों ने लंबे अरसे तक यह कार्य बखूबी किया भी है, किंतु बदलते भू-राजनैतिक एवं प्रौद्योगिकीय माहौल में बैंकों द्वारा वितरित ऋणों की वसूली में अड़चनें उत्पन्न होने लगी हैं। परिणामस्वरूप, बैंकिंग तंत्र निधीयन के अपने मूल कार्य में बाधा महसूस करने लगा है। बड़े कॉरपोरेट ऋणों की अदायगी में चूक एवं कर्ज माफी जैसी सरकारी नीतियों ने बैंकों को अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का मालिक बना दिया है, जिसके कारण बैंकों की व्यावसायिक व्यवहार्यता पर ही प्रश्न चिह्न बनता नज़र आने लगा है। इस लेख में इसी ज्वलंत विषय के तकनीकी पहलुओं पर विमर्श सहित इसके अतीत, वर्तमान और आने वाले समय की तस्वीर बयां करने का प्रयास किया गया है।

आशीष पटेल
सहायक प्रबंधक (राजभाषा), भारतीय रिज़र्व बैंक,
डीईपीआर, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

अनर्जक आस्ति (एनपीए) क्या है – बैंकिंग के संदर्भ में, ऋण प्रदान करने के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बैंकों द्वारा ऋण एक निश्चित अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है, जिसे ऋणकर्ता द्वारा तय समय-सीमा के अंदर ब्याज सहित चुकाना होता है। *दिया जाने वाला ऋण बैंकों के लिए आस्ति होता है, जो मुनाफे के साथ वापसी होने पर उनका पूंजी आधार दृढ़ करता है।* एनपीए ऐसी आस्ति (रकम) होती है जो बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दी जाती है लेकिन इसके वापस आने की संभावना नहीं होती।

अनर्जक आस्तियों का वर्गीकरण – बैंकिंग तंत्र के परिचालन एवं विनियमन की दृष्टि से अनर्जक आस्तियों का वर्गीकरण विभिन्न रूपों में किया जाता है। **आस्ति गुणवत्ता के मुताबिक**, एनपीए को तीन भागों में विभाजित किया गया है। मसलन, (1) मानक पर खरी न उतरने वाली (सबस्टेंडर्ड) आस्तियां, (2) संदिग्ध (डाउटफुल) आस्तियां, और (3) डूब जाने वाली (लॉस) आस्तियां। आस्ति वर्गीकरण का एक अन्य तरीका भी है, जिसमें अनर्जक आस्तियों का वर्गीकरण किए जाने हेतु उनसे **संबंधित खातों को वर्गीकृत किया** जाता है। जब तक ऋणकर्ता समय पर ब्याज और किस्त अपने ऋण-खाते में जमा

करता रहता है, तो उसे स्टैंडर्ड खाता कहते हैं, पर जैसे ही उस खाते में ब्याज या किस्त या फिर दोनों तरह की रकम जमा होना बंद हो जाए, तो उसे एक निश्चित अवधि (जो फिलहाल नब्बे दिन निर्धारित है) के बाद एनपीए खाता कहा जाता है, और उस खाते से संबंधित आस्ति अनर्जक आस्ति कही जाती है। *कृषि ऋण के संबंध में यह नियम नहीं लागू होता*। एनपीए से संबंधित नियमों में खातों के वर्गीकरण के हिसाब से बदलाव होता है। जैसे, सरकार को दिए जाने वाले ऋण के मामले में एनपीए के अलग मानक हैं। इसी तरह मीयादी ऋण, नगदी ऋण, ओवरड्राफ्ट आदि खातों के संदर्भ में भी अलग-अलग नियम हैं। वर्तमान में भारतीय बैंकिंग तंत्र बासेल III मानकों को लागू करने का प्रयास कर रहा है, जो बैंकिंग गतिविधियों के अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप है।

अनर्जक आस्ति और भारतीय बैंकिंग प्रणाली - बैंकों के कामकाज में पारदर्शिता लाने तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारतीय बैंकों के कार्यकलाप में बदलाव लाने के इरादे से 1991 में गठित की गई एम. नरसिंहम समिति की रिपोर्ट के आधार पर एनपीए के विविध मानकों का निर्धारण 31 मार्च, 1993 में किया गया था। इसके तहत ऋण खातों में यदि दो तिमाही (180 दिनों) तक ब्याज व किस्त या फिर दोनों जमा नहीं होने पर उन्हें एनपीए में परिवर्तित कर दिया जाता था।

एनपीए के मामले में 1990 के पूर्व भारतीय बैंकों का रुख सख्त नहीं था, लेकिन 1995 में एनपीए के मानकों में सख्ती बरती गई और यह निर्धारित किया गया कि अगर किसी खाते में नब्बे दिनों तक ब्याज या किस्त या फिर दोनों तरह की रकम नहीं जमा होती है तो उसका वर्गीकरण एनपीए के रूप में किया जाएगा। इस लिहाज से, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निवर्तमान गवर्नर रघुराम राजन के नेतृत्व में एनपीए के मामले में उठाए गए कदमों को बैंकिंग प्रणाली में सुधार की दिशा में उठाए गए एक विशेषरूप से उल्लेखनीय कदम माना जा सकता है।

वर्तमान में भारतीय बैंकिंग तंत्र में अनर्जक आस्तियां बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण बैंकों के समक्ष पूंजी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। बड़े मूल्यों वाले कॉरपोरेट ऋण खातों के अनर्जक आस्ति में परिवर्तित हो जाने के कारण बैंकिंग तंत्र पर बहुत अधिक भार पड़ा। हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन 12 बड़े चूककर्ताओं के खातों की पहचान की, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली में 7.11 लाख करोड़ रुपये की सकल अनर्जक आस्तियों का लगभग 25 प्रतिशत था।

अनर्जक आस्तियों की वसूली में भारतीय बैंकिंग तंत्र का कार्यनिष्पादन - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाने वाली 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट 2016-17' में किए गए उल्लेख के अनुसार वर्ष 2015-17 के दौरान, भारतीय बैंकों का औसत वसूली अनुपात 26.4 था, जिसके तहत निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा की गई वसूली (40.7 प्रतिशत) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा की गई वसूली (25.1 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक रही। इस अवधि के दौरान, मौजूदा विभिन्न विधिक वसूली माध्यमों, यथा - वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002, कर्ज वसूली न्याधिकरण (डीआरटी) तथा लोक अदालतों के माध्यम से वसूली गई औसत राशि कुल संबद्ध राशि का मात्र 10.8 प्रतिशत ही था

उक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता बनाए रखने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख विनियामक होने के नाते भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों की अनर्जक आस्तियों का नियंत्रण करना और उनकी वसूली के इंतजामात करना अपरिहार्य हो गया था। रिज़र्व बैंक के सुझावों पर सकारात्मक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने भी बहुत से प्रावधान किए हैं।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016

किसी उधारकर्ता को तब दिवालिया कहा जाता है, जब वह अपने लेनदारों (बैंक, आपूर्तिकर्ताओं इत्यादि) से लिया गया कर्ज चुकाने में असमर्थ हो। कुछ भारतीय कंपनियों द्वारा कर्ज चुकाने की अक्षमता के परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली में एनपीए का बड़ा भारी जमाव हो गया है। बुरे ऋण (बैड लोन) के रूप में फंसे हुए पैसे को हासिल करने के लिए बैंकिंग तंत्र को एक शक्तिशाली उपाय की जरूरत थी। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता लागू किया जाना भारतीय बैंकिंग तंत्र को पटरी में लाने के उद्देश्य से उठाया गया ऐसा ही एक सक्षम हथियार है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता एक ऐसा अधिनियम है जो संकटग्रस्त निगमों, साझेदार फर्मों और कर्ज में फंसे व्यक्तियों को फिर से संगठित करने और दिवाला संकल्प चुनने के लिए एक समयबद्ध तरीके से उनकी संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने में मदद करता है।

यह अधिनियम संसद द्वारा 11 मई 2016 को पारित किया गया था, 28 मई 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और उसी दिन सरकारी गजट में इसे अधिसूचित किया गया। भारत सरकार द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 का लागू किया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से की गई पहल का ही परिणाम था।

आईबीसी 2016 की प्रमुख विशेषताएं –

आईबीसी, 2016 के तहत संस्थागत आधारभूत संरचना इन चार स्तंभों पर आधारित हैं :–

(i) दिवाला वृत्तिक, (ii) इन्फर्मेशन यूटिलिटी (सूचना उपयोगिताएं), (iii) न्याधिकरण {राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) तथा, कर्ज वसूली न्याधिकरण (डीआरटी)}, और (iv) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)। इनके ब्योरे निम्नानुसार हैं -

संस्थागत आधारभूत संरचना का पहला स्तंभ विनियमित व्यक्तियों - 'दिवाला वृत्तिकों' का वर्ग है। वे दिवाला समाधान को पूर्ण करने, परिसमापन और ऋण शोधन अक्षमता संबंधी कार्रवाइयों को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं। वे 'दिवाला वृत्तिक एजेंसियों' द्वारा अभिशासित होंगे जो विनियामकों के प्रथम स्तर के रूप में वृत्तिक मानकों एवं नीति संहिता को विकसित करेंगे।

संस्थागत अवसंरचना का दूसरा स्तंभ 'इन्फर्मेशन यूटिलिटी' है, जो वित्तीय सूचना का संग्रहण, मिलान, प्रमाणन और संग्रहण, क्रमानुसार मिलान तथा प्रमाणन करेंगे और उनका प्रचार करेंगे। वे लेनदारों और ऋण की शर्तों के संबंध में आंकड़ों का एक इलेक्ट्रॉनिक आधार तैयार करेंगे और इस प्रकार से वास्तव में किसी प्रकार की चूक होने की स्थिति में होने वाले विलंब और विवादों को समाप्त करेंगे।

संस्थागत अवसंरचना का तीसरा स्तंभ न्याधिकरण है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) वह मंच है जहां कॉरपोरेट व्यक्तियों के दिवाला संबंधी मामलों की सुनवाई होगी, जबकि कर्ज वसूली न्याधिकरण (डीआरटी) वह मंच है जहां पर व्यक्तियों और भागीदारी फर्मों से संबंधित दिवाला संबंधी कार्रवाई पूरी होगी। ये संस्थान और उनके अपीलीय निकायों, जो क्रमश: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) और कर्ज वसूली अपीलीय न्याधिकरण (डीआरएटी) हैं, का उद्देश्य शोधन अक्षमता की प्रक्रिया का निर्बाध क्रियान्वयन होगा। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) वर्तमान परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसके बार में अन्य उल्लेखनीय जानकारी निम्नानुसार है -

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) - इसकी स्थापना सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 408 के तहत की जो 01 जून 2016 से प्रभावी है। यह अधिकरण एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से जुड़े मामलों का अधिनिर्णयन करता है।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने पहले चरण में अधिकरण की 11 बैंचों की स्थापना की है। मुख्य बैंच नई दिल्ली में स्थित है तथा 10 अन्य बैंच नई दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरू, चंडीगढ़, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में स्थित हैं, जो देश भर के विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले मामलों का निपटान करती हैं। विभिन्न स्थलों पर इन बैंचों के एक अध्यक्ष के अलावा 16 न्यायिक सदस्य और 9 तकनीकी सदस्य हैं। एनसीएलटी के अध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार हैं।

एनसीएलटी के निर्णयों की अपील राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) में की जा सकती है। एनसीएलएटी के निर्णयों की अपील भारत के उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है।

चौथा विनियामक स्तंभ 'भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)' है। यह निकाय दिवाला वृत्तिकों, दिवाला वृत्तिक एजेंसियों और इन्फर्मेशन यूटिलिटी की विनियामकीय निगरानी करता है।

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) – इसकी स्थापना 1 अक्तूबर 2016 को हुई, जिसे शक्तियां दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से प्राप्त हुई हैं। यह बोर्ड विशिष्ट प्रकार का विनियामक है, जो पेशों (प्रोफेशन) के साथ ही लेनदेन (ट्रांजेक्शन) का भी विनियमन करता है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और कर्ज वसूली न्याधिकरण (डीआरटी) भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड को विनियमन में सहायता उपलब्ध कराते हैं। भारत में दिवाला कार्यवाहियों पर नजर रखने और दिवाला पेशेवर ऐजेंशियों (आईपीए), दिवाला पेशेवर (आईपी) और इन्फर्मेशन यूटिलिटी (आईयू) जैसी संस्थाएं इसकी निगरानी के दायरे में आती हैं। यह बोर्ड उक्त संहिता के अंतर्गत लेनदेन के नियमों, नामत: - कॉरपोरेट शोधन अक्षमता संकल्प, कॉरपोरेट परिसमापन, व्यक्तिगत शोधन अक्षमता संकल्प तथा व्यक्तिगत दिवाला, का निर्धारण और विनियमन करता है। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता को लागू करने के लिए उत्तरदायी परितंत्र का मुख्य स्तंभ है; जो कॉरपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों तथा व्यक्तियों की पुनर्रचना और शोधन अक्षमता संकल्प से संबंधित कानूनों का समेकन एवं संशोधन समयबद्ध ढंग से करता है ताकि इस तरह के व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य को उच्चतम सीमा तक ले जाया जा सके, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिले, ऋण की उपब्धता बढ़े और सभी हितधारकों के हितों का संतुलन कायम किया जा सके।

बोर्ड की वर्तमान संरचना - वर्तमान में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के अध्यक्ष डॉ. एम.एस. साहू हैं तथा सुश्री सुमन सक्सेना (अनुसंधान एवं विनियम स्कंध), डॉ. नवरंग सेनी (पंजीकरण एवं निगरानी स्कंध) और डॉ (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय (प्रशासकीय विधि स्कंध) पूर्णकालिक सदस्य हैं। बोर्ड के **चार पदेन सदस्य** होते हैं, जो इस प्रकार हैं – (1) *आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के सलाहकार (पूंजी बाज़ार)* (डॉ. शशांक सक्सेना), (2) *कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव* (श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह), (3) *विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय के संयुक्त सचिव* एवं विधि सलाहकार (डॉ. जी.एस. यादव),

तथा (4) *भारतीय रिज़र्व बैंक के विधि सलाहकार* (श्री ए. उन्नीकृष्णन)।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता में व्यक्तियों के लिए दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, नामत: - 'नवीन शुरुआत' *(फ्रेश स्टार्ट)* और 'दिवाला समाधान'। इस संहिता में, इन प्रक्रियाओं के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। संहिता के अंतर्गत, दिवाला समाधान, परिसमापन और व्यक्तियों की ऋण-शोधन अक्षमता के लिए एक निधि (भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता निधि) स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। कॉरपोरेट देनदार द्वारा वित्तीय दबाव के पूर्व संकेत प्रदर्शित करने पर दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु चूक आधारित एक जांच तीव्रता से हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रदान करती है।

आस्तियों की बिक्री से होने वाली प्राप्त राशि के वितरण के संबंध में पहली प्राथमिकता दिवाला समाधान और परिसमापन की लागत को प्रदान की गई है, उसके बाद पूर्ववर्ती 24 महीनों के कामगारों के बकाया सहित जमानती कर्ज को प्राथमिकता दी गई है। केंद्र और राज्य सरकारों के ऋणों को प्राथमिकता में निचले पायदान पर रखा गया है। यह संहिता 'कब्जेदार देनदार/*(debtor in possession)*' की मौजूदा व्यवस्था में पूर्णत: परिवर्तन करते हुए 'लेनदार के नियंत्रण/*(creditor in control)*' की व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव करती है। जमानती लेनदारों को दी गई प्राथमिकता बैंक जैसी संस्थाओं के लिए लाभदायक है।

जब कोई फर्म अपने देनदारी से चूकती है तो इसका नियंत्रण अंशधारकों/ प्रवर्तकों से उधारदाताओं की समिति के पास चला जाता है ताकि कंपनी को पुन: व्यवहार्य बनाने के लिए विभिन्न भागीदारों से प्राप्त प्रस्तावों का अथवा परिसमापन का मूल्यांकन किया जा सके। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम में की गई व्यवस्था से यह एकदम विपरीत स्थिति है जिसके तहत होने वाला विलंब फर्म के मूल्य ह्रास के रूप में परिणत हुआ।

एनपीए/दबाव-ग्रस्त आस्तियों की वसूली के निर्धारक कारक-

आनुभविक साक्ष्य दर्शाते हैं कि ऋण की विशिष्टताओं के अतिरिक्त सुचारु संस्थागत वातावरण और समुचित दिवाला व्यवस्थाएं दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली करने के मुख्य कारक होते हैं।

दिवाला समाधान प्रक्रिया को और मज़बूत बनाने के लिए सरकार ने *23 नवंबर 2017 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 लागू किया* है। यह अध्यादेश ऐसे निश्चित व्यक्तियों को समाधान योजना प्रस्तुत करने से निषिद्ध करने का प्रावधान करता है और यह लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदन देने के पूर्व समाधान योजना को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए कुछ अतिरिक्त अपेक्षाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है।

आईबीसी में अब तक की गतिविधियां -

कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत लेनदेन का विश्लेषण दर्शाता है कि आईबीसी के पास स्वीकार किए गए मामलों ने समय के साथ गति पकड़ी।

एक और दिलचस्प जानकारी यह है कि कॉरपोरेट दिवाला की कार्यवाही की शुरुआत करने में परिचालन लेनदार सबसे ज्यादा उग्र रहे हैं, यद्यपि समाधान के लिए बोर्ड तक पहुँचने वाले वित्तीय लेनदारों की संख्या भी बढ़ रही है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने 31 मार्च 2017 को आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 को अधिसूचित किया ताकि कॉरपोरेट स्वेच्छा से परिसमापन करने में सक्षम हो सके, यदि

उसके ऊपर कोई ऋण नहीं है या फिर वह परिसमापन के तहत बेची जाने वाली आस्तियों की आय से पूरी तरह से अपने कर्ज का भुगतान करने में सक्षम हो। इन विनियमों के अनुपालन में, कॉरपोरेट स्वैच्छिक परिसमापन के लिए इस मार्ग को चुनने की राह भी तलाश रहे हैं। आईबीसी की सफलता प्रशिक्षित दिवाला वृत्तिकों के सहयोगी वातावरण के विकास पर निर्भर करती है। उत्तरी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे सर्वाधिक पंजीकरण के साथ, प्रशिक्षित दिवाला वृत्तिकों के पंजीकरण की गति हाल की अवधि में बढ़ी है।

विभिन्न मापदंडों के तहत हुई प्रगति के अलावा, रिज़र्व बैंक और सेबी द्वारा सुविधा प्रदान करने के लिए किए गए उपायों से भी समाधान प्रक्रिया को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रिज़र्व बैंक ने 11 अगस्त 2017 को शाख सूचना कंपनी (सीआईसी) विनियमन, 2006 में संशोधन किया, ताकि समाधान वृत्तिकों को कॉरपोरेट देनदार से संबंधित सीआईसी के पास उपलब्ध शाख संबंधी जानकारी उपलब्ध हो सके। संशोधित विनियमों के तहत इन्फर्मेशन यूटिलिटी को भी विनिर्दिष्ट प्रयोगकर्ता के रूप में सूचना प्राप्त करने की अनुमति होती है।

14 अगस्त 2017 को सेबी ने सेबी विनियमन (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण), 2011 में संशोधन किया, ताकि संहिता (दिवाला और शोधन अक्षमता) के तहत अनुमोदित समाधान योजनाओं के अनुपालन में अधिग्रहण से संबंधित खुले प्रस्ताव की बाध्यताओं से छूट दी जा सके। सेबी ने उक्त तारीख को ही सेबी (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियम 2009 में भी संशोधन किया ताकि संहिता के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अंतर्गत जारी किए गए अधिमानी इक्विटी शेयरों को मूल्यन और प्रकटीकरण जैसे अधिमानी निर्गमन मानदंडों से संबंधित शर्तों में छूट प्रदान की जा सके।

आईबीसी के अधिनियमन के बाद, रिज़र्व बैंक को आईबीसी प्रावधानों के तहत किसी चूक के संबंध में दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी भी बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनियों को निर्देश जारी करने हेतु सशक्त बनाने के लिए *बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949* को संशोधित किया गया। यह अधिनियम दबावग्रस्त आस्तियों के संबंध में निर्देश जारी करने और ऐसे सदस्यों वाले एक या एक से अधिक प्राधिकरणों या समितियों को निर्दिष्ट करने के लिए भी रिजर्व बैंक को सक्षम बनाता है, जहां रिजर्व बैंक दबाव-ग्रस्त आस्तियों के समाधान से संबंधित बैंकिंग कंपनियों को सलाह देने के लिए सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है या नियुक्ति की मंजूरी दे सकता है।

बैंकिंग विनियम (संशोधन) अधिनियम, 1949 लागू किए जाने के बाद, रिज़र्व बैंक ने बड़े मूल्य वाले दबावग्रस्त खातों के समाधान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पांच सदस्यों की विस्तारित संख्या के साथ रिज़र्व बैंक के तत्वावधान में निगरानी समिति (ओसी) का पुनर्गठन किया गया था। एजेंसी और प्रोत्साहन की कुछ अंतर्निहित विफलताओं से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में आपदाग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए ढांचा को मज़बूत किया गया था, जो इस प्रकार है :

i. लेनदारों के संयुक्त फोरम (जेएलएफ) में निर्णय लेना सुगम बनाने के दृष्टिकोण से किसी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए अपेक्षित सहमति को पूर्व के 75 प्रतिशत के बजाय मूल्य से 60 प्रतिशत तक बदल दिया गया;

ii. अल्पमत बैंकों को जेएलएफ द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों पर निर्धारित समय के भीतर प्रतिस्थापन नियमों का अनुपालन करते हुए फोरम से बाहर हो जाना या जेएलएफ के निर्णय का पालन करना होगा;

iii. इसमें शामिल बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के जेएलएफ़ के फैसले को लागू करना अनिवार्य किया गया है; तथा

iv. बैंकों के बोर्डों को अपने कार्यपालकों को उन्हें बिना किसी और संदर्भ के जेएलएफ निर्णयों को लागू करने के लिए सशक्त बनाने की सलाह दी गई थी, इसके गैर-अनुपालन पर प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकेगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक परामर्शदात्री समिति (आईएसी) ने आईबीसी के तहत समाधान के लिए दबावग्रस्त बड़े खातों में से कुछ का उल्लेख करने के लिए निष्पक्ष, गैर-विवेकाधीन ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया। आईएसी की सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने आईबीसी, 2016 के तहत दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ बैंकों को निधि और गैर-निधि आधारित ₹50 बिलियन से ज्यादा की बकाया राशि वाले उन खातों के बारे में सूचित करने हेतु निर्देश जारी किया, जिनमें 31 मार्च 2016 तक 60 प्रतिशत या अधिक खाते अनर्जक हो गए थे। अन्य अनर्जक खातों के संबंध में, जो आईबीसी के तहत तत्काल संदर्भ के लिए उपरोक्त मानदंडों के तहत अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, बैंक छह माह के भीतर एक समाधान योजना को अंतिम रूप दें। उन मामलों में जहां छह महीने के भीतर एक व्यवहार्य समाधान योजना पर सहमति नहीं बनी है, बैंकों को आईबीसी के तहत दिवाला कार्यवाही हेतु आवेदन करना चाहिए।

आईबीसी के अंतर्गत हाल की गतिविधियां –

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत अगस्त और दिसंबर 2017 के मध्य जिन प्रथम दस मामलों के संबंध में समाधान योजना मंजूर की गई थी, उनके संबंध में वित्तीय ऋणदाताओं ने चूककर्ता उधारकर्ताओं से कुल बकाया दावों की 33.53 प्रतिशत राशि की वसूली कर ली है। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में जारी किए गए दिवाला के मामलों से संबंधित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय ऋणदाता कुल बकाया ₹5,530.30 करोड़ के दावों में से ₹1,854.40 करोड़ की वसूली कर पाए हैं। यह वसूली सिनर्जीज डूरे आटोमोटिव, श्री मेटलिक, कामिनेनि स्टील एंड पॉवर इंडिया, शिर्डी इंडस्ट्रीज एवं अन्य बकायादारों से की गई। सर्वेक्षण में यह उल्लेख भी है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को जिन प्रथम 12 बड़ी कंपनियों से संबंधित मामलों को समाधान हेतु राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) को भेजे जाने का निदेश दिया था, अब तक उनमें से 11 को स्वीकार कर लिया गया है। इन मामलों से संबद्ध बकाया राशि ₹3.13 लाख करोड़ है।

निष्कर्ष

आईबीसी लागू होने के शुरुआती दौर में बकाया वसूली के आंकड़े काफी प्रभावी मालूम पड़ रहे हैं। उम्मीद है कि आईबीसी अन्य एनपीए खातों के मामलों में भी इसी तरह प्रभावी भूमिका का निर्वाह करेगा और देश की अर्थव्यवस्था को अपेक्षित सुदृढ़ता प्रदान करने में अपना योगदान देगा। भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ने अनर्जक आस्तियों को नियंत्रित करने और बैंकिंग तंत्र की आस्ति गुणवत्ता में सुधार के प्रति जो प्रतिबद्धता हाल के समय में दर्शाई है, वह सचमुच इस बात का यकीन करा देने वाली है कि बैंकिंग तंत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी समस्त जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक संबल प्रदान करने में सक्षम होगा। भारत में बैंक प्रमुख वित्तीय मध्यस्थ हैं। आस्ति दबाव से ऋण वृद्धि पर ऐसे समय में विपरीत असर पड़ा, जबकि आर्थिक गतिविधियों की गति को त्वरित किया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में उभर कर सामने आई है। आईबीसी 2016 से बैंकों के तुलन-पत्रों के परिमार्जन (बैलेंस शीट क्लीनिंग) की गति तीव्र होने की संभावना है।

वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा: विविध आयाम और चुनौतियाँ

प्रस्तावना: भारत संख्यात्मक दृष्टि से इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है[1]। हम अपने कंप्यूटर, मोबाइल आदि से कहीं न कहीं इंटरनेट से जुड़े हैं इसलिए साइबर क्राइम, साइबर अपराध, साइबर-आतंकवाद जैसे शब्दों के बारे में हमें सुनने को मिलता है। आइए जानें साइबर अपराध है क्या? साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होता है। आजकल साइबर अपराध कंप्यूटर के साथ-साथ मोबाइल/ टैब/ आईपैड आदि से भी किया जा रहा है। किसी की भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना, आर्थिक क्षति पहुंचाना भी साइबर अपराध है। कंप्यूटर अपराध भी कई प्रकार से किये जाते हैं जैसे कि जानकारी चोरी करना, जानकारी मिटाना, जानकारी में फेर बदल करना, किसी की जानकारी किसी और को देना या नष्ट करना। साइबर अपराध भी कई प्रकार के हैं जैसे कि स्पैम ईमेल, हैकिंग, फिशिंग, विशिंग, स्पेमिंग, वायरस डालना, किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर हर वक़्त नजर रखना आदि।

मनोज कुमार साव
सहायक प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, मुंबई

आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। उभरती हुई प्रौद्योगिकी का सबसे ज्यादा फायदा बैंकिंग क्षेत्र को ही हुआ है। बैंक आईटी क्रांति के सबसे बड़े लाभार्थियों में शामिल हैं और उसने अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लिया है। एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर), आरटीजीएस (रीयल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम्स), ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस) और मोबाइल जैसे ऑनलाइन लेन-देन प्रौद्योगिकी के कारण ही साकार हो पाये हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट प्रौद्योगिकियों के तेजी से विस्तार के साथ साथ "साइबर अपराध" भी उसी प्रकार बढ़ा है। बढ़ते समय के साथ साइबर अपराध की घटनाओं की प्रकृति और पैटर्न और भी अधिक परिष्कृत और जटिल बनती जा रही है। पिछले दशक में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में साइबर अपराध काफी बढ़ा हैं। साइबर अपराध के पीछे वित्तीय लाभ अर्जित करना सबसे महत्त्वपूर्ण कारक रहा है, भविष्य में इसके बढ़ने के आसार और अधिक हैं (सिमेंटेक, 2015)।

परिचय: internetlivestats.com के अनुसार विश्व में लगभग 46.1 प्रतिशत लोग ऑनलाइन हैं (1 जुलाई 2016 के स्थिति के अनुसार) यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इसका साक्ष्य हम भारत के परिपेक्ष्य में देख सकते हैं यथा वर्ष 2014 में भारत की कुल जनसंख्या का 18 प्रतिशत लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे जो वर्ष 2015 व 2016 में बढ़कर क्रमश: 27 प्रतिशत एवं 34.8 प्रतिशत हो गयी। (1 जुलाई 2016 के स्थिति के अनुसार)

आज इंटरनेट हमारी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा हो गया है। प्रत्येक दूसरा व्यक्ति इसका लाभ बैंकिंग, ई-वाणिज्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि में उठा रहा है। स्मार्टफोन की लहर ने निश्चित रूप से इस इंटरनेट विकास में एक जबरदस्त उत्प्रेरक के रूप में काम किया है। ऑनलाइन सेवा लेने वालों की संख्या जैसे-जैसे बढ़ रही है उनकी सुरक्षा संबंधी खतरे उसी प्रकार बढ़ रहे हैं, इसी खतरे को साइबर क्राइम के रूप में परिभाषित किया गया है जैसा कि ऊपर उल्लिखित है।

आज, वेब टेक्नोलॉजी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का एक अभिन्न और निर्णायक हिस्सा है। विश्व भर में नकद रहित लेन-देन का विस्तार करने से मज़बूत ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का लगातार विकास हुआ है। विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप डिजिटल लेनदेन को काफी अधिक प्रोत्साहन मिला। मूल्य और मात्रा दोनों ही दृष्टियों से परंपरागत डेबिट / क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड उपकरण अभी भी खुदरा भुगतान हेतु काफी हद तक इस्तेमाल किये जा रहें हैं।

जनसांख्यिकीय स्थिति में बदलाव और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आए नये प्रयोगों ने मिलकर बैंकों को एटीएम, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग जैसे डिलीवरी चैनलों को अपनाने के लिए बाध्य किया है, जो उन्हें अमूर्त संस्थाओं में रूपांतरित कर रहे हैं। वित्तीय लेन-देनों में डिजिटल माध्यम अपनाने हेतु हाल के दबाव ने डिजिटल उत्पादों, विशेषकर वॉलेट और यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के उपयोग को बढ़ाया है। अप्रैल 2017 में भारत सरकार ने पूरे देश में भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) ऐप लागू करने की घोषणा की और लोगों को भुगतान और प्राप्ति के लिए डिजिटल तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। डिजिटल भुगतान की ओर अग्रसर होना देश के हित में है क्योंकि इससे नोटों के मुद्रण की लागत में कमी आने के साथ-साथ लेन-देनों का रिकार्ड भी आसानी से रखा जा सकता है जिससे कर की चुकौती संबंधी अनुपालन बेहतर होता है। किन्तु इससे जोखिम के नए रास्ते उत्पन्न होंगे क्योंकि डिजिटल भुगतान चैनल विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि और शैक्षणिक स्तर वाले लोगों के बीच शुरू हुआ है। फिशिंग, विशिंग और सोशल इंजिनियरिंग जैसे साधारण आक्रमण ही नहीं बल्कि सरकारी भागीदार द्वारा समर्थित अथवा बगैर – समर्थित संगठित समूहों द्वारा किये गये दुस्साहसपूर्ण आक्रमण की घटनाएं भी सामने आई हैं।

बैंकिंग क्षेत्र में साइबर खतरा

बैंकों और उनके संघटकों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग तेजी से बढ़ा है और यह अब बैंकों की परिचालनीय कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे-जैसे बैंकों में तकनीक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे साइबर घटनाओं/आक्रमणों की संख्या भी बढ़ रही है। 2016 में, जुनिपर रिसर्च ने एक अध्ययन के माध्यम से अनुमान लगाया है कि 2019 तक साइबर क्राइम के कारण वैश्विक क्षति 2.1 ट्रिलियन के बराबर हो सकती है।[2] हॉवेवर्सच का अनुमान केवल इंगित और अनुमानित है। वास्तविक क्षति इससे भी ज्यादा हो सकती है जो अनुमान से परे हो सकता है। साइबर अपराधों को सामान्यतः साइबर आतंकवाद, साइबर-बदमाशी, कंप्यूटर से तबाही, सॉफ्टवेयर चोरी, पहचान की चोरी, ऑनलाइन चोरी और धोखाधड़ी, ईमेल स्पैम और फ़िशिंग और कई अन्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए गए वित्तीय साइबर अपराध में निम्नलिखित श्रेणियां प्रमुख हैं:

- **हैकिंग:** यदि कोई व्यक्ति कहीं दूर बैठकर आपके कंप्यूटर, वेबसाइट या प्रोफ़ाइल पर किसी कमजोरी का फायदा उठाकर इंटरनेट की सुरक्षा को तोड़कर उसमें लॉगिन करने में सक्षम होता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने आपका कंप्यूटर, वेबसाइट, या आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को हैक कर लिया है अब यदि वह लॉगिन करता है तो ज़ाहिर सी बात है उसके पास पूरा अधिकार है। फिर वह आपके कंप्यूटर, वेबसाइट या आपकी प्रोफाइल के साथ कुछ भी कर सकता है, या हो सकता है कि वह उसका गलत इस्तेमाल करे।

- **फ़िशिंग:** जिस प्रकार मछली पकड़ने के लिए कांटे में चारा लगाकर डाला जाता है और चारा खाने की लालच या धोखे में आकर मछली काँटें में फंस जाती है। उसी प्रकार फ़िशिंग भी हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स के साथ की गयी धोखेबाजी को कहते हैं। जिसमें वह आपकी निजी जानकारी को धोखेबाजी के माध्यम से चुरा लेते हैं और उसका गलत उपयोग करते हैं।

- **विशिंग:** विशिंग अपराध टेलीफोन की मदद से किया जाता है। इसमें अपराधी वित्तीय लाभ अर्जित करने के लिए सामान्य जन को फोन कर के आंतरिक सूचना मांगता है एवं उसका गलत इस्तेमाल करते हुए आर्थिक अपराध को अंजाम देता है। वर्तमान में भारतीय वित्तीय क्षेत्र में यह अपराध बहुत ज्यादा हो रहा है।

- **ईमेल स्पूफिंग:** एक जाली प्रेषक पते के साथ ई-मेल संदेशों को भेजा जाता है। ऐसा करना आसान है क्योंकि कोर प्रोटोकॉल में इसके प्रमाणन के लिए कोई तंत्र नहीं है। यह एक लैन के द्वारा या ट्रोजन का उपयोग कर एक बाहरी वातावरण से पूरा किया जा सकता है। स्पैम और फ़िशिंग ईमेल आम तौर पर संदेश की उत्पत्ति के बारे में प्राप्तकर्ता को गुमराह करते हैं जिसका लाभ अपराधी उठाते हैं।

- **स्पैमिंग:** स्पैम उस प्रकार के ईमेल को कहते है जो थोक में भेजा जाता है, बिना मांगे या बुलाये आ जाता है, जिसमें प्राय: विज्ञापन भरे होते है। अप्रैल 2008 के एक अध्ययन से पता चलता है कि हर रोज कम से कम 100 अरब स्पैम भेजी जाती है।[3] इंटरनेट सुरक्षा के लिए कार्यरत कंपनी ट्रेंड माइक्रो के अनुसार भारत, एशिया में सातवाँ बड़ा देश है जहाँ स्पैमिंग भारी मात्रा में की जाती है।

- **सेवा से इनकार आक्रमण (डिनायल ऑफ सर्विस अटैक):** यह इंटरनेट की दुनिया में किसी सर्वर या वेबसाइट पर किया जाने वाला एक ऐसा आक्रमण है जिससे किसी भी सर्वर या वेबसाइट को डाउन कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है या फिर उस वेबसाइट के यूजर के लिए वेबसाइट को अनुपलब्ध कर दिया जाता है। जिससे कोई भी यूजर उस वेबसाइट तक नहीं पहुंच पाता है और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे सिर्फ एक ही आदमी का हाथ नहीं होता है बल्कि हैकर्स की पूरी टीम होती है जो मिलकर इस आक्रमण को अंजाम देती है और आक्रमण करने वाली यह टीम बॉटनेट (Botnet) के जरिये किसी साइट को डाउन या उस वेबसाइट के यूजर के लिए सर्विस अनुपलब्ध कर देते हैं ।

- **डाटा डिडलिंग -** इस हमले में कंप्यूटर के कच्चे डाटा को प्रोसेस होने से पहले ही बदल दिया जाता है। जैसे ही प्रोसेस पूर्ण होता है डाटा फिर मूल रूप में आ जाता है।

- **सलामी अटैक -** इस मामले में गुपचुप तरीके से आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जाता है। ये अपराध बैंकों में ज्यादा होते हैं जैसे कोई व्यक्ति यदि ऐसा प्रोग्राम बैंक सर्वर में डाल दे जिससे हर खाते से इतना कम धन कटता है कि वह नजरअंदाज होता रहता है।

- **लॉजिक बम -** यह स्वतंत्र प्रोग्राम होता है। इसमें प्रोग्राम इस तरह से बनाया जाता है कि यह तभी एक्टिवेट हो जब कोई विशेष तारीख या घटना आती है। बाकी समय ये प्रोग्राम सुप्त पड़े रहते हैं।

- **ट्रोजन हॉर्स** - यह एक अनधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से ऐसे काम करता है जैसे यह अधिकृत प्रोग्राम हो।

- **एटीएम स्किमिंग और प्वाइंट ऑफ़ सेल अपराध:**

क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारी की चोरी को स्किमिंग कहते हैं। इस तरीके में चोर अपने शिकार के क्रेडिट कार्ड का नंबर, रसीदों की फोटो कॉपी करके या और अधिक विकसित तरीकों से जैसे एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (स्किमर) का प्रयोग करके सैकड़ों क्रेडिट कार्ड नंबर अपने पास संग्रहित कर सकते हैं। स्किमिंग एटीएम/ पीओएस आदि में किया जाता है। इसमें चोर आपके डेटा का स्किमिंग करके बाद में धोखाधड़ी करता है।

भारत में साइबर अपराध काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि तत्कालीन कानून राज्य मंत्री पी. पी. चौधरी ने लोक सभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) से प्राप्त डेटा के अनुसार भारत में वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 में क्रमश: 44,679, 49,455 और 50,362 साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाएँ घटित हुईं। 04 सितम्बर 17 को नवभारत टाइम्स में छपी खबर के अनुसार जून 2017 तक 27,482 साइबर हमले किए गए। रैंसमवेयर वायरस 'वानाक्राई' से प्रभावित 100 देशों में भारत तीसरा सबसे अधिक प्रभावित देश रहा है।

देश के 19 बैंक पहली बार इस तरह के संकट से गुजर रहे हैं जब हैकिंग और डाटा लीक के डर से उन्हें करीब 32 लाख डेबिट कार्ड्स या तो ब्लॉक करने पड़े हैं या फिर उन्होंने ये कार्ड्स रिकॉल कर लिए हैं। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की सिक्युरिटी में लगी सेंध के बाद हुई और यहीं से जो डाटा लीक हुआ उससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बैंकों ने ये कदम उठाया है। इसे देश में हुई अब तक की सबसे बड़ी डेबिट कार्ड डाटा की चोरी माना जा रहा है और बैंकों ने ग्राहकों को एहतियातन अपने पिन बदल देने के लिए अलर्ट जारी किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 (दिसंबर 2016 तक) के दौरान कुल 9,500, 13,083, 16,468 और 8,689 क्रेडिट कार्ड, एटीएम / डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए हैं-

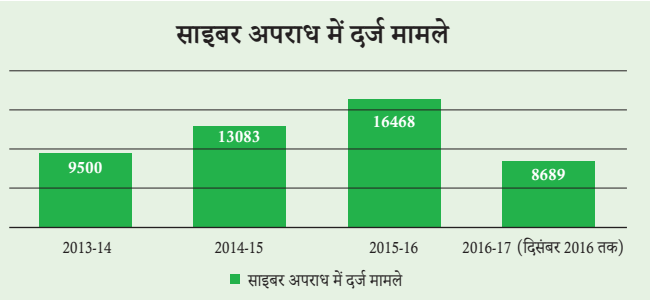

@स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि गूगल प्रत्येक सप्ताह मैलवेयर के लिए लगभग 20,000 वेबसाइटों को एवं फ़िशिंग के लिए एक हफ्ते में लगभग 50,000 वेबसाइटों को ब्लैकलिस्ट करता है। मार्च 2016 में गूगल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लगभग 50 मिलियन से अधिक वेबसाइट उपयोगकर्ताओं को किसी न किसी प्रकार के साइबर आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि साइबर अपराध किस गति से विश्व में बढ़ रहा है। जैसाकि

भारत विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा इंटरनेट उपयोग करने वाला देश बन गया है, अत: भारत को इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आने वाले दिनों में जैसे-जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन पर हमारी निर्भरता और बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे इस तरह के क्राइम बढ़ने की आशंका भी बढ़ती जाएगी।

साइबर सुरक्षा घटना तीन तरह से वित्तीय स्थिरता के प्रति खतरा पैदा कर सकती है: ये घटनाएँ (i) महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाली वित्तीय फर्म के परिचालन में रुकावट डाल सकती हैं (ii) फर्म और बाज़ार में विश्वास को कम कर सकती हैं, तथा (iii) मुख्य डाटा की अखंडता[5] को क्षति पहुंचा सकती है। हाल की घटनाएँ जैसे, एटीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर पर चतुर तरीके से आक्रमण कर कई कार्डों का दुरुपयोग / सुरक्षा से समझौता करना; विदेशी वेंडर के माध्यम से बैंकों पर साइबर आक्रमण तथा क्रॉस बार्डर निधि अंतरण प्रणाली पर आक्रमण (यद्यपि समय पर सावधानी के कारण इससे कोई नुकसान नहीं हुआ) से ऐसी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं जिनका असर वित्तीय स्थिरता पर पड़ सकता है। [6]

अक्तूबर 2016 में साइबर जोखिम से उत्पन्न तेजी से बढ़ते खतरे को देखते हुए, जी 7 देशों ने संस्थाओं, एजेंसियों और देशों के बीच परस्पर सहयोग पर बल देते हुए वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए मूलभूत सिद्धान्त बनाया है।[7] वित्तीय बाज़ार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एफ़एमआई) के लिए साइबर –आघात सहनीयता पर इनका दिशानिर्देश जून 2016 में जारी किया गया। सीपीएमआई-बीआईएस/आईओएससीओ में कहा गया कि एफ़एमआई वित्तीय आघात के स्रोत हो सकते हैं यदि इनका प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया तो ये चलनिधि संबंधी अस्थिरता और ऋण हानि का कारण बन सकते हैं[8]। यह मार्गदर्शन जोखिम प्रबंधन श्रेणियों की व्यापक रूपरेखा दर्शाने के साथ-साथ उन समग्र घटकों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिसका समाधान एफ़एमआई के पारस्परिक सहयोगपूर्ण साइबर आघात-सहनीयता फ्रेमवर्क में किये जाने की आवश्यकता है।

साइबर अपराध को रोकने के लिए विविध विनियामक आयाम:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को समय-समय पर साइबर अपराध के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया जाता है एवं उसकी समीक्षा भी की जाती है। साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल, 2010 में सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी का सामना करने के लिए एक कार्य समूह (वर्किंग ग्रुप) का गठन किया। समिति ने जनवरी 2011 में अपनी रिपोर्ट पेश की। समूह का गठन कार्यकारी निदेशक श्री जी गोपालकृष्ण की अध्यक्षता में किया गया था। समूह ने बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान किया और नौ व्यापक क्षेत्रों में अपनी सिफारिशें कीं। ये क्षेत्र- आईटी प्रशासन, सूचना सुरक्षा, आईएस ऑडिट, आईटी संचालन, आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग, साइबर धोखाधड़ी, कारोबार निरंतरता योजना, ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम और कानूनी मुद्दे हैं। समिति की अनुशंसा के आधार पर बैंकों को इन्फोर्मेशन सिक्यूरिटी, इलेक्ट्रानिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे जिसमें यह बताया गया था कि कार्यान्वयन हेतु बताए गए उपाय स्थायी नहीं हैं और बैंक नए संवर्धन विकास और उत्पन्न कठिनाइयों के आधार पर अपनी नीतियों, प्रणालियों और तकनीकों को सक्रिय रूप से तैयार करें और संशोधित करते रहें। [9]

भारतीय रिज़र्व बैंक ने साइबर जोखिम की आघात सहनीयता और कार्रवाई का आकलन करने के लिए प्रमुख बैंकों की व्यापक आईटी सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा की है। आगे यह प्रस्ताव है कि बैंकों में साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण जोखिम

संकेतों की ऑफ साइट पहचान और महत्वपूर्ण कार्यों/ चैनलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए। बैंकों द्वारा जून 2016 में प्रारम्भ की गई घटना रिपोर्टिंग व्यवस्था अब व्यवस्थित हो गयी है। इस संबंध में अंतर्विषयक एक स्थायी समिति का गठन किया गया है जिसका कार्यक्षेत्र अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित होगा - मौजूदा/ उभरती हुई प्रौद्योगिकी में निहित खतरों की समीक्षा करना; अपनाए गए विभिन्न सुरक्षा मानकों / प्रोटोकॉल का अध्ययन करना; हितधारकों के साथ इंटरफेस; और साइबर सुरक्षा और आघात सहनीयता को मज़बूत करने के लिए उचित नीतिगत हस्तक्षेप के बारे में सुझाव देना। कार्ड आधारित भुगतान, मोबाइल बैंकिंग और विक्रेता जोखिम प्रबंधन से संबंधित सुरक्षा पहलुओं पर विचार करने के लिए स्थायी समिति के तहत उप समूहों का गठन किया गया है।

भा.रि.बैं. ने साइबर हमलों की स्थिति में वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के बीच समन्वय और सूचना साझा करने के लिए ढांचा तैयार करने की आवश्यकता की पहचान भी की है। इस कार्य के लिए, भा.रि.बैं. ने हाल ही में अपना पहला सूचना सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया है और "भारतीय बैंक - जोखिम और खतरा विश्लेषण केंद्र" (IB - CART) नामक एक क्षेत्रीय साझा इंटरफ़ेस को औपचारिक रूप दिया है। इसके अलावा, भा.रि.बैं. ने बैंकों को एक अल्टीमेटम भी जारी किया है जिसके अंतर्गत उन्हें सुरक्षा संबंधी कोई भी उल्लंघन तुरंत रिपोर्ट करना अनिवार्य है। बैंकों को इसके लिए एक उचित व्यवस्था बनाने के लिए 31 मार्च 2017 तक का समय दिया गया था।

आरबीआई, सेबी और आईआरडीए जैसे विभिन्न विनियामकों ने हाल ही में अपनी विनियमित संस्थाओं के लिए कड़े साइबर सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए हैं। जैसाकि पहले नोट किया गया है, प्रभावी कार्रवाई के लिए समग्र सतर्कता की आवश्यकता है। इस संदर्भ में वित्त मंत्री ने वर्ष 2017-18 के अपने बजट भाषण में यह कहा है कि "हमारे वित्तीय क्षेत्र की सत्यनिष्ठा और स्थिरता को बचाये रखने के लिए साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है।" उन्होंने यह भी घोषित किया कि "वित्तीय क्षेत्र के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रेसपान्स टीम (सीईआरटी-फिन) की स्थापना की जाएगी जो वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों और हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करेगी"। उपर्युक्त घोषणा के अनुवर्तन में 06 मार्च 2017 को महानिदेशक, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रेसपान्स टीम (सीईआरटी-फिन) की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया जिसके सदस्यों में आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएँ विभाग, इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान, रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम शामिल हैं।

उप गवर्नर की अध्यक्षता में सरकार द्वारा स्थापित कार्य समूह इंडियन कम्प्यूटर इमर्जेंसी रेसपोंस टीम (सीईआरटी-इन) ने वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों, विभागों एवं विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधित्व के उपरांत इंडियन कम्प्यूटर इमर्जेंसी रेसपोंस टीम फॉर फाईनेंशियल सेक्टर (सीईआरटी-एफआईएन) के गठन के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को जून 2017 में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था और इसपर प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार जारी है। यह अनुशंसा की गई थी कि सीईआरटी-एफआईएन अन्य बातों के साथ-साथ रिपोर्ट की गई वित्तीय क्षेत्र की साइबर घटनाओं का विश्लेषण करेगा, साइबर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं पर चेतावनी एवं पूर्वानुमान जारी करेगा, वित्तीय क्षेत्र में एक शक्तिशाली एवं आधुनिक साइबर सुरक्षा तंत्र स्थापित करने की दिशा में किए गए क्षेत्रगत प्रयासों की निगरानी करेगा, सभी

हितधारकों को नीतिगत सलाह देगा एवं विनियमित संस्थाओं एवं जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने की दिशा में योगदान देगा। सीईआरटी-एफआईएन के पूरी तरह से कार्य शुरू करने के संक्रमण काल तक, भारतीय रिज़र्व बैंक अग्रणी विनियामक की तरह कार्य करेगा। साथ ही, सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान के तकनीक एवं प्रक्रिया दोनों में शामिल सुरक्षा संबंधी मुद्दों के परीक्षण के लिए डिजिटल भुगतान सुरक्षा समिति का गठन किया गया है।

सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों (एमआईआई) को विभिन्न साइबरथ्रेट वैक्टर एवं साइबर हमले के परिदृश्य की सूची तैयार करने के लिए और वैसे मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई करने की भी सलाह दी है। इसके बाद, सीईआरटी-इन की साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) और आंतरिक अनुसंधान के आधार पर साइबर खतरा वैक्टर और हमले के परिदृश्यों की एक व्यापक सूची सेबी ने परिचालित की है। साइबर सुरक्षा एवं वर्तमान जोखिमों एवं धोखाधड़ियों के विरुद्ध सुरक्षा के संबंध में एमआईआई को भी सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके बारे में मार्गदर्शन को आंतरिक प्रयोगकर्ताओं, बाज़ार की मध्यस्थ संस्थाओं एवं निवेशकों के लिए परिचालित करने की सलाह दी गई थी। रैनसमवेयर संबंधी खतरों एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी) जैसी अन्य एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों को सलाह भी दी है। 2 करोड़ से ज्यादा फोलियो संधारित करने वाले वैसे सभी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को सेबी द्वारा साइबर सुरक्षा एवं साइबर आघात सहनीयता ढांचा मुहैया करवाया गया था।

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा साइबर घटनाओं से निपटने के लिए बीमा कंपनियों को अपने साइबर संकट प्रबंधन योजनाओं (सीसीएमपी) को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का अनुरोध किया गया है एवं अप्रैल 2017 में सूचना और साइबर सुरक्षा पर दिशानिर्देशों को स्थापित करने के लिए बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किए गए। 12 अक्तूबर 2017 को प्राधिकरण ने फिर से बीमा कंपनियों को सुरक्षा ऑडिट करवाने और अप्रैल के परिपत्र में उल्लिखित अन्य दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सलाह दी। साथ ही बीमा कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे सीईआरटी-इन पैनल में सूचीबद्ध ऑडिटरों के माध्यम से सुभेद्यता मूल्यांकन और व्यापन परीक्षा (वीएपीटी) सहित अपनी सूचना और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के बुनियादी ढांचे के सुरक्षा ऑडिट के संचालन के लिए तत्काल कदम उठाएं एवं पाई गई कमियों की पहचान कर यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑडिट में प्राप्त कमियों को तेजी से सुधारा जाए।

साइबर जोखिम प्रबंधन और प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों का आईटी केंद्रित परीक्षण किया जाता रहा है। जबकि जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के अधीन बैंक के समग्र जोखिम प्रोफ़ाइल के आकलन को फैक्टर किया जाता है एवं इसके तहत वर्ष के दौरान भुगतान प्रणालियों एवं नेटवर्क सुरक्षा जैसे कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों में अधिक व्यापक अनुसंधान किया जाना प्रस्तावित है। ऑफसाइट निगरानी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न डेटा बिंदुओं (दोनों उद्देश्यपरक एवं वस्तुपरक) के माध्यम से बैंकों की साइबर सुरक्षा की अवस्था से संबंधित सूचना तिमाही आधार पर एकत्र की जा रही है। बैंकों की तैयारी एवं प्रतिक्रिया क्षमताओं का आकलन करने के लिए समय-समय पर साइबर ड्रिल किए जाते हैं। यह प्रयास रिज़र्व बैंक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) द्वारा किया जा रहा है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है।[10]

साइबर अपराध को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा भी

कानून बनाया गया है। 7 अक्तूबर, 2000 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 (सूचना तकनीक क़ानून, 2000) अस्तित्व में आया। 27 अक्तूबर, 2009 को एक घोषणा द्वारा इसे संशोधित किया गया। इसके तहत साइबर अपराध के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए।[13]

सूचना तकनीक क़ानून, 2000 के अंतर्गत साइबरस्पेस में क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान

1. कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश-धारा 65
2. कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश-धारा 66
3. संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 ए
4. कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को ग़लत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 बी
5. किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 सी
6. अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का प्रावधान- धारा 66 डी
7. किसी की निजता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 इ
8. साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 एफ
9. आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान-धारा 67
10. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 67 ए
11. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण, जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो-धारा 67 बी
12. मध्यस्थों द्वारा सूचनाओं को बाधित करने या रोकने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 67 सी
13. सुरक्षित कंप्यूटर तक अनधिकार पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान-धारा 70
14. डाटा या आंकड़ों को ग़लत तरीक़े से पेश करना-धारा 71
15. आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान-धारा 72 ए
16. कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर सूचनाओं को सार्वजनिक करने से संबंधित प्रावधान-धारा 72 ए
17. फर्ज़ी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन-धारा 73

सूचना तकनीक क़ानून की धारा 78 में इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को इन मामलों में जांच का अधिकार हासिल है।

भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) में साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधान

1. ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना-आईपीसी की धारा 503
2. ईमेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजना, जिससे मानहानि होती हो-आईपीसी की धारा 499
3. फर्ज़ी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल-आईपीसी की धारा 463
4. फर्ज़ी वेबसाइट्स या साइबर फ्रॉड-आईपीसी की धारा 420
5. चोरी-छुपे किसी के ईमेल पर नज़र रखना-आईपीसी की धारा 463
6. वेब जैकिंग-आईपीसी की धारा 383
7. ईमेल का ग़लत इस्तेमाल-आईपीसी की धारा 500

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी दिशा निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर बैंकों को साइबर सुरक्षा संबंधित दिशा-निर्देश[11] जारी करता रहा है जिनमें से संक्षिप्त रूप में कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं-

I. बोर्ड द्वारा अनुमोदित साइबर सिक्यूरिटी नीति की आवश्यकता

बैंकों को अपने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित साइबर सिक्यूरिटी नीति को तत्काल लागू करना चाहिए जिसमें साइबर खतरों से लड़ने के लिए उचित उपायों की रणनीति तथा कारोबार की जटिलताओं का स्तर और जोखिम का स्वीकार्य स्तर स्पष्ट होने चाहिए।

II. साइबर सिक्यूरिटी नीति, बैंक की विस्तृत आईटी नीति / आईएस सिक्यूरिटी नीति से भिन्न हो

साइबर सुरक्षित माहौल को बनाने में सम्पूर्ण बैंक के योगदान की आवश्यकताओं पर ध्यान देने हेतु साइबर सिक्यूरिटी नीति, विस्तृत आईटी नीति / आईएस सिक्यूरिटी नीति से भिन्न एवं अलग होनी चाहिए ताकि यह साइबर खतरों के जोखिमों और इन जोखिमों से निपटने / कम करने के उपायों पर प्रकाश डाल सके।

III. नियमित चौकसी की व्यवस्था

साइबर-आक्रमण का स्वरूप इस प्रकार है कि वे कभी भी घटित हो सकते हैं और अनुमान से परे भी हो सकते हैं। अतः इसे ध्यान में रखते हुए बैंकों को यह आदेश दिया गया है कि एसओसी (सिक्यूरिटी ऑपरेशन सेंटर) यथाशीघ्र स्थापित किया जाए, अगर यदि ऐसा पहले नहीं किया गया हो।

IV. आईटी संरचना सुरक्षा के लिए हितकर हो

आईटी आर्किटेक्चर इस तरह से बनाया जाए कि वह सदैव लागू किए जाने वाले सुरक्षा उपायों की सुविधा का ध्यान रखे। बोर्ड की आईटी उप समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जाए और यदि आवश्यक हो तो, इसके जोखिम मूल्यांकन के अनुसार इसे चरणबद्ध तरीके से अद्यतन किया जाए।

V. व्यापक रूप से नेटवर्क तथा डाटाबेस सुरक्षा पर गौर करना

हाल की घटनाओं के कारण प्रत्येक बैंक में नेटवर्क सुरक्षा की बेहतर तरीके से समीक्षा करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेटवर्कों तथा डाटाबेसों में अप्राधिकृत रूप से एक्सेस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा जब कभी अनुमति दी जाए, तो निर्धारित प्रक्रियाओं का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।

VI. ग्राहक सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना

बैंक अपने सुचारु कामकाज के लिए ही नहीं बल्कि अपने ग्राहकों को उन्नत डिजिटल उत्पाद देने तथा विभिन्न व्यक्तिगत तथा संवेदनशील सूचनाओं को एकत्र करने की प्रक्रिया के लिए प्रौद्योगिकी पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। बैंकों को, इस प्रकार के डाटा के अभिरक्षक के रूप में, इसकी गोपनीयता, सत्यनिष्ठा तथा उपलब्धता को संरक्षित करने के लिए उचित उपाय करने चाहिए, भले ही डाटा उनके पास हो/ ट्रांजिट में हो या ग्राहकों या तृतीय पार्टी वेंडर के पास हो; इस प्रकार की भंडारित सूचना की गोपनीयता के साथ किसी भी अवस्था में समझौता नहीं किया जाना चाहिए तथा इस प्रयोजन हेतु, बैंकों द्वारा समूचे डाटा/सूचना के आदान-प्रदान में उचित प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को लागू करने की आवश्यकता है।

VII. साइबर संकट प्रबंधन योजना

साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) को तुरंत शुरू करना चाहिए तथा इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित समग्र कार्यनीति का एक हिस्सा होना चाहिए। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि साइबर-जोखिम अन्य कई जोखिमों से अलग है,

परंपरागत बीसीपी/डीआर व्यवस्थाएँ पर्याप्त नहीं होंगी तथा साइबर-जोखिम की मात्रा को ध्यान में रखते हुए इस पर फिर से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सीईआरटी-आईएन ने राष्ट्रीय साइबर संकट प्रबंधन योजना तथा साइबर सुरक्षा मूल्यांकन फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। सीसीएमपी बनाते समय सीईआरटी-आईएन / एनसीआईआईपीसी / आरबीआई / आईडीआरबीटी दिशानिर्देश का संदर्भ लिया जाए।

VIII. साइबर सुरक्षा मुस्तैदी संकेतक

साइबर आघात-सहनीयता फ्रेमवर्क की पर्याप्तता तथा उसके पालन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा जोखिम/मुस्तैदी के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए संकेतकों में उतार-चढ़ाव के रूप में मापा जाना चाहिए। इन संकेतकों को स्वतंत्र अनुपालन जाँचों तथा योग्य तथा सक्षम प्रोफेशनल्स द्वारा की गई लेखा परीक्षाओं द्वारा व्यापक जांच के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के साथ-साथ हितधारकों के बीच जागरूकता को भी इस मूल्यांकन का भाग बनाया जाए।

IX. आरबीआई के साथ साइबर-सुरक्षा घटनाओं से संबंधित सूचनाओं को साझा करना

यह पाया गया है कि बैंक अपने स्तर पर पायी गई साइबर–घटनाओं को शेयर करने में संकोच करते हैं। तथापि, वैश्विक रूप से मिले अनुभव यह दर्शाते हैं कि साइबर–घटनाओं को शेयर करने में संस्थाओं के बीच परस्पर सहयोग तथा निर्धारित प्रक्रियाओं से साइबर–जोखिमों को रोकने के लिए समय पर उपाय लागू किए जा सकेंगे। इस प्रकार के समन्वित प्रयासों से सामूहिक खतरे की सूचना, समय पर अलर्ट्स तथा सक्रिय साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाने में बैंकों को मदद मिलेगी।

X. पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क

रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि साइबर-घटनाओं सहित सुरक्षा सूचना घटना संबंधी ब्योरे के साथ-साथ सारांश स्तरीय सूचना एकत्र की जाए। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि घटनाओं की सूचना आरबीआई द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में तुरंत भेजी जाए।

XI. संगठनात्मक व्यवस्थाएँ

बैंकों को संगठनात्मक व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी चाहिए ताकि सुरक्षा समस्याओं का मूल्यांकन कर उसपर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके तथा तुरंत कार्रवाई करने हेतु सक्षम प्राधिकारी तक ले जाया जा सके।

XII. हितधारकों /शीर्ष प्रबंधन /बोर्ड के बीच साइबर-सुरक्षा जागरूकता

ध्यान रखा जाए कि साइबर जोखिम का प्रबंधन करने हेतु साइबर-सुरक्षित माहौल बनाने के लिए पूरे संगठन की प्रतिबद्धता आवश्यक है। इसके लिए सभी स्तरों पर स्टाफ के बीच एक उच्च स्तर की जागरूकता की आवश्यकता होगी। शीर्ष प्रबंधन तथा बोर्ड के पास खतरों की सूक्ष्मतम जानकारी होनी चाहिए तथा उन्हें उचित फेमिलियराइजेशन प्रदान किया जाना चाहिए। बैंक पूरी सक्रियता से अपने ग्राहकों, वेंडरों, सेवा प्रदाताओं तथा अन्य संबंधित हितधारकों के बीच बैंक की साइबर आघात-सहनीयता उद्देश्यों की समझ पैदा करें तथा उनके एकलयबद्ध कार्यान्वयन तथा जांच के लिए उचित कार्रवाई की अपेक्षा को सुनिश्चित करें।

XIII. बैंकों को सुझाव दिया गया कि उन्हें साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) को तुरंत शुरू करना चाहिए तथा इसे बोर्ड की अनुमोदित समग्र कार्यनीति का एक हिस्सा होना चाहिए। इसके तहत निम्नलिखित चार पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए : (i) पहचानना (ii) जवाबी कार्रवाई (iii) सुधार तथा (iv) नियंत्रण। बैंकों को साइबर हमले को रोकने के लिए प्रभावी उपाय के साथ-साथ किसी भी साइबर-घुसपैठ का तुरंत पता लगाना भी आवश्यक है ताकि किसी अनहोनी पर जवाबी कार्रवाई/सुधारात्मक कार्रवाई/नियंत्रणात्मक कार्रवाई की जा

सके। बैंकों से अपेक्षा है कि उभरते हुए साइबर हमले जैसे कि 'ज़ीरो-डे' हमले, रिमोट एक्सेस खतरे तथा इरादतन हमलों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को विभिन्न प्रकार के साइबर खतरों, जैसे सेवा से इंकार, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेस (डीडीओएस), रेनसमवेयर/क्रिप्टोवेयर, घातक मालवेयर, व्यवसाय ई-मेल धोखाधड़ी जैसे कि स्पैम, ई-मेल फिशिंग, स्पियर फिशिंग, व्हेलिंग, विशिंग धोखाधड़ी, ड्राइव-बाय डाऊनलोड, ब्राउज़र गेटवे धोखाधड़ी, घोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर एक्सप्लोइट्स, पहचान संबंधी धोखाधड़ी, मेमोरी अपडेट धोखाधड़ी, पासवर्ड संबंधी धोखाधड़ी से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक तथा सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।

भावी परिदृश्य

➢ उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई संख्या और नागरिकों का डेटा जिस रूप से डिजिटल रूप में रखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लेन-देन ऑनलाइन किए जा रहे हैं तथा भविष्य में इसकी संख्या और बढ़ने वाली है, जिससे दुर्भावनापूर्ण लोगों द्वारा साइबर आक्रमण एवं डाटा चोरी की घटनाएं और बढ़ेगी।

➢ भारत डिजिटल क्षेत्र में एक महत्वरपूर्ण परिवर्तन को देखने के लिए तैयार है क्योंकि भारत सरकार ने विभिन्न डिजिटल योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है जैसे- डिजिटल लॉकर, डिजिटल वैलट आदि। इसने अंतहीन संभावनाओं का द्वार खोल दिया है जिससे आर्थिक विकास की एक नई लहर और अधिक निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी एवं इससे कई क्षेत्रों में नई नौकरियां पैदा हो रही हैं और आगे और बढ़ेगी।

➢ प्रत्येक व्यापार उत्कर्ष के साथ-साथ कुछ समस्याएँ भी आती है और इस क्षेत्र में साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में साइबर सुरक्षा के बारे में बहुत काम होना बाकी है और डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में यह कदम स्थिति को घातक बना सकता है। इसके लिए भविष्य में हमें साइबर सुरक्षा को और भी मज़बूत करने की आवश्यकता होगी।

➢ साइबर अपराधी न केवल बड़े कॉरपोरेट घरों को लक्षित कर रहे हैं बल्कि सरकारी एजेंसियों, बैंकों और अनुसंधान संस्थानों की भी अक्सर जासूसी और हैकिंग कर रहे हैं। यह साइबर सुरक्षा के लिए एक अधिक मज़बूत ढांचे की मांग करता है, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की सुरक्षा आवश्यकता बढ़ती जा रही है और आगे और बढ़ेगी।

➢ आने वाला समय साइबर युग का है। भविष्य में युद्ध हथियार और परमाणु बम के बगैर केवल साइबर युद्ध से ही जीता जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नास्कॉम रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में साइबर सिक्योरिटी पेशेवरों की जरूरत भविष्य में और पड़ेगी। साइबर सिक्युरिटी कंसल्टेंसीज निकट भविष्य में तेजी से विकास करेगा। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं होंगी। इसके लिए प्रत्येक देश एवं खास कर वित्तीय क्षेत्र को विशेष सजग रहने की आवश्यकता होगी। साइबर विशेषज्ञों के अलावा, संगठन को चाहिए कि डबल्यूएच एक अनुकूल वातावरण बनाए जहां हर कामकाजी व्यक्ति को साइबर सुरक्षा की जागरुकता के मूल स्तर से लैस किया जा सके।

➢ भविष्य में नैतिक हैकिंग को भी काफी बढ़ावा मिलने वाला है। सीधे शब्दों में कहें तो नैतिक हैकिंग एक कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने और कमियों को बेनकाब करने के लिए नियंत्रित प्रयासों के माध्यम से संगठनात्मक सुरक्षा का परीक्षण करने की प्रथा है। संस्थाएं इसे अपनी सुरक्षा जांच हेतु इस्तेमाल करेंगी ताकि कमियों का पता लगाकर उन्हें सही किया जा सके।

➢ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- साइबर सिक्योरिटी का भविष्य: कंप्यूटर और साइबर हमलों के इतिहास के दौरान,

साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों और हैकर्स के बीच एक आजीवन युद्ध रहा है। जब-जब सुरक्षा विशेषज्ञों ने खामियों को दूर किया और अपने सिस्टम और सूचना को मज़बूत करने के लिए बेहतर तरीके अपनाए तब-तब अपराधियों ने इन प्रणालियों का तोड़ ढूंढ लिया। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जो भविष्य में भी जारी रहेगा। कुछ विशेष प्रकार के साइबर हमले अधिक प्रसिद्ध हैं इस तरह के सामान्य साइबर अपराध से बचने के लिए कृत्रिम इंटेलिजेंस काम में आएगी।

➢ 2013 के बाद से साइबर परिदृश्य में तेजी से परिवर्तन आया है। इसे देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि सरकार द्वारा निर्धारित साइबर सुरक्षा नीति के संचालन के लिए एक अधिक व्यापक रूपरेखा की आवश्यकता होगी। भारत को अपनी साइबर सुरक्षा नीति अपडेट करने की आवश्यकता है।

साइबर अपराध से बचने के लिए व्यक्तिगत तौर पर बरती जाने वाली सावधानियाँ

साइबर अपराध से बचने के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से ज्यादा सचेत व जागरूक रहना पड़ेगा। इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना होगा:

➢ अपने इंटरनेट बैंकिंग और बैंकिंग लेन-देन का इस्तेमाल सार्वजनिक स्थान जैसे कि साइबर कैफे, ऑफिस, पार्क, सार्वजनिक मीटिंग और किसी भीड़-भाड़ वाले स्थान पर करने से बचें। किसी भी प्रकार के बैंकिंग लेन-देन के लिए आप अपने पर्सनल कम्प्यूटर या लैपटॉप का ही इस्तेमाल करें। जब कभी भी आप अपने इंटरनेट बैंकिंग या किसी भी जरूरी अकाउंट में लॉगिन करें, तो काम खत्म कर अपने अकाउंट को लॉगआउट करना न भूलें और जब आप लॉगिन कर रहे हों तब इस बात पर जरूर ध्यान दें कि पासवर्ड टाइप करने के बाद कम्प्यूटर द्वारा पूछे जा रहे ऑप्शन रिमेंब्बर पासवर्ड या कीप लॉगिन में क्लिक न करें।

➢ आप अपने कम्प्यूटर में अगर इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने पर्सनल कम्प्यूटर को पासवर्ड से सुरक्षित कीजिए, जिससे कोई दूसरा व्यक्ति बिना आपकी जानकारी के आपका कम्प्यूटर उपयोग न कर सकें. अगर आपका कम्प्यूटर सुरक्षित नहीं होगा, तो अपराधी या कोई व्यक्ति आपके कम्प्यूटर से जरूरी जानकारियां चुरा सकते हैं और गलत कार्यों के लिए आपके कम्प्यूटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ आप यह भी चेक करें कि आपके कम्प्यूटर में लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेटेड इन्सटाल्ड है या नहीं। यह भी चेक करें कि आपका एंटी वायरस और एंटी स्पाई वेयर सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं और उसके वेंडर से जरूरी अपडेट्स आ रहा है या नहीं।

➢ हमेशा बहुत स्ट्रांग पासवर्ड का प्रयोग करें, जिससे आसानी से किसी को पता न चले, क्योंकि साइबर क्रिमिनल प्रोग्रामर ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का निर्माण करते हैं जो कि आपके साधारण से पासवर्ड का आसानी से अनुमान कर सकता है। ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए आप ऐसा पासवर्ड सेट करें, जिसका कोई दूसरा अनुमान न लगा सके और आप आसानी से याद भी रख सकें। आपका पासवर्ड कम से कम आठ कैरेक्टर का हो जो कि लोअर केस लेटर्स, अपर केस लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का मिश्रण हो। अगर आप एक से अधिक अकाउंट्स का प्रयोग करते हैं, तो सभी के लिए अलग-अलग पासवर्ड का प्रयोग करें, अपना पासवर्ड कभी भी अपने नाम, पता, गली नंबर, जन्म तिथि, परिवार के सदस्यों के नाम, विद्यालय के नाम या अपने वाहनों के नंबर पर न बनाएं, जिसका दूसरों के द्वारा आसानी से अनुमान न लगाया जा सके। विशेष ध्यान दें कि पासवर्ड नियमित अंतराल पर बदलते रहें।

➢ किसी भी प्रकार के बैंकिंग लेन-देन के लिए आप अपने पर्सनल कम्प्यूटर या लैपटॉप का ही इस्तेमाल करें। जब कभी

भी आप अपने इंटरनेट बैंकिंग या किसी भी जरूरी अकाउंट में लॉगिन करें, तो काम खत्म कर अपने अकाउंट को लॉगआउट करना न भूलें। कभी भी आप अपने बैंकिंग यूजर नेम, लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड , ओ.टी.पी, गोपनीय प्रश्नों या गोपनीय उत्तर को अपने मोबाइल, नोटबुक, डायरी, लैपटॉप या किसी कागज पर न लिखें।

➢ अपने सोशल मीडिया के अकाउंट को देखते रहें, अगर कभी आप अपने सोशल साइट्स के अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं, तो उससे पहले आप अपनी सारी पर्सनल जानकारी को डिलीट कर दें और फिर उसके बाद आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करें या डिलीट करें. आप किसी भी स्पैम ई-मेल का उत्तर न दे, अंजान ई-मेल में आए अटैचमेंट्स को कभी खोल कर न देखें या उस पर मौजूद लिंक पर क्लिक न करें. इसमें वायरस या ऐसा प्रोग्राम हो सकता है, जिसको क्लिक करते ही आपका कम्प्यूटर उनके कंट्रोल में जा सकता है या आपके कम्प्यूटर में वायरस के प्रभाव से कोई जरूरी फाइल डिलीट हो जाए और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए।

➢ अगर किसी वेबसाइट पर कोई पॉपअप खुले और आपको कुछ आकर्षक गिफ्ट या इनाम ऑफर करे तब आप अपनी पर्सनल जानकारी या बैंक अकाउंट नंबर या बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी न भरें। अगर आप किसी ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप सीधे रिटेलर की वेबसाइट, रीटेल आउटलेट या अन्य जायज साइट से संपर्क करें. आज के दौर मे इंटरनेट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इंटरनेट पर जरा सी ना समझी स्कैमर्स को साइबर क्राइम के लिए खुला निमंत्रण देता है.

➢ किसी भी अंजान व्यक्ति को अपना मोबाइल/ टैब/ लैपटाप बिल्कुल भी न दें। आज-कल पेशेवर हैकर कुछ सेकेंड में ही आपका डेटा चोरी कर लेते हैं। अत: इसपर विशेष ध्यान दें।

➢ कभी भी सुरक्षित वेबसाइट पर ही लॉगिन करने का प्रयास करें। असुरक्षित वेबसाइट में खतरा ज्यादा होता है और साइबर अपराध का खतरा बढ़ जाता है। (12)

➢ वित्तीय लेन-देन के लिए लॉगिन करते समय हमेशा ध्यान रखें कि यूआरएल के पहले https:// का इस्तेमाल किया गया हो।

आशा है कि अगर आप इन सभी बिंदुओं पर गौर करते हैं, तो आप साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं। जागरूकता ही हमारा बचाव है। कंप्यूटर की दुनिया ऐसी है, जिसमें अनेक प्रॉक्सी सर्वर होते हैं और दुनियाभर में फैले इंटरनेट के जाल पर दुनिया की कोई सरकार हमेशा नजर नहीं रख सकती। ऐसे में जागरूकता ही बचाव है। खुद भी जागरूक बनिये और अपने आसपास के इंटरनेट इस्तेमालकर्ताओं को भी जागरूक बनाइये।

यह सर्वमान्य सत्य है कि प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे-जैसे तकनीक का विकास होता जा रहा है वैसे-वैसे साइबर अपराध भी बढ़ रहा है। साइबर अपराध को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है लेकिन इसके खतरे को कम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम समय-समय पर भारत सरकार एवं विभिन्न विनियामकीय संस्थाओं द्वारा जो दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। हालांकि भा.रि.बैं. और सरकार द्वारा उठाए गए

ये सक्रिय कदम सामयिक और बहुत-जरूरी हैं लेकिन साइबर हमलों के विरुद्ध हमारे बैंकिंग ढांचे की आघात सहनीयता सभी हितधारकों की समन्वित कार्रवाई पर निर्भर करेगी। व्यापक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट के साथ साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को समयबद्ध ढंग से लागू किया जाना चाहिए। वित्तीय क्षेत्र में साइबर अपराध दिनों-दिन बढ़ रहा है। साइबर जोखिम का प्रबंधन करने हेतु साइबर-सुरक्षित माहौल बनाने के लिए पूरे संगठन की प्रतिबद्धता आवश्यक है। इसके लिए सभी स्तरों पर स्टाफ के बीच एक उच्च स्तर की जागरूकता की आवश्यकता होगी। शीर्ष प्रबंधन तथा बोर्ड के पास खतरों की सूक्ष्मतम जानकारी होनी चाहिए। बैंक पूरी सक्रियता से अपने ग्राहकों, वेंडरों, सेवा प्रदाताओं तथा अन्य संबंधित हितधारकों के बीच बैंक की साइबर आघात-सहनीयता उद्देश्यों की समझ पैदा करें तथा उनके एकलयबद्ध कार्यान्वयन तथा जांच के लिए उचित कार्रवाई की अपेक्षा को सुनिश्चित करें। हितधारकों (ग्राहकों, कर्मचारियों, भागीदारों तथा वेंडरों को शामिल करते हुए) को साइबर–हमले से होने वाले संभाव्य प्रभाव के बारे में जानकारी देना बैंकों की साइबर सुरक्षा की तैयारी में मददगार होगी। बैंक इस संबंध में उचित कदम उठा सकते हैं। वास्तव में, इन उपायों के साथ-साथ व्यापक उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रहने चाहिए।

संदर्भ:

1. http://www.internetworldstats.com/top20.htm
2. Liu, J., Hebenton, B., &Jou, S. (n.d.). Handbook of Asian Criminology.
3. https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%88%E0%A4%AE
4. https://sucuri.net/website-security/website-hacked-report
5. साइबर सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता : जोखिम और आघात सहनीयता – विउ प्वाइंट : 15 फरवरी 2017- वित्तीय अनुसंधान कार्यालय (यूएस ट्रेजरी विभाग)। https://www.financialresearch.gov/viewpoint-paper/files/OFRvp_17-01_Cybersecurity.pdf पर उपलब्ध है।
6. एफ़एसआर जून 2017 (आरबीआई)
7. वित्तीय सेक्टर के लिए साइबर सुरक्षा हेतु जी-7 मूलभूत तत्व। https://ww.treasury.gov/resource-cener/international/g7g20/Documents/G7%Fundamental1%Elements%20Oct%202016.pdf पर उपलब्ध है।
8. वित्तीय बाज़ार इन्फ्रास्ट्रचर के लिए साइबर आघात सहनीयता पर दिशानिदेश (सीपीएमआई/आईओएससीओ) http://www.bis.org/cpmi/publ/d146.pdf पर उपलब्ध है।
9. आरबीआई परिपत्र डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी. सं.6/31.02.008/2010-11
10. एफ़एसआर दिसंबर 2017 (आरबीआई)
11. आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीएस.सीओ. सीएसआईटीई.बीसी 11/33.01.001/2015-16, दिनांक 02 जून, 2016
12. http://www.dell.com/downloads/ca/support/top_10_steps_to_protect_against_cybercrime_dell_en.pdf
13. https://hi.wikipedia.org/wiki/सूचना_तकनीक_अधिनियम_(भारत)

बैंकिंग में साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन

पृष्ठभूमि :

बीते दशकों में सूचना क्रांति से बैंकिंग सेवा के प्रति ग्राहकों के रुझान में जबरदस्त बदलाव आया है। इसमें प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग प्रणाली का बहुत बड़ा योगदान है। यह प्रौद्योगिकी का ही असर है कि आज शाखा कम्प्यूटरीकृत बैंकिंग से मोबाइल एवं वर्चुअल बैंकिंग तक जा पहुंची है। इन बदलावों के सकारात्मक प्रभाव को हर आम-ओ-खास ने भी महसूस किया है। प्रौद्योगिकी जनित इन बदलावों से बैंकों के समक्ष कई चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं जिनमें सबसे बड़ी चुनौती आज साइबर जोखिम के रूप में है। इन जोखिमों में ग्राहकों का आर्थिक नुकसान एवं डेटा चोरी जैसी घटनाएं शामिल हैं।

आज साइबर जोखिम प्रबंधन भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक केंद्रीय मुद्दा बन चुका है। साइबर सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए सिसको के भूतपूर्व सीईओ जॉन चैंबर्स

डॉ. साकेत सहाय

वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, गुरूग्राम

उद्यमों में साइबर जोखिम के महत्व को रेखांकित करते हुए कहते है: 'केवल दो प्रकार के संगठन हैं, एक वे जो हैक कर लिए गए हैं दूसरे वे जो यह नहीं जानते कि उन्हें हैक कर लिया गया है'। इस एक वक्तव्य से यह समझा जा सकता है कि आज साइबर जोखिम कंपनियों के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है। मिंट अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ते डिजिटलीकरण के बीच भारतीय कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं साइबर हमले की घटनाएं सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। कॉरपोरेट शोध एवं जोखिम सलाहकार फर्म क्रॉल के सर्वे के मुताबिक, आज साइबर सुरक्षा बड़े खतरे के रूप में उपस्थित है। विशेषकर भारत में इस प्रकार की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। आँकड़ों के मुताबिक, भारत में साइबर हमले वर्ष 2016 के 73 फीसदी के मुकाबले 2017 में 84 फीसदी तक पहुंच गए हैं। सर्वे में प्रतिभागी भारतीय कंपनियों के अधिकारियों में से 89 फीसदी ने माना कि वर्ष 2017 में उनके यहां धोखाधड़ी की घटनाएं हुई हैं। वैश्विक स्तर पर भी 84 फीसदी कंपनियों को धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। आइए निम्न ग्राफिक्स के जरिये साइबर खतरों को समझते हैं –

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि उद्यमों के लिए साइबर अपराध एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। आँकड़े बताते हैं कि तकनीक के प्रयोग में बढ़ोत्तरी के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में भी साइबर आक्रमणों की संख्या, अंतराल एवं प्रभाव में वृद्धि हुई है।

बैंकिंग परिदृश्य में साइबर जोखिम

आज वैश्विक स्तर पर बैंकिंग प्रणाली ऑनलाइन हो चुकी है और ग्राहकों से जुड़ी तमाम वित्तीय जानकारियां सर्वर में मौजूद हैं, जिसके हैक होने की आशंका सदैव बनी रहती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग धोखाधड़ी की संख्या पिछले पांच सालों में 19.6% तथा राशि के हिसाब से 72% तक बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही वित्तीय धोखाधड़ी के 5604 मामले दर्ज हुए हैं। वित्तीय साइबर अपराधों पर नजर डालें, तो जुर्म का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसे नीचे दी गई सारणी द्वारा आसानी से समझा जा सकता है -

वित्तीय साइबर अपराध आँकड़े वर्षवार			
2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
9500	13,083	16,468	19,000

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि तकनीक की आड़ में होने वाले अपराध का दायरा वर्ष-दर-वर्ष बढ़ता जा रहा है। साथ ही, यह भी दिलचस्प है कि इसमें ज्यादातर अपराध ए.टी.एम., डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए किए गए। पिछले साढ़े तीन साल में 102 बैंकों ने अपने ₹88,553 हजार प्रति घंटे गवाएं हैं। अप्रैल, 2014 से 30 जून, 2017 की अवधि के दौरान बैंकों को 46,612 मामलों में ₹252 करोड़ का नुकसान हुआ है। उपर्युक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में बैंक इलेक्ट्रॉनिक एवं पेपर दोनों ही माध्यमों में मौजूद धोखाधड़ी से जूझ रहे हैं। इसमें भी बड़ी समस्या है साइबर धोखाधड़ी की, क्योंकि इसमें सब कुछ आभासी है। ऐसे में डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं डिजिटल बैंकिंग की उड़ान को मज़बूती देने हेतु यह आवश्यक है कि बैंकिंग प्रणाली को साइबर खतरों से सुरक्षित रखा जाए।

हालांकि, बैंकों ने जोखिम प्रबंधन की ओर ध्यान दिया है एवं जी. गोपाल कृष्ण समिति के निर्देशों के अनुरूप सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु उपाय लागू किए हैं। परंतु साइबर अपराध से निपटने हेतु बैंकों द्वारा उठाए गए उपाय शुरूआती दौर में ही है। क्योंकि जिस प्रकार से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है ऐसे में इस समस्या से निपटने हेतु बैंकों को अपने स्तर पर नए संवर्धन एवं विकास और उत्पन्न कठिनाइयों के आधार पर अपनी नीतियों, प्रणालियों एवं तकनीक को सक्रिय रूप से तैयार एवं संशोधित करना होगा।

यह ज्ञात तथ्य है कि धोखाधड़ी के अधिकांश मामलों का मूल लक्ष्य शक्ति, लोभ, प्रचार, बदला, आनंद अथवा विध्वंसात्मक सोच रही है। अपराधी मानसिकता से निपटना निश्चय ही एक दुरूह कार्य है और यह और ज्यादा दुरूह तब होता है जब ऑनलाइन हो। ऐसे में संस्थागत, वैयक्तिक, आभासी अथवा अप्रत्यक्ष माध्यमों से की जाने वाली आभासी या साइबर धोखाधड़ी से निबटने का एकमात्र उपाय है-सुदृढ़ साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन।

बैंकिंग में साइबर सुरक्षा की जरूरत

वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सेवाएँ एवं खुदरा कारोबार साइबर हमलों के सर्वाधिक शिकार होते रहे हैं। हमारे देश में साइबर हमलों का असर विभिन्न तरह के उद्योगों पर देखा गया है, भले ही वे उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क रखने वाला हो या न हो। इसमें वित्तीय सेवाएँ, औषधि, तेल एवं गैस के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र साइबर हमलों के प्रमुख निशाना रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी आईबीएम द्वारा जारी साइबर सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर

साइबर आक्रमण की संख्या में वित्तीय सेवा उद्योग, स्वास्थ्य एवं विनिर्माण उद्योग के बाद तीसरे पायदान पर आता है।

बैंकिंग क्षेत्र में यह चुनौती इसलिए भी ज्यादा बड़ी है क्योंकि वित्तीय लाभ लेने के लिए कोई भी प्रेरित हो सकता है और इस क्षेत्र में लाभ प्राप्ति की संभावना सबसे अधिक है। सामान्यत: बैंकिंग धोखाधड़ियों में निम्न शामिल किए जाते हैं- अपने ग्राहक को जानिए तथा अपने कर्मचारियों को जानिए नीति का ठीक से पालन नहीं होना, निर्धारित आंतरिक एवं बाह्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना, अति विश्वास, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग नहीं करना, ग्राहकों का जागरूक नहीं होना आदि एवं डिजिटल धोखाधड़ी में ए.टी.एम. डेबिट/क्रेडिट कार्ड से संबंधित धोखाधड़ी, स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग, ऑनलाइन पासवर्ड या पिन की चोरी, मोबाइल धोखाधड़ी, फिशिंग, विशिंग आदि शामिल हैं। इस प्रकार की धोखाधड़ियां डिजिटल बैंकिंग के भविष्य के लिए घातक है क्योंकि भविष्य की बैंकिंग इसी पर आधारित होगी। ऐसे में सहज, सुरक्षित एवं विश्वसनीय डिजिटल बैंकिंग सेवा प्रदान करने के बीच एक बड़ी चुनौती है- साइबर धोखाधड़ी। इस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र में समुचित साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन को अपनाया जाना बेहद जरूरी है।

समुचित साइबर सुरक्षा के अभाव या इससे जुड़े जोखिमों की वजह से देश की बड़ी आबादी अभी भी डिजिटल लेन-देन से परहेज कर रही है। सरकार के लिए भी हाल के दिनों में रैनसमवेयर जैसे बड़े साइबर हमले, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड का डाटा लीक होने जैसी घटनाएं बड़ी चुनौती हैं। जब से ऑनलाइन बैंकिंग पर जोर बढ़ा है तब से हर दिन ऐसे मामले सामने आने लगे हैं। चाहे 19 अक्तूबर, 2016 की साइबर धोखाधड़ी की घटना हो जिसमें देश के कई बड़े बैंकों के डेबिट कार्डों की डाटा चोरी की शिकायत की बात सामने आई थी अथवा दिसंबर, 2016 में मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम द्वारा ₹6.15 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने का मामला हो। इस प्रकार की घटनाएं तो चंद बड़े उदाहरण मात्र हैं। परंतु उपर्युक्त घटनाओं से यह साबित होता है कि बैंकिंग क्षेत्र में साइबर अपराध पूरी तरह से अपनी पैठ बना चुका है तथा लगभग सभी प्रकार के बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं इसकी चपेट में हैं। इस क्षेत्र में जोखिम इतना बढ़ गया है कि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।

मई, 2017 में भारत समेत दुनिया के करीब 150 से अधिक देशों को प्रभावित करने वाले 'वानाक्राई-रैनसमवेयर' एवं 'पेटव्रैप' वायरस के वैश्विक साइबर हमले से भारत के सर्वर भी प्रभावित हुए थे। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि वायरस का उद्देश्य कंप्यूटर का डाटा चुराना या फिर उसे मिटाना होता है। मगर रैनसमवेयर ऐसा वायरस है जो सिस्टम में घुसकर डाटा लॉक कर गिरफ्त में आए लोगों एवं कंपनियों से फिरौती की मांग करता है। रैनसमवेयर जैसे साइबर हमले डिजिटल बैंकिंग अभियान के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब तक साइबर हमले डाटा चोरी के लिए होते थे वहीं रैनसमवेयर हमला फिरौती के लिए किया गया। समय के साथ ऐसे हमलों में तेजी से बढ़ोत्तरी भी हो रही है। वर्ष 2014 तक रैनसमवेयर का नामोनिशान नहीं था। जबकि वर्ष 2017 के पहले छह महीने में ही 37 हमले हो चुके थे। सूचना प्रौद्योगिकी(आई.टी.) विशेषज्ञों के मुताबिक, पहले महज मालवेयर यानि कंप्यूटर खराब करने वाले साइबर हमले होते थे। अब फिरौती मांगने वाले, जासूसी करने वाले (स्पाईवेयर) और दूसरे के कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल करने वाले (ट्रोजन) हमलों में भारत सहित पूरी दुनिया में तेजी से वृद्धि हो रही है।

साइबर अपराधों से पिछले साल कारोबारी जगत को 30 खरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा था और विशेषज्ञों की मानें तो यह आंकड़ा आने वाले दिनों में 210 खरब डॉलर के आश्चर्यजनक स्तर तक जा सकता है। चिंता की बात यह है कि अभी तक कंप्यूटरों को ही निशाना बनाते आ रहे साइबर मालवेयर की चपेट में अब स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट भी आने लगे हैं। ऐसे संकेत डिजिटल बैंकिंग के लिए और ज्यादा चिंताजनक हैं क्योंकि आने वाले समय में स्मार्टफोन के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ ज्यादा संपादित होगी। चिंता की बात यह भी है कि आँकड़ों के कूटबद्ध रूप में रखे जाने के बावजूद ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं।

इन साइबर हमलों एवं धोखाधड़ियों की शिकायतों के मद्देनजर बैंकों में सुदृढ़ साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभरकर सामने आया है। समाचार माध्यमों में प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, देश के अधिकांश बैंक साइबर हमले के आसान लक्ष्य हैं। अखबारों में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में वित्तीय संस्थान कुल बजट का अनुमानत: 1% भी साइबर जोखिम सुरक्षा पर व्यय नहीं करते हैं। जबकि संभावित खतरों को देखते हुए डिजिटल सुरक्षा पर ₹5 से 6 हजार करोड़ तक सालाना व्यय बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि डिजिटल सुरक्षा में कमी के कारण ही बैंकिंग संस्थानों को करीब ₹255 अरब का सालाना नुकसान होता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग/वित्तीय संस्थान साइबर सुरक्षा पर सालाना 12% तक व्यय करते हैं। केवल अमेरिका के चार बैंकों द्वारा ही वर्ष 2015 में साइबर सुरक्षा पर ₹96 अरब व्यय किए गए। जिसमें जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बैंक भी शामिल हैं। दिन-प्रतिदिन घटित होते ऐसे मामलों को देखते हुए यह जरूरी है कि बैंकों द्वारा धोखाधड़ी के प्रत्येक मोर्चे पर सतर्कता बरती जाए।

बैंकिंग प्रणाली में साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन

वर्तमान समय की मांग एवं जरूरत 'बैंकिंग सेवा' को और ज्यादा सतर्क एवं सुरक्षित यानि जोखिम रहित बनाया जाना नितांत आवश्यक है। डिजिटल बैंकिंग में धोखाधड़ी मुख्य रूप से दो रूपों में की जाती है। एक - खो गए अथवा चोरी किए कार्डों के द्वारा; दूसरा- ऑनलाइन तरीके से या नकली या क्लोन किए गए कार्डों द्वारा आर्थिक लाभ के लिए किसी व्यक्ति की निजी पहचान सूचना का अधिग्रहण कर उसके इस्तेमाल द्वारा।

देश में डिजिटल बैंकिंग को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, यथा, ऑनलाइन बैंकिंग एवं प्लास्टिक मुद्रा पर लोगों का अविश्वास, धोखाधड़ी एवं जालसाजी। भले ही डिजिटल बैंकिंग सुविधाजनक माध्यम है, परंतु इसके बढ़ते प्रयोग के साथ-साथ इससे जुड़े जोखिम भी बढ़ते जा रहे हैं। परामर्शदाता कंपनी डिलॉयट के साइबर सुरक्षा पर किए गए अध्ययन में यह पाया है कि बैंकों द्वारा निरंतर नई प्रौद्योगिकी अपनाने, नवीकरण एवं लागत कम करने हेतु निरंतर डिलीवरी चैनल शुरू करने जैसे ए.टी.एम., कियोस्क, इंटरनेट, मोबाइल, क्लाउड एवं सोशल मीडिया तकनीक ने साइबर अपराधियों को और अधिक मौका दे दिया है।

ऊपर दिए गए उद्धरणों, रिपोर्ट एवं सर्वे से यह स्पष्ट है कि डिजिटल बैंकिंग आधुनिक बैंकिंग की जरूरत है तथा इसकी समुन्नति के लिए बैंकों द्वारा समुचित साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन अपनाना अपरिहार्य है। हालांकि बैंक इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। परंतु बढ़ते खतरों को देखते हुए यह जरूरी है कि बैंक एवं नियामक संस्थाएं ज्यादा गंभीरता के साथ प्रयास करें। साथ ही, ग्राहकों एवं सामान्य नागरिकों को भी बचाव हेतु और ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी।

बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन की तीन स्तरों पर जरूरत है- बैंक, विनियामक एवं ग्राहक स्तर पर। साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, देश में साइबर अपराध के ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जिनमें लोगों ने जालसाजों के झांसे में आकर अपनी बैंकिंग संबंधी सूचनाएँ आसानी से दे दी। प्रस्तुत आलेख में हम बैंकों, विनियामकों एवं ग्राहकों के स्तर पर समुचित साइबर सुरक्षा जोखिम को समझने का प्रयास करेंगे। साइबर अपराध के समुचित निपटान, कार्रवाई, समाधान एवं नियंत्रण में बैंकों, हितधारकों एवं विनियामकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन हेतु बैंकों एवं विनियामकों (भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक) द्वारा उठाए गए कदम

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **सीईआरटी-इन (कंप्यूटर आपात कार्रवाई टीम-भारत) एवं सीसीबी (साइबर सुरक्षित भारत)**

भारत सरकार भी साइबर खतरों के प्रति सचेत है। इसी के तहत सीईआरटी-इन (कंप्यूटर आपात कार्रवाई टीम-भारत) गठित की गई है। यह संगठन साइबर सुरक्षा को दुरुस्त करने की दिशा में सक्रिय एवं प्रतिक्रियात्मक सेवाओं के साथ-साथ दिशानिर्देश प्रदान करते हुए, खतरे की आसूचना और वित्तीय क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में विभिन्न एजेंसियों की तैयारी का मूल्यांकन करते हुए कदम उठा रहा है। सीईआरटी-आईएन ने राष्ट्रीय साइबर संकट प्रबंधन योजना तथा साइबर सुरक्षा मूल्यांकन फ्रेमवर्क भी तैयार किया है।

सरकार द्वारा साइबर जोखिम की गंभीरता को समझते हुए साइबर सुरक्षा हेतु सार्वजनिक– निजी भागीदारी के तहत भी कदम उठाए जा रहे हैं। इस हेतु सरकार ने साइबर सुरक्षित भारत(सीसीबी) प्रारंभ किया है। सीसीबी का प्रमुख उद्देश्य देश के साइबर स्पेस को सुरक्षित करना है, ताकि डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। सीसीबी के तहत डेटा को सुरक्षित करने एवं साइबर हमलों से बचाव के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सरकार द्वारा कम्प्यूटर, लैपटॉप, आईपैड एवं मोबाइल फोन प्रयोग करने वालों को निजी तौर पर नि:शुल्क एंटी वायरस मुहैया कराया जाएगा।

- **साइबर संकट प्रबंधन योजना**

साइबर संकट को देखते हुए बैंक साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) को प्रभावी रुप से अपना रहे है। सी.सी.एम.पी. के तहत बैंक के साइबर धोखाधड़ी कक्ष निम्नलिखित चार पहलूओं पर कार्रवाई कर रहे हैं : (i) पहचानना (ii) जवाबी कार्रवाई (iii) सुधार तथा (iv) नियंत्रण। इससे साइबर हमले को रोकने के साथ ही किसी भी साइबर-घुसपैठ का तुरंत पता लगाया जाना भी आसान हो गया है। साथ ही किसी भी अनहोनी की स्थिति में बैंक जवाबी कार्रवाई/सुधारात्मक कार्रवाई/नियंत्रणात्मक कार्रवाई कर पाने में भी सक्षम हो सकेंगे। बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए भी यह जरूरी है कि बैंक उभरते हुए साइबर हमले जैसे कि 'ज़ीरो-डे' हमले, रिमोट एक्सेस खतरे तथा इरादतन हमलों का सामना करने हेतु समुचित साइबर जोखिम प्रबंधन करें।

इन बातों के साथ ही बैंक विभिन्न प्रकार के साइबर खतरों, जैसे सेवा से इंकार, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेस (डीडीओएस), रैनसमवेयर/क्रिप्टोवेयर, घातक मालवेयर, व्यवसाय ई-मेल धोखाधड़ी जैसे कि स्पैम, ई-मेल फिशिंग, स्पियर फिशिंग, व्हेलिंग, विशिंग धोखाधड़ी, ड्राइव-बाय

डाऊनलोड, ब्राउज़र गेटवे धोखाधड़ी, घोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर एक्सप्लोइट्स, पहचान संबंधी धोखाधड़ी, मेमोरी अपडेट धोखाधड़ी, पासवर्ड संबंधी धोखाधड़ी से निपटने हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक तथा सुधारात्मक उपाय प्रबंधित करें।

- **एसओसी (सिक्यूरिटी ऑपरेशन सेंटर) केंद्र**

चूँकि साइबर-आक्रमण का स्वरूप इस प्रकार है कि वे कभी भी घटित हो सकते हैं और अनुमान से परे भी हो सकते हैं। अतः ऐसी स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश पर बैंकों द्वारा स्थापित एसओसी (सिक्यूरिटी ऑपरेशन सेंटर) केंद्र साइबर जोखिम प्रबंधन में काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इन केंद्रों के लिए यह आवश्यक है कि वे नियमित चौकसी को सुनिश्चित करें तथा आगामी साइबर खतरों के स्वरूपों को नियमित आधार पर अद्यतन करें। बैंकों द्वारा गठित सिक्यूरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) से रियल टाइम में साइबर जोखिमों की निगरानी तथा प्रबंधन सुनिश्चित हो रही है। हाल की घटनाओं की वजह से बैंकों में नेटवर्क तथा डाटाबेस सुरक्षा व्यापक प्राथमिकता में शामिल हुआ है। बावजूद इसके कुछ व्यावसायिक या परिचालनीय अपेक्षाओं को पूरी करने के मद्देनजर एक विशिष्ट समयावधि के लिए नेटवर्क/डाटाबेस में कई बार कनेक्शन की अनुमति दे दी जाती है जिसे कई बार विशिष्ट समयावधि के बाद भी भूलवश बंद नहीं किया जाता है। इस वजह से भी नेटवर्क/डाटाबेस साइबर-हमलों की चपेट में आ सकता है। अत: यह आवश्यक है कि नेटवर्कों तथा डाटाबेसों में अप्राधिकृत रूप से एक्सेस की अनुमति नहीं दी जाए। कनेक्शन की अनुमति निर्धारित प्रक्रियाओं का अनिवार्य रूप से पालन करने के बाद दी जाए।

- **साइबर सुरक्षा मुस्तैदी संकेतक**

बैंक साइबर खतरों से अपने डाटा को सुरक्षित करने हेतु साइबर रेसिलिएन्स फ्रेमवर्क के तहत साइबर सुरक्षा मुस्तैदी संकेतक भी अपना रहे हैं। इन संकेतकों का इस्तेमाल स्वतंत्र अनुपालन जाँचों तथा लेखा परीक्षाओं में भी किया जा सकता है। साथ ही, कर्मचारियों के साथ-साथ हितधारकों के बीच जागरूकता को भी इस मूल्यांकन का भाग बनाया जाना चाहिए।

- **साइबर-सुरक्षा घटनाओं से संबंधित सूचनाओं को आरबीआई के साथ साझा करना**

बैंकों द्वारा उनके संगठन में पायी गई साइबर–घटनाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ साझा करने से (चाहे वे कामयाब हुए हों या फिर निष्फल प्रयास के रूप में हों) सामूहिक खतरे की आसूचना, समय पर अलर्ट्स तथा सक्रिय साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाने में सहायता मिलेगी।

- **हितधारकों /शीर्ष प्रबंधन/बोर्ड के बीच साइबर-सुरक्षा जागरूकता**

साइबर-सुरक्षित माहौल बनाने के लिए संपूर्ण संगठन की प्रतिबद्धता आवश्यक है। इसके लिए सभी स्तरों पर स्टाफ के बीच एक उच्च स्तर की जागरूकता आवश्यक है। इस हेतु शीर्ष प्रबंधन तथा बोर्ड के पास खतरों की सूक्ष्मतम जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि बैंक अपने ग्राहकों, वेंडरों, सेवा-प्रदाताओं तथा अन्य संबंधित हितधारकों के बीच साइबर रेजिलिएन्स उद्देश्यों की समझ सक्रियता के साथ पैदा करें। यह भी महत्वपूर्ण है कि हितधारकों (ग्राहकों, कर्मचारियों, भागीदारों तथा वेंडरों) को साइबर–हमले से होने वाले संभाव्य प्रभाव के बारे में जानकारी दी जाए। इससे बैंकों को साइबर सुरक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी।

साइबर सुरक्षा हेतु अन्य महत्वपूर्ण कदम

- **ग्राहक सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना**

जब से बैंकिंग उद्योग ने प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ देना शुरू किया है तब से इस क्षेत्र में साइबर अपराधियों ने अपना खेल दिखाना प्रारंभ किया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि देश में प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ आनन-फानन में शुरू तो कर दी गई परंतु आम जनता को इसके इस्तेमाल की पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई। आज भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के तहत लोगों को एटीएम /डेबिट कार्ड बांटे जा रहे हैं परंतु उनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्हें ए.टी.एम. कार्ड का उपयोग करना भी नहीं आता, वे पैसा निकालने के लिए ए.टी.एम में जाकर अपना कार्ड किसी दूसरों के हवाले कर अपने कार्ड पर या डायरी में लिखी पिन संख्या उन्हें दिखा देते हैं जिसके कारण उनके कार्ड का दुरुपयोग बेहद आसान हो जाता है। यह सब जागरूकता के अभाव में होता है। इन घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए बैंक इस हेतु वित्तीय साक्षरता अभियान चला रहे हैं।

- **भारत में आम आदमी के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं जागरूकता व जानकारी**

आम तौर पर उपभोक्ताओं को जानकारी के अभाव में ऑनलाइन लेन-देन में काफी दिक्कतें होती हैं। कईं बार ऑनलाइन धोखाधड़ी की वजह इंटरनेट स्पीड भी बनती है। ऐसे में बैंकों को आँकड़ों के कस्टोडियन (अभिरक्षक) के रूप में, इसकी गोपनीयता, सत्यनिष्ठा तथा उपलब्धता को संरक्षित करने के लिए समुचित प्रबंधन तंत्र बनाना होगा। चाहे वह डाटा बैंक के पास हो, ट्रांजिट में हो या ग्राहकों या थर्ड पार्टी वेंडर के पास हो, उसकी सुरक्षा बैंक की है। साइबर खतरों को देखते हुए बैंक भी इन आँकड़ों को सुरक्षित रखने तथा सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़बूती हेतु समुचित उपाय अपना रहे है।

- **वित्तीय साक्षरता, जागरूकता एवं सतर्कता संबंधी उपाय**

कार्ड क्लोनिंग, फिशिंग, स्किमिंग, ऑनलाइन पासवर्ड की चोरी, विशिंग इत्यादि को पर्याप्त सतर्कता एवं जागरूकता के माध्यम से काफी हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही बैंकों को भी समुचित साइबर सुरक्षा प्रबंधन हेतु वित्तीय साक्षरता का प्रसार करना होगा। इस संबंध में ग्राहकों को देशी भाषाओं के द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षित एवं जागरुक करना होगा। इस हेतु सरकार एवं वित्तीय संस्थानों को भी आगे आना होगा। उदाहरण के लिए, 20 अक्तूबर, 2016 की घटना कार्ड क्लोनिंग की ही घटना है जिसमें मूल कार्ड तो ग्राहक के पास था फिर भी विदेश में उससे लेन-देन हो गया। ऐसा तब होता है जब ग्राहक खरीदारी के बाद अपना कार्ड दुकानदार को देते हैं तो दुकानदार धोखे से स्किमर नामक उपकरण में कार्ड स्वाइप कर कार्ड का आँकड़ा कॉपी कर लेता है और बाद में उस सूचना को किसी अन्य कार्ड में ट्रांसफर कर नया कार्ड बना लेता है।

इन सभी से बचने हेतु ग्राहकों को कुछ उपाय अपनाने होंगे। बैंकों को इन उपायों के प्रसार हेतु पर्याप्त कदम उठाना होगा।

- हमेशा सुरक्षित स्थान पर लगे ए.टी.एम. का ही उपयोग करें तथा प्रयोग से पूर्व उसकी सुरक्षा स्थिति जांच लें यथा, ए.टी.एम कार्ड स्लॉट।
- अपना कार्ड एवं पिन नंबर किसी भी व्यक्ति को न दें।
- सदैव चिप-आधारित कार्ड का ही प्रयोग करें जो अधिक सुरक्षित है।
- लेन-देन हेतु पिन डालते समय एटीएम की-पैड अपने हाथों से ढ़क लें। यदि की-पैड के ऊपर कोई कवर लगा हो तो ऐसा नहीं भी किया जा सकता है क्योंकि उस कवर का उद्देश्य ही आपके पिन की सुरक्षा है।

- अपना पिन, सी.वी.वी. नंबर, ओ.टी.पी. किसी भी स्थिति में साझा न करें।
- ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने हेतु एक ही पासवर्ड या पिन का प्रयोग न करें।
- अंजान एवं स्पैम ई-मेल से बचें।
- फोन में सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखें।
- बिना जाने-समझे फेसबुक/व्हाट्सएप पर कोई भी लिंक न ओपेन करें।
- फोन में किसी भी अनजाने मैसेज की लिंक पर क्लिक न करें।

उपसंहार

उपर्युक्त संदर्भों से स्पष्ट है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुदृढ़ साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन की कितनी बड़ी आवश्यकता है। सरकार एवं बैंक इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। इन उपायों से बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम कम हो रहे हैं और जोखिम स्थिरता में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, परंतु यह कहा जा सकता है कि बैंकिंग क्षेत्र में हमेशा जोखिम रहेगा और इस जोखिम से बचने हेतु यह जरूरी है कि संकट के समय में पूरी बैंकिंग प्रणाली एक टीम के रूप में कार्य करें। डिजिटल बैंकिंग को कारगर बनाने हेतु सरकार, रिज़र्व बैंक, मोबाइल भुगतान कंपनियां और साइबर सुरक्षा तंत्र सभी को एक टीम की तरह कार्य करना होगा।

साइबर जोखिम को कारोबार हेतु एक गंभीर खतरे के तौर पर देखते हुए बैंकों को साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन हेतु बीमा अपनाना चाहिए। साइबर बीमा में निवेश का स्तर बहुत निम्न है। वैश्विक स्तर पर साइबर बीमा बाज़ार जहां करीब 4 अरब डॉलर का है जबकि भारत में साइबर बीमा का बाज़ार 30 करोड़ रुपये ही है और वर्ष 2020 तक इसके 75 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। चूँकि भविष्य में साइबर हमलों की संख्या बढने की आशंकाएं हैं। ऐसी स्थिति में इन खतरों से निपटने हेतु कॉरपोरेट जगत, बैंक, बीमा कंपनियों को एक साथ आना होगा।

बदलते समय, बदलती परिस्थितियों और बदलते परिवेश में विचारों को बदलने की भी आवश्यकता होती है, तभी हम स्वयं को बदले परिवेश में समायोजित कर सफल और उन्नत हो सकते हैं और विश्व भर में अपनी अलग पहचान भी बना सकते हैं।

साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन के लिए सभी हितधारकों में ऐसी सोच विकसित करना अत्यावश्यक है। तभी भारतीय बैंकिंग प्रणाली विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर सकती है और यह कार्य सबके सहयोग से ही संभव है।

अंत में, डिजिटल अगर अवसर है तो खतरा भी है लेकिन इसे अपनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह वर्तमान एवं भविष्य की जरूरत है। इस हेतु यह जरूरी है कि बैंक साइबर सुरक्षा जोखिम का बेहतर प्रबंधन करें। चूँकि डिजिटल बैंकिंग मज़बूत अर्थव्यवस्था हेतु एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में हम सभी के समक्ष उपस्थित है। अत: समय रहते हुए इन उपायों को अपनाना एवं इनका प्रबंधन करना बैंकों एवं विनियामकों की भी आवश्यकता है।

संदर्भ स्रोत :

- दैनिक हिंदुस्तान, बिजनेस स्टैंडर्ड के विभिन्न अंक
- द इंडियन बैंकर के विभिन्न अंक
- भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट

वित्तीय समावेशन और भुगतान बैंक

देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के परिप्रेक्ष्य में "समावेशन" की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवधारणा के अनुसार देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में देश के हर नागरिक का योगदान होना चाहिए। इस आदर्श लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार और नीति-निर्माताओं का प्रयास यह रहता है कि अपने सीमित साधनों की परिधि में इस लक्ष्य के जितना नजदीक जाया जा सके, उतना जाया जाए। वित्तीय समावेशन संपूर्ण समावेशन का एक महत्वपूर्ण अंग है। वित्तीय समावेशन की अवधारणा में निम्नलिखित शामिल हैं –

- जिन लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
- बैंकिंग सेवाओं के दायरे से अधिकांश वही लोग बाहर हैं जो समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित इन जरूरतमंद लोगों की पहुंच वित्तीय उत्पादों तथा अन्य सेवाओं तक हो।
- देश के समस्त नागरिकों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं बिना किसी भेदभाव के मिलें।

डॉ. रमाकांत शर्मा
महाप्रबंधक (सेवा निवृत्त)
भारतीय रिज़र्व बैंक

- बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं ऐसी लागत पर उपलब्ध हों जो समाज के वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों पर भार न बने। इसका अर्थ यह हुआ कि बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं सभी को उपलब्ध तो हों ही, कम लागत पर उपलब्ध हों ताकि गरीब लोग उनका आसानी से उपयोग कर सकें।

वित्तीय समावेशन की प्राप्ति के लिए प्रयास

वित्तीय समावेशन के उपर्युक्त लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकारों, बैंकों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं, जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन, बैंकिंग समावेशन के अनुरूप बैंकिंग परिपाटियां विकसित करना, नो-फ्रिल खाते खोलना, बिज़नेस फेसिलिटेटर तथा बिज़नेस करेस्पोंडेंट मॉडल विकसित करना, वित्तीय साक्षरता अभियान चलाना, जन-धन योजना को मूर्त रूप देना आदि शामिल हैं।

वित्तीय समावेशन और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग

वित्तीय समावेशन में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को समझते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज से एक दशक पहले ही वर्ष 2007-2008 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में इस बात पर पुरजोर बल दिया था कि बैंक वित्तीय समावेशन को गति देने के लिए अपना सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र उन्नत करें और यह सुनिश्चित करें कि तत्संबंधी सॉल्यूशन पैकेज अत्यधिक सुरक्षित, लेखा-परीक्षा हेतु सहजता से उपलब्ध हों तथा इसके लिए व्यापक तौर पर मान्य मानकों का प्रयोग किया जाए ताकि कालांतर में विभिन्न प्रणालियों के बीच सहजता से कार्य-निष्पादन हो सके। इस दिशा में तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बहुत तेजी से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है –

- वित्तीय समावेशन के लक्ष्य समूह के लोगों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बनाने / बढ़ाने के लिए
- ग्रामीण शाखाओं में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के बेहतर उपयोग के लिए ताकि उनका उपयोग अधिकाधिक लोगों को त्वरित और कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा सके।
- ग्रामीण ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक नए बैंकिंग / वित्तीय उत्पाद विकसित करने के लिए
- समय पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए
- बैंकिंग सेवाओं की लागत कम करने तथा सहनीय लागतों पर ग्रामीण गरीबों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए
- ग्राहकों, लघु उद्योगों, लघु वित्त संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों आदि से संबंधित डाटाबेस तैयार करने और उसका उपयोग करने के लिए
- ग्रामीण लोगों / गरीबों तथा नए ग्राहकों को बैंकिंग, वित्तीय क्षेत्र तथा बैंकों की योजनाओं की जानकारी देने के लिए
- वित्तीय समावेशन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहायता / सहयोग प्रदान करने वाली सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं से कारगर तालमेल बैठाने के लिए।

मोबाइल बैंकिंग

वित्तीय समावेशन के तेजी से सफल क्रियान्वयन के लिए मोबाइल बैंकिंग का विशेष महत्व है। उल्लेखनीय है कि 125 करोड़ से ज्यादा के हमारे देश में मोबाइल उपयोगकर्ताओं की संख्या 100 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जहां मोबाइल फोन पहुंच चुका है, बैंक उनका उपयोग ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए कर रहे हैं। मोबाइल फोन के जरिये ग्राहक भी अपने बैंक से कहीं से भी और कभी भी संपर्क बना सकते हैं। मोबाइल फोन का उपयोग विशेष तौर पर बैंक खातों से धन का तत्काल अंतरण करने के लिए किया जा रहा है। इससे समय की बचत तो होती ही है, निधि-अंतरण में लगने वाली लागत में भी कमी आती है।

भुगतान बैंक और वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए उठाए गए उपर्युक्त कदमों की कड़ी में भुगतान बैंकों का प्रादुर्भाव एक क्रांतिकारी कदम है। वित्तीय समावेशन बढ़ाने में इसकी भूमिका पर चर्चा करने से पहले आइये, हम भुगतान बैंक की संरचना पर एक नजर डालते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 सितंबर 2013 को नचिकेत मोर की अध्यक्षता में लघु व्यवसाय और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने 7 जनवरी 2014 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में अन्य सिफारिशों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की गई थी कि लघु व्यवसाय और कम आय वाले परिवारों की भुगतान संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भुगतान बैंकों का गठन किया जाए। इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 नवंबर 2014 को इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

भुगतान बैंक – अवधारणा

भुगतान बैंक की परिकल्पना ऐसे बैंक के रूप में की गई है जो विशेष रूप से लघु व्यवसायियों, असंगठित क्षेत्रों, अल्प आय वाले परिवारों, किसानों, प्रवासी मजदूरों आदि की भुगतान / प्रेषण संबंधी आवश्यकताओं को कम लागत पर और आसानी से पूरा कर सकें। उदाहरण के लिए, आप अपने घरेलू नौकर को वेतन का भुगतान नकद में इसलिए करते हैं क्योंकि उसका कोई बैंक खाता नहीं है। उसके जैसे व्यक्ति सामान्यत: अपने परिवार को अपने गांव जाने वाले किसी पहचान के व्यक्ति के हाथों या फिर मनीऑर्डर से नकद राशि भेजते हैं। आपके घरेलू नौकर जैसे अधिकांश लोग इसमें शामिल हैं। भुगतान बैंकों के लक्षित ग्राहक ऐसे ही लोग हैं। वास्तव में, भुगतान बैंकों से कहा गया है कि वे मोबाइल के प्रयोग से कम लागत पर और तत्काल धन-प्रेषण के लिए सुविधा प्रदान करें।

भुगतान बैंक और परंपरागत बैंक में अंतर

- भुगतान बैंक प्रति ग्राहक अधिकतम एक लाख रुपये तक की ही जमाराशि स्वीकार कर सकते हैं, जबकि परंगरागत बैंक के मामले में सामान्यत: ऐसी कोई सीमा नहीं है।
- परंपरागत बैंकों की तरह ये बचत बैंक खाते में जमाराशि पर ब्याज अदा कर सकते हैं तथा ग्राहकों का चालू खाता भी खोल सकते हैं।
- परंपरागत बैंक, ग्राहकों की जमाराशि का उपयोग ऋणकर्ता ग्राहकों को ऋण देने में करते हैं, लेकिन भुगतान बैंक लोगों को ऋण प्रदान नहीं कर सकते।
- चूंकि भुगतान बैंक ऋण प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए वे परंपरागत बैंकों की तरह क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। हां, वे एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं।
- ग्राहकों द्वारा जमा कराई गई राशियों के निवेश के लिए परंपरागत बैंकों के पास कई विकल्प हैं, लेकिन भुगतान बैंक इस प्रकार प्राप्त जमाराशियों का निवेश सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों में ही कर सकते हैं।
- परंपरागत बैंक अनिवासी भारतीयों से जमाराशि स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन भुगतान बैंक ऐसा नहीं कर सकते।
- भुगतान बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन किसी अन्य बैंक के बिजनेस करेस्पोंडेंट के तौर पर काम कर सकते हैं।
- परंपरागत बैंकों की भांति भुगतान बैंक म्युचुअल फंड यूनिट तथा बीमा आदि जैसे गैर-जोखिम सहभागिता वाले सरल उत्पादों का वितरण कर सकते हैं।

भुगतान बैंकों की विशिष्टता

- **"पे-टीएम"** या **"एम-पैसा"** जैसे प्रीपेड भुगतान माध्यमों में ग्राहकों को बिना किसी ब्याज के उक्त कंपनियों के पास पहले से राशि जमा करके रखनी होती है, जिसमें से ग्राहकों की ओर से भुगतान किया जाता है। लेकिन, भुगतान बैंकों के मामले में ग्राहकों की जमाराशि पर ब्याज अदा किया जाता है। इसलिए यह भुगतान के लिए बेहतर विकल्प प्रस्तुत करते हैं।
- बैंकों को जोड़ने वाले गेटवे के तौर पर भुगतान बैंक लगभग बिना किसी लागत के सीधे ही बैंक खातों से धन का अंतरण कर सकते हैं।
- भुगतान बैंक यात्रियों को फॉरेक्स कार्ड जारी कर सकते हैं, जिसका उपयोग भारत भर में डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के तौर पर किया जा सकता है।
- भुगतान बैंक **"एप्पल पे"** जैसे तीसरे पक्षों को कार्ड स्वीकृति मेकेनिज्म उपलब्ध करा सकते हैं।

वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में भुगतान बैंकों की भूमिका

वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों, वित्तीय समावेशन के लिए किए गए प्रयासों, वित्तीय समावेशन में सूचना प्रौद्योगिकी, विशेषकर मोबाइल के उपयोग, भुगतान बैंक की अवधारणा, परंपरागत बैंकों और भुगतान बैंकों में अंतर तथा भुगतान बैंकों की विशिष्टताओं पर चर्चा करने के बाद अब हम इस बात पर सार्थक चर्चा कर सकते हैं कि वित्तीय समावेशन बढ़ाने में भुगतान बैंकों की क्या और कितनी भूमिका हो सकती है।

यहां ऊपर की गई चर्चा के अनुसार वित्तीय समावेशन से तात्पर्य ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाने से है, जो अभी तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जरूरतमंद और समाज के कमजोर तबकों की पहुंच जमा और ऋण जैसे वित्तीय उत्पादों और अन्य सेवाओं तक सहनीय लागत पर और बिना किसी भेदभाव के अनिवार्यत: उपलब्ध होनी चाहिए।

क्या भुगतान बैंक वित्तीय समावेशन के उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में गति प्रदान कर रहे हैं?

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार भुगतान बैंकों की स्थापना का उद्देश्य अपने गांवों / कस्बों आदि से दूर रह कर अन्य स्थानों पर काम करने वाले लोगों, अल्प आय वाले परिवारों, लघु

व्यवसायियों, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं / संगठनों तथा अन्य उपयोगकर्ताओं को लघु बचत खाता तथा भुगतान और प्रेषण सुविधाएं उपलब्ध करा कर वित्तीय समावेशन को और व्यापकता तथा गति प्रदान करना है। इस प्रकार, यदि देखा जाए तो भुगतान बैंकों की स्थापना का उद्देश्य ही यह रहा है कि इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में सहायता मिले। निम्नलिखित के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भुगतान बैंक इस दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में सामने आए हैं –

-भुगतान बैंकों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे आसानी से अपना बैंक खाता खोल सकता है और इस प्रकार बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के दायरे में बिना किसी झंझट के आ सकता है।

- भुगतान बैंकों के माध्यम से हर प्रकार के ग्राहक को भुगतान सेवाएं प्रदान करना इसलिए आसान हो गया है क्योंकि इसके लिए मोबाइल का उपयोग किया जा रहा है। मोबाइल के जरिये ये सेवाएं दूरस्थ इलाकों में रहने वाले ऐसे ग्रामीणों तक भी पहुंचाई जा सकती हैं, जिन्हें फिलहाल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 109 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इनके जरिए भुगतान बैंक ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाओं का तेजी से विस्तार कर सकते हैं और इस प्रकार वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

- शहरों में काम करने वाले लोग गांवों / कस्बों में रहने वाले अपने परिवारों को भुगतान बैंकों के माध्यम से कम लागत पर, आसानी से और शीघ्रतापूर्वक धन का अंतरण कर सकते हैं जो कि वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों के अनुरूप है।

- भुगतान बैंकों के माध्यम से गांवों / कस्बों में रहने वाले लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना और भी संभव हो गया है। अब वे इसके माध्यम से धन-प्रेषण के अलावा वस्तुओं और अन्य सेवाओं की खरीद भी कर सकते हैं।

- मोबाइल पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होने से उक्त ग्राहकों की छोटी-छोटी राशियों के लिए नकदी पर निर्भरता कम हो रही है। इससे दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग स्वयं को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाने के लिए अभिप्रेरित हो रहे हैं। इससे वित्तीय वंचन का एक बड़ा कारण "बैंकों के प्रति ग्रामीण गरीबों की बेरुखी" भी समाप्त हो रहा है। वास्तव में, कम आय वाले लोग सामान्यत: बैंक सेवाओं की आवश्यकता ही महसूस नहीं करते क्योंकि उनके द्वारा बहुत ही कम राशि के लेनदेन किए जाते हैं और वे उन्हें नकद रूप में ही करना पसंद करते रहे हैं। लेकिन, भुगतान बैंकों के माध्यम से कम लागत पर छोटी-छोटी राशियों के लेनदेन / भुगतान की सुविधा मिलने से वे "स्व-वंचन" की गिरफ्त से बाहर निकल रहे हैं।

- वित्तीय वंचन के लिए गरीब लोगों के साथ बैंक-कर्मियों का व्यवहार भी उत्तरदायी रहता आया है। इस बात की काफी शिकायतें मिलती रही हैं कि बैंकों में गरीब लोगों से ऐसे व्यवहार किया जाता रहा है जैसे वे उनके ग्राहक न होकर नौकर हों। उनकी जानकारी के अभाव का मजाक उड़ाना और बैंकों का अंग्रेजी माहौल भी ग्रामीण गरीबों को बैंकों में जाने से रोकता आया है। भुगतान बैंकों के प्रादुर्भाव से यह संप्रेषण–अंतर कम हो सकेगा क्योंकि उक्त ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाएं परंपरागत बैंक शाखाओं के बजाय मोबाइल के माध्यम से पहुंचाई जा रही हैं। इससे ग्राहक-बैंक के बीच सम्प्रेषण-अंतर की समस्या पर काफी हद तक अंकुश लगेगा और वित्तीय समावेशन में तेजी आएगी।

- भुगतान बैंक वाणिज्य बैंकों के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। वे वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के पूरक के तौर पर काम कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में वाणिज्य बैंकों की पहुंच नहीं है, वहां वे वाणिज्य बैंकों के बिज़नेस करेस्पोंडेंट के रूप में ग्रामीण और दूरस्थ इलाके के ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप नवोन्मेषकारी सेवाएं/उत्पाद पहुंचा कर वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकते हैं।

- भुगतान बैंक अपने ग्राहकों की बचत खाते में जमाराशियों पर वाणिज्य बैंकों के मुकाबले अधिक ब्याज देंगे क्योंकि भुगतान बैंकों की निधियों का प्रमुख स्रोत ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियां है। इससे गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ होगा और वे बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने के लिए प्रवृत्त होंगे।

- डाक विभाग के भुगतान बैंक अर्थात् **इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक** की स्थापना से इस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरूआत हो चुकी है। इस समय देश में 1.54 लाख डाकघर हैं जिसे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। इनमें से 1.39 लाख ग्रामीण डाकघर शाखाएं हैं। इनके जरिये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदरूनी हिस्सों में भी बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जा सकती हैं। इन क्षेत्रों में गरीबतम लोगों तक पहुंचने के लिए डाक विभाग 1.7 लाख पोस्टमैनों तथा अन्य स्टाफ का उपयोग करने के लिए सन्नद्ध है। यह उल्लेखनीय है कि डाकघर भुगतान बैंक अपने ग्राहकों को भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने स्टाफ को हाथ में लेकर चलने वाली 1.3 लाख ऐसी डिवाइसें प्रदान करने की योजना बना चुका है जिन्हें मोबाइल ग्रामीण बैंकों में परिवर्तित किया जा सकेगा। इन क्षेत्रों में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पोस्टमैनों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना से वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में निश्चित रूप से तेजी आएगी।

- भारत सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं की सहायता राशि सीधे ही लाभार्थी के खाते में जमा करने का बड़ा कदम उठाया है ताकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों तक पहुंच सके और बिचौलियों द्वारा उनका शोषण न हो। भुगतान बैंक इन योजनाओं, जैसे एलपीजी की नकद सहायता राशि, सीधे ही लाभार्थी के खाते में जमा करके / अंतरित करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि भुगतान बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सीधे भुगतान की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करना आसान हो गया है।

- भुगतान बैंकों के गठन की शर्तों में ही उनका परिचालन पूर्णत: कंप्यूटरीकृत होना और ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए उच्च शक्ति प्राप्त ग्राहक निवारण कक्ष की स्थापना करना शामिल है। इससे भुगतान बैंक ग्रामीण ग्राहकों को कुशल और त्वरित सेवाएं प्रदान करके बैंकिंग सेवाओं का दायरा बढ़ा सकेंगे।

- भुगतान बैंकों को म्युचुअल फंड यूनिट तथा बीमा आदि जैसे गैर-जोखिम सहभागिता वाले सरल उत्पादों का वितरण करने के लिए अधिकृत किया गया है। देश के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में गरीबतम लोगों तक ये वित्तीय उत्पाद पहुंचा कर भुगतान बैंक बैंकिंग समावेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए ऐसी संस्थाओं को ही लाइसेंस जारी किए हैं जिनका व्यापक डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क है या जो बड़े ग्राहक आधार वाले मोबाइल ऑपरेटर हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इंडियन पोस्टल सर्विसेज को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसकी देश के दूर-दराज के इलाकों तक व्यापक पहुंच है। ऊपर की गई चर्चा के अनुसार भुगतान बैंकों का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को और बैंक रहित या कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में बचत और प्रेषण सुविधाएं पहुंचाना है। इस तथ्य को विचार में लेते हुए कि भुगतान बैंक शुरू करने वाली उक्त संस्थाओं का बड़ा और व्यापक ग्राहक आधार है, इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बनती कि उनके माध्यम से बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं देश के हर क्षेत्र में हर जगह पहुंचने का बड़ा रास्ता खुल गया है। इससे देश के गरीबतम लोग घर बैठे कम लागत पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह स्थिति निश्चित रूप से वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और पाने में बहुत मददगार सिद्ध होगी। उक्त परिप्रेक्ष्य में, बिना हिचक कहा जा सकता है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए भुगतान बैंकों की स्थापना सही दिशा में उठाया गया सही कदम है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण

बैंक भारतीय वित्त व्यवस्था का सबसे प्रमुख अंग हैं। ऐसे समय में जब वित्तीयन आवश्यकताएं विकसनशील भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख प्राथमिकता बन चुकी हैं, दबावग्रस्त आस्तियों ने बैंकों द्वारा क्रेडिट ग्रोथ की रफ्तार को सुस्त कर दिया है। इस समय में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना न सिर्फ बैंकों में जान फूँकने का कार्य करेगी, अपितु समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नयी दिशा तथा गति प्रदान करेगी।

24 अक्तूबर 2017 को कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 2.11 लाख करोड़ की बैंकों की पुनर्पूंजीकरण योजना की घोषणा की। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार तीन तरीकों का इस्तेमाल करेगी; जिसमें बाज़ार से उधार लेकर बैंकों को पूँजी प्रदान करना, बजटीय आबंटन तथा सबसे महत्वपूर्ण पुनर्पूंजीकरण बाण्ड्स हैं। दो लाख ग्यारह हजार करोड़ की बैंक पुनर्पूंजीकरण योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपये बजटीय सहायता से, 58,000 करोड़ रुपये इक्विटी जारी करके तथा 1.35 लाख करोड़ रुपये पुनर्पूंजीकरण बांड जारी करके लाए जाएंगे। इस प्रकार बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की पूरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण अवयव बैंक ***"पुनर्पूंजीकरण बाण्ड्स (Recapitalization Bonds)"*** है। पुनर्पूंजीकरण बांड जारी करने हेतु दिशा निर्देश शीघ्र ही वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पुनर्पूंजीकरण बाण्ड फ्रंट लोडेड रहेंगे अर्थात् कुल 1.35 लाख करोड़ के बाण्डस् में से अधिकतर आगामी वित्त वर्ष के प्रारम्भिक कुछ महीनों में ही जारी कर दिये जाएंगे।

सूरज बाबू शुक्ल
भारतीय रिज़र्व बैंक
लखनऊ

बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता :

(क) अनर्जक आस्तियों में वृद्धि : पिछले कुछ वर्षों में बैंकों की अनर्जक आस्तियों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। इस वजह से बैंकों को ऋण देने में तथा निवेश करने में अधिक दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अनुसूचित बैंकों द्वारा दिये गये कुल बाज़ार ऋणों में 72 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है। सितम्बर 2017 तक भारतीय बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियाँ 1.31 प्रतिशत बढ़कर 8.40 लाख करोड़ हो गयी हैं जो जून 2017 में 8.29 लाख करोड़ थी। वर्ष 2008 से 2014 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सकल अग्रिम 18 लाख करोड़ से बढ़कर 54 लाख करोड़ हो गये। इसी के साथ ही बैंकों की अनर्जक आस्तियों में भी इसी रफ्तार से वृद्धि हुई। अनुसुचित बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियाँ मार्च 2016 के अंत तक बढ़कर 6.11 लाख करोड़ हो गयी जो 2008 में 0.68 लाख करोड़ रुपये थीं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की हालिया *"वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट"* के अनुसार सितम्बर 2017 तक पूरी बैंकिंग प्रणाली में सकल अनर्जक आस्तियाँ कुल अग्रिमों के 10.2% के स्तर तक तथा निवल अनर्जक आस्तियाँ 5.7% के स्तर तक बढ़ गयी हैं, जो मार्च 2017 में क्रमश: 9.6% तथा 5.5% के स्तर पर थीं।

अनर्जक आस्तियों में होने वाली इस तीव्र वृद्धि के चलते बैंकों के पास उपलब्ध पूँजी में लगातार कमी आयी है जिस कारण बैंकों द्वारा ऋण देने की रफ्तार भी प्रभावित हुई है। जैसे-जैसे बैंक की अर्जक आस्तियाँ अनर्जक आस्तियों मे परिणत होती जाती हैं वैसे-वैसे बैंको को उनके लिए प्रावधान बढ़ाना पड़ता है। इस कारण बैंकों को नया ऋण देने के लिए उपलब्ध पूँजी में कमी आती है। बैंकों द्वारा ऋण देने की गति में कमी आने से अर्थव्यवस्था की रफ्तार में भी कमी आती है। अत: ऐसे में अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बनाए रखने के लिए बैंको का पुनर्पूंजीकरण बहुत आवश्यक हो गया है।

(ख) विमुद्रीकरण के पश्चात जमाओं मे वृद्धि : विमुद्रीकरण के पश्चात बैंकों की जमाओं में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। हाल ही में जारी भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार विमुद्रीकरण के पश्चात विमुद्रीकृत राशि का 99 प्रतिशत तक बैंकिंग तंत्र में वापस आ चुका है। यदि हम बैंकों के ऋण-जमा अनुपात पर नजर डालें तो मार्च 2017 तक यह घटकर 73 प्रतिशत पर पहुंच गया जो मार्च 2016 में 78.2 प्रतिशत पर था। पूँजी की कमी के चलते विमुद्रीकरण से प्राप्त जमाओं को बैंक ऋण के रूप में प्रदान करने में असमर्थ हैं, अत: ऐसे समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से उबर कर लगभग 10 प्रतिशत के ग्रोथ पोटेंशियल के साथ वृद्धि करने में सक्षम है तथा बैंकों के पास जमाओं के रूप में बड़ी धनराशि उपलब्ध है जिसका वह पूँजी की कमी के चलते ऋण प्रदान करने में उपयोग करने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में बैंकों का पुनर्पूंजीकरण परम आवश्यक हो गया है।

बैंकों को जमाओं पर तो ब्याज देना पड़ रहा है परंतु इन्हें ऋण में न परिणत कर पाने के कारण इनसे बैंक को कोई ब्याज प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस कारण बैंकों के लाभ में भी गिरावट आयी है। अत: पुनर्पूंजीकरण से बैंकों द्वारा ऋण देने की गति में वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था तथा बैंकों दोनों को लाभ होगा।

(ग) बासेल III शर्तों का अनुपालन : भारतीय बैंकों में बासेल III शर्तों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 01 अप्रैल 2013 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल III शर्तों के पूर्णत: अनुपालन की सीमा 31 मार्च 2019 निर्धारित की है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इतनी पूँजी प्रदान करना चाहती है जिससे न सिर्फ वह बासेल III शर्तों का अनुपालन कर सके अपितु बासेल III शर्तों से ऊपर पर्याप्त पूँजी बफर के साथ संचालित हो सकें। इस हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में आगामी चार वर्षों में 2018-19 तक 1,80,000 करोड़ की पूँजी के निवेश का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 70,000 करोड़ सरकार बैंकों को देगी और शेष 1,10,000 बैंकें बाज़ार से उठाएंगी। इस दौरान 2015-16 में 25,000 करोड़, 2016-17 में 25,000 करोड़, 2017-18 में 10,000 करोड़, तथा 2018-19 में 10,000 करोड़ की पूँजी निवेश का लक्ष्य सरकार ने रखा था।

बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु पूर्व में किये गये प्रयास तथा उनके प्रभाव: इससे पूर्व वर्ष 1986 से 2001 के दौरान भी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु पुनर्पूंजीकरण बाण्ड्स का प्रयोग किया जा चुका है। इस दौरान पुनर्पूंजीकरण बाण्ड्स का प्रयोग करके सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20,446 करोड़ की पूँजी उपलब्ध करायी थी। इस दौरान सरकार ने बैंकों से पैसा उधार लेकर उन्हें अबाज़ारीकृत सिक्योरिटीज जारी की थीं जिन्हें बाद में बाज़ारीकृत प्रतिभूतियों अथवा पर्पच्युअल बाण्डस में बदल दिया गया था। बैंकों ने इन बाण्ड्स को सब्सक्राइब किया था जिससे बाज़ार में उपलब्ध नकदी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था तथा यह सरकार के सार्वजनिक ऋण से इतर था। इस प्रकार सरकार को इन बाण्ड्स पर बैंकों को केवल ब्याज देना पड़ा था जो लगभग 7,888 करोड़ था। यह औसत वार्षिक जीडीपी का 0.07 प्रतिशत था। इस दौरान सरकार को बैंकों से

15,222 करोड़ का लाभांश भी प्राप्त हुआ था जो कुल औसत जीडीपी का 0.04 प्रतिशत था। इस प्रकार पुनर्पूंजीकरण का राजकोषीय स्थिति पर कुल प्रभाव जीडीपी का 0.03 प्रतिशत ही था।

पूर्व में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में किये गये पूँजीकरण के प्रयास

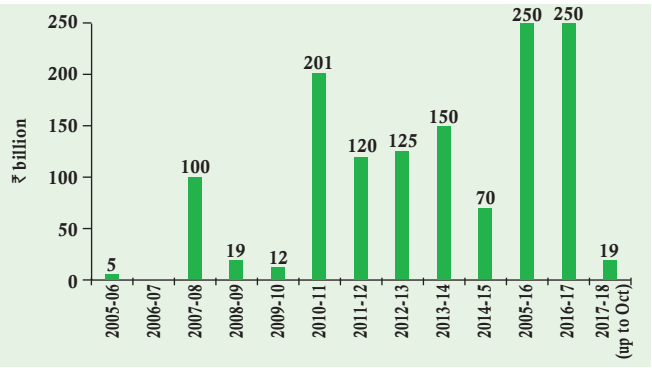

स्त्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2016-17:भा.रि.बै.

मिशन इंद्रधनुष : सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में जान फूँकने के लिए मिशन इन्द्रधनुष की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हित में 7 नए कदम उठाए जाएंगे। इस के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों में आगामी चार वर्षों में 2018-19 तक 1,80,000 करोड़ की पूँजी के निवेश का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 70,000 करोड़ सरकार बैंकों को देगी और शेष 1,10,000 बैंकें बाज़ार से उठाएंगी। इस दौरान 2015-16 में 25,000 करोड़, 2016-17 में 25,000 करोड़, 2017-18 में 10,000 करोड़, तथा 2018-19 में 10,000 करोड़ की पूँजी निवेश का लक्ष्य सरकार ने रखा था।

पुनर्पूंजीकरण बाण्ड्स क्या हैं?

पुनर्पूंजीकरण बाण्ड्स विशेष प्रकार के बाण्डस हैं जो भारत सरकार द्वारा एनपीए की समस्या से ग्रस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूँजी प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किये जाएंगे। यह 1.35 लाख करोड़ रुपये के बाण्डस, सरकार द्वारा 24 अक्तूबर 2017 को सार्वजनिक बैंकों के पूंजीकरण हेतु घोषित किये गये 2.11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का हिस्सा है। पुनर्पूंजीकरण का आशय बैंकों को अपने ऋण को आच्छादित करने के लिए इक्विटी प्रदान करना है। उक्त बाण्डस की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूँजी प्रदान करने में किया जाएगा।

पुनर्पूंजीकरण बाण्ड्स की कार्यविधि : ऐसा माना जा रहा है कि सरकार अथवा उसके द्वारा स्थापित कोई विशेष संस्था (Special Purpose Vehicle) पुनर्पूंजीकरण बाण्ड्स जारी करेगी जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सब्सक्राइव करेंगे। इस प्रकार प्राप्त धन से सरकार बैंक के शेयर्स खरीदेगी और यह धन बैंकों को पूँजी के रूप में प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में यह केवल एक एकाउटिंग प्रविष्टि मात्र होगी और वास्तव में धन का कोई अंतरण नहीं होगा।

इस प्रकार सरकार अतिरिक्त राजकोषीय दबाव से बची रहेगी। सम्भवत: सरकार इस प्रकार के बाण्ड्स को अपने बजटीय उधार में शामिल नहीं करेगी जिस कारण इससे सरकार के राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह भी देखने का विषय रहेगा कि सरकार यह पुनर्पूंजीकरण बाण्ड्स द्वितीयक बाज़ार में बेचने की अनुमति देती है अथवा नहीं। यदि सरकार इन्हे द्वितीयक बाज़ार में बेचने की अनुमति दे देती है तो बैंक इन्हें द्वितीयक बाज़ार में बेच कर और अधिक धन प्राप्त कर सकेंगे जिससे वह अपने क्रेडिट एक्सपोजर को और ज्यादा बढ़ा सकेंगे, और यदि सरकार इन बाण्ड्स को द्वितीयक बाज़ार में बेचने की अनुमति नहीं भी देती है तो भी यह बैंकों के तुलन पत्र में ब्याज अर्जक निवेश के रूप में रहेंगे। इस प्रकार यह

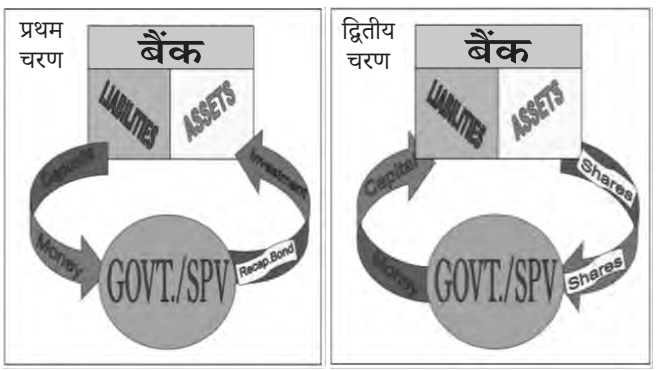

बैंक पुनर्पूंजीकरण बाण्ड्स की परिकल्पित क्रियाविधि

दोनों ही स्थितियों में बैंक के लिए फायदेमंद साबित होंगे। पुनर्पूंजीकरण बाण्ड्स जारी करने के लिए पूर्ण दिशा-निर्देश अभी तक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये गये हैं।

बैंक पुनर्पूंजीकरण बाण्ड्स पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन दिशा-निर्देश: इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2018 को राजपत्र के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इनमें से कुछ प्रमुख दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:

- बैंक पुनर्पूंजीकरण योजना के अंतर्गत 6 प्रकार की **"विशेष भारत सरकार प्रतिभूतियाँ"** जारी की जाएंगी; जिनकी परिपक्वता अवधियाँ 10 वर्ष से 15 वर्ष तक होंगी।
- उक्त प्रतिभूतियों में निवेश के लिए केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही पात्र होंगे तथा वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक ही इनकी खरीद कर सकेंगे।
- इन विशेष प्रतिभूतियों पर अर्धवार्षिक ब्याज देय होगा। 15 वर्ष की परिपक्वता वाली विशेष प्रतिभूति पर देय ब्याज अधिकतम 7.68 प्रतिशत है।
- ये विशेष प्रतिभूतियाँ हस्तांतरणीय नहीं होंगी तथा इन्हें किसी अन्य रूप में परिवर्तित करने की अनुमति भी नहीं होगी।
- इन प्रतिभूतियों में निवेशित राशि तथा उन पर देय ब्याज कर कानून के प्रावधानों के अधीन होगा।
- उक्त प्रतिभूतियाँ सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के लिए पात्र नहीं होंगी।
- यह प्रतिभूतियाँ बिना किसी सीमा के बैंक द्वारा एचटीएम पोर्टफोलियों में धारित की जा सकेंगी।

बैंक पुनर्पूंजीकरण बाण्ड्स की स्थूल अर्थव्यवस्था पर प्रभाव :

1. राजकोषीय स्थिति पर प्रभाव : आई एम एफ कन्वेंशन्स *(IMF Conventions)* के अनुसार पुनर्पूंजीकरण बाण्ड्स को राजकोषीय घाटे में शामिल नही किया जाता है क्योंकि इनसे प्राप्त धन का प्रयोग बैंकों के शेयर खरीदने में किये जाने के कारण स्वत: समन्वयित हो जाते हैं। भारत में पूर्व में इन्हें राजकोषीय घाटे में शमिल किया गया था क्योंकि सरकार को इन बाण्ड्स पर ब्याज अदा करना पड़ता है। हाँलाकि वर्तमान में जारी किये जाने वाले पुनर्पूंजीकरण बाण्डस के संदर्भ में यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इन्हें राजकोषीय घाटे में शामिल किया जाएगा अथवा नहीं। परंतु इन बाण्ड्स पर दिया जाने वाला ब्याज आवश्यक रूप से राजकोषीय घाटे में शामिल किया जाएगा। इन पुनर्पूंजीकरण बाण्ड्स पर दिये जाने वाले ब्याज के कारण सरकारी खजाने पर लगभग 8,000-9,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने की सम्भावना है। परंतु मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने यह आश्वस्त किया है कि इस अतिरिक्त ब्याज बोझ का महँगाई अथवा राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से आर्थिक गतिविधियों में आने वाली तेजी तथा आस्ति निर्माण में होने वाली वृद्धि से यह स्वत: समायोजित हो जएगा।

2. दिवालिया तथा शोधन अक्षमता कानून की प्रभावशीलता में वृद्धि: दिवालिया तथा शोधन अक्षमता कानून का उपयोग बैंकों द्वारा अनर्जक आस्तियों के निस्तारण में किया जा रहा है। इस कानून के तहत बहुत से बड़े-बड़े एनपीए अकाउंट्स पर कार्रवाई की जा रही है जिस कारण इन अकाउंट्स के निस्तारण में बैंकों को बहुत अधिक हेयरकट का बोझ उठाना पड़ रहा है। जुलाई 2017 में जारी *क्रिसिल एजेंसी* की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि इस कानून के अंतर्गत 50 सर्वाधिक दबावग्रस्त ऋण खातों के निस्तारण की कार्रवाई की जाए तो बैंकों को लगभग 60 प्रतिशत अथवा 24,000 करोड़ रुपये तक के हेयरकट का बोझ वहन करना पड़ेगा। अत: दिवालिया तथा शोधन अक्षमता कानून के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के कारण बैंकों पर पड़ने वाले हेयर कट के बोझ को वहन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूँजी की आवश्यकता है। बैंक पुनर्पूंजीकरण योजना के अंतर्गत बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से दिवालिया तथा शोधन अक्षमता कानून के अंतर्गत एनपीए खातों के निस्तारण में भी तेजी आएगी।

भारत में स्टार्ट-अप संस्कृति को बैंक कैसे बढ़ावा दे सकते हैं

विश्व स्तर पर सामान्य प्रबंधन सिद्धांत तेजी से अप्रासंगिक हो रहे हैं क्योंकि बहुत सी नई कंपनियां क्षितिज पर आ रही हैं जिन्होंने उद्यमशीलता प्रबन्धन द्वारा सामान्य प्रबंधन सिद्धांतों की सफलतापूर्वक जगह ले ली है।

भारत में हमारे पास इनमोबी, पेटीएम, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उबेर और एयर बीएनबी जैसे कंपनियां हैं जिनके पास कोई मूर्त संपत्ति नहीं है। एक भी कार का मालिक न होने के बावजूद उबेर एक बड़ी ग्लोबल यात्री टैक्सी कंपनी के रूप में उभरी है। इसी तरह एयर बीएनबी भी किसी होटल का मालिक नहीं है। एयर बीएनबी राजकपूर पर चित्रित पुराने गीतों में से एक गीत की याद दिलाता है "रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा"। राजकपूर का किरदार गरीब भारतीय आम आदमी का चित्रण है जबकि एक अमीर ग्लोबल होटेल की शृंखला के रूप में एयर बीएनबी का उद्भव बहुत बड़ा है। राजकपूर का चित्रण गरीबों के साथ समाजवादी भावनात्मकता का है जबकि एयर बीएनबी की उद्यमशीलता अमूर्त सम्पत्ति समर्थित पूंजीवादी समर जीतने की अदम्य महत्वाकांक्षा का उदाहरण है। विकास के अवसरों की पहचान करने के लिए एयर बीएनबी ने अपने आपसे सवाल करना शुरू कर दिया है जैसे इस उपलब्धि के आगे क्या है और हम कहाँ जा रहें हैं ? वीपी प्रोडक्ट्स एयर बीएनबी, जो जाडेह का एयर बीएनबी की प्रगति के विषय में दिया गया वक्तव्य काफी अर्थपूर्ण है - "कंपनी के सुपर ग्रोथ के लिए इसके अंदर के लोंगों की सुपरग्रोथ की आवश्यकता है।" एयर बीएनबी का आंतरिक स्ट्रक्चर व्यापार के साथ-साथ लोगों की सुपर ग्रोथ को हासिल करने हेतु प्रयोग करने को प्रोत्साहित करता है। 3एम जिन्होंने "पोस्ट इट" स्टिकर का आविष्कार किया था वह एक कर्मचारी के इस संबंधी विचार के वित्तीय स्पांसिरिंग का परिणाम था। 3एम की संस्कृति इन्नोवेशन प्रोत्साहन के इर्द-गिर्द गुथी हुई है। टेस्ला के संस्थापक 45 वर्षीय ऐलन मस्क "भविष्य के स्वरूप" को बदलने की स्ट्रेटजी से जोड़कर अपनी कंपनी की संकल्पना करते हैं। टेस्ला एवं इसकी सहयोगी कंपनियाँ अभी तीन परियोजनाओं पर कार्य कर रही हैं। पहली परियोजना जो शहरों के लिए लिथियम बैटरी समर्थित केन्द्रीकृत पावर बैकअप प्रदान करती है। मुम्बई जैसे शहर की पॉवर बैक अप के लिए शायद एक 50000 वर्गफुट क्षेत्रफल वाला आडिटोरियम हॉल काफी होगा, इन

जनमेजय पटनायक
प्राचार्य, सेन्ट्रल बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज
एवं सेन्ट्रल बैंक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फार एम.एस.एम.ई
एंड एग्रीकल्चर, भोपाल

लिथीयम बैटरियों को रखने के लिए। दूसरी परियोजना सतह के सैंकड़ों फुट नीचे भूमि में ड्रिलिंग कर जमीनी यातायात को अंडरग्राउंड बनाने और यातायात की भीड़ से बचने के लिए शहरों को भूमिगत रूप जोड़ने हेतु प्रयासरत है। इस प्रक्रिया में आटोमोबाइल की गति को हवाई जहाज की गति से"दिल्ली मुंबई दो घंटों में" की तर्ज पर मिलान करने में सक्षम बनाने हेतु प्रयासरत है, और तीसरी परियोजना पर्यटकों के लिए सुगम रूप से अंतरिक्ष यात्रा का आनंद प्रदान करते हुए प्रयासरत है। तीनों ही परियोजनाएँ क्रांतिकारी सोच वाली रणनीति का परिणाम है।

स्टार्ट अप संस्कृति को बैंकों द्वारा प्रोत्साहन का अर्थ उबेर, एयर बीएनबी, 3एम टेस्ला जैसी संभावित भारतीय कंपनियों की पहचान एवं प्रोत्साहन होगा। दूसरे शब्दों में क्या भारतीय बैंक इस तरह की कंपनियों के शुरूआती दौर में वित्तपोषण करने हेतु तैयार होगें ? स्टार्ट अप नीति या मेक इन इंडिया नीति भारत की उद्यमी क्षमता के निर्धारण से जुड़ी हुई है। फिर भी भारत में बैंकों, पूँजी बाज़ार और राजकीय मशीनरी के कार्यप्रणालियों में बदलाव की क्रांतिकारी आवश्यकता है। राज्यों ने इस संबंध में नीतियां बनाना शुरू कर दिया है जो स्टार्ट अप को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। इनसे विदेशी और देशी निवेशकों को निवेश समिट के आयोजन में मदद होती है। किसी भी नीति की सफलता के पीछे उसकी पहल एवं अनुपालन का समय एवं सही प्रस्तुतीकरण जिम्मेदार होता है। "सही है" टैगलाइन वाले विज्ञापन ने म्यूचुअल फंड सदस्यता को मध्यमवर्गीय निवेशकों के बीच बहुत बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बना दिया है। भारत में स्टार्टअप कल्चर को सफल बनाने के लिए बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैंचर कैपिटल अभी भी बहुत ही सीमित रूप में सक्रिय है। भारत में उद्यमिता की संभावनाओं को देखते हुए वैंचर कैपिटल का लाभ .01 प्रतिशत युवाओं से भी कम के बीच है। वैंचर कैपिटल के प्रभावी रूप से आने में अभी भी लगभग 10 से 15 वर्षों का समय संभावित है। क्या आज का समय बैंकों द्वारा स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने हेतु सही समय है ?

क्या भारत में वाणिज्यिक बैंक ऐसे मोड़ पर पहुँच गए हैं जहां उन्होंने एयर बीएनबी जैसे इंटर्नल स्ट्रक्चर के साथ प्रयोग करने की आवश्यकता महसूस करनी शुरू कर दी है या टेस्ला जैसी क्रांतिकारी स्ट्रेटजीस तैयार करने का विचार करना शुरू किया हो या 3एम की तरह एक नवोत्मेषी संस्कृति को स्थापित करने का निर्णय किया हो। क्या भारतीय बैंक एनपीए एवं बड़े उद्योगपतियों की वित्तीय अनियमितताओं एवं धोखाधड़ी नियंत्रण, सरकारी बैंकों की पूँजीकरण या निजीकरण जैसे परंपरागत विषयों से हटकर इन विषयों पर निर्णय लेने की मनःस्थिति में है ? भविष्य उद्देश्यपूर्ण हो, इसलिए निर्णय तो संकट के दौर में ही लिए जाते हैं।

भारत में वाणिज्यिक बैंक स्टार्ट अप संस्कृति को बढ़ावा देने के संबंध में प्रत्येक बैंक की पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता आंतरिक संस्कृति को बदलने की होगी जिससे कि स्टार्ट अप के लिए वित्तपोषण कहीं अधिक सुगम एवं परेशानी मुक्त हो सके। किसी संगठन के संदर्भ में, संस्कृति का अर्थ कर्मचारियों की सोच और व्यवहार है। व्यापक मुद्दों पर किसी संगठन की संस्कृति किसी भी मुद्दे पर समर्थक, तटस्थ या विरोधी विचारों को बढ़ावा देती है, इसके लिए दो परिवारों की संस्कृति के बीच तुलना की जा सकती है। एक संगठन एक विशेष मुद्दे को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करता है या यह उसी पर एक

सांस्कृतिक धारणा बनाता है। इसी तरह एक मुद्दे को स्वीकार/अस्वीकार करने के लिए किसी संस्था द्वारा स्थापित मानक का निर्णय संस्था की संस्कृति द्वारा लिया जाता है।

इसलिए भारत में स्टार्ट अप की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को पहले एक समर्थक या प्रो स्टार्ट-अप सोच एवं व्यवहार विकसित करना आवश्यक होगा जो बैंक के अंदर स्टार्ट अप विकसित करने की बात करता हो और इसे एक सकारात्मक तरीके से देखता हो। स्टार्ट अप संस्कृति अनिवार्य रूप से ऑउट ऑफ बॉक्स या सीमित विचारधारा के बाहर सोचने को प्रोत्साहित करती है।

सबसे अच्छा स्टार्ट अप अनुभव संयुक्त राज्य में सिलिकान वैली से मिलता है। चूँकि अमेरिका में सिलिकान वैली की संस्कृति उद्यमशीलता के आंदोलन के विस्तार को चित्रित करती है। सिलिकान वैली में किसी भी स्टार्ट अप में यह प्रयास किया जा रहा है कि स्टार्ट अप के कर्मचारियों को उद्यमियों की तरह सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें ? इन स्टार्ट अप में इन सवालों को लेकर काफी विचार-विमर्श होता है कि नये उत्पादों का सृजन किस तरह से किया जाय ताकि मौजूदा ग्राहक आधार को खोये बिना बाज़ार में ग्राहकों की नई टेरिटरी बनायी जा सके। इन स्टार्ट अप में सोचने पर काफी जोर दिया जाता है क्योंकि उद्यमी विचार का तरीका सोचने और प्रयोग करने के लिए विशाल स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्टार्टअप एक और चुनौती से जूझ रहे हैं कि कैसे अपने लोगों के लिए जवाबदेही मानदंडों का ढांचा तैयार किया जाए। स्टार्ट अप यह भी चिंतन कर रहें हैं कि उद्यमी चिंतन एवं प्रबंधन, पारंपरिक प्रबंधन सिद्धांतों की प्रथाओं के साथ कैसे साथ चल सकता है। चूँकि प्रोडक्ट इन्नोवेशन, एसंबली लाइन की अवधारणा से अलग है, यह निरंतरता पर आधारित नहीं हो सकता है, इसलिए यह एक दौर या चक्र बनाता है। नवोन्मेष का एक चक्र कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों या कुछ वर्षों तक चल सकता है लेकिन जब एक बार यह शिखर पर पहुँचता है, तो यह अधोन्मुख होने लगता है। ऐसेम्बली लाइन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसी कार की फैक्ट्री को देखकर आता है। लाखों कारें कई मशीनों के समायोजन से बनाई जा सकती हैं। प्रोडक्शन की लाइन एक बार ही सेटअप करनी होती है। इसलिए चुनौती इस बात के रूप में उभर कर सामने आती है कि आंतरिक संरचना की परिकल्पना कैसे की जाएं ताकि संस्था में एक साथ कई टीमों को तैयार किया जा सके ताकि प्रत्येक टीम स्टार्ट अप टीम के रूप में कार्य कर सके। जब एक टीम एक इन्नोवेशन करने के बाद शिखर तक पहुँचकर नीचे आ रही हो जो एक चक्रीय या गिरावट के कारण हो रहा हो, तब एक नई टीम इन्नोवेशन की शृंखला को लगातार बनाए रखने के लिए आगे बढ़ सके। यह कुछ ऐसा होगा जिसमें रिले रेस की कई टीमों को एक ऐसी प्रतियोगिता का हिस्सा बनाया जाय, जिसमें एक बार में सिर्फ एक ही टीम को दौड़ने को कहा जाय और बारी-बारी से हर टीम को मौका दिया जाए। इस तरह के प्रयोग को समर्थन देने के लिए किस तरह के आंतरिक ढ़ाचे की आवश्यकता होगी। अंतिम लेकिन कम से कम सबसे प्रभावी प्रश्न के रूप में जो सभी स्टार्ट अप के लोगों के मन में आता है कि कैसे वे जीन रिप्लेसमेंट (प्रतिस्थापन) थेरेपी की प्रथाओं से सीख सकते हैं। जीन रिप्लेसमेंट (प्रतिस्थापन) समय-समय पर बेकार के अंगों को बदलने का प्रतीक है। इसे एक दूसरे तरीके से देखने पर लगता है कि इन संस्थाओं की रणनीति क्या हो सकती है ताकि समय-समय पर सेल्फ रिन्युअल या आत्म-नवीकरण की

प्रक्रिया स्वतः हर 5 वें वर्ष में हो सके। यह प्रक्रिया कुछ भी हो, सुन्दर नहीं होगी, बल्कि कष्टप्रद होगी। संस्कृति के रूप में कष्ट के इस मूल्य को कैसे बढ़ावा देना है, इसे एक चुनौती के रूप में सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप, अपने समक्ष देखते हैं।

क्या भारतीय बैंक भारत में उपरोक्त उदाहरणों से सीखकर इन मूल्यों को भारतीय समाज में बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं ? यदि भारतीय बैंक उपरोक्त सोच का 50 प्रतिशत भी अपनी रूचि में ला सकें तो भारतीय उद्यमिता अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर लेगी। लेकिन इसके लिए उनकी अपनी स्वतंत्र सोच की आवश्यकता होगी। जिसके लिए प्राथमिक आवश्यकता स्वायत्तता होगी। स्टार्ट अप संस्कृति में प्रोत्साहन के परिपेक्ष्य में पीएसयू बैंकों को अपेक्षाकृत कम स्वायत्तता है। अधिकतर मामलों में, वे भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंक संघ और भारत सरकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। क्या वे कभी स्वायत्त हो सकते हैं ? क्योंकि रेगुलेशन के नाम पर उनकी अधीनता निरंतर बनी रहती है। तीसरे, गलती खोजने की प्रवृत्ति, जो वर्षों पहले मैन्युअल बहीखाता प्रचलन के दिनों से बैंकों की संस्कृति का अंग है। क्या उसे उत्सव या असफलता स्वीकार की संस्कृति या जीवन को समारोह के रूप में जीने का जीवन दर्शन, जिसमें असफलता को सीखने का पैमाना माना जाए, से प्रतिस्थापित किया जा सकता है ? चौथे, एक अति उत्साही सीवीसी या सीबीआई के कारण रिस्क एवर्स (जोखिम विमुख) संस्कृति कभी भी स्टार्ट अप को बढ़ावा नहीं दे सकती है। पाँचवां, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में जीवन पर्यंत रोजगार से बने माहौल, स्टार्ट अप संस्कृति के विस्तार के लिए अच्छे और बुरे दोनों ही हैं। अच्छे इसलिए क्योंकि किसी भी कार्य संस्कृति में संवेदनशीलता एवं सेवा का भाव, कर्मचारियों की नौकरी/वित्तीय सुरक्षा से भी प्रभावित होती है। खराब इसलिए क्योंकि नौकरी की संतुष्टि और सुरक्षा के भाव के कारण जोखिम लेने की क्षमताओं में ह्रास और गैर जिम्मेदाराना सुविधाभोगी मानसिकता का विकास भी होता है।

भारतीय बैंकों में स्टार्ट अप कल्चर के परिवर्तन के लिए रोडमैप स्ट्रेटजी, इंटर्नल स्ट्रक्चर या सांस्कृतिक परिवर्तन के विकल्पों पर निर्भर करेगा। यद्यपि एक बहुत ही सामान्य रोडमैप निम्नलिखित बिन्दुओं पर बनाया जा सकता है :-

1- Pivot या केन्द्रबिन्दु का चुनाव - आमतौर पर पारंपरिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रशिक्षण को ही परिवर्तन लाने का एकमात्र उपाय समझते हैं। पिछले 40 या 50 वर्षों में "प्रशिक्षण" ने हर बीमारी के लिए डॉक्टर का दर्जा हासिल कर लिया है। किसी भी नए विकास के लिए प्रशिक्षण दे दीजिए और जिम्मेदारी समाप्त मान लिया जाता है। किसी भी पीएसयू बैंक में स्टार्ट अप कल्चर लाने की बात की जाय तो कोई न कोई "स्टार्ट अप प्रशिक्षण " ईजाद करने की बात होगी। एक बार स्टार्ट अप प्रशिक्षण दिया और ले लिया जाए तो फिर सभी को अनुपालन करने की बात होगी। भारतीय बैंकों को सिलिकान वैली के इन्नोवेशन साइकल प्रेरित स्टार्ट अप से सबक लेना चाहिए। बिजनेस कंट्यूनिटी प्लान (व्यावसायिक निरंतरता योजना) या विज़न या मिशन को प्रत्येक पांच वर्षों में एक आंतरिक अथवा बाह्य समीक्षाकर्ता द्वारा नवीनीकरण के लिए तैयार किया जाना चाहिए या जो कुछ भी इन्नोवेशन के एक चक्र के लिए उचित माना जाता है उसे किया जाना चाहिए, तब प्रत्येक बैंक को उसके इन्नोवेशन चक्र के अनुसार इंटर्नल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, संस्कृति या एक या एक से अधिक पिवोट (केन्द्र बिन्दु) का संयोजन चुनना होगा।

2- निशे बैंक (Niche Bank)- कॉरपोरेट, रिटेल और क्षेत्रीय बैंकों में बैंकों को विभाजित करने का वर्तमान प्रस्ताव पुनः स्टार्ट अप के महत्व की उपेक्षा करते हैं। एमएसएमई बैंक बहुत से हो सकते हैं और प्रत्येक बैंक एक या दो क्षेत्रों में विशेषज्ञ हो सकते हैं।

3- स्टार्ट अप प्रतिभा का चयन एवं ग्रूमिंग - इंटर बैंक और इंट्रा बैंक चयन प्रक्रिया द्वारा बैंकों में स्टार्ट अप प्रोत्साहन देने वाले प्रतिभा की पहचान और ग्रूमिंग स्टार्ट अप के दूरगामी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

4- जवाबदेही मानदंड- जवाबदेही मानदंड और त्वरित निर्णय लेने वाले प्रोटोकॉल के बीच संतुलन कायम करना एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर नीति निर्धारकों को विशेष रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है। त्वरित निर्णय, बोनाफाइड एवं मैलाफाइड निर्णयों के बीच का सूक्ष्म अंतर, स्टार्ट अप प्रोत्साहन में अंर्तनिहित जोखिम भरे निर्णय और जवाबदेही और अनुपालन के बीच का विरोधाभास वित्तीय अपराध और सेंसेशनलिजम् जैसे अंतर्विरोधी तत्वों की ओर नया दृष्टिकोण अपेक्षित होगा।

5- इंटर बैंक टीम - इंटर बैंक टीम का गठन कर मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सर्वोत्तम प्रथा एवं छोटे प्रयोगों के क्रियान्वयन द्वारा काम के नए तरीके विकसित किए जाने चाहिए। केन्द्रीकृत निधि से सर्वेक्षण रिसर्च द्वारा उद्यमी नेतृत्व, प्रतिभा की पहचान करना और अनुपालन के बजाय प्रयोग एवं इन्नोवेशन को बढ़ावा देने का काम कराने की जिम्मेदारी, इस टीम को सौंपी जानी चाहिए। पहले प्रायोगिक तौर पर फिर आवश्यक सुधार कर दूसरा प्रमोट एवं इसके पश्चात् इन प्रयोगों को लागू किया जा सकता है। इस टीम द्वारा स्टार्ट अप के विकास के लिए कॉरपोरेट उद्यमियों द्वारा प्रायोजक का कार्य भी किया जा सकता है।

6- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केंद्र) - चूँकि बैंक की संपूर्ण संस्कृति को रातभर में नहीं बदला जा सकता है इसलिए आर एण्ड डी द्वारा संचालित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना बहुत प्रभावी हो सकती है। कर्मचारियों में कैसे उद्यमशीलता कौशल को बढ़ाया जावे इसके लिए कोचिंग भी दी जा सकती है। इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का विज़न और उद्देश्य, स्टार्ट अप संस्कृति को समग्र रूप से बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।

आधुनिक बैंकिंग और प्रशिक्षण की आवश्यकता

वित्तीय प्रणाली के परिवर्तित परिवेश के प्रति संवेदनशील होने के कारण विगत 25 वर्षों में भारतीय बैंकिंग में कल्पनातीत परिवर्तन हुए हैं। 70 के दशक को बैंकिंग क्षेत्र में विस्तारवादी चरण, 80 के दशक को समेकन चरण और 90 के दशक को सुधारवादी चरण कहा जा सकता है। आधुनिक बैंकिंग, जो कि सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों की ओर क्रमशः अग्रसर है, उसके बीज आर्थिक सुधारों के दौरान ही बोए गए थे।

आधुनिक बैंकिंग के क्षेत्र में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को रूपान्तरित करके व्यवहार्यता की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में वृद्धिशील कार्यक्षमता एवं परिचालनगत लचीनापन आया है। इस बीच बैंकिंग क्षेत्र की सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले नीतिगत प्रतिबंधों की निरंतर समीक्षा की गई ताकि 21वीं शताब्दी के अधिक प्रतिद्वन्द्विता वाले वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंकिंग अपने आपको संगठित महसूस करें।

सुबह सिंह यादव
सहायक महाप्रबन्धक (सेवानिवृत)
बैंक ऑफ बड़ौदा, जयपुर

आधुनिक बैंकिंग की विलक्षणताएँ:-

1- आधुनिक भारतीय बैंकिंग 'बैंकिंग से' 'क्लिक बैंकिंग' में रूपान्तरित हुई है। बैंकिंग में 'क्रेता संस्कृति' का उदय हुआ है, जिसमें ग्राहक बैंकों के सामने अपनी शर्तें रखने लगे हैं क्योंकि उसके पास बैंकिंग के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। ग्राहक ऐसी बैंकिंग सुविधा चाहता है जिससे वह 'कहीं भी, कहीं भी, किसी भी तरह से' बैंकिंग लेन देन कर सके। इन सुविधाओं को पूरा करने के लिए, बैंकों ने यह जानते हुए कि प्रौद्योगिकी के बिना आज की बैंकिंग की कल्पना भी करना मुश्किल है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन (CBS) का सहारा लिया।

2- बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा ने बैंकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाकर न केवल लागतों को कम करने के लिए मजबूर किया, अपितु अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए नए-नए ग्राहक जोड़ने के लिए नई-नई योजनाएं उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर दिया क्योंकि आज का ग्राहक जागरूक, अपेक्षा रखने वाला तथा संवेदनशील ग्राहक है।

3- भुगतान के पारंपरिक माध्यमों को आगे बढ़ाते हुए ग्राहकों द्वारा आज एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, पीओएस टर्मिनल, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वैलट, टेली बैंकिंग, मोबाइल एप, डेबिट कार्ड, केडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, सोशियल बैंकिंग, ईसीएस, स्मार्ट कार्ड आदि बैंक तकनीक पर आधारित सेवाओं का प्रयोग करते हुए यूनिवर्सल बैंकिंग की ओर अग्रसर है। यह बैंकिंग उद्योग के लिए सकारात्मक संकेत है।

4- जुलाई 2015 को भारत में औपचारिक रूप से **डिजिटल इंडिया** की शुरूआत हुई। आज डिजिटल बैंकिंग से इलेक्ट्रॉनिक फन्ड ट्रांसफर, ऑन-लाइन बिलों का भुगतान, बस, रेलवे व

हवाई जहाज की टिकट, ऑनलाइन शॉपिंग व बैंक द्वारा नए बैंकिंग उत्पाद व सूचनाओं की जानकारी तुरंत मिल जाती है। डिजिटल बैंकिंग का लक्ष्य कागजी कार्रवाई को कम करते हुए 24x7 इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाएं प्रदान करना है। डिजिटल बैंकिंग बैकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही एक ऐसी सुविधाजनक सेवा है जिससे ग्राहक शाखा में गए बिना अपने खाते को बैंक वेबसाइट या किसी अन्य वैकल्पिक डिलिवरी चैनल (ADC) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिचालित कर सकता है। यहां पलक झपकते ही भुगतान अथवा निपटान हो जाता है। डिजिटल बैंकिंग ग्राहकों की बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए एक तरह से वित्तीय हब का कार्य करती है जिससे धन व समय दोनों की ही बचत होती है। इन चैनलों के उपयोग में ग्राहकों का विश्वास उत्पन्न करने की जरूरत है।

5- वित्तीय समावेशन को अपने संपूर्ण स्वरूप में क्रियान्वित करना आज बैंकों का महत्वपूर्ण दायित्व है। इस प्रक्रिया में डिजिटल बैंकिंग का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसके द्वारा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े एवं गरीब व्यक्तियों तक बैंकिंग को पहुंचाया जा सकता है। आज डिजिटल बैंकिंग में मोबाइल एप सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। ज्यादातर बैंकों ने मोबाइल के लिए इंटरनेट बैंकिंग के एप भी तैयार किए हैं जिन्हें डाउनलोड करके ग्राहक अत्यंत आसानी से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा पाने की स्थिति में होता है तथा इन एप्स के माध्यम से ग्राहक अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं, अपने खातों का विवरण देख सकते हैं तथा सुलभता से लेनदेन कर सकते हैं। एम वालेट, एम पासबुक, एम पैसा व पेटीएम जैसे मोबाइल एप प्रमुख लोकप्रिय एप हैं।

6- बैंकों से पेटीएम, मोबिक्विक आदि कम्पनियां शुल्क आधारित व्यवसाय के बड़े भाग को हथिया रही हैं। पियर टू पियर ऑन लाइन लोडिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने वाले नए उद्यमों का भी उदय हुआ है जो ग्राहकों की खुदरा आवश्यकताओं को पूरा करके बैंकों के समक्ष कड़ी प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न कर रहे हैं। इससे बैंकों को अपने विद्यमान व्यवसाय एवं ग्राहकों को बनाए रखना एवं नए ग्राहकों को हासिल करना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। हां, इसका सकारात्मक पहलू भी है कि बैंक इस प्रतिस्पर्द्धा का सामना करते हुए अपनी व्यवसाय प्रणाली में और बेहतरी करेंगे जो अन्ततः ग्राहकों के लाभ के रूप में परिणत होगा। इसका दूसरा पक्ष यह है कि अब बैंक इन परिवर्तनों आलोड़नों-विलोड़नों, नए विकासों, उभरते परिदृश्यों पर गंभीर चिंतन करके सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों को तीव्रता से अपनाने की ओर प्रेरित होंगे।

7- भारत में बदलते आर्थिक परिदृश्यों के मध्य बैंकिंग जगत भी निरंतर बदलता जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था सृजनशीलता और रचनात्मकता की ओर उन्मुख रही है। हम इस तथ्य से पूर्णतया वाकिफ हैं कि रोम एक दिन में नहीं बना। भारतीय बैंकिंग में इस समय बदलावों का दौर चल रहा है। नये निजी बैंकों, विदेशी बैंकों का प्रवेश, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक आदि की स्थापना, बाज़ार शक्ति विलय, अभिवृद्धि हेतु विलय, मुक्त ब्याज दरें, बीमा सेवाएं, बहुआयामी प्रतिस्पर्द्धा, लागत विपणन, उत्पाद सेवा, गुणवत्ता में स्पर्द्धा, वैश्विक प्रमाण-आईएसओ (ISO) सर्टिफिकेट, सेवा दक्षता रेटिंग आदि ने बैंकिंग की दिशा एवं दशा में चहुंमुखी परिवर्तन ला दिए हैं।

8- आर्थिक सुधारोत्तर काल में बैंकिंग के अन्दर एवं बाहर का परिदृश्य काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। वैश्वीकरण के साथ-साथ निजीकरण, अविनियमन एवं स्वयं बैंकिंग के जटिल उत्पादों ने भी बैंकिंग के मध्य प्रतिस्पर्द्धा को जन्म दिया है, जिसके फलस्वरूप बैंकिंग को जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। बैंकिंग जोखिमों को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जोखिम के परिमाण को कम या अधिक किया जा सकता है। सभी कारोबार पंक्तियों को प्रतिबन्धित करने का मूल मंत्र है- वृद्धिशील जोखिम समायोजन प्रतिफल, बैंकिंग व्यवसाय में जोखिम अपरिहार्य होने के कारण जोखिम प्रबंधन क्षमताओं में सतत सुधार को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट ने बासेल-II की समीक्षा करने के लिए बाध्य किया, जिसके फलस्वरूप बासेल समिति

(BCBS) ने नया बासेल पैकेज-III तैयार किया। बासेल-III का कार्यान्वयन बैंकों और विनियामकों दोनों के स्तर पर अधिक क्षमता की मांग करता है। भारतीय बैंक कुछ चुनौतियों के साथ बासेल-III मानदण्डों को पूरा करने की स्थिति में हैं, लेकिन कुछ बैंक अभी भी पीछे हैं शायद इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में 10 बैंकों पर त्वरित सुधारात्मक कारिवाई (PCA) लागू की है।

9- सरकार इस तथ्य को भलीभांति जानती है कि भारत को जनांकिकीय लाभ प्राप्त है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से युवाओं के स्वप्नों को रंगीन बना रही है ताकि ये अनेक योजनाओं के माध्यम से कम ब्याज दरों पर ऋण सुविधा प्राप्त कर सकें। इन योजनाओं में प्रमुखतः प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री 'मुद्रा' योजना, स्टार्ट अप इण्डिया, स्टैण्ड-अप इण्डिया, शिक्षा ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, लघु उद्योगों हेतु वित्त पोषण, स्वयं सहायता समूह हेतु ऋण सुविधा, स्वयं सहायता समूह को वित्त पोषण, संयुक्त देयता समूह को वित्त पोषण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, छोटे किसानों/सीमांत किसानों, काश्तकारों/मौखिक लीजधारकों एवं बटाईदारों आदि को वित्त पोषण करके स्वरोजगार की दिशा में सब्सिडी युक्त ऋण सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे शहरों के युवाओं को आत्म-निर्भर बनाने में सहायता मिलेगी। 'मेक इन इण्डिया' इस दिशा में एक कारगर कदम है जहां अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले 25 क्षेत्रों में बदलाव लाकर भारत को सन् 2020 तक शून्य इलेक्ट्रॉनिक्स मद आयात करने वाला देश बनाया जाएगा। इससे कौशल विकास भी होगा। इसी तरह से स्टार्ट अप इंडिया इकाइयों के लिए भी बैंकिंग प्रणाली से संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

10-वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण के इस दौर में दिन प्रतिदिन ग्राहकों की अपेक्षाएं बैंकों से बढ़ती जा रही हैं तथा सूचना प्रौद्योगिकी के जबरदस्त उछाल ने इन अपेक्षाओं में कई गुना वृद्धि कर दी है। अब ग्राहक अपने खातों को अपने निजी कम्प्यूटर से देखना चाहता है। इसके लिए वह ऑनलाइन बैंकिंग का सहारा ले सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, ई-बैंकिंग तथा वर्चुअल बैंकिंग भी कहा जाता है। ग्राहक बैंक की सुरक्षित वेबसाइट पर जाकर ग्राहक संख्या और उसके द्वारा अर्जित पासवर्ड की सहायता से लेन-देन कर सकता है। मोबाइल बैंकिंग के अन्तर्गत ग्राहक स्मार्ट फोन या सेल्यूलर डिवाइस द्वारा ऑनलाइन बैंकिंग के कार्य को पूरा करते हैं। हमारे देश में मोबाइल के प्रयोग करते हुए बैंकिंग सुविधाएँ तीन माध्यमों की तरह है; एस एम एस बैंकिंग, मोबाइल एप्लिकेशन तथा यू एस एस डी। इसी तरह से तत्काल भुगतान प्रणाली (IMPS)भी निधि अंतरण का महत्वपूर्ण माध्यम है जिसकी शुरूआत 22 दिसंबर, 2010 को हुई। यह सुविधा एन एफ एस स्विच के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा प्रदान की जाती है। बैंकों को इस सेवा में भाग लेने हेतु अपनी पात्रता के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन भी लेना होता है। इसी तरह से 'आधार' आधारित भुगतान प्रणाली व्यवसाय प्रतिनिधि (BC) के माध्यम से प्रदान किए जा रहे मूलभूत लेन-देन/बैंकिंग सुविधाएं हैं। वीजा बिल पे, प्रत्यक्ष जमा, ऑटोमेटिक पेमेंट, खरीददारी स्थल पर भुगतान, स्टोर-वैल्यू कार्ड (प्रीपेड कार्ड), इलेक्ट्रानिक कैश, मर्चेंट बैंकिंग (बहुत पुरानी बैंकिंग है, लेकिन बैंकों के विलय एवं अधिग्रहण से इसकी संभावनाएं बढ़ी है), ट्रेजरी एवं फॉरेक्स फंक्शन, फारेक्स मार्केटिंग आदि बैंकिंग की ऐसी विधाएं हैं जिनका स्वरूप आने वाले समय में भी शाश्वत बना रहेगा। चल बैंकिंग द्वारा प्रत्येक गाँव का समावेशन किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी गतिशीलता और सूचना उपलब्धता ने बैंकों पर दबाव डाल दिया है कि यदि वे अपने तुलन पत्रों को सुधारना चाहते हैं तो प्रतिक्रिया और पारदर्शिता में सुधार करें। बैंकों ने इन गतिशील परिवर्तनों का प्रत्युत्तर भलीभांति दिया है और सुदृढ़ प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के निर्माण में बड़ा निवेश किया है जिससे ग्राहक खातों के केन्द्रीकरण द्वारा "कोर बैंकिंग सोल्यूशन" लागू करके देशभर में समान गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करने में सुविधा हुई है। बैंक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में लागत प्रभावी

सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

11- भुगतान और निपटान प्रणाली परिपक्व हो गई है तथा चेक ट्रंकेशन से कम समय में निधियों का अंतरण संभव हो गया हैं चेक ट्रंकेशन प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीटीएस 2010 जारी किए जिसके अन्तर्गत सभी बैंकों को नई चैंक बुक जारी करने के निर्देश दिए जो कि सीटीएस के लिए अति आवश्यक है। इसमें चेक का आकार, माइकर कोड, प्रिंटेड चेक, पेपर की गुणवत्ता, वाटरमार्क, बैंक का लोगो, आदि का होना आवश्यक है।

12- इस सुदृढ़ प्रौद्योगिकी ढांचे के व्यापक प्रारूप में भविष्य में बैंकों की सफलता गुणात्मक पहलुओं द्वारा निर्धारित की जायेगी ताकि आधुनिक बैंकिंग के अन्तर्गत उपयुक्त प्रशिक्षण द्वारा प्रभावी बैंकिंग को मूर्तरूप दिया जा सके।

आधुनिक बैंकिंग एवं प्रशिक्षण की आवश्यकताः- बैंकों में प्रशिक्षण प्रणाली मानव संसाधन विकास का एक अभिन्न अंग है और इससे इस प्रणाली के कार्य को अधिक कुशलता तथा अर्थपूर्ण ढंग से सम्पादित करने के लिए बैंकों को व्यक्तिपरक तथा केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अब हमें आधुनिक बैंकिंग के घटकों/स्वरूप को जिन मुख्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता के विश्लेषण (TNA) पर विस्तृत विमर्श कर निर्धारित किया जाना चाहिए। किसी भी प्रशिक्षण प्रणाली को अन्तिम रूप देने से पूर्व सम्पूर्ण प्रशिक्षण व्यवस्था की आवश्यकताओं का विवेचन किया जाता है। इस पद्धति को **प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (TNA)** कहते हैं। इसमें बैंक की वर्ष भर की कार्यप्रणाली के अनुरूप प्रशिक्षण की आवश्यकतानुसार अवधि तथा प्रशिक्षण कैलेण्डर में टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाता है। **डिजिटल बैंकिंग एवं प्रौद्योगिकी** की शाश्वत आवश्यकताओं के अतिरिक्त क्षेत्र विशेष की कार्यात्मक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता हैं मसलन उत्तरी भारत में कृषि अर्थव्यवस्था एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पर संकेन्द्रण होगा, तो मुम्बई, कलकत्ता एवं चैन्नई जैसे शहरों में विदेशी विनिमय, ट्रेजरी, क्रेडिट आदि पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। खुदरा ऋण एवं अनुपालन जैसे नीतिगत मुद्दों पर सभी क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्राहक संबंध प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, लागत कम करना, वित्तीय समावेशन, विशेषकर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय समावेशन (अल्ट्रास्माल शाखाओं सहित), गैर ब्याज आय, विपणन नीति का प्रशिक्षण आज के समय की मांग है। जी एस टी और मेक इन इंडिया को बैंकिंग से जोड़ने का मुद्दा तथा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व जैसे समसामयिक विषयों पर भी कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। अतः समय और परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की बैंकिंग आवश्यकताओं की सघनता के आधार पर प्रशिक्षण आवश्यकताओं का विश्लेषण कर इसे अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण आवश्यकताओं को विश्लेषित करना

कार्य करने के दौरान वास्तविक तथा आवश्यक मानदण्डों के निष्पादन का अंतर ही प्रशिक्षण की आवश्यकता का आधार बनाता है। वर्तमान में विभिन्न कारोबारी मानदंडों के अन्तर्गत (जिनमें कमजोर अनुपालन प्रणाली भी सम्मिलित है) कर्मचारियों की निम्न स्तरीय क्षमताओं के लिए कुछ सीमा तक जिम्मेवार है। क्षमता की अवधारणा ज्ञान तथा जरूरी कौशल अर्जित करने से संबंधित हैं जिसका वर्तमान में बैंकों में अधिघर्षण (Attrition) तथा विशाल मात्रा में सेवानिवृत्ति के कारण क्षय हो रहा है।

इसलिए कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का विश्लेषण करते समय, संगठन की आवश्यकताओं की ओर एकाग्रचित तथा व्यक्तिपरक, उत्तरदायित्व को संभालने में भूमिका, सक्षमता तथा बैंक की रखरखाव एवं विकासात्मक आवश्यकताओं सहित कर्मचारी की कौशल क्षमता एवं स्वयं की आवश्यकताओं पर सामूहिक तरीके से ध्यान दिया जाता है। सक्षमताओं का स्तर तथा निष्पादन स्तर (क्रियान्वयन/सुधारने/नवोन्मेषण करने) किसी भी बैंक में सीखने की

आवश्यकताओं की पहचान करने के दो निर्णायक घटक हैं। वर्तमान परिदृश्य में सक्षमताओं को पुरानी तथा वांछनीय क्षमताओं में विभाजित किया जा सकता है। वर्ममान समय में प्रशिक्षण कोई छोटा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें बहुसंख्य दस्तावेज तथा उच्च स्तरीय परिमार्जित प्रविधि सम्मिलित है। जनांकिकीय स्थिति में तकनीकी परिवर्तन के अभ्युदय के साथ ही ग्राहक उत्पाद विविधीकरण, सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बैंक माध्यमों का बारम्बार प्रयोग, उपभोक्तावाद तथा जीवन स्तर के बढ़ते हुए स्तर के साथ ही बैंकों की कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है अर्थात एक मध्यस्थकारी संस्था से बहुविधकार्य करने वाली वित्तीय सुपर सेवा प्रदान करने वाली इकाई के रूप में इसका रूपांतरण हुआ है। अतः बैंक कर्मचारियों के निष्पादन, कौशल अन्तराल तथा ज्ञान अन्तराल की पहचान करना पूर्वकाल की अपेक्षा अब अधिक मुश्किल हो गया है।

प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने के तरीके एवं तकनीक-

कर्मचारियों के लिए बैंक की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पहचानने, तथा इसके कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के निर्माण एवं डिज़ाइन करने में सहायक तकनीक इस प्रकार हैं :-

1- सर्वप्रथम कर्मचारी द्वारा की जाने वाली गतिविधि का विश्लेषण किया जाए कि इस संबंधित भूमिका तथा कार्य के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम व्यवहार पद्धतियां क्या है। इन अन्तरालों तथा कमियों को बैंक कर्मियों से साक्षात्कार, कारोबार बैठकों, अंकेक्षण, निरीक्षण तथा शाखा विजिट रिपोर्ट से प्राप्त किया जा सकता है।

2- समय के साथ-साथ बैंकिंग परिचालनों में भी जटिलता आई है। अतः परिचालनों को छोटे-छोटे कार्यों में विभाजित करना तथा इन्हें पूरा करने के लिए प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट ज्ञान और कौशल की आवश्यकता पड़ती है। अतः ज्ञान और सक्षमता में विद्यमान अन्तराल को पूरा करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यद्यपि **ई-मोड तथा डिजिटल प्लेटफार्म** इन समस्याओं को हल करने के सर्वोत्तम साधन है फिर भी ज्ञान तथा कौशल के अन्तराल को व्यक्तिगत मानवीय स्पर्श तथा तकनीकी, सामूहिक रूप से दूर करने का एक प्रभावी साधन हैं।

3- एक प्रबंधकीय उद्देश्य भावी आवश्यक कार्य निष्पादन स्तर का एक सूचनात्मक अनुमान है। यह एक प्रभावी औजार है, लेकिन केवल अन्तिम परिणाम को वर्णित करने तक ही सीमित है, यह नहीं बताता कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किस विशेष कौशल का प्रयोग किया जाए और न ही इन उद्देश्यों के प्रति किसी साधन को इंगित करता है। वहीं प्रशिक्षण का उद्देश्य साधन और लक्ष्यों दोनों को इंगित करता है यह बताते हुए कि किस कौशल को सीखा जाए, अन्तिम परिणाम को भी बताता है।

प्रशिक्षण की आवश्यकताः-

अर्थव्यवस्था को ऊँचाइयों पर पहुंचाने में मददगार भारतीय बैंकों की कार्यकुशलता के क्षीण होने तथा असंतोषजनक ग्राहक सेवा के लिए तीक्ष्ण आलोचना होने लगी। अतः बैंकों में प्रबंधकीय क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। सभी बैंकों ने अपने यहां मानव संसाधन प्रबंधन विभाग तथा प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। इसके द्वारा प्रशिक्षण की व्यापक योजना तैयार की जाती है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी कर्मियों को उनके कार्य की प्रकृति के अनुरूप उपयोगी प्रशिक्षण प्राप्त हो। बैंकिंग एक सघन कर्मचारी एवं प्रौद्योगिकी उन्मुख सेवा होने के नाते संगठन के अन्दर तथा संगठन के बाहर भी मानवीय तत्व के आधार पर कार्य होता है। बैंकिंग, सेवाओं की उत्पादकता, लाभदायकता तथा कुशलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं साथ ही, बैंक कर्मचारियों की संख्या व योग्यता काफी सीमा तक बैंकिंग सेवाओं के आकार की विविधता व स्तर को निर्धारित करती हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि लागतों और संगठनात्मक अदक्षता को नियंत्रित करना बैंकिंग उद्योग में अन्य उद्योगों की अपेक्षा कठिन है तथा **आधुनिक बैंकिंग पूर्णरूपेण प्रौद्योगिकी**

पर आधारित है, कर्मचारियों के प्रशिक्षण को बैंकिंग उद्योग में सर्वाधिक कठिन चुनौती माना गया है। प्रौद्योगिकी के मामले में बैंकों को अपनी मानव शक्ति को समर्थ व सक्षम बनाने की महती आवश्यकता है ताकि बाह्य कुशलता पर निर्भरता शून्य स्तर पर आ जाए।

ऑन बॉर्डिंग प्रशिक्षण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में आने वाले कर्मचारी की औसत आयु 18-25 वर्ष के आयु वर्ग में होती है और उन्हें सामान्य बैंकिंग से लेकर वित्तीय समावेशन तक के महत्वाकांक्षी एवं गुरूतर दायित्व का निर्वहन करना होता है। इस प्रक्रिया में चुनौतियों को सफलतापूर्वक निपटने के लिए तथा **'कॉलेज से कॉरपोरेट'** तक के इस परिवर्तन को समाहित करने के लिए इन नवनियुक्त कर्मचारियों की प्रभावी ऑन बॉर्डिंग (on boarding) को सम्पादित करने में प्रशिक्षण संस्थाओं की जिम्मेवारियां बढ़ जाती है।

प्रशिक्षण पद्धतियां

भारतीय बैंकिंग की संरचना में प्रशिक्षण प्रावधानों का काफी विकास हो चुका है परम्परागत रूप से हमारे यहां प्रशिक्षण की पद्धति कक्षा में व्याख्यान की रही है जहां प्रशिक्षक व प्रशिक्षणार्थियों का प्रत्यक्ष संबंध होता है तथा किसी सन्देह की स्थिति में प्रशिक्षक से विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श हो सकता है। ऋण, कृषि वित्त एवं कार्मिक जैसे विषयों के सन्दर्भ में समस्या निराकरण (Problem solving) मामला अध्ययन (Case study), विशेषज्ञ विचार विमर्श (Panel discussion), गोष्ठियों का आयोजन (Seminar), कार्यशाला (Workshop), शैक्षणिक यात्राएं (Educational Tours), कोचिंग (Coaching), मेन्टरिंग (Mentoring) आदि पद्धतियों का आविर्भाव हुआ। जो कार्मिक नियमित रूप से अपनी उपस्थिति नहीं दे पाते, उन्है ई-लर्निंग के अभ्युदय से पहले पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। लेकिन व्यावहारिक अनुभवों से विदित हुआ कि बैंकों की कार्यपद्धति के लिए अब तक अपनाए गए सभी तरीकों में कार्य प्रशिक्षण (on the job training) ही उत्कृष्ट सिद्ध हुआ है। बैंकिंग सामूहिक कार्य के आधारभूत सिद्धान्त पर चलता है। अतः एक व्यक्ति विशेष को कुछ कठिनाई आने पर अन्य कर्मचारी उसकी सहायता कर सकते हैं।

ई-लर्निंग (E-learning):- ई-लर्निंग विविध प्रौद्योगिकी, जिनमें इंटरनेट, इन्ट्रानेट टेलीविजन, विडियोटेप, बुद्धिमतापूर्ण अनुशिक्षक, ट्यूटरिंग प्रणाली तथा कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण शामिल हैं, द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान है। यह प्राथमिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से माध्यमों से अर्जित ज्ञान तथा इस अर्जित ज्ञान का सुलभता से वितरित करना है, यह स्वयं द्वारा गति नियामक ज्ञानार्जन है तथा भीड़ भड़ाके वाली कक्षा में प्रशिक्षण के स्तर की तुलना करने पर बहुत प्रचुर अनुभव सिद्ध हो सकता है। ई-लर्निंग में समकालिक/तुल्यकालिक (Synchronous) तथा अतुल्यकालीक (Asynchronous) पहुंच शामिल है तथा समय की विभिन्न सीमाओं में भौगोलिक रूप से बांटा जा सकता है। ई-लर्निंग नये ज्ञानार्जकों को अनुदेशकों तथा अन्य कर्मचारियों को परेशान किए बिना तथा बिना काम में बाधा डाले किसी भी समय में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने को संभव बनाता है। यह ई-लर्निंग प्लेटफार्म अनुदेशक से ज्ञानार्जकों को शिक्षा की विषयवस्तु के सृजन तथा उसकी वास्तविक डिलिवरी को बताता है। कोई भी व्यक्ति दस्तावेज, इमेजों तथा चार्ट्स को वर्ड प्रोसेसर (Word Processor) पर परिवर्तित कर सकता है, शीट तथा प्रस्तुतीकरण सॉफ्टवेयर को ई-लर्निंग विषयवस्तु में परिवर्तित कर सकता है अथवा ऑडियो तथा वीडियो सामग्री को प्रस्तुतीकरण विषय वस्तु से मिला सकता है। यहां तक कि बिना किसी प्रोग्रामिंग कौशल वाला व्यक्ति भी सिमुलेशन (Simulation) जैसी उन्नत विषय वस्तु का भी सृजन कर सकता है। यह एक ऐसी क्रान्ति है जिसकी कम से कम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तो अनदेखी नहीं कर सकते।

ई-लर्निंग के मूलभूत तत्वः- ई-लर्निंग में मल्टीमिडिया विषयवस्तु, विडियो कान्फ्रेंसिंग, ऑन लाइन इन्टर-एक्टिव

कक्षाएं तथा शिक्षा प्रबंधन प्रणाली सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत वेब आधारित शिक्षा, कम्प्यूटर आधारित शिक्षा, वर्चुअल क्लास रूम तथा डिजिटल सहयोग शामिल है। ई-लर्निंग में संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक तकनीकों का प्रयोग करके, सहयोगी शिक्षा वातावरण बनाकर तथा एक ऐसा वातावरण निर्मित करके जो शिक्षा का विदोहन करता है, पाठ्यक्रम की डिलिवरी की जाती है। ई-लर्निंग के माध्यम से संगोष्ठियां, नियत कार्य तथा बहुत सी जिज्ञासाओं का हल भी प्रदान किया जाता है।

ऑन लाइन प्रशिक्षणः- इंटरनेट के माध्यम से विषयवस्तु की डिलिवरी को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना अथवा वेब आधारित प्रशिक्षण भी कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ऑन लाइन प्रशिक्षण ज्ञान प्रदायक प्रक्रियाओं का रूपान्तरण ही हैं।

ई-लर्निंग के लाभः- ई-लर्निंग प्रत्येक पुनरावृति के साथ वृद्धिशील लाभ प्रदान कर रही है। इससे ग्राहक शिकायतों का निवारण होने के साथ-साथ सभी कर्मचारियों की व्यवसाय वृद्धि में भी भागीदारी बढ़ेगी क्योंकि ई-लर्निंग संपूर्ण विश्व में 24x7x365 घन्टे ज्ञान प्राप्ति को संभव बनाती है। ई लर्निंग लागत प्रभावी भी है। ई-लर्निंग से ज्ञानार्जन की विषयवस्तु पर केन्द्रीकृत नियंत्रण संभव हो जाता है, जब सूचना का प्रतिदर्शन ऑन स्क्रीन होता है तो ई-लर्निंग चहुमुखी तथा अन्तः क्रियात्मक हो जाती है। ई-लर्निंग से प्रशिक्षणार्थियों को अपनी समझ को जांचने का अवसर प्राप्त होता है तथा तुरन्त प्रभाव से प्राप्त फीड बैक के साथ उच्च स्तर की अन्तः क्रिया भी संभव है। ई-लर्निंग से प्रशिक्षण की अनुमति मिल जाती है जो अधिक पहुंच योग्य, तीव्रतर, काफी प्रभावोत्पादक तथा प्रयोगकर्ता की आवश्यकताओं से बेहत्तर रूप से संबंधित होती है। इससे खुले अध्ययन के अवसर के द्वार भी खुल गए हैं। चूंकि ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों को अनेकों भाषाओं में बनाया जा सकता है, इसलिए विभिन्न भाषाओं के लोगों को एक ही विषयवस्तु को पढ़ाने में प्रयोग में लाया जा सकता है।

उपसंहारः-

बैंकिंग प्रशिक्षण का व्यापक जाल विछा होने के बावजूद भी आधुनिक बैंकिंग जो कि आवश्यक रूप से डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी आधारित है, के अनुरूप प्रभावी एवं परिमार्जित बनाना शेष है। एक नियोजित एवं बोधोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम ही आधुनिक बैंकिंग की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। आज हमारे पास डिजिटल शिक्षण मिडिया, वेबिनार्स, एप्स, ई-लर्निंग, एम लर्निंग, गैमीफाइड लर्निंग इत्यादि उपलब्ध हैं। कर्मचारी के पास इतना धैर्य नहीं है कि वह पूरे दिन कक्षा में सत्र में उपस्थिति दे, उसे तो एक ही बारी में शिक्षण कैप्सूल चाहिए। वर्तमान बैंकिंग उद्योग पहले से ही कार्य निष्पादन सहायक सॉफ्टवेयर तथा कौशल के लिए क्लाउड आधारित शिक्षण अपना रहा है जो साधारण लेनदेन से लेकर जटिल वार्तालाप तक विचरण करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में एक बैंकर के लिए एक मॉडूल्य को डिज़ाइन करने एवं विकसित करने के लिए कुछ और आत्म विश्लेषण की आवश्यकता है, विशेषकर उस स्थिति में जब बैंकिंग उद्योग में ली जा रही पहले तथा बैंकिंग के रूपांतरण की गति की प्रक्रिया अब तीव्रता से आगे बढ़ने के की प्रवृति लिए हुए है और साथ ही बैंकिंग जगत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, वे पहले की अपेक्षा कही अधिक तीव्रत्तर हैं।

बैंकिंग प्रशिक्षण के क्षेत्र में कृषि बैंकिंग महाविद्यालय पुणे ने महत्वपूर्ण काम किया है, लेकिन इस महाविद्यालय में प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिनियुक्त करना न तो वांछनीय और न ही संभव है। हां, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक के "बैंकर्स टेनिंग कॉलेज"को पुनर्जीवित कर दिया जाए तो, कुछ सीमा तक उन्नत प्रशिक्षण को समर्थन मिल सकता है। भारतीय बैंकिंग तथा वित्त संस्थान ने बैंक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने का भागीरथ प्रयास अवश्य किया, लेकिन वह भी कुछ चयनित क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। भारतीय बैंक संघ, जो कि बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के नेतृत्व से ओतप्रोत है, एक सलाहकारी संस्था के रूप में प्रशिक्षण के क्षेत्र में विशेष मार्ग दर्शन देकर अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है ताकि भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विश्व में एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित किया जा सके।

रेग्युलेटर की नज़र से

[रेग्युलेटरी एजेंसी विधायिका द्वारा बनाई गई एक सरकारी संस्था होती है, जिसका निर्माण विशिष्ट क़ानूनों को कार्यान्वित करने और प्रवर्तित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की एजेंसी के पास अर्ध-विधायी (Quasi-legislative), कार्यकारी (Executive) और न्यायिक (Judicial) कार्य करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अतः क्षेत्र विशेष के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्तीय क्षेत्र की रेग्युलेटरी एजेंसियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती है। इनकी इस भूमिका को मद्देनजर रखते हुए संपादकीय समिति ने इनकी भूमिका के बारे में एक नया स्तम्भ शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें *वित्तीय क्षेत्र के* विभिन्न विनियामकों द्वारा की गई पहलों को शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत जून 2015 के अंक से की गई। प्रस्तुत है इस कॉलम का लेख।]

पीयर टू पीयर लेनडिंग प्लेटफार्म

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 अक्तूबर 2017 को, पीयर टू पीयर (पी2पी) लेन्डिंग प्लेटफार्म के व्यवसाय को संचालित करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के लिए मास्टर दिशानिर्देश की घोषणा की। ये निर्देश भारत में एनबीएफसी-पी2पी के पंजीकरण और परिचालन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। गतिविधियों के दायरे के संबंध में, एनबीएफसी-पी2पी प्राथमिक रूप से पीयर टू पीयर लेनडिंग में शामिल प्रतिभागियों के लिए एक ऑनलाइन बाज़ार या प्लेटफार्म प्रदान करने वाले मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा।

राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड

6 अक्तूबर, 2017 को, भारत सरकार अधिसूचना F.No.4 (25) -B / (डब्ल्यू & एम) / 2017 अक्तूबर 06, 2017 के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), नामित डाकघर, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को नियमों और शर्तों के तहत बॉण्ड जारी करने की सलाह दी है। इस योजना के संबंध में उपरोक्त संस्थाओं को परिचालन संबंधी दिशानिर्देश अलग से दिये गये थे। इस योजना के अंतर्गत, साप्ताहिक रूप से जारी होने वाली शृंखलाओं में राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड जारी किए जाएंगे, जो 09 अक्तूबर 2017 से शुरू होने वाले प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से बुधवार तक सदस्यता के लिए खुले होंगे। अक्तूबर 2017 से दिसम्बर 2017 तक राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड जारी करने का कैलेंडर भी निर्दिष्ट किया गया था

ब्रिज राज
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना

बड़े कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के लिए विधिक इकाई पहचानकर्ता की शुरुआत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 नवंबर, 2017 को बड़े कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के लिए विधिक इकाई पहचानकर्ता की शुरुआत की घोषणा की। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डाटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता को बेहतर बनाने के लिए विधिक इकाई पहचानकर्ता

(एलईआई) कोड को एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। विधिक इकाई पहचानकर्ता दुनिया भर में वित्तीय लेन-देन के लिए पार्टियों की पहचान करने के लिए 20-अंकों का एक यूनीक कोड है। संस्थाएं वैश्विक विधिक इकाई पहचानकर्ता फाउंडेशन (जीएलईआईएफ) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्थानीय संचालन इकाई से एलईआई प्राप्त कर सकती हैं। भारत में, एलईआई कूट विधिक संस्था पहचानकर्ता इंडिया लिमिटेड (एलईआईआईएल) से प्राप्त किया जा सकता है, जो भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) की सहायक संस्था है, जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत एलईआई जारीकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड" एवं उत्कर्ष स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड" को शामिल करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 नवंबर, 2017 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को सूचित किया कि एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड" को 18 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 01 नवंबर, 2017 की अधिसूचना बैंविवि.एनबीडी. (एसएफबी – एएफएल) सं.2689/16.13.216/2017-18 के द्वारा शामिल किया गया है। इसी तरह, 16 नवंबर, 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को सूचित किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "उत्कर्ष स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड" को 7 नवंबर 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 4 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना बैंविवि.एनबीडी. (एसएफ़बी-यूएमएफ़एल).सं.2689/16.13.216/2017-18 के द्वारा शामिल किया गया है।

एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 नवंबर, 2017 को एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को निर्देश जारी किए। इन निदेशों का अन्तर्निहित सिद्धान्त यह है कि विनियमित संस्था यह सुनिश्चित करे कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के कारण ग्राहकों और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रति दायित्व पूर्ति की उसकी क्षमता में कमी नहीं होगी और न ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण में कोई बाधा पहुँचेगी। अतः एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना होगा कि सेवा प्रदाता सेवा प्रदान करने में उतने ही उच्च स्तर की सावधानी बरतता है, जितनी तब एनबीएफसी बरतता था, यदि आउटसोर्स की गई गतिविधियाँ एनबीएफसी के भीतर ही रहती और उनकी आउटसोर्सिंग नहीं होती। अतः एनबीएफसी को ऐसी आउटसोर्सिंग नहीं करनी चाहिए जिनसे उनका आंतरिक नियंत्रण, कारोबारी आचरण या प्रतिष्ठा प्रभावित हो या क्षीण हो।

डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 06 दिसंबर, 2017 को डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए सभी बैंक और कार्ड नेटवर्क प्रदाता को मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) पर निर्देश जारी किए हैं। "ड्राफ्ट परिपत्र - डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण" पर हितधारकों के साथ किए गए परामर्श के आधार पर और साथ ही व्यापारियों के एक बड़े समूह, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों द्वारा डेबिट कार्ड

स्वीकृति को बढ़ावा देने और इसमें शामिल संस्थाओं के लिए व्यापार की स्थिरता को सुनिश्चित करने के दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर डेबिट कार्डों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के यौक्तिकीकरण का निर्णय लिया गया है:

क. टर्नओवर के आधार पर व्यापारियों के वर्गीकरण

ख. क्यूआर- कोड आधारित लेनदेनों के लिए एक पृथक एमडीआर को अपनाना। \

ग. 'कार्ड प्रेजेंट' और 'कार्ड नॉट प्रेजेंट' दोनो ही लेनदेनों के लिए अधिकतम स्वीकार्य एमडीआर की सीमा तय करना।

आईएसएसएन कोड

अंतर्राष्ट्रीय मानक सीरियल नंबर (आईएसएसएन) एक आठ अंकीय कोड है जिसका उपयोग सीरियल प्रकाशन की विशिष्ट पहचान करने के लिए किया जाता है। आईएसएसएन एक ही शीर्षक से प्रकाशित दो अनुक्रमों के बीच अंतर स्पष्ट करने में विशेष रूप से सहायक होता है। आईएसएसएन का उपयोग क्रमबद्ध साहित्य, आदेश, कैटलॉगिंग, एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय में पुस्तकों का आदान-प्रदान करने आदि के लिए किया जाता है। इस कोड का इस्तेमाल अखबारों, पत्रिकाओं, जर्नल, संग्रह, वेबसाइटों, डेटाबेस, ब्लॉग्स और सभी प्रकार के मीडिया प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। कई देशों में वहाँ के कानूनों के अधीन सभी प्रकाशनों के लिए आईएसएसएन संख्या अनिवार्य है।

आईएसएसएन प्रणाली को पहली बार 1971 में अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में तैयार किया गया था और इसे 1975 में आईएसओ 3297 के रूप में प्रकाशित किया गया था। आईएसओ उपसमिति टीसी 46 / एससी 9 इसका मानक बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

कोड आबंटित करना

आईएसएसएन कोड आईएसएसएन नेशनल सेंटर के नेटवर्क द्वारा आबंटित किए जाते हैं, जो आमतौर पर राष्ट्रीय पुस्तकालयों में स्थित होते हैं और पेरिस में स्थित आईएसएसएन इंटरनेशनल सेंटर द्वारा समन्वित होते हैं। इंटरनेशनल सेंटर 1974 में यूनेस्को और फ्रांस सरकार के बीच एक समझौते के माध्यम से बनाया गया एक अंतरसरकारी संगठन है। इंटरनेशनल सेंटर दुनिया भर में निर्दिष्ट सभी आईएसएसएन के डेटाबेस का रखरखाव करता है, आईएसडीएस रजिस्टर (इंटरनेशनल सीरियल डाटा सिस्टम) अन्यथा आईएसएसएन रजिस्टर के रूप में जाना जाता है। 2016 के अंत में, आईएसएसएन पंजीकरण में 1,943,572 वस्तुओं के रिकॉर्ड शामिल थे।

विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने एवं पीएचडी करने के लिए आपको अपना लेख किसी स्तरीय जर्नल या किसी बड़े हाउस द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका से ही छपवाना होता है। स्तरीय जर्नल से तात्पर्य यह है कि उसे आईएसएसएन कोड प्राप्त होना चाहिए। यूजीसी की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक अब किसी भी संस्थान में सीधे रीडर/ एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने के लिए एकेडेमिक परफोर्मेंस इंडीकेटर (एपीआई) के तहत न्यूनतम निर्धारित अंक अर्जित करने होंगे। इसी तरह अगर आईएसबीएन नंबर वाली किसी रेफर्ड जर्नल में आपका शोध-पत्र छपा है तो उसके लिए आपको निर्धारित अंक मिलेंगे।

इतिहास के पन्नों से

एक्ज़िम बैंक की विकास यात्रा

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक), एक ऐसा नाम जो आम आदमी के बीच कुछ खास-सा है। बैंक का विज़न और मिशन ही इसे यह खासियत देता है। एक्ज़िम बैंक देश की एक शीर्ष निर्यात वित्त संस्था है। 35 साल पहले भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश के आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार और निर्यात का योगदान बढ़ाने के उद्देश्य से 1982 में इसकी स्थापना की गई। एक्ज़िम बैंक करीब दो दशकों के लंबे विचार-विमर्श के बाद अस्तित्व में आया।

एक्ज़िम, एक दास्तां...

आधी सदी से भी पहले की बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ तो रही थी, लेकिन रफ्तार नहीं पकड़ पा रही थी। औपनिवेशिक काल में भारत से कच्चे माल का निर्यात किया जाता और इंग्लैंड में तैयार उत्पाद हम आयात करते। भारत रेशम, कपास, ऊन और चीनी जैसे कच्चे माल का ही निर्यातक बनकर रह गया था और हम इंग्लैंड में हल्की मशीनों से बने सूती, रेशमी और ऊनी कपड़े भी आयात करने लगे थे। इसीलिए आजादी के बाद सरकार ने बीच का रास्ता निकाला। घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देने के लिए विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन मशीनरी, उर्वरकों और पेट्रोलियम जैसी जरूरत की चीजों का आयात खुला रखा।

यह 1950 और 60 का दशक था। देश में उद्योगों का उदय हो रहा था। यदि उस वक्त देश में विदेशी माल आता तो ये उद्योग बढ़ नहीं पाते। इस तरह आर्थिक वृद्धि के लिए उद्योगों और विनिर्माण को आयातों के जरिए बढ़ावा दिया गया। लेकिन इस प्रक्रिया में निर्यात कहीं पीछे छूट गया। विदेशी मुद्रा भंडार गिरने लगा और भारत का व्यापार घाटा बढ़ने लगा। 50 के दशक के अंतिम वर्षों में नीति-निर्माताओं को महसूस होने लगा कि देश की आर्थिक तरक्की के लिए निर्यात को बढ़ाया जाना जरूरी है। यहीं से निर्यात को बढ़ावा देने वाली एक संस्था के विचार की नींव पड़ी। इसी विमर्श के बीच 1957 में ईसीजीसी ने आकार ले लिया। ईसीजीसी का उद्देश्य निर्यातकों को ऋण बीमा उपलब्ध कराना था, ताकि वे नए भौगोलिक क्षेत्रों में भी अवसर तलाश सकें। फिर भी 70 के दशक तक आते-आते अर्थशास्त्रियों और नीति-निर्माताओं के बीच ऐसी संस्था को लेकर विमर्श जोर पकड़ने लगा, जो निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ एक उत्प्रेरक का काम करे, बल्कि निर्यातकों

विकास वशिष्ठ
प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुंबई

की मध्यम और लंबी अवधि के ऋण की जरूरतों को भी पूरी कर सके।

उधर, वैश्विक आर्थिक हालात भी कुछ बहुत अच्छे नहीं थे। वियतनाम युद्ध की त्रासदी विश्व देख चुका था। तेल के धनी देशों का ओपेक नाम से अपना एक अलग संगठन बन चुका था और वियतनाम युद्ध के बाद 70 के दशक में ओपेक ने तेल के दाम बढ़ा दिए थे। विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका बुरा असर पड़ा था। हालांकि तब तक भारत के निर्यात पोर्टफोलियो में माल और सेवाएं भी जुड़ चुके थे। वह 70 का ही दशक था, जब भारत का निर्यात 15.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा था। यानी निर्यात विदेशी मुद्रा का प्रमुख जरिया बना हुआ था। भारतीय निर्यातकों की जरूरतें बढ़ने लगी थीं। हालांकि साधारण वाणिज्यिक बैंक निर्यातकों को ऋण प्रदान करते थे, लेकिन उसके साथ वे दूसरे काम भी करते थे। इसलिए उनका फोकस निर्यातों के वित्तपोषण पर कभी नहीं रहा।

और जब सबने कहा- आगे बढ़ना है, तो एक्ज़िम बनाना है

इसी विमर्श के बीच, सरकार ने निर्यात वित्त समिति बना दी। जिम्मा सौंपा कि पता लगाया जाए देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए। 7 अक्तूबर, 1967 को इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पत्रिका में निर्यात वित्त समिति की सिफारिशों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसमें लिखा गया कि देश को एक निर्यात-आयात बैंक की जरूरत है। अधिकांश औद्योगिक देशों में अब निर्यात-आयात बैंक हैं, जो विदेशी खरीदारों को चीनी जैसी उपभोग की वस्तुओं के लिए भी सीधे ऋण देते हैं। यदि भारत को भी निर्यात बाज़ार में विस्तार करना है तो हमें भी खरीदारों को इस तरह का ऋण उपलब्ध कराना होगा।

इसके बाद कई और अध्ययन किए गए। नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च ने इस विषय पर गहन अध्ययन के लिए 27 अर्थशास्त्रियों, उद्योग विशेषज्ञों और निर्यातकों का एक समूह बनाया। इस समूह ने 1969 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और एक अलग निर्यात बैंक बनाने की सिफारिश की। इसके बाद भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) ने भी भारत में निर्यात ऋण और निर्यात बीमा सुविधाओं को लेकर एक अध्ययन किया। इसकी रिपोर्ट 1970 में आई। इसमें भी एक्ज़िम बैंक की स्थापना की वकालत की गई। रिपोर्ट में कहा गयाः

- यह बैंक छोटी, मध्यम और लंबी अवधि के निर्यात ऋण मुहैया कराएगा।
- परामर्शी सेवाओं के निर्यात के लिए वित्त प्रदान कर निर्यात का विस्तार करेगा।
- संयुक्त उपक्रमों का भी वित्तपोषण करेगा, ताकि विदेशी व्यापार बढ़ सके।
- देश के निर्यात को सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करेगा।

1970 तक अर्थशास्त्रियों के बीच जापान के निर्यात-आयात बैंक की विशेष रूप से चर्चा होने लगी थी, जो 1950 में बना था। 1970 में ही सरकार ने संसद में निर्यात नीति संकल्प पेश किया, ताकि निर्यात की ओर ध्यान खींचा जा सके। यह वह दौर था जब इंजीनियरिंग उद्योग प्रमुख निर्यात क्षेत्र के रूप में उभरने लगा था। तब सरकार ने श्री एम सोंधी की अध्यक्षता में फिर एक समिति बनाई और इंजीनियरिंग उद्योग को निर्यातों में सामने आने वाली दिक्कतों का समाधान सुझाने का जिम्मा सौंपा। इस समिति ने भी एक्ज़िम बैंक बनाने की सिफारिश की। समिति ने कहा कि एक ऐसे विशेष बैंक की जरूरत है

जो निर्यात और आयात के वित्तपोषण पर ही ध्यान केंद्रित कर सके और ईसीजीसी के साथ अधिक समन्वय से काम कर सके। इसके बाद नई दिल्ली में बैठकों का दौर चला। निर्यात-आयात मुख्य नियंत्रक श्री बी.डी. कुमार की अध्यक्षता में एक और समिति बनी। समिति ने 1974 में रिपोर्ट सौंपी और कहा कि निर्यातों के वित्तपोषण में तत्कालीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) की भूमिका काफी सीमित है। उस वक्त आईडीबीआई में अलग से एक निर्यात प्रभाग हुआ करता था। समिति ने कहा कि जिस तरह औद्योगिक विकास के लिए हमने साधारण वाणिज्यिक बैंकों पर निर्भर रहने के बजाय अलग औद्योगिक बैंक बनाया, उसी तरह समय आ गया है कि निर्यात के विकास के लिए भी अलग संस्था बनाई जाए।

और हुआ नया सवेरा

1970 के दशक के मध्य तक परियोजना निर्यातों में अच्छी वृद्धि देखी जाने लगी थी। इसी के साथ एक अलग एक्ज़िम बैंक की जरूरत और अधिक शिद्दत से महसूस की जाने लगी। वाणिज्य मंत्रालय ने बैंकिंग आयोग से चर्चा के बाद विशेषज्ञों का एक कार्यकारी समूह बना दिया और निर्यात केंद्रित बैंक के मॉडल पर काम करने का जिम्मा सौंपा। इस कार्यकारी समूह ने विदेश व्यापार विकास बैंक बनाने की सिफारिश की और अंततः 1978-1979 में निर्यात-आयात बैंक की स्थापना का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय तक पहुंचा। बैठकों का एक और दौर चला। आखिर में, सरकार ने 1979 में श्री प्रकाश टंडन की अध्यक्षता में एक और समिति बनाई। समिति ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और एक्ज़िम बैंक की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह वह दौर था जब इंजीनियरिंग माल का निर्यात लगातार बढ़ रहा था। 1980 में भारतीय निर्यातों में इंजीनियरिंग माल के निर्यात का हिस्सा 13 प्रतिशत तक बढ़ गया था। परियोजना निर्यातों में भारतीय कंपनियों द्वारा 850 करोड़ रुपए के ठेके हासिल किए गए थे। ऐसे में सरकार को एक्ज़िम बैंक बनाने का निश्चय करने में मदद मिली। 18 जून, 1980 को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री आर. वेंकटरमन ने अपने बजट भाषण में एक्ज़िम बैंक की स्थापना का ऐलान किया। उन्होंने कहा, "देश के विकास में निर्यातों की भूमिका से सभी माननीय सदस्य परिचित हैं। निर्यात संवर्धन के लिए ऋण और निवेश वित्त का प्रबंधन जटिल होता जा रहा है। ऐसे में निर्यातकों की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है।" सितंबर 1981 में

1990 में आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर श्री आर.एन. मल्होत्रा द्वारा मुंबई में प्रधान कार्यालय के वर्तमान कार्यालय का उद्घाटन।

1983 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन।

संसद में भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम पारित हुआ। और 1 मार्च, 1982 को बैंक ने 75 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ अपना परिचालन प्रारंभ किया।

ऐसी थी कारोबारी फिज़ा

एक्ज़िम बैंक की स्थापना के समय देश में आर्थिक नीतियां आयातित माल के बजाय घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने वाली थी। भारतीय कारोबार निर्यात उन्मुख नहीं थे। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक माहौल भी ऐसा नहीं था कि निर्यात के लिए बहुत मददगार हो। नियम-विनियम काफी ज्यादा थे। यह नियंत्रित अर्थव्यवस्था का काल था। जब राशन के लिए लंबी लाइनें लगा करती थीं। गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी। सड़कों पर बजाज के स्कूटर दिखते थे। कारों में भारतीय सड़कों पर सिर्फ एंबेसेडर और पद्मिनी ही दिखाई देती थी। मारुति 800 भी 1983 में आई थी। यानी साधन-संसाधन सब सीमित थे। उधर, विकसित देश मंदी का सामना कर रहे थे। इसलिए विश्व व्यापार भी मंदा था। ऐसे में बैंक की नींव तीन बुनियादी मकसदों के साथ रखी गई। भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, उसका वित्तपोषण करना और निर्यातों को सुगम बनाना। बैंक के पहले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर.सी. शाह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई और यहीं से शुरू हुआ एक्ज़िम बैंक का सफरनामा।

बुनियादी संरचना

एक्ज़िम बैंक अपनी स्थापना के समय से ही पदानुक्रम रहित संस्था है। बैंक में पदनाम हैं, पदाधिकारी हैं, लेकिन वे शीशे की दीवारों में बंद नहीं हैं, बल्कि खुले हैं। ताकि विचारों का आदान-प्रदान भी खुले तरीके से हो सके। बैंक ने स्थापना के समय से ही अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया और एक नवोन्मेषी परिवेश विकसित किया। श्री शाह की दूरदर्शिता ने बैंक को यह अनूठा संगठनात्मक ढांचा और कार्य संस्कृति अपनाने में मदद की। बैंक का मार्गदर्शन करने के लिए विशेषज्ञों का एक बोर्ड है, जिसमें वरिष्ठ नीति निर्माता, विशेषज्ञ बैंकर और अंतरराष्ट्रीय व्यापार व उद्योग के बड़े नाम तथा निर्यात, आयात या उसके वित्तपोषण क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल शामिल हैं। बैंक में अन्य संस्थाओं के विपरीत विभाग के बजाय समूह की संकल्पना है। इसके पीछे मुख्य विचार विभागवार बंटकर काम करने के बजाय मिलकर सामूहिक रूप से काम करना है।

प्रथम सोपानः छोटा बैंक, बड़ा काम

बैंक ने 69 अधिकारियों के साथ एक छोटी-सी संस्था के रूप में काम शुरू किया। बैंक में कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं था। आज भी नहीं है। बैंक ने स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के स्वावलंबन दर्शन को अपनाया और अधिकारियों को अपना काम खुद करने के लिए प्रेरित किया। कॉरपोरेट जगत में डूअर्स कल्चर के रूप में इसकी ब्रांडिंग हुई। बैंक ने 180 दिन से अधिक के लिए प्री-शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट ऋण और परियोजना निर्यातों के लिए गारंटी के रूप में गैर निधिक सेवाएं उपलब्ध कराना शुरू किया। बैंक एक कार्यकारी समूह का भी हिस्सा बना। भारतीय निर्यातकों को विदेशों में परियोजनाएं लगाने के लिए इस समूह का अनुमोदन लेना जरूरी था। हालांकि 2014 में इस समूह को खत्म कर दिया

गया। परियोजना निर्यात, ऋण-व्यवस्था, क्रेता ऋण और विदेशी निवेश वित्त जैसे वित्तपोषण कार्यक्रम बैंक के उत्पाद केंद्रित दृष्टिकोण का ही हिस्सा रहे हैं। 1985 तक बैंक का फोकस निर्यात ऋण उपलब्ध कराने पर ही रहा।

विशेषज्ञता का आयात, परियोजना निर्यात

क्रेता अथवा आयातक को आस्थगित भुगतान शर्तों पर इंजीनियरिंग माल, टर्नकी या सिविल निर्माण और परामर्शी सेवाओं के निर्यात को सामूहिक रूप से परियोजना निर्यात कहा गया। शुरुआत में भारत से परियोजना निर्यात इराक और लीबिया तक ही सीमित थे और ज्यादातर परियोजनाएं बांधों, सड़कों, पुलों और हवाईअड्डों के निर्माण से ही जुड़ी थीं। सन 1985 के आसपास की बात है। बैंक ने देखा कि विदेशी परियोजनाओं के लिए भारतीय कंपनियों की बोलियां तकनीकी खामियां बताकर खारिज कर दी जाती हैं। केवल कुछ चुनिंदा कंपनियां ही विदेशी परियोजनाओं के ठेके हासिल करने में कामयाब हो पाती हैं। ऐसे में बैंक ने भारतीय कंपनियों की मदद करने की ठानी। बहुपक्षीय निधिक विदेशी परियोजना (एमएफपीओ) नाम से अलग समूह बनाया। बैंक ने अपने

9 अप्रैल, 1983 को सीमेंट मशीनरी प्लांट के लिए इंडोनेशिया को पहला शिपमेंट।

अधिकारियों को बहुपक्षीय एजेंसियों के मुख्यालय भेजा और पूरी प्रक्रिया को समझा। इसकी सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह समूह अपने पहले ही साल में 175 परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों के लिए संभावनाएं तलाश रहा था। उस साल प्रस्तुत की गई 50 बोलियों में से 10 ठेके भारतीय कंपनियों को मिले। आज बैंक कृषि से लेकर उद्योग, ऊर्जा, जल आपूर्ति, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों की परियोजनाओं का भी वित्तपोषण कर रहा है।

द्वितीय सोपानः नियंत्रित अर्थव्यवस्था की गोधूलि वेला में निर्यात क्षमता सृजन

1986 से बैंक ने निर्यात वित्तपोषण के अलावा निर्यातों को बढ़ावा देने वाली दूसरी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। 70 और 80 के दशक में मध्य पूर्व में निर्माण क्षेत्र में तेजी आई थी। लेकिन ईरान-इराक युद्ध से यह तेजी ध्वस्त भी हुई। निर्यातकों की इससे उपजी जरूरतों को बैंक ने समझा और अपना ध्यान निर्यात क्षमता सृजन पर केंद्रित किया। 1986-1990 का कालखंड बैंक के इतिहास में निर्यात क्षमता सृजन वाला था। यह नियंत्रित अर्थव्यवस्था की गोधूलि वेला थी। उदारीकरण से पहले का समय। ऐसा समय जब विदेशी मुद्रा विनिमय दर बहुत ज्यादा थी। विनिर्माण में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी और टैरिफ दरें भी ऊंची थीं। यह लाइसेंस परमिट राज और लाल फीताशाही वाला समय था। निर्यातों को बढ़ाने के लिए एक खास किस्म का परिवेश विकसित करने की जरूरत थी।

निर्यात उन्मुख इकाइयों का वित्तपोषण

इस सबको देखते हुए बैंक ने 1984 में निर्यात उन्मुख इकाइयों के वित्तपोषण की राह अपनाई और विदेशों में संयुक्त उपक्रम (जॉइंट वेंचर) को सुगम बनाने का काम किया। बैंक निर्यात

संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना के लिए नोडल एजेंसी बना। 1986 में सरकार ने कंप्यूटर हार्डवेयर आयात के वित्तपोषण के लिए एक्ज़िम बैंक को मुख्य एजेंसी के रूप में चुना। बैंक ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए मियादी ऋण दिया और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज व इंफोसिस जैसी कंपनियां हमारी ग्राहक बनीं। इसे भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के उदय का पहला सवेरा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बैंक ने 1986 में ही निर्यात मार्केटिंग वित्त कार्यक्रम शुरू किया और सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाते हुए उन्हें सहयोग किया। इसके अलावा उत्पाद विकास, विदेशी निवेश वित्त जैसे कार्यक्रम भी विकसित किए और शोध एवं विकास (आर एंड डी) के लिए भी वित्त प्रदान करना शुरू कर दिया।

तृतीय सोपानः वैश्विक हालात बदले, जरूरतें बदली, बैंक बदला

भारतीय कंपनियां विदेशों में पांव पसार ही रही थीं कि अचानक एक खबर आई। 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। तेल का एक और संकट खड़ा हो गया। तेल का बड़ा आयातक होने के कारण भारत पर भी इसका बुरा असर पड़ा। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर महज 1.52 अरब डॉलर ही रह गया। भारत को अपना सोना बेचना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा। फिर 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने ऐतिहासिक बजट पेश किया और इसी के साथ शुरू हुआ उदारीकरण का दौर, जो 2000 तक तेजी से चला है। लाइसेंस परमिट राज का अंत हुआ। परिवेश बदलने लगा और साधारण वाणिज्यिक बैंकों को भी लंबी अवधि के निर्यात ऋण के मैदान में उतरने की खुली छूट मिल गई। ऐसे में एक्ज़िम बैंक को भी बदलने की जरूरत महसूस हुई। इसी के साथ बैंक उत्पाद केंद्रित दृष्टिकोण से ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ चला। यानी अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझा और निर्यात चक्र के हर चरण में निर्यातकों की मदद करने वाले उत्पाद विकसित किए।

मार्केटिंग सलाहकारी वित्त

बैंक ने लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) की क्षमताओं को 90 के दशक में ही पहचान लिया था। ये उद्यम विदेशों के विनियामकों को पूरा नहीं कर पाते थे और इनके उत्पाद विदेशी बाज़ारों में जगह नहीं बना पाते थे। ऐसे में निर्यात मार्केटिंग वित्त शुरू किया, जो 25 करोड़ यूएस डॉलर का विश्व बैंक का फंड था। यह कार्यक्रम दो चरणों में चला और बैंक ने इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर सहित चमड़ा, केमिकल, समुद्री खाद्य, बायोटेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल क्षेत्रों की परियोजनाओं का वित्तपोषण किया। इसके जरिए बैंक ने लघु और मध्यम उद्यमों में एक आत्मविश्वास जगाया कि विदेशी बाज़ारों में उनके उत्पाद भी पहुंचाए जा सकते हैं। बैंक ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उनके हुनर को निखारा और उत्पादों को भी वैश्विक स्तर का बनाने में सहयोग किया।

चतुर्थ सोपानः भारत के विकास और वैश्वीकरण में सहभागी

देखते ही देखते हम सहस्राब्दि (मिलेनियम ईयर) में प्रवेश कर गए। विकास वित्त संस्था के रूप में बैंक की भूमिका भी बढ़ गई। 2003-04 में भारत सरकार की भारतीय विकास पहल के नाम से एक योजना आई, जिसे आज भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आइडियाज) के नाम से जाना जाता है। बैंक इस योजना के अंतर्गत विकासशील देशों की सरकारों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से ऋण-व्यवस्थाएं देता है। ये ऋण-व्यवस्थाएं निर्यातकों के लिए विदेशी बाज़ारों में कदम रखने का प्रभावी माध्यम भी हैं। बैंक

की अपनी ऋण-व्यवस्थाएं भी हैं जो निर्यातकों को अपने माल और सेवाओं के निर्यात के लिए जोखिम और दायित्व रहित ऋण प्रदान करती हैं। निर्यातकों के लिए ये फायदेमंद इसलिए हैं, क्योंकि बैंक को भुगतान करने का दायित्व उन पर नहीं रहता। बैंक सीधे निर्यातक को भुगतान कर देता है और फिर आयातक सीधे बैंक को पुनर्भुगतान करते हैं। आज अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और सीआईएस क्षेत्रों के 63 देशों में 16.83 अरब डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ बैंक की 222 ऋण-व्यवस्थाएं हैं।

निर्यातकों के लिए जोखिम कम करने का एक और प्रयास

भारत सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत 2006 में राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) बनाया। इसका मकसद ऐसे परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देना था, जिनके लिए ईसीजीसी भी बीमा कवर प्रदान करने में असमर्थ था। इसके अंतर्गत वास्तविक राशि के 20 गुना राशि तक का कवर प्रदान किया जा सकता है। बैंक ने 2011 में इसके अंतर्गत क्रेता ऋण देना शुरू किया। बैंक अपने इस कार्यक्रम के जरिए सूडान, और रवांडा जैसे देशों सहित 85 देशों में परियोजना निर्यात के लिए ऋण देता है। ये वे देश होते हैं जो ईसीजीसी की पॉजिटिव लिस्ट में शामिल हों।

आंकड़ों में बैंक की विकास यात्रा

पैरामीटर	31.12.82	31.3.90	31.3.2000	31.3.10	31.3.17
ऋण पोर्टफोलियो	219.9	1117.8	5083.3	39035	102641
प्रदत्त पूंजी	75.0	233.8	550.0	1700	6859
नेटवर्थ	80.3	332.7	1508.4	4532	12023
स्टाफ सदस्यों की संख्या	69	138	150	232	340

(राशि करोड़ रुपए में)

सृजनात्मकता का वित्तपोषणः बैंक द्वारा सृजनात्मक क्षेत्र को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए फिल्म फायनेंसिंग की पहल भी की गई है। इस क्षेत्र में बैंक ने नाइजीरियाई एक्ज़िम बैंक से अपने अनुभव साझा करते हुए उसे भी फिल्म फायनेंसिंग के क्षेत्र में उतरने में सहयोग किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में भी वित्तपोषण प्रदान करता है।

ग्रासरूट उद्यम विकासः हाथ के हुनर को नया आसमां

बैंक ने निर्यातों के संवर्धन के अपने बुनियादी मकसद की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए देश के सुदूर गांवों में स्थित उद्यमों के सहयोग के लिए ग्रासरूट उद्यम विकास (ग्रिड) कार्यक्रम की शुरुआत की। देश के आर्थिक-सामाजिक विकास पर भी इसका व्यापक असर पड़ा। बैंक इसके जरिए देश के विभिन्न हिस्सों के शिल्पकारों को उनके उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने, उनकी सही कीमत दिलाने में मदद करता है और ग्रामीण कारीगरों की आजीविका बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। अपनी इस भूमिका को आगे बढ़ाते हुए बैंक ने पूर्वोत्तर के कारीगरों में क्षमता निर्माण के उद्देश्य से हाल ही में टाटा ट्रस्ट के सेंटर फॉर माइक्रोफायनेंस एंड लाइवलीहुड के साथ एक सहयोग ज्ञापन भी किया है।

मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएंः देसी उत्पादों को दे विदेशी बाज़ार

बैंक अपनी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के जरिए देश के हर कोने से भारतीय उद्यमियों के उत्पादों के लिए विदेशों में खरीदार और वितरक तलाशने में मदद करता है और उनके उत्पादों को विदेशी बाज़ारों तक पहुंचाता है। इसके साथ ही भारतीय शिल्प को वैश्विक फलक पर एक नई पहचान दिलाने में भी योगदान देता है। इतना ही नहीं, बैंक ऐसे उद्यमियों के

कौशल को निखारने का काम भी करता है, जिनमें निर्यात की संभावनाएं हैं। बैंक उनके लिए राष्ट्रीय शिल्प संस्थान जैसी विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और उनके उत्पाद विकास में अहम भूमिका निभाता है।

शोध एवं विकास को बढ़ावा

- **अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पुरस्कारः** एक्ज़िम बैंक अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार और विकास के क्षेत्र में भारतीय नागरिकों द्वारा शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पुरस्कार भी देता है। इसके अंतर्गत 3,50,000/- रुपए का पुरस्कार दिया जाता है।
- **ब्रिक्स आर्थिक शोध पुरस्कारः** बैंक ने ब्रिक्स देशों से संबंधित समसामयिक विषयों पर ब्रिक्स देशों के नागरिकों द्वारा शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016 से ही ब्रिक्स आर्थिक शोध पुरस्कार शुरू किया है। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।
- **12 भाषाओं में न्यूज़लेटरः** बैंक विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात की संभावनाओं और अवसरों पर को समेटते हुए निर्यात लाभ नाम से एक त्रैमासिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन करता है। इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र संबंधी निर्यातों की जानकारी देने के लिए हिन्दी-अंग्रेजी सहित 12 भारतीय भाषाओं में द्विमासिक आधार पर कृषि निर्यात लाभ नाम से भी एक न्यूज़लेटर का प्रकाशन करता है।
- **शोध अध्ययनों का प्रकाशनः** बैंक में अर्थशास्त्रियों की एक अलग टीम है, जो वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्थाओं के ट्रेंड पर निगाह रखती है और उस भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए संभावनाएं तलाशते शोध अध्ययन प्रकाशित करती है। बैंक अपने शोध अध्ययनों के जरिए विभिन्न राज्यों से निर्यातों को बढ़ावा देने वाली नीतियां बनाने में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। अब तक बैंक के 181 शोध अध्ययन प्रकाशित हो चुके हैं।

स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान

एक्ज़िम बैंक द्वारा स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान माला की शुरुआत 1986 में बैंक के परिचालन शुरू होने के उपलक्ष्य में की गई थी। इस व्याख्यान माला के अंतर्गत हर वर्ष एक ख्यातिनाम विशेषज्ञ/विचारक को भारतीय व वैश्विक अर्थव्यवस्था पर

पहला स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान 3 मार्च, 1986 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. दीपक नायर द्वारा दिया गया।

32वां स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान 27 मार्च, 2017 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बैरी आयकनग्रीन द्वारा दिया। इस वर्ष से इस व्याख्यान का फेसबुक लाइव भी शुरू किया गया।

प्रभाव डालने वाले समसामयिक मुद्दों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। गत वर्षों में कारोबारी जगत, शिक्षाविदों और समाज के अन्य वर्गों के प्रोत्साहन व सहयोग से एक्ज़िम बैंक की इस वार्षिक व्याख्यान माला ने एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है।

संस्थागत संबंध

बैंक ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से अपने संस्थागत संबंध विकसित किए हैं। बैंक पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का भी एक महत्त्वपूर्ण जिम्मा है। एक्ज़िम बैंक, ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग व्यवस्था का सदस्य है। बैंक को एशिया प्रशांत में विकास वित्त संस्थाओं के संघ एडफिएप द्वारा उत्कृष्ट विकास परियोजनाओं के लिए कई बार पुरस्कृत किया जा चुका है। बैंक एशियाई एक्ज़िम बैंक फोरम तथा निर्यात-आयात बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्सिड) का भी सदस्य है। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक जैसी संस्थाओं की वार्षिक बैठकों में भी बैंक हिस्सा लेता रहा है। बैंक का एक एक्ज़िमिअस शिक्षण केंद्र भी है, जो भारतीय निर्यातकों को निर्यात अवसरों से जागरूक कराने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर समय-समय पर सेमिनारों का आयोजन कराता रहता है।

नई पहलः निर्यातकों-आयातकों का दोस्त- एक्ज़िम मित्र

बैंक निर्यात-आयात के क्षेत्र में समय-समय पर उभरती जरूरतों को समझते हुए नए-नए उत्पाद विकसित करता रहा है। इसी कड़ी में बैंक ने एक्ज़िम मित्र पोर्टल के रूप में एक और नई पहल की है। बैंक ने महसूस किया कि निर्यात-आयात संबंधी जानकारियां हैं जरूर, लेकिन बिखरी हुई हैं। इस कारोबार में कदम रखने वाले लोगों को ये जानकारियां एक जगह नहीं

मिल पाती हैं। इस कमी को पूरा करते हुए बैंक ने जनवरी 2017 में ही एक्ज़िम मित्र नाम का पोर्टल लॉन्च किया, जो निर्यातकों-आयातकों को व्यापार से जुड़ी सूचनाएं देता है और ऋण एवं बीमा की पहुंच को सुगम बनाता है। साथ ही यह पोर्टल व्यापार संभावनाओं वाले वैश्विक बाज़ारों और उत्पादों का पता लगाने, उत्पादों के वैश्विक स्तर की समझ बढ़ाने और ढुलाई की अनुमानित लागत जानने में भी मदद करता है।

एक्ज़िम बैंकः विकास का हमकदम

इस प्रकार एक्ज़िम बैंक वैश्वीकरण के इस दौर में संभावनाओं को अवसरों में बदल रहा है और निर्यातकों की कारोबारी अड़चनें दूर करने में मदद करता है। 35 वर्ष की इस यात्रा में अनेक निर्यातकों की प्रगति में एक अहम भूमिका निभाने में बैंक को गर्व है। आज भारत के दस शहरों और नौ देशों में इसके दफ्तर हैं। बैंक निर्यात-आयात कारोबार की कामयाबी और विकास की राहों में भरोसेमंद सहभागी है। बैंक भारतीय हस्तशिल्प और कलाओं को वैश्विक फलक पर ले जाने के लिए भी प्रयासरत है। बैंक के कार्यक्रम न सिर्फ देश के हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक बदलाव की नई इबारत भी लिख रहे हैं। बैंक गरीब देशों को क्रेता ऋण और ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करते हुए उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

घूमता आईना

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत 30वें स्थान पर रहा

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के वैश्विक विनिर्माण इंडेक्स में भारत को 30वें स्थान पर रखा गया है। चीन पांचवें स्थान पर है। हालांकि, ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका की तुलना में भारत की रैंकिंग बेहतर है। डब्ल्यूईएफ की 'रीडिनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट' में यह रैंकिंग दी गई है।

डब्ल्यूईएफ की रिपोर्ट में जापान अव्वल रहा है। सूची में जापान के बाद दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चीन, चेक गणराज्य, अमेरिका, स्वीडन, आस्ट्रिया और आयरलैंड शीर्ष दस स्थान पर हैं। ब्रिक्स राष्ट्रों में इस सूचकांक में रूस 35वें, ब्राजील 41वें और दक्षिण अफ्रीका 45वें स्थान पर रहा है।

एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए लोकपाल स्कीम लागू की है। एनबीएफसी से संबंधित किसी तरह की शिकायत होने पर ग्राहक इस लोकपाल का दरवाजा खटखटा सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा है, "इस स्कीम में ग्राहकों को नि:शुल्क सुविधा मिलेगी। वे इस स्कीम के तहत आने वाली एनबीएफसी की सेवाओं में किसी तरह की कमी की शिकायत लोकपाल के पास कर सकेंगे." देश के चार शहरों - चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली में लोकपाल के ऑफिस स्थित होंगे। ये ऑफिस अपने-अपने क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा करेंगे। शुरुआत में इस स्कीम के दायरे में डिपॉजिट स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी को रखा जाएगा। बाद में इस स्कीम के तहत 1 बिलियन रुपये या इससे अधिक एसेट साइज तथा ग्राहक इंटरफेस वाली एनबीएफसी को भी रखा जाएगा। इस स्कीम के तहत अपील की व्यवस्था भी की गई है। इसमें जिस एनबीएफसी के खिलाफ शिकायत दाखिल गई है उसे/शिकायतकर्ता को लोकपाल के फैसले के खिलाफ अपील करने की इजाजत होगी और वह अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगी।

केंद्रीय बैंक ने इस स्कीम के बारे में 'बार-बार पूछे जाने वाले सवालों की सूची' भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि किसी तरह की शिकायत होने पर शिकायतकर्ता को सबसे पहले संबंधित एनबीएफसी का दरवाजा खटखटाना होगा। अगर शिकायत मिलने के एक महीने की अवधि में एनबीएफसी जवाब नहीं देती है या वह शिकायत को खारिज कर देती है या अगर शिकायतकर्ता उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो शिकायतकर्ता लोकपाल के पास उस एनबीएफसी की शिकायत

के. सी. मालपानी
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी

कर सकता है। यह शिकायत लोकपाल के उस ऑफिस में की जानी चाहिए, जिसके क्षेत्र में संबंधित एनबीएफसी आती है।

सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यांकन का काम फाइनैंशियल बेंचमार्क इंडिया को

रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो के मूल्यांकन के लिए फाइनैंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लि। (एफबीआईएल) को नियुक्त किया है। पहले यह काम फिक्स्ड इंकम मनी मार्केट ऐंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशयन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) कर रहा था। केंद्रीय बैंक ने 2017-18 की आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रस्ताव किया था कि एफबीआईएल को सरकारी प्रतिभूतियों के आकलन का काम सौंपा जाएगा। रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार एफआईएमएमडीए से सरकारी प्रतिभूतियों की कीमत / प्रतिफल (रिटर्न) के प्रकाशन का काम 31 मार्च 2018 से वापस ले लिया गया है।

एफआईएमएमडीए बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, प्राइमरी डीलर तथा बीमा कंपनियों का एसोसएिशन है। इसका गठन 1998 में बाज़ार के एक स्वैच्छिक निकाय के रूप में बाण्ड, मुद्रा और डेरिवेटिव बाज़ार के लिए किया गया था और यह इन बाज़ारों के कामकाज को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर नियामकों के साथ मिलकर काम करता रहा है। हाल की अधिसूचना में केंद्रीय बैंक ने कहा, एफबीआईएल मौजूदा तौर-तरीकों के आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों तथा एसडीएल (राज्य विकास कर्ज) के मूल्यांकन मानकों के प्रकाशन का काम शुरू करेगा। इसके अलावा एफबीआई मूल्यांकन पद्धति की व्यापक समीक्षा करेगा।

इसमें यह भी कहा गया है कि बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, प्राइमरी डीलर, सहकारी बैंक तथा सभी वित्तीय संस्थान जिनको एफआईएमएमडीए के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करना होता था, वे अब एफबीआईएल की कीमतों का उपयोग कर सकते हैं। वर्ष 2014 में गठित एफबीआईएल मुंबई इंटर-बैंक आउटराइट रेट (मिबोर) तथा विकल्प उतार-चढ़ाव (आप्शन वोलेटीलिटी) के आंकड़ों का उपयोग करता रहा है। साथ ही, उसने मार्केट रेपो ओवरनाइट रेट, सर्टिफिर्केट ऑफ डिपोजिट तथा टी-बिल प्रतिफल के ग्राफ जैसे बेंचमार्क पेश किए हैं।

आयकर विभाग ने पैन और टैन मामले में कम्पनियों को दी राहत

आयकर विभाग ने कहा है कि कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र को कंपनियों के लिए पैन और टैन का पर्याप्त सबूत माना जाएगा। वित्त अधिनियम 2018 के तहत आयकर कानून 1961 की धारा 139 ए में संशोधन किया गया है और लैमिनेटेड कार्ड के रूप में पैन जारी करने की जरूरत अब समाप्त कर दी गई है। कंपनियां अब कंपनी के निगमन, स्थायी खाता संख्या (पैन) के आवंटन, कर कटौती और संग्रहण खाता नंबर (टैन) के आवंटन के लिए एक ही आवेदन पत्र के जरिए आवेदन कर सकती हैं। यानी, अब एक ही आवेदन करने पर ये सारे काम हो जाएंगे। विभाग का कहना है कि कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी निगमन प्रमाण पत्र (सीओआई) में पैन व टैन दोनों का उल्लेख होता है।

क्या होता है पैन और टैन?

कर संग्रहण को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए आयकर विभाग की ओर से व्यक्तिगत करदाता, कंपनी और ट्रस्ट को पैन या टैन नंबर जारी किया जाता है। पैन और टैन 10 अंकों का एक नंबर है। आयकर विभाग करदाताओं की पहचान उनके स्थायी खाता संख्या यानी पैन से करता है। वहीं, टैन ऐसे सभी करदाता को प्राप्त करना आवश्यक है जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 203ए के अंतर्गत कर काटने या संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी हैं।

कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए एक पेज का नया आईटीआर फॉर्म-1 जारी

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए एक पेज का आयकर रिटर्न फॉर्म 1 (सहज) जारी

कर दिया है। करीब तीन करोड़ करदाता इस एक पेज के सहज फॉर्म का उपयोग कर सकेंगे। आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) को किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है जो यहां का निवासी है, जिसकी आमदनी 50 लाख रुपये तक है और जो वेतन, एक मकान वाली संपत्ति/अन्य आय (ब्याज इत्यादि) से आमदनी अर्जित कर रहा है।

आईटीआर फॉर्म-2 को भी तर्कसंगत बना दिया गया है। व्यवसाय अथवा पेशे को छोड़ किसी भी अन्य मद से आमदनी अर्जित करने वाले व्यक्ति और एचयूएफ (हिन्दू अविभाजित परिवार) आईटीआर फॉर्म-2 दाखिल करने के पात्र होंगे। व्यवसाय अथवा पेशे की मद में आमदनी अर्जित करने वाले व्यक्ति और एचयूएफ या तो आईटीआर फॉर्म-3 अथवा आईटीआर फॉर्म-4 (अनुमानित आय मामलों में) दाखिल करेंगे। नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में व्यक्तिगत करदाताओं से उनके सैलरी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी से इनकम को लेकर ज्यादा जानकारी मांगी गई है जबकि छोटे कारोबारियों को गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (GSTIN) और जीएसटी के तहत रिपोर्ट किए गए टर्नओवर की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। आईटीआर फॉर्म भरने के तौर-तरीकों में पिछले वर्ष की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी आईटीआर फॉर्म ऑनलाइन ही भरने होंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों को आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) हार्ड कॉपी में भरकर जमा करने की अनुमति होगी जिनकी आयु विगत वित्त वर्ष में किसी भी समय 80 वर्ष से अधिक रही है या ऐसे व्यक्ति या अविभाजित हिन्दू परिवार की वार्षिक आय पाँच लाख रुपये तक है और वे रिफ़ंड का दावा नहीं कर रहे हैं। आईटीआर फॉर्म विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध हैं। वित्तवर्ष 2017-18 का रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2018 होगी।

अब रिटर्न भरने में देरी की तो जुर्माना भी देना होगा

5 लाख तक वार्षिक आय के मामलों में रिटर्न भरने में देरी होने पर एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा जबकि अन्य मामलों में 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2018 के बीच रिटर्न भरने पर 5000 रुपये तथा 31 दिसंबर 2018 के बाद 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

वित्त मंत्रालय ने जारी की 9500 'हाई रिस्क' कंपनियों की सूची

वित्त मंत्रालय के अधीन काम करनेवाली संस्था फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) ने 'हाई रिस्क' वाली 9,491 से ज्यादा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की एक सूची जारी की है। एफआईयू-इंडिया की वेबसाइट पर जारी इस सूची में उन कंपनियों के नाम शामिल हैं जिन्हें 'हाई रिस्क' कैटिगरी में रखा गया है।

दरअसल, यह पाया गया कि इन सभी एनबीएफसी ने 31 जनवरी 2018 तक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नियमों का पालन नहीं किया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत सभी एनबीएफसी के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक प्रमुख अधिकारी नियुक्त करने और 10 लाख रुपये या इससे अधिक के सभी संदिग्ध लेन-देन की जानकारी एफआईयू को को देने की बाध्यता तय की गई है। पीएमएलए के सेक्शन 12 के तहत प्रत्येक रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए सभी लेन-देन के रिकॉर्ड्स रखने और निर्देशों के मुताबिक, अपने ग्राहकों एवं लाभ पाने वालों की पहचान की पुष्टि एफआईयू से कराना जरूरी है। एक्ट में इन एंटिटिज को लेन-देन के और क्लाइंट्स की पहचान के रिकॉर्ड्स पांच साल तक रखने को कहा गया है।

क्या है आधार वर्चुअल आईडी, इसे कैसे करें जेनरेट?

यदि आप किसी दुकानदार या एजेंसी को अपना आधार नंबर नहीं देना चाहते हैं या आपको इसके दुरुपयोग होने का डर है तो आपके लिए अब इसका विकल्प आ गया है। यह विकल्प आधार वर्चुअल आईडी (वीआईडी) के रूप में मौजूद है। वीआईडी से आपको निजी और सरकारी संस्थानों को अपना

आधार नंबर दिए बगैर ट्रांजैक्शन और ई-केवाईसी सेवाओं को प्रमाणित करने की सहूलियत मिलती है।

क्या है वीआईडी ?

वीआईडी 16 डिजिट का अस्थायी नंबर होता है। इसे कभी भी जेनरेट किया जा सकता है। सत्यापन के लिए वीआईडी का इस्तेमाल ठीक वैसे ही किया जा सकता है जैसे आधार नंबर का होता है। वीआईडी को यूआईडीएआई के पोर्टल पर जेनरेट कर सकते हैं।

चूंकि वीआईडी डिजिटल आईडी है, इसलिए आधार रखने वाला व्यक्ति इसे कई बार जेनरेट कर सकता है। यही बात इसे ज्यादा सुरक्षित बनाती है। अभी वीआईडी सिर्फ एक दिन के लिए वैध रहती है। इसका मतलब है कि आधार धारक वीआईडी जेनरेट होने के एक दिन बाद ही नई वीआईडी बना सकते हैं।

नया बैंक खाता खोलने, सरकारी सब्सिडी पाने, तत्काल पासपोर्ट का आवेदन करने और नई बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए आधार अनिवार्य है। इन सभी मामलों में आप अपना आधार नंबर देने के बजाय 16 अंकों वाली वीआईडी दे सकते हैं।

कैसे करें जेनरेट?

1. यूआईडीएआई के होमपेज पर आधार सेवाओं के तहत वीआईडी जनरेटर पर जाएं.

2. अपना आधार नंबर, सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा दर्ज करके 'सेंड ओटीपी' पर क्लिक करें। आपको अपने यूआईडीएआई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा।

3. ओटीपी को दर्ज करें। आपके पास नया वीआईडी या पहले से जनरेट किए गए वीआईडी को दोबारा प्राप्त करने का विकल्प होगा। चुने गए विकल्प को जमा करने पर आपको अपने मोबाइल नंबर पर वीआईडी मिल जाएगी।

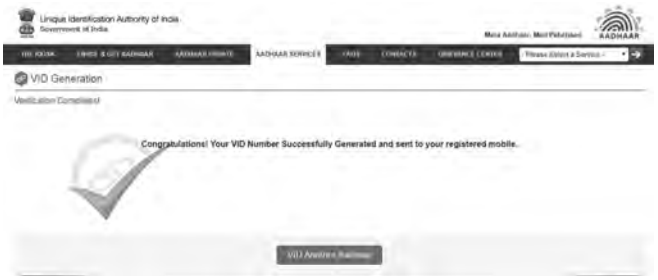

आईआईपी 7.1 प्रतिशत बढ़ा, खुदरा महंगाई घटी

अर्थव्यवस्था का व्यापक आर्थिक परिदृश्य अब बेहतर नजर आ रहा है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि बेहतर बनी हुई है। वहीं खुदरा महंगाई दर नीचे आई है, जो आगे कुछ बढ़ सकती है। बहरहाल कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। फरवरी महीने में खनन सुस्त रहा है और मार्च में प्रमुख क्षेत्रों में महंगाई दर बढ़ी है। फरवरी में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 7.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जो जनवरी में 7.4 प्रतिशत थी। विनिर्माण गतिविधियां तेज रहने से आईआईपी में मज़बूती आई है। यह लगातार चौथा महीना है जब आईआईपी 7 प्रतिशत से ऊपर रहा है। वहीं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मार्च महीने में 4.28 प्रतिशत हो गया है, जो फरवरी में 4.44 प्रतिशत था। खाद्य महंगाई दर कम होने से ऐसा हुआ है। आईआईपी में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर फरवरी में 8.7 प्रतिशत रही है, जो जनवरी की 8.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में थोड़ी ज्यादा है।

लेखकों से / पाठकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? हमें उसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। **लेखकों से यह भी अनुरोध है कि वे प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :**

1. क. सामग्री बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है। लेख मौलिक विचारों पर आधारित हो अथवा किसी विचारधारा की मौलिक समीक्षा हो।
   ख. लेख में किसी सम-सामयिक बैंकिंग समस्या पर प्रतिपक्षात्मक (कॉन्ट्रारियन) विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं बशर्ते प्रतिपक्षात्मक विचारधारा का उद्देश्य आलोचनात्मक न होकर समीक्षात्मक हो या समस्या के बहुपक्षीय आयामों की संभावनाओं से जुड़ा हुआ हो।
   ग. लेख बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी किसी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल प्रैक्टिस पर आधारित हो ताकि नवोन्मेष (इनोवेशन) को प्रोत्साहन मिले।
   घ. लेख ऐसी बैंकिंग विचारधारा, व्यवस्था या पद्धति पर आधारित हो, जिससे भारतीय बैंकिंग ग्लोबल स्तर पर स्पर्धात्मक बने।
   ङ. लेख भारतीय बैंकिंग में अपनाई गई ऐसी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में हो जिसका अन्य देश अनुकरण कर सकें।
2. लेख में दिए गए **तथ्य, आंकड़े अद्यतन हों एवं उनके स्रोत के बारे में स्पष्ट लिखा जाना चाहिए।**
3. क. लेख न्यूनतम 5 पृष्ठों के हों तथा यूनिकोड में टंकित हों।
   ख. वह कागज के एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित हो।
   ग. यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया हो और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिए गए हों।
   घ. लेख यदि संभव हो तो यूनिकोड फांट में rajbhashaco@rbi.org.in नामक ई-मेल आईडी पर भेजने की व्यवस्था की जाए।
4. यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
5. **लेखक अपने पत्राचार का पता, ई-मेल आईडी एवं टेलीफोन / मोबाइल नंबर अवश्य दें।**
6. प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि **जब तक लेख की अस्वीकृति सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।**

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

सदस्यता फार्म

प्रबंध संपादक
बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन
भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
सी-9, दूसरी मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

महोदय,

मैं तीन वर्षों के लिए 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का ग्राहक बनना चाहता / चाहती हूँ। आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित ब्योरे के अनुसार मुझे नियमित रूप से पत्रिका भेजें।

सदस्यता क्रमांक (यदि पहले से सदस्य हैं) _____

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : श्री / श्रीमती / कुमारी _____

पता (स्पष्ट अक्षरों में) : _____

_____

_____

केंद्र _____ पिनकोड _____

मो. नं. _____ टेलीफोन नं. (कार्यालय) _____ _____ निवास _____

फैक्स नं. _____ एसटीडी कोड _____

ई मेल पता _____

दिनांक _____/_____/_____

भवदीय / या

(हस्ताक्षर)

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित

नवीनतम हिंदी पुस्तक

'बैंकिंग कल, आज और कल'

मूल्य : 300/- रुपये

पुस्तक मिलने का पता -

मैसर्स आधार प्रकाशन प्रा.लि.
एस.सी.एफ. 267, सेक्टर 16
पंचकूला - 134 113
(हरियाणा)

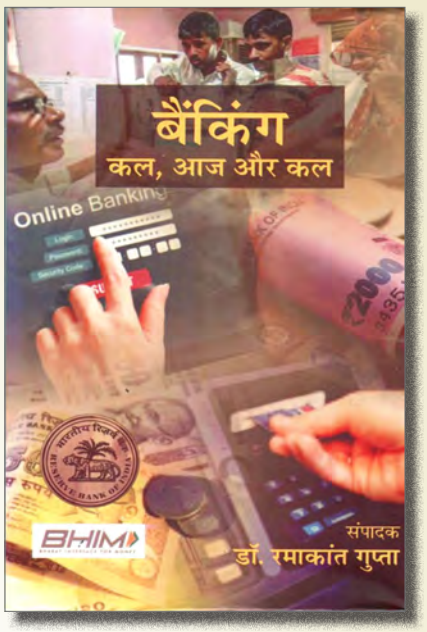

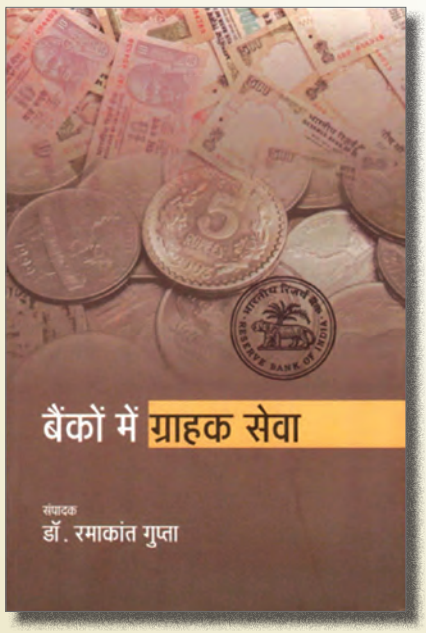

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित

नवीनतम हिंदी पुस्तक

'बैंकों में ग्राहक सेवा'

मूल्य : 500/- रुपये

पुस्तक मिलने का पता -

मैसर्स आधार प्रकाशन प्रा.लि.
एस.सी.एफ. 267, सेक्टर 16
पंचकूला - 134 113
(हरियाणा)

शुद्धि पत्र

पत्रिका के जुलाई-सितंबर 2017 अंक में प्रकाशित आलेख 'एनपीए समस्या समाधान में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की भूमिका' के लेखक श्री कुलदीप सिंह भाटी हैं। अंक की विषय सूची में उक्त आलेख के आगे भूलवश श्री भुवनेश का नाम प्रकाशित हो गया था। इस त्रुटि के लिए हमें खेद है।

- प्रबंध संपादक

आईएसएसएन – 2457-015X

पंजीकरण संख्या - 47043 / 88